CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. III, First Session, 2019/1941 (Saka) No. 24, Thursday, July 18, 2019 / Ashadha 27, 1941 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 361 to 367, 369, 374 and 379 to 380	11-81
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.368, 375 to 378	82-123
Unstarred Question Nos. 4102 to 4331	124-664

PAPE	ERS LAID ON THE TABLE	66-667
	TEMENT BY MINISTER CJ judgement on the Kulbhushan Jadhav case Dr. Subrahmanyam Jaishankar	668-669
MAT	TERS UNDER RULE 377	670-683
(i)	Regarding monitoring of Agriculture colleges in the country	
	Shri Vishnu Dutt Sharma	670
(ii)	Need to link Anwarganj - Mandhana railway line to Panki in Uttar Pradesh	
	Shri Satyadev Pachauri	671
(iii)	Regarding completion of Dandi Heritage Route	
	Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	671
(iv)	Regarding completion of construction of NH-24 in Uttar Pradesh	
	Shri Arun Kumar Sagar	672
(v)	Regarding construction of road and bridge between Nandwara and Bairgania in Sitamarhi district, Bihar	
	Shrimati Rama Devi	672

(vi)	Need to appoint local people as postman	
	Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava	673
(vii)	Regarding alleged harassment of truck drivers in Rewa Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh	
	Shri Janardan Mishra	673
(viii)	Need to include 'Malla Kshatriya' and 'Danda Kshatiya' castes of Jharkhand in the list of Scheduled Caste	
	Shri Bidyut Baran Mahato	673
(ix)	Regarding licence to opium farmers in Chittorgarh, Rajasthan	
	Shri C.P. Joshi	674
(x)	Regarding restoration of drinking water facility in two blocks of Balurghat Parliamentary Constituency in West Bengal	
	Dr. Sukanta Majumdar	674
(xi)	Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution	
	Shri P.P. Chaudhary	675
(xii)	Regarding pending irrigation projects of Godda Parliamentary Constituency	
	Dr. Nishikant Dubey	676

(xiii)	Need to develop Naimisharanya in Uttar Pradesh as a place	tourist
	Shri Ashok Kumar Rawat	677
(xiv)	Regarding inclusion of Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution	
	Shri Nihal Chand Chouhan	677
(xv)	Need to review the construction of Polavaram dam	
	Shri Deepak Baij	678
(xvi)	Regarding construction of Mannuthy Vadakkumchery six lane road project	
	Kumari Ramya Haridas	678
(xvii)	Regarding development of Gingee Fort in Tamil Nadu under PRASAD Scheme	
	Dr. M. K. Vishnu Prasad	679
(xviii)	Need to take measures to boost export of gold jewellery	
	Dr. D. Ravikumar	680
(xix)	Regarding development of Kondakarla lake in Anakapalle Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh	
	Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	680

(xx)	Regarding dredging of river Hooghly, West Bengal	
	Shri Prasun Banerjee	680
(xxi)	Regarding new railway line from Jaynagar to Moipith, West Bengal	
	Shrimati Pratima Mondal	681
(xxii)	Regarding funding for real estate development in Mumbai	
	Shri Rahul Ramesh Shewale	681
(xxiii)	Need to repair N.H. 77 connecting Sitamarhi - Muzaffarpur district Headquarters	
	Shri Sunil Kumar Pintu	682
(xxiv)	Regarding issues of local candidates and creamy layer in Chennai Petroleum Corporation Ltd.	
	Shri P.R. Natarajan	682
(xxv)	Regarding progress in cases relating to Bodoland movement.	
	Shri Naba Kumar Sarania	683
FINAI	NCE BILL (NO. 2), 2019	684-812
	Motion to consider	684
	Shri Adhir Ranjan Chowdhury	695-706
	Shri Nishikant Dubey	707-717
	Dr. T. Thangapandian	718-723
	Shri P.V. Midhun Reddy	724-728

Prof. Sougata Ray	729-736
Shri Rajiv Ranjan Singh ' Lalan'	737-738
Shri Rahul Ramesh Shewale	739-742
Shri Bhartruhari Mahtab	743-748
Shri Ritesh Pandey	749-750
Dr. Sanjay Jaiswal	751-753
Dr. G. Ranjith Reddy	754-756
Shrimati Supriya Sadanand Sule	757-760
Shri Kesineni Srinivas	761-763
Shri Subhash Chandra Baheria	764-766
Dr. S.T. Hasan	767
Shri E. T. Mohammed Basheer	768-769
Shri P. Raveendranath Kumar	770
Shri N.K. Premachandran	771-772
Shri Ve. Vaithilingam	773
Shrimati Nirmala Sitharaman	692-694,
	774-788
Clauses 2 to 190 and 1	789-812
Motion to Pass	812

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	906
Member-wise Index to Unstarred Questions	907-912

<u>ANNEXURE – II</u>

Ministry-wise Index to Starred Questions	913
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	919

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, July 18, 2019 / Ashadha 27, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 361.

...(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीर मामला उठाना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बहुत ही गम्भीर है तो आप नोटिस दे दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, मैं आपको शून्य काल में मौका दूँगा। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बार व्यवस्था दे चुका हूँ कि शून्य काल में मैं आपके सवाल को उठाने की आज्ञा दूँगा।

...(व्यवधान)

11.02 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 361, श्री हरीश द्विवेदी।

(Q. 361)

श्री हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि पूरे देश में अटल ज्योति योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सांसदों को 25 प्रतिशत सांसद निधि से देने के बाद मंत्रालय के द्वारा 75 प्रतिशत का अनुदान दिया गया था और दो-दो हजार सोलर लाइटें लगी थीं। हमारे संसदीय क्षेत्र बस्ती में भी लगीं। उन्हें ईईएसएल कम्पनी ने लगवाया और उसमें तय किया गया था कि अगर कोई खराब होगी तो उसके लिए एक टोल फ्री नम्बर दिया गया था। उस पर शिकायत करके उनको ठीक करवाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर शिकायत भी होती है तो उसको टाला जाता है या उसको ठीक नहीं किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो सोलर लाइटें लगवाई गई हैं, क्या उनको ठीक करने की कोई अलग से व्यवस्था या सिस्टम आपने तैयार किया है?

श्री आर. के. सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी सोलर लाइट्स अटल ज्योति योजना के अंतर्गत लगाई जा रही हैं, उनकी पाँच साल की गारंटी है और गारंटी के अनुसार वह कान्ट्रेक्टर के द्वारा मेन्टेन की जाएँगी या जो भी लगाएगा उसके द्वारा मेन्टेन की जाएँगी। इसके लिए हम लोगों ने उनकी बैंक गारंटी रखी है। अगर वे नहीं करेंगे तो उनकी बैंक गारंटी कैंसिल होंगी और वे ब्लैक लिस्ट होंगे। मैंने माननीय सदस्य का पॉइंट नोट कर लिया है और मैं बस्ती के बारे में तुरंत जाकर इसकी समीक्षा करवा दूँगा।

श्री हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है, माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना है, किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी करनी है। उस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सोलर एनर्जी का उत्पादन

करने वाले लोग उत्पादन करते हैं, उसको यूज करते हैं और उसको बेचते भी है। जब वे बेचते हैं तो उनको कम पैसा मिलता है और जब वे खरीदते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी सरकार को प्रयास करना चाहिए कि अगर वे उत्पादन करते हैं और फिर ग्रिड में बेचते हैं तो उनको उचित मूल्य दिया जाए।

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है और हम इस ओर लगातार राज्यों का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं। जो दर फिक्स होती है, वह इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर के द्वारा होती है। हर एक स्टेट के लिए स्टेट रेग्युलेटरी कमीशन है, वही दर फिक्स करता है कि जो ऊर्जा पैदा होती है, किस दर पर खरीदी जाएगी। अमूमन जो दर तय होती है, वह उचित ही रहती है। किसान को राज्यों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी भी अमूमन प्रत्येक राज्य ने दर कम ही रखी है। मेरे ख्याल से यह समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कुछ है तो हम लोग इसकी समीक्षा करवा लेंगे।

DR. T. R. PAARIVENDHAR: Hon. Speaker Sir, I would like to ask the hon. Minister of Power, through you, whether the Union Government has laid down any procedure for installation of solar street lights and if so, the number of solar street lights installed in my Perambalur Parliamentary constituency of Tamil Nadu during the period 2016-19 along with the details of proposed installation during the current year.

SHRI R.K. SINGH: We have two schemes for installation of solar lights – one scheme is applicable to all States and under that scheme, we meet 30 per cent of the cost of installation. The remaining 70 per cent is to be met by the States. We allocate the street lights to be installed in every State on demand of the State and it is for the State thereafter to decide where to put up these solar lights, in which area or in which constituency. So, in Tamil Nadu, if Tamil

Nadu asks for solar lights, we will allocate solar lights to Tamil Nadu. We will give 30 per cent of the cost, 70 per cent of the cost has to be given by the State Government. But it is for the State Government to allocate these solar lights to different constituencies or different districts of the State.

(Q. 362 & 380)

SHRI M. K. RAGHAVAN: Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity. At the outset, let me express my gratitude to the hon. Minister, Gadkari Ji, for his help in approving the six-lanning of 28-kilometre Calicut Bypass on NH-66. I also sincerely appreciate his commendable work in this sector.

Bharatmala is a new concept replacing the Golden Quadrilateral for optimizing the efficiency of road traffic and also linking areas of economic activity, tourist interest, coastal areas, religious centres etc. Kerala is a State with an entire coastal stretch and also having tourist and trade routes and Kozhikode qualifies under this category. My constituency has two NH – 66 and 766 – intersecting at Malaparamba, which is one of the most congested points in the region.

My first supplement question is this. I would like to know from the hon. Minister whether the Beypore port connectivity, which was approved vide OM dated 16.10.2018 has been included in this. I also want to know the timeline fixed for completion of the project and if not, why this is being delayed.

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): Speaker Sir, under Bharatmala, we have 17 projects covering 1371 kms. The length of port connectivity roads totals to 1,061 kms. There are 11 stretches in Kerala totalling 119 kms. Regarding the reference of port given by the hon. Member, it is already sanctioned and we have received the reply

from the Kerala Government regarding land acquisition. The Kerala Government will take the share of 25 per cent in land acquisition and as far as the port connectivity is concerned, the Government of Kerala has agreed for 100 per cent land for port connectivity. So, regarding the reference which you have made, it is already sanctioned. The DPR, probably is expected to be completed as early as possible and we will start the work as early as possible. There is no problem. We will do it.

SHRI M. K. RAGHAVAN: NH-766 passes through Wayanad to connect Mysore and Bengaluru with Calicut. Wayanad is a tourist region and is associated with religious centres. It is also a tribal area. The existing roads experience landfalls and blockade. Therefore, a new connectivity is planned. The State Government has suggested a path through Mananthavady, a six-kilometre tunnel road between Meppadi and Anakkampoyil.

My question is this. Will the Government include the NH-766 under the scheme considering various provisions of the Bharatmala for connecting Calicut and Mysore via Mananthavady, Anakkampoyil and Peringalam?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Respected Speaker, the proposal to connect Mysuru under Bharatmala programme is there. But forest and environment clearance is yet to be obtained. There is a lot of problem there. The State Government of Karnataka is not in a position to give the forest and environmental clearance. So, that is a crucial issue.

As far as the hon. Member's recommendation to go for a new alignment by drilling tunnels is concerned, I would like to say that the project is very

costly because the cost of drilling tunnels is very high. So, there is an issue of getting forest and environmental clearance. That is also very difficult. And the cost is also very high. That is the dilemma.

Of course, I understand the importance of the project as it provides connectivity to Mysuru. But as of now we are not able to resolve this issue because of these two important factors. But we will try to find a way out by sitting with my officers, and also in coordination with both the State Governments of Kerala and Karnataka. If we are not able to find a way out through this method, we will find out some other solution keeping in mind the suggestion given by the hon. Member.

SHRI M. SELVARAJ: In Tamil Nadu, we have the East Coast road from Chennai to Thoothukkudi and Rameshwaram *via* Puducherry and Nagapattinam. This road is most important one because it connects Chennai and Thoothukkudi Ports. It is linked with coastal areas. A lot of fishermen utilise this road.

I would like to know from the Ministry, through the hon. Speaker, whether there is any proposal to improve the road under the Bharatmala Programme.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: I do not have any information related to Tamil Nadu because this Question is specifically about Kerala. But I know the case about this road. There is some problem with land acquisition. This road connects Puducherry, Tamil Nadu and some parts of Andhra Pradesh. This is a very important connectivity. Our work is already going on. There are some

obstacles. But we will try to do it as early as possible. We will remove the obstacles and we will try to find a way out for that.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: It is learnt that the National Highways Authority of India has come up with a new solution to widen India's longest National Highway, NH 7, through Pench Tiger Reserve in Madhya Pradesh by providing thirteen underpasses for animals over a stretch of nine km. and reduce the standard highway length while widening the road through the Reserve.

Would the Government consider employing the same technology or elevated corridors to address the construction of highway in Bandipur Tiger Reserve, between Wayanad and Mysuru, to tackle the ban on night traffic on NH 766?

Is it a fact that the Supreme Court has asked the Ministry of Environment and the Ministry of Road Transport and Highways to reach a consensus within six weeks?

If so, the response of the Government thereto, for construction and completion of the project.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, it is really one of the serious questions where we need to understand its effects. We need to maintain environment and at the same time we need development. The hon. Member referred to Pench Tiger Reserve. We are constructing underpasses for a length of nine km. for the sake of protecting tigers.

I understand the importance of wildlife. Over a stretch of nine km. we are spending Rs. 1,300 crore. So, it is up to you to think about it. Already we have

some rivers and *nalas* there and tigers can go from one side to the other. But the work was stopped for ten to twelve years. There were a lot of problems. Ultimately we surrendered.

We accept that and we are spending Rs.1300 crore. This is public money. It is up to you to decide whether it is correct or not. Again, you are giving me the recommendation to spend Rs.2000 crore more for making another road in the same forest. Is it appropriate?

I understand and respect the decision of the Supreme Court. But at the same time, we should remember that our country is a poor country. We do not have road connectivity. Definitely, we are keenly interested to protect the life of tigers. That is absolutely correct. At the same time, it is also true that for a stretch of nine kilometres, we are spending Rs.1,300 crore.

I remember one of the famous statements of my colleague late Shri Manohar Parrikar Ji ...(Interruptions). He asked in a meeting with the forest officers, "whether you consider man as a wild animal or not, explain to me."

So, this is the time for the country to understand that we have to protect the environment and tigers, but we are also a poor and undeveloped country. We have to think and then decide our priorities. We will protect the ecology and environment. We will protect the tigers. But, unfortunately, I am not in a position to accept your solution for the other project. ...(Interruptions) माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न सं. 380 क्रम संख्या 20 पर लास्ट क्वेश्चन है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस सदन में अब लास्ट क्रम संख्या 20 वाला प्रश्न भी आ

सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि प्रश्न संख्या 20 के जो मंत्री हैं, वह भी सदन में रहें। अब उनका भी क्वेश्वन इस सदन में आने लगेगा।

श्री विष्णु दयाल राम: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरा अंतिम प्रश्न था और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: अब आप सभी इस सदन में उम्मीद रखिए।

श्री विष्णु दयाल राम : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैंने चियांकी-जनवाडीह-सिंगराकला बाईपास के संबंध में प्रश्न किया है। यह रोड स्टेट गवर्नमेंट के आर.सी.डी. डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जा रही थी, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने यह कहते हुए बीच में ही इस कार्य को छोड़ दिया है कि लैंड एक्विजिशन का मैटर पेंडिंग है। लेकिन, वस्तुस्थित यह है कि पैसे की कमी के चलते इसका कार्य पूरा नहीं हो रहा है।

इसके साथ-साथ रांची से वाराणसी को फोर लेनिंग करने का एक प्रोजेक्ट एन.एच.ए.आई. द्वारा ऑलरेडी सैंक्शन है और उस पर काम भी हो रहा है। इसके पहले फेज़ का काम भी करीब-करीब कम्प्लीट है, लेकिन दूसरे फेज़ का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि एन.एच.ए.आई. द्वारा तीन-चार जगहों पर जो बाईपास बनाया जा रहा है, क्या इस बाईपास को एन.एच.ए.आई. के प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी: स्पीकर महोदय, वास्तव में इस प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ष 2012-13 में शुरू किया था। उसके ऊपर हमारे एन.एच.ए.आई. की रोड थी और उन्होंने 46 करोड़ रुपये खर्च भी किए, फिर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। अब यह नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमें लैंड एक्वायर करके नहीं दी और वह प्रोजेक्ट लटकता रहा, अभी हमने उसकी फोर लेनिंग के एक्स्पैन्शन को मंजूर किया है, डी.पी.आर. बन रही है और हम उसको करके भी देंगे। मैं सम्मानीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट से लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम में हमको सहयोग करें। अगर लैंड एक्वायर होगी, तभी हम रोड बना पाएंगे, आसमान में तो

रोड नहीं बना पाएंगे। आप लैंड एक्विजिशन करने में हमें मदद कीजिए, नहीं तो यह काम फिर से अटक जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहते हैं?

श्री विष्णु दयाल राम : सर, नहीं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आपका जवाब तो प्रॉपर मिल ही गया।

(Q. 363)

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लो ड्राफ्ट वेसल्स के बारे में जो जवाब दिया है, आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब ने भी पिछले सदन में इस चीज के बारे में काफी चर्चा की थी। उन्होंने एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी और राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की थी। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के माध्यम से गंगा नदी के ऊपर डी.पी.आर. तैयार की गई है। उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत लो ड्राफ्ट वेसल्स चलाने की योजना है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण चंबल नदी को भी राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा पिछले कार्यकाल में दिया गया था।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय जलमार्ग - 1, गंगा के ऊपर जो यह लो ड्राफ्ट वैसेल चलाने की योजना है, क्या चंबल नदी के ऊपर भी ऐसी कोई योजना माननीय मंत्री जी की, सरकार की है? श्री मनसुख एल. मांडविया: अध्यक्ष जी, जलमार्ग विकास हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जलमार्ग हमारे देश में सदियों से होता था। आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी। पांच हजार साल पहले हमें सिंधु नदी के पास गुजरात में धोलावीरा सभ्यता का एक नगर मिला है। वहां तक तब इनलैंड वाटरवेज़ चलता था, जलमार्ग चलता था। लेकिन आजादी के बाद इस जलमार्ग को उपेक्षित किया गया और उसके ऊपर जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसका इफेक्ट यह हुआ कि देश में कारगो हैंडलिंग जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज़ से एकदम खत्म हो गया, कोस्टल शिपिंग से भी खत्म हो गया और देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती गई। आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखें, देश में हमारी जीडीपी के सापेक्ष में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 पर्सेंट है, जबिक इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 9 पर्सेंट है। 5 पर्सेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होने से, इंटरनेशनल मार्केंट में हमारे यहां से जो माल पैदा होता है, वह सस्टेन नहीं कर पाता है। इससे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पर निगेटिव इफेक्ट होता है।

हमारी सरकार ने डिसाइड किया, आदरणीय गडकरी जी जब मिनिस्टर ऑफ शिपिंग हुआ करते थे, उस वक्त मैं एमओएस था। उस वक्त हमारी पांच निदयों को इनलैंड वाटरवेज़ के लिए आइडेंटिफाई किया गया था। हमने 106 नई निदयों को ऐड किया और 111 इनलैंड वाटरवेज़ डेवलप किए। 111 इनलैंड वाटरवेज़ आइडेंटिफाई करके हमने उसमें इनीशिएटिव लिया। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। आप क्वैश्वन का उत्तर दीजिए। क्वैश्वन ऑवर में क्वैश्वन के ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इनलैंड वाटर पर चर्चा हो। ...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल. मांडविया: यह नए भारत का मामला है। ...(व्यवधान) हमने 116 इनलैंड वाटरवेज़ को आइडेंटिफाई किया। उसके ऊपर हमने उसकी प्री-फीजिबिलटी रिपोर्ट तैयार कराई। उसमें से टेक्निकली 36 इनलैंड वाटरवेज़ फीजिबल पाए गए। उनमें से 10 इनलैंड वाटरवेज़ पर आज के दिन में काम चल रहा है। राजस्थान में भी जो गंगा-इंदिरा कैनाल है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। उसकी जो प्री-फिजिबिलटी रिपोर्ट चल रही है, अगर वह पॉजिटिव आएगी, तो वहां भी हम इसे करेंगे।

डॉ. मनोज राजोरिया :अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने राजस्थान की हमारी चम्बल नदी के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा उनसे व्यक्तिगत रूप से जवाब लूंगा। जल विकास परियोजना के तहत माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ बताया। विदेशों में चलने वाली एक सर्विस होती है, जिसको हम रोरो फेरी सर्विस कहते हैं। इस सर्विस के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि गुजरात के दहेज, भरुच और घोघा, भावनगर में ऐसी एक योजना शुरू की गई है। इससे लोगों का 200 से 300 किलोमीटर का राउंड बचा है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहूंगा और पूरा देश जानना चाहेगा कि जैसे आपने गुजरात के लोगों के लिए 250 से 300 किलोमीटर दूर जाने का रास्ता आसान किया, इस प्रकार से रोरो सर्विस क्या है और इसके क्या-क्या लाभ भारत में आने वाले समय में हो सकते हैं? आप कृपया हमें यह बताने का कष्ट करें।

श्री मनसुख एल. मांडविया: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आज लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना आवश्यक है। इनलैंड वाटरवेज़ और रोरो फेरी सर्विस के माध्यम से हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकते हैं, दूरी भी कम कर सकते हैं। इससे फ्यूल का फायदा होता है, एनवायर्नमेंट फ्रेंडली होता है और कॉस्ट भी बचती है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वन एचपी क्षमता से कारगो को मूव करने पर 150 केजी कारगो मूव हो सकता है। वन एचपी से आप बाई रेल जाएं, तो 500 केजी कारगो मूव हो सकता है। आप इनलैंड वाटरवे से जाइए या समुद्र मार्ग से जाइए तो 4,000 केजी कारगो मूव हो सकता है, मतलब वह बहुत एफीशिएंट होता है। रोरो फेरी सर्विस इसलिए आवश्यक है। I am from Bhavnagar, and Ghogha is in my District, हमने घोघा-दहेज रोरो फेरी सर्विस शुरू की है। इसके पहले गल्फ ऑफ कैम्बे से, दहेज से भावनगर आने के लिए, नेशनल हाईवे नंबर 8 से भावनगर को जोड़ने के लिए 260 किलोमीटर होता था।

हमने रो-रो पैक्स फेरी सर्विस शुरू की है, फेरी सर्विस का मतलब पब्लिक ट्रांसपोटेशन, रो-रो फेरी सर्विस मतलब only for cargo transportation रो-पैक्स, कार्गो, ट्रक एवं पब्लिक तीनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रो-पैक्स सर्विस घोघा-दहेज के बीच चला रहे हैं। इससे 260 किलोमीटर की दूरी 16 नॉटीकल माइल हो गई है और यह उसकी उपलब्धि है। जब चुनाव चल रहा था तो एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, विपक्ष के भी साथी मित्रों ने कहा कि न्यू इंडिया की क्या बात हो रही है? न्यू इंडिया की बात है समय के साथ देश को बदलना, समय के साथ देश को बदलने के लिए देश में जो आवश्यकता है, उसको कैसे फुलफिल करें। इनलैंड वॉटरवे नदी परिवहन के माध्यम से कार्गो मूव करने का पोटेन्शियल था, हमने उसका कैसे आउटपुट किया।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, रो-रो सर्विस पहले भी थी। ...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: महोदय, यह हमारे टाइम में शुरू हुआ था। ...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल. मांडविया: महोदय, माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि असम में रो-रो सर्विस था तो आपके जमाने में क्यों नहीं हुई, धुबरी और हसीमारा के बीच थी। ब्रह्मपुत्र नदी में

धुबरी से हसीमारा जाना था तो 220 किलोमीटर जाकर ब्रिज क्रॉस करने जाना होता था। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया और रो-रो सर्विस शुरू की, इससे यह डिस्टेंस कम होकर 32 किलोमीटर हो गया। It is new India. Please, listen, it is your state. नीमावती-कमलाबारी के बीच डिस्टेंस को कनैक्ट करना था, रोड से घूम कर ब्रिज तक जाना पड़ता था, इससे 423 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता था। हमने रो-रो फेरी सर्विस शुरू की, इससे उसका डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो गया। It is new India. यह नया भारत है। इनलैंड वॉटरवे के माध्मय से देश में कार्गो मूवमेंट बढ़े, हम उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। इस बार के बजट में आपने मात्र 101 वॉटरवेज लिए हैं और इसके लिए मात्र 600 करोड़ रुपये ही रखे हैं, इतनी बड़ी योजना के लिए यह राशि कुछ कम लगती है। लेकिन मुझे विश्वास है, लो ड्राफ्ट वेसल्स पर सदन में 27 तारीख को आपके हस्ताक्षर का एक उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने इनलैंड वॉटरवे के बारे में जानकारी दी है। आपने बताया कि इसके लिए मात्र 600 करोड़ रुपये ही आबंटित हैं। मेरा आपसे एक सवाल है। 15 मार्च को भी पिछले वर्ष यही सवाल किया था। बिहार में नेशनल वॉटर वेज-1 भारत का पहला वॉटरवेज है, यह गंगा नदी पर है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने इस विषय को उठाया। बिहार में यह 400 किलोमीटर है, उसमें भी 150 किलोमीटर मेरे क्षेत्र में है। बिहार में सारण मेरा संसदीय क्षेत्र है। वहां एक कालूघाट है, नाम अजीब सा है और यह नया गांव का हिस्सा है, जहां आपके द्वारा प्रस्तावित एक इनलैंड वॉटरवे बनाया जाएगा। पिछले तीन सालों की घोषणा के बाद भी वहां कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने वहां जमीन उपलब्ध करा दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कालू घाट टर्मिनल बिहार के लिए बड़ा आवश्यक है और यह इनलैंड वॉटरवे-1 का पार्ट है, उसका आप कब तक कार्य प्रारंभ करा देंगे? अभी तक ओवरऑल जानकारी के लिए पिछले पांच सालों में इनलैंड वॉटरवे में आपने कितना कार्गी ट्रांसपोर्ट किया है, अगर आप इसकी जानकारी दें तो आपका आभार होगा। मेरे

संसदीय क्षेत्र के मामले को व्यक्तिगत तौर से सदन के माध्यम से चालू कराने की कार्रवाई करें, इसके लिए आभार व्यक्त करूंगा।

श्री मनसुख एल. मांडविया: महोदय, माननीय रूडी जी ने बहत अच्छा प्रश्न पूछा है। इनलैंड वॉटरवे में बिहार में कालूघाट आता है। हमें कालूघाट टर्मिनल को डेवलप करना है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इनलैंड वॉटरवे-1 वाराणसी से हिन्दया को डायरेक्ट जोड़ता है। चौबीस सौ किलोमीटर कार्गो का मूवमेंट हो सके, ऐसी व्यवस्था आज के दिन में हमने खड़ी की है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर भारत के किसान वहां शुगर पैदा करते हैं और इस शुगर को इनलैंड वॉटरवे के माध्यम से नार्थ ईस्ट पहुंचाना है। हम उसे डायरेक्ट हिन्दया से सुदंरबाग पहुंचा सकते हैं, वहां से प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से बांग्लादेश से होते हुए नार्थ ईस्ट सुगर पहुंचा सकते हैं। किसान गेहूं पैदा करते हैं। गेहूं एक्सपोर्ट करना है तो हम किसानों का गेहूं एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था कर देंगे।...(व्यवधान)

फर्टिलाइजर्स किसान की रिक्वायरमेंट होती है। बिहार, यूपी, झारखंड के किसान भाइयों को फर्टिलाइजर्स चाहिए। I am looking after the Chemical & Fertilizer Ministry also. हमने डिसाइड किया है कि किसान के लिए आवश्यक फर्टिलाइजर्स पहुंचाने हैं। इसके लिए हमने इनलैण्ड वाटरवेज़ के माध्यम से उत्तर भारत तक, बे ऑफ बंगाल और बंगाल से वाया प्रोटोकाल रूट बांग्लादेश और बांग्लादेश से नार्थ-ईस्ट जोड़ने के लिए इनीशिएटिव लिया है।...(व्यवधान) नार्थ-ईस्ट के किसानों की चाय इनलैण्ड वाटरवेज़ के माध्यम से उत्तर भारत के लोग पी सकेंगे, हमने यह व्यवस्था की है।...(व्यवधान)

आप बोल रहे हैं, यह नया भारत है, नए भारत में हमने क्या किया है। अभी उन्होंने कहा कि वाटरवेज़ पहले से था, लेकिन पहले 7 मिलियन कारगो हर साल इनलैण्ड वाटरवेज़ से मूव होता था। इस साल हमने 72 मिलियन इनलैण्ड वाटरवेज़ के माध्यम से हैंडल किया है। हमने यह नए भारत में किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठकर बोल रहे थे। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया था कि इस सदन में आप जितनी बार सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछेंगे, मैं अलाऊ करूंगा, लेकिन प्लीज़ बैठे- बैठे मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं अपने लिए नहीं बोल रहा था। हमारे साथी जो प्रश्न कर रहे हैं, उसका सही ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा, मंत्री जी, हमारे साथी जो प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए।...(व्यवधान) राजोरिया जी ने चंबल के बारे में पूछा था।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उनकी पैरवी मत कीजिए। आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बंगाल में हिल्दिया की बात कहते हैं। हिल्दिया से वाराणसी तक जो नेशनल वाटरवेज़ का काम हो रहा है, उसकी स्वीकृति यूपीए के जमाने में मिली थी। यहां गडकरी जी बैठे हैं।

मेरा प्रश्न है कि इतने साल होने के बाद भी जिस मकसद को लेकर यह बनाया गया था, क्या वह मकसद पूरा हो रहा है? हिन्दया से कितने कारगो वाराणसी तक जाने के लिए तैयार हैं? श्री मनसुख एल. मांडविया: माननीय अध्यक्ष जी, उनके जमाने में हुआ तो था, लेकिन टोकन हुआ था और हमारे जमाने में टोटल हुआ है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी सक्षम हैं। माननीय सदस्य, प्लीज़, मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मनसुख एल. मांडविया: माननीय अध्यक्ष जी, 4 मिलियन टन कारगो हैंडल होता था। उन्होंने नया डैवलप करने के बाद की बात कही, हमने तो वहां मारुति कार भी चला दी है, फर्टिलाइजर्स भी जाने लगे हैं। हम नेपाल की भी मदद कर रहे हैं। नेपाल में साहिबगंज टर्मिनल रेडी हो गया है।

नेपाल के कारगों की मूवमेंट करनी है तो हम साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल के माध्यम से डायरेक्ट एक्सैस दे देंगे।

उन्होंने गंगा वाटरवेज़ के बारे कहा है। 7 लाख मैट्रिक टन हैंडल किया है, हमने 2 मिलियन मैट्रिक टन कारगो बढ़ाया है।

(Q. 364)

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, 'उड़ान-उड़े देश का आम नागरिक', इस प्रोजेक्ट में पूरे देश के आम नागरिकों को अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स के डैवलपमेंट से बूस्ट मिला, जैसे इकोनामी, बिजनैस, जॉब्स । In the reply given by the hon. Minister to an Ustarred Question on the 27th June, 2019, it has been stated that, currently, my constituency of Jalgaon has a flight to and from Mumbai and Ahmedabad. My constituency has several students and businessmen who actually travel to Pune for higher education and business opportunities but, currently, there is no flight at all. Under UDAN Scheme, I would like to know from the hon. Minister whether he is considering a proposal to open a bid for Jalgaon-Pune under UDAN Scheme which would benefit the people of my constituency through low-cost travel.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, five airports in Maharashtra have been identified and covered. These are: Kolhapur, Nanded, Ozar, Jalgaon and Solapur. We have Letters of Intent for three more: Ratnagiri, Sindhudurg and Amravati. Sir, the scheme is demand driven. Different airlines do the bidding. We have had three rounds of bidding. If additional flights are required, we will certainly as the Ministry encourage the private airlines to look at it. But at the end of the day this will depend on whether bids are received from them. But I have taken the concern of the hon. Member on board particularly on account of the connectivity with Pune and other cities. We will certainly try to encourage the private operators to go in that direction.

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL: Sir, the hon. Minister has said that bidding is done and the scheme is demand-driven. It has been noted that certain private airlines who have bid for operating flights have suspended flights on allocated routes without giving prior notice on the ground of viability of the sector and passenger traffic. ऑलरेडी वहां स्पाइसजेट ने बिड किया था, लेकिन उन्होंने कन्टीन्यु नहीं किया। पैसेंजर्स को इंटीमेट नहीं किया, अथॉरिटी को इंटीमेट नहीं किया। क्या इसके लिए पैनेल्टी करने का कोई प्रोवीजन है?

TruJet is also trying to actually do something. पार्किंग स्लॉट अहमदाबाद और मुम्बई में एलॉट नहीं हो रहा है। Has Government taken any steps to penalise such airlines? Does the Government propose to take any action against such airlines under UDAN scheme?

श्री हरदीप सिंह पुरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, वह जो कह रहे हैं, सही है। जहां तक जलगांव, अहमदाबाद, मुम्बई वाला रूट है, वहां ट्रुजेट ने बिड किया था, लेकिन बिड करने के बाद उसे ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए हैं, इसके लिए उन्होंने कहा है कि जहाज और रनवे के साइज में थोड़ा मिसमैच है। तीन राउंड बिडिंग में हुए हैं। हम ज्यादातर देख रहे हैं कि एयरलाइंस जिसके लिए बिड करते हैं उसे ऑपरेशनलाइज कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसी भी स्थित पैदा होती है, जहां उनकी एंटिसिपेशन ट्रैफिक या स्लॉट्स अवेलेबिलिटी की होती है। हम कांस्टेंटली प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी के टच में रहते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं तािक हमारी या एयरपोर्ट अथारिटी की तरफ कुछ हल निकल सके।

मान लीजिए अगर समस्या हो कि कोई एयरलाइंस ऑपरेशनल है, जैसे महाराष्ट्र में बिडिंग में एप्रूवल हुआ था, जब बिडिंग हुई तो राज्य सरकार ने कहा कि फनल को हटा देंगे। लेकिन जब बिडिंग हो गई तो राज्य सरकार की तरफ से कार्य पूरा नहीं हुआ। ऐसी समस्याएं आती हैं। हमारी

कोशिश रहती है कि हम एयरलाइंस से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स हल कर दें, हम पीनल एक्शन तक न ही पहुंचें। अगर ऐसा हो कि बड़ी प्रिपरेशन करने के बाद बड़ी डिसरप्शन हो और एकदम विड्रॉ हो, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि तब हमें कुछ और कार्रवाई करने के लिए सोचना होगा।

डॉ. सुजय विखे पाटील: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नेटिव प्लेस शिरडी है, जो साई बाबा की भूमि है। यहां हर साल लाखों-करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। डेढ़ साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डैवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से 300 करोड़ रुपये के मंदिर के लोकल ट्रस्ट, साई बाबा ट्रस्ट से 50 करोड़ रुपये कंट्रीब्यूट किए थे और 350 करोड़ रुपये खर्च करके एयरपोर्ट बनाया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एयरपोर्ट बनने के बाद डेढ़ साल में 11 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। दिल्ली, मुम्बई, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल की कनैक्टिविटी शिरडी से हुई है। नाइट लैंडिंग का प्रोवीजन महाराष्ट्र सरकार करने की कोशिश कर रही हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वहां साई बाबा का बहुत बड़ा मन्दिर है, वहां बड़ी संख्या में भावुक श्रद्धालु आते हैं। So, can there be any provision made under religious tourism where the Government can invest money to upgrade the existing terminal? The airport that has been made there is falling short. There is a lot of crowd over there. There is a lot of trouble for passengers and the flights as well. Can there be certain provision made under religious tourism so that it can be made into an international airport? By doing so, people who come from abroad can pay a visit to *Sai baba*; and a lot of devotees can get access to Shirdi.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am always very happy to hear of cases where the work done has resulted in a multiplication of the traffic. All I can say

is that since this scheme has commenced three years back, we have already 706 routes, out of which, 186 have been operationalised.

Now, in the case of Shirdi, this is a State Government airport. I would be very happy to be in touch with the State Government to encourage them, to upgrade the airport's infrastructure and the runway. I suspect religious tourism is a subject on which my colleague, the Minister for Culture has to chip in. I should also mention that upgradation of airports and runways is a constant process. We are presently contemplating on upgrading all the airstrips that we have in the country including, examining the possibility of taking wide-bodied aircraft. But some of these airstrips are in residential or commercial areas where there is no land available. Yes, we will certainly encourage the State Government to do so.

(Q. 367, 369, 374 and 379)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न सं.367 उड़ान योजना से संबंधित है । मैं प्रश्न सं. 367, 369, 374 एवं 379 को क्लब करता हूं, ये सब उड़ान योजना से संबंधित प्रश्न हैं । अगर माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य चाहें तो इनको क्लब कर दिया जाए।

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदिरया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने 15 दिन पहले हाउस में मिलकर दिल्ली से राजकोट तक फ्लाइट शुरू करने के लिए एक आवदेन पत्र दिया था, इसके लिए मंजूरी मिल गई है। पहली अगस्त से वह स्टार्ट भी हो रही है। मेरा दूसरा प्रश्न, राजकोट से मुम्बई तक 6 फ्लाइट्स चल रही थीं, उनमें से एक ही चल रही है और वह हफ्ते में तीन दिन ही चल रही है। राजकोट एक बड़ा इंटस्ट्रियल शहर है, वहां से मुम्बई जाने के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। इसलिए राजकोट से मुम्बई तक जाने के लिए दूसरी फ्लाइट कब स्टार्ट होगी, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the hon. Member had indeed met me not only by himself but with a very large delegation. We have agreed to commence one flight on the Delhi-Rajkot sector from 1st August. We have also agreed to commence a Mumbai-Rajkot flight from 1st October. So, both his demands, I think, have been conceded and Rajkot will try to regain its old connectivity.

However, I do want to mention that there are some constraints in Rajkot airport. That is why we are developing another international airport in close vicinity in Hirasar. We have also started work on that as well.

श्रीमती रेखा वर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार की यह योजना थी कि देश के हर राज्य एवं जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा में या इसके आस-पास कोई हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है या क्या आप इस पर कोई विचार करेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, we have already covered 106 unserved

and underserved airports and several helipads. Our ability to operationalise

them will depend on private operators' coming forward as the State

Government, the Central Government and the Airports Authority have provided

some concessions and support to them. So, I will look into the precise

feasibility and when we can do it and then, I will return to the hon. Member.

सुश्री प्रतिमा भौमिक : सर, धन्यवाद । मुझे आज पहली बार प्रश्न पूछने का मौका मिला है । मेरे क्षेत्र

का यह अहम मुद्दा है। पहले मेरे क्षेत्र में जेट एयरवेज और स्पाइस जेट भी थे, लेकिन इस समय

नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में दिल्ली से अगरतला और कलकत्ता

से अगरतला में अलग से विमान सेवा शुरू करने का विचार है या नहीं?

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं सबसे पहले माननीय सदस्या को बधाई देना चाहता हूं और बताना

चाहता हूं कि We have 103 flights per week from Agartala तो एक दिन में 12 फ्लाइट से

ज्यादा हैं और जो कमी महसूस हुई है, जेटएयरवेज का ऑपरेशन बंद हुआ है उसके बाद ही the

other airlines have more than readily stepped in to fill the void. But 103 flights

per week from any airport in the country is a good number. But we are happy

to consider it further. As I mentioned, this will have to be based on an

assessment of demand and viability. But under UDAN scheme, we are, in fact,

giving international connectivity to many cities in the Northeast including

Guwahati, which has been linked to Dhaka, Kuala Lumpur and some other

routes and we are adding to that.

माननीय अध्यक्ष: श्री गोपाल जी ठाकुर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका नम्बर आएगा।

...(व्यवधान)

श्री गोपाल जी ठाकुर: माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि दरभंगा में उड़ान योजना सालों पहले शुरू होनी थी, लेकिन वहां के ठेकेदारों की बदमाशी के कारण सालों से वह काम पीछे रह गया है। माननीय मंत्री से हम पूछना चाहेंगे कि उड़ान योजना को अगस्त की अंतिम तिथि को स्टार्ट करना था तो क्या अगस्त तक वहां से दरभंगा उड़ान योजना की शुरुआत हो जाएगी?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, we are encouraging all parties concerned to complete the remaining work and it will be our effort to commence operations as early as possible.

श्री सुनील कुमार पिंटू: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मिथिला और सीतामढ़ी जो माँ सीता की जन्मभूमि है, वहां लाखों टूरिस्ट आते हैं। पार्ट 1 का मेरा क्वेश्वन है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कुछ काम बाकी है, क्या आप उसको पूरा करने की तिथि की घोषणा करेंगे? पूर्णिया जो पहले फर्स्ट फेज़ में लिया गया था और वह शुरू होने वाला था, उसकी क्या स्थिति है? कब उसकी उड़ान योजना शुरू होगी? क्या आप उसकी तिथि बताने का कष्ट करेंगे?

पार्ट बी में मेरा क्वेश्वन यह है कि अभी चुनाव के दरम्यान माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र चालू कराने की घोषणा की तो क्या माननीय मंत्री जी मुजफ्फरपुर की स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, sometimes it is easier to answer a specific question with a few details. The Airports Authority of India has undertaken construction work on the interim terminal building and strengthening of runway at Darbhanga. The cost of construction has been Rs. 76 crore. The State Government has still not handed over 31 acres of land for that purpose. Under

the Prime Minister's package for Bihar, a sum of Rs. 2700 crore has been earmarked for development of four airports in Bihar, that is, greenfield airport at Patna, Gaya, Raxaul and Civil Enclave at Purnea. The Airports Authority of India owns and maintains six airports in Bihar which include Patna, Gaya, Muzaffarpur, Raxaul, Jogbani and Darbhanga. On the specific issue of the date on which we will commence operations, I would like to be very precise, but I am confining myself to saying that we are hoping to do this very early.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, उड़ान योजना के बाद सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है कि उनके क्षेत्र से हवाई सेवाएं शुरू हों। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे लिखकर मुझे दे दें, इसके लिए मैं आधे घंटे की परिमशन दूंगा तािक उड़ान योजना पर डिटेल में चर्चा हो सके।

(Q. 365)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरे प्रश्नों के जवाब उन्होंने लिखित रूप में दिए हैं।

अध्यक्ष जी, पीने का पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जीवनदायी वस्तु भी है। हमारा पहला दायित्व है कि लोगों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएं। इसलिए पहली बार हमारी सरकार ने, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जल क्रांति अभियान शुरू किया है। वे जब भी सांसदों से और लोगों से बात करते हैं तो जल संरक्षण के लिए जोर देते हैं। हाल की 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान प्रधान मंत्री जी ने जल संरक्षण को जल आंदोलन के रूप में बदलने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को खुद चिट्ठी भी लिखी है। हमारे देश में लोग बोरवेल के पानी पर ज्यादा आश्रित हैं, मगर हर साल बोरवेल का जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। मेरे राज्य कर्नाटक में पहले जमीन के नीचे 500 फीट पर पानी मिलता था, लेकिन अभी 1000 फीट नीचे तक जाना पड़ता है, 1000 फीट तक खुदाई करनी पड़ती है। पानी के संरक्षण के बारे में प्रश्न के जवाब में आंकड़े दिए गए हैं। कर्नाटक के बहुत से जिलों में पेयजल की बहुत समस्या है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछें।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : अध्यक्ष जी, बागलकोट और बेंगलूरु अर्बन में यह समस्या है।...(व्यवधान) वह आज इस प्रश्न को सुन रहे हैं। हमारे राज्य में सूखा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीधा प्रश्न पूछिए।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : अध्यक्ष जी, जब भी हमारे जल संसाधनों की चर्चा होती है, उसी समय ...(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुनिए । ...(व्यवधान) मेरे जिले में पीने के पानी की समस्या है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सीधे प्रश्न पूछिए।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: इसीलिए सतही जल देना हमारा फर्ज है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पूरे देश के लोगों को 'हर घर जल' योजना में सतही पानी देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और हमें सतही जल कब तक मिलेगा?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि सतही जल सबको कब मिलेगा, आज देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा पेयजल भूगर्भ जल पर आधारित है। देश के कुल मिलकार 6,000 से ज्यादा ब्लॉक्स में से केवल 1500 के आस-पास, लगभग एकचौथाई ब्लॉक्स ऐसे हैं, जो क्रिटिकल या ओवर-एक्सप्लायटेड की श्रेणी में आते हैं, शेष ब्लॉक्स में कुछ जगहों पर क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वहां पर्याप्त मात्रा में भूगर्भ जल मौजूद है। सारे देश में एक साथ सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना ठीक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। जहां भूगर्भ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहां भूगर्भ जल आधारित योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

जिन शेष 1500 ब्लॉक्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से जल शक्ति अभियान के माध्यम से उन क्षेत्रों में भूगर्भ जल के पुनर्भरण को प्राथमिकता से लेने की दिशा में काम प्रारम्भ किया गया है, मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से उसका परिणाम आएगा। हम उन पर आधारित पेयजल योजनाओं को भी बना सकेंगे, लेकिन जहां ऐसी योजनाएं बनाना बिल्कुल फीजिबल नहीं होगा, निश्चित रूप से इसका पहला ओनस राज्य सरकारों पर है। वे सतही जल की जो योजनाएं बनाएंगी, उनको हम एन्डोर्स करके पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: अध्यक्ष जी, पानी के लिए राज्य आपस में लड़ रहे हैं। हम कावेरी के लिए तिमलनाडु से, तथा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी पानी के लिए लड़ रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: वहां अपने प्रदेश में लड़ना, यहां नहीं।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : महादायी के लिए हम गोवा से लड़ रहे हैं । इसलिए मेरी मांग है कि महादायी का पानी हमें दिया जाए, क्योंकि उत्तर कर्नाटक में बहुत सूखे की स्थिति है, इसलिए वहां पानी की बहुत जरूरत है । इसलिए महादायी नदी का पानी कर्नाटक को दिए जाने के लिए मैं मांग

करती हूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, लोगों का जीवन बचाने के लिए नदियों को जोड़ना होगा। नदियों का जोड़ने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आदर्श स्थिति है कि देश की निदयों को जोड़ा जाए, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है कि सभी राज्यों के मध्य पानी के बंटवारे को लेकर विभिन्न विवाद न्यायालयों में लंबित हैं और विभिन्न अभिकरणों में भी लंबित हैं। ट्रिब्युनल्स और न्यायलयों के फैसले आने के बाद ही उस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि हमने इस तरह के लिंक्स को आईडेंटीफाई किया है। अगर ऐसे 30 लिंक्स बनाए जाएं तो निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान कुछ हद तक किया जा सकता है। जब मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात की थी तो वे मुझे मिले थे, तब भी मैंने उनसे निवेदन किया था कि हम 30-30 वर्षों से विभिन्न नयायालयों या अभिकरणों में एक-दूसरे से विवाद कर रहे हैं। यदि हम एक साथ बैठ कर चर्चा करें, एक बार, एक दूसरे के साथ बैठकर उनके पक्ष को समझते हुए, अगर सभी प्रदेश कुछ कम्प्रोमाइज करें तो निश्चित रूप से समस्याओं का स्थाई समाधान किया जा सकता है। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों से जहां से माननीय सदस्य आतीं हैं, उन राज्यों में पानी को लेकर जितने टीएसमसी पानी का विवाद है, उससे दस गुना पानी समुद्र में जाता है। यदि यह विवाद समाप्त हो जाता है, तो तीनों राज्यों को 200-200 टीएमसी पानी दिया जा सकता है। राज्य साथ में बैठ कर पॉजिटिव एटिट्यूड के साथ उस पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है और देश को स्थाई रूप से इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं 193 नियम के तहत इस पर चर्चा लगा रहा हूं । उस समय, मैं सभी माननीय सदस्यों को इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए अनुमित दूंगा।

(Q. 366)

श्री अब्दुल खालेक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि असम में 40 हॉस्टल्स, स्मॉर्ट कॉलेजेज, रेजिडेंशियल स्कूल्स, स्कूल बिल्डिंग्स, एडीशनल क्लास रूम्स, ये सब बने हैं, लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह जी, जब प्रधान मंत्री थे, तब एमएसडीपी स्कीम शुरू हुई थी और वही स्कीम अभी 'प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रम' है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के बाद असम में सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज हैं और उनमें ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। पूरे हिन्दुस्तान में असम का मुसलमान सबसे गरीब है। सारे देश में जनसंख्या वृद्धि की बात होती रही है। मुसलमानों में शिक्षा और हेल्थ केयर की सुविधाएं सबसे कम हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देता लेकिन अभी तक वह नहीं हुआ है, लेकिन 21 आवासीय स्कूल्स बनवाए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

एक और मुद्दा यह है कि अधिकतर मुसलमान नदी के किनारे रहते हैं। अभी असम में बाढ़ आई और बाढ़ के बाद रिवर बैंक इरोज़न होता है, जिससे हर साल बहुत सारे लोग होमलेस, जॉबलेस और शेल्टरलेस होते हैं। जब वे जॉबलेस और शेल्टरलेस होते हैं तब वे रोजगार की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं तो कभी-कभी उन लोगों को बांग्लादेशी भी बोला जाता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन सभी स्कीम्स के साथ-साथ, क्या रिवर बैंक इरोजन मैनेजमेंट के लिए स्कीम लाएंगे, मैं यह पूछना चाहता हूं। हेल्थ केयर प्रोजैक्ट के लिए स्कीम्स शुरू हुई हैं, वे ठीक हैं, लेकिन क्या वहां कोई नया अस्पताल बनाएंगे? अभी माइनॉरिटीज एरियाज में इस डिपार्टमेंट से नहीं बना है।

अध्यक्ष जी, ऐसे भी आप चांस नहीं देते हैं, इसलिए प्रश्न पूछने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न लेने के लिए मैंने किसी भी माननीय सदस्य को सिप्लमेंट्री प्रश्न की अनुमित नहीं दी है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जब आप यह माइनॉरिटी और मुस्लिम कहते हैं तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। छ:

नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं – जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिक्ख और मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग हैं। आप मुस्लिम-मुस्लिम करते हैं तो मुस्लिम मतलब मुसलमान।

दूसरी बात आपने कही कि पिछली सरकार के बारे में कहा है। पिछली सरकार में 90 जिले थे और कहा जाता था कि उनमें माइनॉरिटीज हैं तो विकास होगा। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन 90 जिलों को 308 जिलों में बदला है। 308 जिले ही नहीं, बिल्क मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 870 ब्लॉक्स को जोड़ा गया है, 321 टाउन्स को जोड़ा गया है, 109 डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स को जोड़ा गया है, जो पहली बार है, इससे पहले नहीं था। यह बात सही है कि एमएसडीपी कांग्रेस ने शुरू की थी। आज जो 'प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रम है, वे 308 जिले और देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है, जिसमें कि इसका लाभ लोगों को नहीं हो रहा हो।

12.00 hrs

मैंने जवाब में बताया कि हमने पूरे देश में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत असम में भी काम किया है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में हमने पिछले पांच सालों में क्या किया है। हमने प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 26 डिग्री कालेजेज, 1152 स्कूल बिल्डिंग्स, उसके अलावा 506 हॉस्टल्स जिनमें गर्ल्स हॉस्टल्स भी हैं, 71 आईटीआईज, 5 पालिटेक्नीक्स, 411 सद्भावना मंडप, 92 रेजिडेंशियल स्कूल्स, 530 मार्केट शेड बनाए हैं। ये वो इलाके हैं, जिन इलाकों में पिछले 70 सालों में उनके विकास को अनदेखा किया गया है। हमारा किमटमेंट है कि एम्पॉवरमेंट विदआउट अपीजमेंट, डेवलपमेंट विद डिगनिटी। हम सम्मान के साथ सशक्तीकरण चाहते हैं, बिना तुष्टीकरण के सशक्तीकरण चाहते हैं, इसीलिए इन पांच सालों में हमारे लिए विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं रहा है। विकास का मसौदा वोट का सौदा न रहने का नतीजा है कि आज हमने पिछले पांच सालों में तीन करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक जो नोटिफाइड माइनोरिटीज हैं, उन्हें स्कॉलरिशप भी दी। हमने पिछले पांच सालों में इन क्षेत्रों में विकास भी किया और आने वाले दिनों में भी हम पूरी ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट विद डिगनिटी, सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढेंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमित प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, there are reports that the Cabinet has approved the National Medical Commission Bill. It is going to replace the MCI. The NMC Bill proposes to conduct the National Exit Test for the final year MBBS course. This would be another all India examination. Already in Tamil Nadu, we have NEET examination. Many States like West Bengal are opposing the NEET examination. Many students killed themselves because their aspirations had not been fulfilled ...(Interruptions). Even yesterday, our Party leader, Shri M.K. Stalin had raised this issue in the Assembly ...(Interruptions).

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आज निश्चित रूप से आपको जीरो ऑवर के समय बोलने के लिए अलाऊ करूंगा।

...(व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । श्री आर.के.सिंह ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Solar Energy Corporation of India Limited and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2019- 2020.

[Placed in Library, See No. LT 391/17/19]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001:-
 - (i) The Energy Conservation (Inspection) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.13(E) in Gazette of India dated 7th January, 2019.
 - (ii) The Bureau of Energy Efficiently (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Amendment Regulations, 2018 published in Notification No. BEE/S&L/LED/52/2018-19 in Gazette of India dated 7th January, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 392/17/19]

AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND
INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay a copy of the Central
Government General Pool Residential Accommodation (Amendment) Rules,
2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.99(E) in
Gazette of India dated 8th February, 2019 under article 309 of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 393/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions0):-
 - (i) Memorandum of Understanding between the Cochin Shipyard Limited and the Ministry of Shipping for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 394/17/19]

(ii) Memorandum of Understanding between the Kamarajar Port Limited and the Ministry of Shipping for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 395/17/19]

(2) A copy of the V. O. Chidambaranar Port Trust (Licensing of Stevedoring and Shore Handling Agents) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1240(E) in Gazette of India dated 28th December, 2018 under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963.

[Placed in Library, See No. LT 396/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Limited, Nani Daman, for the year 2017-2018.
 - (ii) Annual Report of the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman & Diu 2 and Dadra & Nagar Haveli Limited, Nani Daman, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 397/17/19]

12.04 hrs

STATEMENT BY MINISTER

ICJ JUDGEMENT ON KULBHUSHAN JADHAV CASE

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Sir, I rise to apprise the House of certain developments that have taken place pertaining to Shri Kulbhushan Jadhav, an Indian citizen in the illegal custody of Pakistan.

The House will recall that Shri Jadhav was awarded a death sentence by a Pakistani military court on fabricated charges. This was done without providing Indian representative consular access to him, as envisaged by international law and diplomatic practice. We made it clear even at that time that India would view very seriously the possibility of an innocent Indian citizen facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law and justice. To ensure Shri Jadhav's well-being and safety and to secure his release, the House is aware that we approached the International Court of Justice to seek appropriate relief. That body stayed the execution of the death sentence as a provisional measure. The matter was thereafter taken up in the ICJ for more permanent relief.

The International Court of Justice yesterday delivered its judgement on the Jadhav case. Significantly, the Court unanimously found that it had jurisdiction on the matter and by a vote of 15-1, pronounced on other key aspects of the case. The sole dissenting Judge was from Pakistan.

Sir, the Court pronounced that Pakistan breached relevant obligations under the Vienna Convention on Consular Relations. It did so by not notifying India without delay of the detention of Shri Jadhav, thereby depriving us of the right to render consular assistance. Pakistan was also found to have deprived India of the right to communicate with Shri Jadhav, have access to him, visit him in detention and arrange his legal representation. The Court declared that Pakistan is under an obligation to inform Shri Jadhav without further delay of his rights and to provide India consular access to him. It stated that the appropriate reparation in this case was for Pakistan to provide, by means of its own choosing, review and reconsideration of the conviction and sentence of Shri Jadhav. It bears noting that the Court has re-emphasized that the review and reconsideration of the conviction and sentence must be effective. A continued stay of execution, in the judgement of the Court, constitutes an indispensable condition for the process of effective review and reconsideration.

Sir, in 2017, Government made a commitment on the floor of this House to undertake all steps necessary to protect the interests and welfare of Shri Jadhav. Government has made untiring efforts in seeking his release, including through legal means in the International Court of Justice. I am sure that this House will join me in appreciating the efforts of all those involved, especially the legal team led by Shri Harish Salve. Yesterday's judgement is a vindication not only for India and Shri Jadhav but for all those who believe in the rule of law and sanctity of international conventions.

The House, I am sure, joins me in welcoming this landmark judgement.

The sentiments I express on this matter are those of the entire House – indeed of the entire nation.

Sir, Shri Kulbhushan Jadhav is innocent of the charges made against him. No forced confession that too without legal representation and due process will not change this fact. We once again call on Pakistan to release and repatriate him forthwith.

I am confident that the House will join me in expressing its strongest solidarity with Shri Jadhav's family. They have shown exemplary courage in difficult circumstances. I can assure the House that the Government will vigorously continue its efforts to ensure Shri Jadhav's safety and well-being as well as his early return to India.

Thank you.

[Placed in Library, See No. LT 397A/17/19]

माननीय अध्यक्ष : भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता को गर्व है कि हमारे द्वारा ठीक से पैरवी करने के कारण देश के हित में आज यह निर्णय हुआ है।

12.10 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमित दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

...(व्यवधान)

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding monitoring of Agriculture colleges in the country

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): देश में चल रहे सरकारी/निजी कृषि महाविद्यालयों में कृषि संबंधित कौन-कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं तथा इन निजी कृषि महाविद्यालयों की शिक्षण पद्धति एवं प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी सरकार द्वारा निरीक्षण किया जाए साथ ही इन कृषि महाविद्यालय के कामकाज की निगरानी के लिए किसी परिषद/समिति का गठन किया जाए ताकि निजी कृषि महाविद्यालयों विद्यार्थियों/अध्येताओं/शोधार्थियों के लिए उचित शैक्षणिक शोध संस्थान तथा प्रयोगशाला की समुचित व्यवस्था हो सके तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पीएचडी कार्यक्रम 2019-20 में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो निजी विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृषि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए किसी ठोस पहल की व्यवस्था की जाए। एग्रीकल्चर एजूकेशन को रिगुलेटिंग करने के लिए एग्रीकल्चर काँसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाए।

(ii) Need to link Anwarganj - Mandhana railway line to Panki in Uttar Pradesh

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कानपुर में अनवर गंज से मन्धना तक रेल लाईन की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। कानपुर एक औद्योगक शहर है जिसकी आबादी 50 लाख है। मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर में अनवरगंज से मन्धना तक एक रेलवे लाइन जाती हे जो फर्रुखाबाद के रास्ते दिल्ली को जोड़ती है। अनवरगंज से मन्धना तक रेलवे लाईन जी.टी. रोड के समानान्तर है, इस रेलवे लाईन के दोनों और शहर बसा हुआ है। इस रेलवे लाइन पर 11 फाटक हैं, जिस पर लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस रेलवे लाईन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है। जिससे रेलवे फाटक बन्द रहते हैं, और जी.टी. रोड पर जाम की समस्या बनी रहती है।

फाटक के पास बने हुए मार्केट जिसमें "गरीब चौकी, गुमती, गुरूदेव प्लेस, रावतपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केन्द्र, कल्यानपुर और आई.आई.टी. कानपुर इस लाईन के पास बसे हुए हैं। जहाँ फाटक क्रॉस करना होता है। कानपुर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और उद्योगपित के द्वारा अनेक वषों से इस रेलवे लाइन को मन्धना से पनकी तक जोड़ने की मांग की जाती र ही है। लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा कोई उचित ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसे रेलवे लाईन को जोड़ने से लोगों को सुविधा मिलेगी, जी.टी. रोड को जाम से निजात मिलेगी, व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी।

कानपुर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रेलवे लाईन को मन्धना से पनकी जोड़ने का कष्ट करें।

(iii) Regarding completion of Dandi Heritage Route

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): डांडी विरासत मार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच से जा रहा है। डांडी विरासत मार्ग पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें अभी भी कई मार्ग अधूरे हैं और मार्ग के कई हिस्सों को बीच-बीच में छोड़ा हुआ है। उसको ठीक करने के लिए मैंने बार-बार पत्र लिखें हैं परन्तु मार्ग ठीक न हो पाने के कारण डांडी विरासत मार्ग का उपयोग नहीं हो पा रहा है। डांडी विरासत मार्ग को आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मागांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान नमक कानून का विरोध करने हेतु 12 मार्च, 1930 के दांडी मार्च की याद में प्रस्तावित किया गया था।

इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में डांडी विरासत पर जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा किया जाए जिससे इस मार्ग का समुचित उपयोग किया जा सके एवं कई कार्य ठीक से नहीं हो पाए हैं उन्हें भी ठीक किया जाए जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए गए दांडी मार्च को समुचित सम्मान दिया जा सके।

(iv) Regarding completion of construction of NH-24 in Uttar Pradesh

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): हमारे लोक सभा क्षेत्र शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में बरली से होते हुए शाहजहां पुर से सीतापुर नेशनल हाईवे एनएच-24 जो वर्ष 2010 से प्रारम्भ हुआ था पर कम्पनी द्वारा अभी तक बरेली से सीतापुर के मध्य का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। हाइवे की स्थिति अत्यन्त खराब है। इस मार्ग पर आये दिन भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिससे अभी तक सैंकड़ों लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। जनपद शाहजहांपुर से हुलास नगला रेलवे क्रॉसिंग का ओवर ब्रिज निर्माणाधीन होने के कारण हर समय लम्बे जाम की स्थिति बनी रहती है।

मैं अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस नेशनल हाइवे को अतिशीघ्र पूर्ण करने एवं इस पर ट्रामा सेन्टर बनवाये जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(v) Regarding construction of road and bridge between Nandwara and Bairgania in Sitamarhi district, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखण्ड के नंदवारा से बैरगनिया तक ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। उक्त नंदवारा से बैरगनिया सड़क एवं आर.सी.सी. पुल जुलाई, 2017 में बिहार में आयी भीषण बाढ़ में तबाह हो गयी थी जिसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। जबिक यह सड़क जिला मुख्यालय से प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ते हुए भारत-नेपाल सीमा के चेक पोस्ट तक जाती है। अभी सड़क की ऐसी दयनीय स्थिति है कि लोगों का वाहन तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। आये दिन यहाँ छोटी-बड़ी कई सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं खासकर बीमार महिलाएँ एवं पुरुषों को अस्पताल जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में तो गर्भवती महिलाएँ इस रास्ते से जाने में असमर्थ रहती है जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण नहीं होने से लोगों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में उपरोक्त नंदवारा से बैरगनिया सड़क एवं पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

(vi) Need to appoint local people as postman

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली): हमारे देश में गांव गांव में छोटे छोटे पोस्ट आफिस हैं। उन पोस्ट आफिस के डािकया अपने निकटतम हैड पोस्ट आफिस जाकर के पत्र एवं मनीआर्डर, विधवा पेंशन और कई सरकारी योजना की सहायता गांव गांव पहुंचाता है।

डाकिया अब चलता फिरता बैंक बन चुका है। मोदी जी की सोच ने अब निरक्षर लोगों के लिए भी अंगूठा छाप डिजीटल बैंक एकाउंट की व्यवस्था करवाई है जिसके जरिये एक मैसेज से 5000 रूपये तक की कैश, डिलीवरी हमारा डाकिया घर पहुंचाता है।

ऐसे डाकियों की नियुक्ति एक राज्य से दूसरे राज्यों में होता है, इसकी वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी रहती है। भाषा में भी परेशानी होती है। विश्वास संपादन में शंका-कुशंका रहती है और छोटे वेतन में डाकिया के जीवन-यापन में भी अत्यधिक परेशानी रहती है।

इसलिए माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि डाकियों की नियुक्ति अपने राज्य से ही करें जिससे स्थानीय लोगों को भी न्याय मिले।

(vii) Regarding alleged harassment of truck drivers in Rewa parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा (मध्य प्रदेश) में कथित रूप से पुलिस के द्वारा ट्रक ड्राइवरों को सताया जा रहा हैं। केन्द्र सरकार से पुलिस पर नियंत्रणहेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की माँग करता हूँ।

(viii) Need to include 'Malla Kshatriya' and 'Danda Kshatiya' castes of Jharkhand in the list of Scheduled Caste

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): झारखण्ड के माल (भल्ल छत्री) जाति एवं दण्ड़ा छत्र मॉझी जाति मूलतः झारखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्र बहरागाड़ा, चाकुलिया, पश्चिम बंगाल के पुरूलिया, मिदनापुर एवं उड़ीसा के कुछ जिलों में रहते हैं। इनकी आबादी कुल मिलाकर 50 हजार के आस-पास है। इस जाति के लोगों को पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है। जबिक मेरे संसदीय क्षेत्र के जमशेदपुर के अंतर्गत बहरागोड़ा और चाकुलिया में रहने वाले लोग सामान्य जाति की सूची में हैं। इन्हें सामान्य जाति में होने के कारण किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है जिसके कारण इस जाति के लोग सामाजिक आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। जिसके कारण इनकी हालत आज भी दयनीय है।

अतः संबंधित माननीय मंत्रीगण से मांग करता हूं कि झारखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्र बहरागोड़ा, चाकुलिया, के माल (मल्ल क्षत्रीय) एवं दण्डा छत्री (मॉझी) जाति समूह झारखण्ड के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की कृपा की जाए।

(ix) Regarding licence to opium farmers in Chittorgarh, Rajasthan

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र तथा आसपास का क्षेत्र देश का सबसे बड़ी अफीम उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन अफीम में मार्फीन की मात्रा जो कि किसी भी तरह से किसानों के नियंत्रण में नहीं रहती है, उसमें कमी की वजह से हजारों किसानों के लाइसेंस कट जाने की आशंका रहती है। विभिन्न कारक जैसे खराब मौसम, जलवायु में परिवर्तन से भी मार्फीन की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है जो कि किसी भी तरह से। किसानों के नियंत्रण में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि औसत तो अफीम की सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन उसी अफीम के मार्फीन की मात्रा पूरी नहीं पाये जाने पर लाइसेंस निरस्त हो जाता है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि अफीम के पट्टों को औसत के आधार पर ही प्रदान किया जाये जिससे क्षेत्र के किसान खुशहाल जीवन यापन कर सके।

(x) Regarding restoration of drinking water facility in two blocks of Balurghat Parliamentary Constituency in West Bengal

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Two blocks of my constituency, Tapan and Harirampur have acute shortage of drinking water due to decreasing water table of the area leading to severe crisis. The water supply and drinking water facility needs to be restored. In this connection, I would like to request the Minister of Jal Shakti to kindly look into this aspect and take necessary action for restoration of drinking water facility in my constituency.

(xi) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं सदन का ध्यान संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी ना किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मलित किये जाने के पक्ष में है। यह पूरे देश के लोगों की मांग है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उसी के देश में मान्यता मिले। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ बोली जाने वाली भाषा, संस्कृति पूरे देश की धरोहररूपी सभ्यता है। भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है, स्वयं की अपनी-अपनी रचनाएँ, कविताएँ, लोकगीत, रागिनियाँ, भजन, धारावाहिक, फिल्में आदि हैं।

जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलत करने के प्रस्ताव लंबित है, जिसमें राजस्थानी भाषा भी। एक है, जिसे देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा, गायन भी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि "बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मात्रभाषा में सीखता है। यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधानसभा द्वारा संसद को अपनी सहमित के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने 17 दिसम्बर, 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था। परंतु इस बार मैं राजस्थानी भाषा में कहना चाहूंगा कि "ई बार राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलणी चायजे।"

(xii) Regarding pending irrigation projects of Godda parliamentary constituency

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): The second Jharkhand state irrigation commission has made an assessment of the water resources in the state and identified 16 river basins which can be harnessed through major, medium and minor irrigation schemes. The commission had identified potential for the following Reservoir schemes of the State which need your kind attention.

- 1. Kalipur Reservoir Scheme on MotiharaNadi.
- Bhurbhuri Reservoir Scheme on BhurbhuriNadi.
- 3. Bishanpur Reservoir scheme on TepraNadi.
- 4. Jamunia Reservoir scheme on Jamuna River.
- Banslai Reservoir scheme nearPargodih(Poryaihat) at Godda on Banslai river.
- 6. Pakaria weir in Jamni Kola.
- 7. SuggaBathan Reservoir Scheme.
- Krishnasagar Reservoir Scheme. Presently the work is at a standstill.

The following old and ongoing projects which need help:

- 1. Triveni: Tender of brick lining is awaited.
- 2. Suggabathan: DPR is in process, project started in 1978.
- 3. Budhai: Foundation stone laid in 1978, clearance awaited in CWC..

 Darhwa & Dahua weir: Money given through 13th Finance Commission.

- 5. Trikut Jalashaya: Administrative nod in 2010, waiting for Forest clearance.
- 6. Raja Bandh at Godda on Khajia River.
- 7. 200 Lift irrigation projects of minor irrigation 5 Major ponds: Centre allocating funds in RRR Policy and Series Check dams under AIBP, as much as 90%, but state unable to take advantage.

The state is facing fund constraint and hence it will be very difficult for the state to take new schemes for execution under state plan, but these are old projects and need urgent attention of the Union Government. Detailed survey and DPR of the new projects are still awaited.

(xiii) Need to develop Naimisharanya in Uttar Pradesh as a tourist place

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीचि, कुंड, यादव, किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक कुंड, मां लिलता देवी मंदिर जैसे अन्य बहुत से धार्मिक स्थल हैं। चारों धामों की यात्रा के पश्चात धार्मिक श्रद्धालु 84 कोशी नैमिष परिक्रमा पथ की परिकमा भी करते हैं तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। यहां पर देश के ही नहीं बिल्क विदेशों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। इन धार्मिक स्थलों का महत्व पुराणों में भी वर्णित है लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यहां - पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरा अपनी सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त धार्मिक स्थल के महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने एवं अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। नैमिषारण्य व मिश्रिख को राजधानी दिल्ली से एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जोड़ने, सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ने और मिश्रिख रेलवे स्टेशन का सौन्दर्गीकरण कराने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेत् समृचित कदम उठायें।

(xiv) Regarding inclusion of Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं सूची में सिम्मिलित करने की मांग पूरे राजस्थान में विभिन्न माध्यमों से काफी समय से की जा रही है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, तीनों का स्थान अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों हमें आकार, आधार और अस्तित्व प्रदान करती है। किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को सहेजने में वहां की भाषा की अहम भूमिका होती है। बिना मातृभाषा के मौलिक चिंतन संभव नहीं है। यह चिंताजनक है कि सम्पूर्ण तत्वों और लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये प्राचीन राजस्थानी भाषा आज तक बस अपने अस्तित्व की ही तलाश कर रही है।

25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा से संकल्प प्रस्ताव पास होने के बाद केन्द्र सरकार को भेजा गया था, परन्तु इस पर अभी तक कोई सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हो पाई है। राजस्थानी भाषा 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। 2006 में गृहमंत्री ने चौदहवीं लोक सभा में भाषा को संवैधानिक दर्जा देने का भरोसा भी दिलाया था।

(xv) Need to review the construction of Polavaram dam

श्री दीपक बैज (बस्तर): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्माणाधीन 150 फीट की ऊंचाई वाला पोलावरम बांध से छत्तीसगढ़ के कोंटा क्षेत्र डुबान के कगार पर है। यहां के मूल आदिवासी समूह व वन सम्पदा मुख्यतः बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उक्त बांध बनने से कोंटा क्षेत्र के 9 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं तथा उक्त गांव की 1239.393 हेक्टेयर भूमि भी प्रभावित हो रही है। इस बांध से छत्तीसगढ़ की जनता को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इस बांध के बनने के कारण क्षेत्र के आदिवासियों में रोष व्याप्त है। यह बांध बनने से छत्तीसगढ़ ही नहीं बिल्क ओड़िसा के मलकानिगरी व तेलंगाना क्षेत्र की काफी जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है। इस तरह से तीनों राज्यों की जनता प्रभावित हो रही है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बांध के निर्माण पर पुनर्विचार हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दे, जिससे डूबान क्षेत्र के तीनों राज्यों की जनता का अहित न हो।

(xvi) Regarding construction of Mannuthy- Vadakkumchery six lane road project

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): I urge the Government to take Steps for the immediate completion of the Mannuthy-Vadakkumchery six-lane road project. Travellers are facing a lot of problems. It was learnt that construction of six lane road project was hindered due to the hampered work of the flyover construction at Vadakkumchery.

Action should be taken to accelerate the acquisition of land for this purpose. Travellers are facing a lot of problems due to the sluggish work.

I kindly request you to take necessary action to solve it.

(xvii) Regarding development of Gingee Fort in Tamil Nadu under PRASAD Scheme

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Gingee Fort is located in Villupuram district of Tamil Nadu, with the nearest railway station Tindivanam, 28 kms away. It is a popular tourist attraction for the local people but because of lack of infrastructure facilities it could not be on the national and international map. The foundation for the Gingee Fort was laid in the 12th century and it was later built by the Chola dynasty in the 13th century. In 1677, it came under the control of Maratha King Shivaji and in 1690, it came under the Mughals when it became the headquarters of Arcot. It has got many sculptures and they were shifted to Puducherry by the French around 1755. De Singh Raja was the famous ruler during the Mughal period.

Though the Fort has got historical and architectural importance, it is lacking in infrastructure facility like connectivity, accommodation and other facilities. It has got vast land which can be developed as landscape and lighting arrangements can also be made. With improvement of rail and road connectivity, Light & Sound Show, water/adventure sports, this fort can be brought on the international map of tourism. It would not only generate employment for the local people, but would also bring economic development and contribute to foreign exchange.

I would, therefore, urge upon the Hon'ble Minister of Tourism to develop Gingee Fort as an important tourist attraction with infrastructure facilities for the domestic and foreign tourists under National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) Scheme.

(xviii) Need to take measures to boost export of gold jewellery

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): India's trade deficit has increased from 15% in 1990-2000 to 22% in 2018-19. Since growth of GDP is directly linked with the growth in exports, we are under pressure to increase our exports. We have imported 33 billion dollars worth gold in the year 2018-19 and have exported 13 billion dollars worth gold and other precious metal jewellery. A 2.5% increase in the custom duty has been announced in the Budget 2019-20. This may reduce our gold import, it will also affect our gold jewellery exports. Gold and gold jewellery are in the top 5 import and export list of our country. So I request you to take measures to boost our gold jewellery export including setting up of a jewellery park at Viluppuram, Tamil Nadu.

(xix)Regarding development of Kondakarla lake in Anakapalle Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Historical natural water body Kondakarla lake is situated in Anakapalle Parliamentary Constituency in Visakhapatnam district. It is known as a Pilgrim spot and tourist destination. I request to develop this lake by increasing its capacity, by desilting and strengthening the banks to prevent outflow at the time of floods and introduce modern boats.

(xx) Regarding Dredging of river Hooghly, West Bengal

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): I wish to draw the attention of the government towards the fact that my Constituency Howrah is situated on the West Bank of River Hooghly opposite Kolkata Dock.

Daily a number of big cargo ships along with medium and small cargo and passenger ships are plying on River Hooghly. Due to lack of Proper dredging, the navigability of the river has almost been lost completely. Now it has become a compulsion for all the ships to use the natural depth path of the river, which is situated on the West side near Howrah bank. As a result, the Ships are using Western side of the river causing huge waves towards the Howrah bank causing heavy erosion to the bank of river on Howrah side leading to damage of land and property.

Sir, I urge the Minister to please arrange for dredging of the river Hooghly properly at the earliest and protect the Howrah river bank.

(xxi) Regarding new railway line from Jaynagar to Moipith, West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Railway Minister towards the new railway line from Jaynagar to Moipith via Jamtala under South 24 Parganas. People of Kultali block has a dream of a new railway line and I had raised this issue in the 16th Lok Sabha several times. After 72 years of independence, people of the said area has been deprived of having railway facilities. It is my humble request to the Hon'ble Minister of Railways to kindly take necessary action at the earliest.

(xxii) Regarding funding for real estate development in Mumbai

SHRI **RAHUL** RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Hon'ble Prime Minister has a vision to make Mumbai slum free by 2022. Mumbai's real estate development comprises of two categories. 90% of Mumbai's development is gated communities having development potential of less than 2 lakh sq ft developed by local developers, which are MSME. Balance 10% is layouts of more than 2 lakh sq ft is termed as corporates. Banks supporting and funding only corporates, currently work at 85% of SRA projects in Mumbai are either stopped or progress is very slow. Developers don't have funds to finish the SRA project. NBFC are giving loans to selected builders charging 19% to 27% interest on selected projects. Currently due to crisis of NBFC further disbursement of project loans is being done partly. Housing loans also have stopped which have caused big crisis in housing sector. In 2017 Maharashtra CM proposed to the then Urban Development Minister to include SRA projects in affordable housing so that these projects would get project funding from the banks. Consent for the same was sent from UD ministry to finance but advisory is still stuck in finance Department. Banks are not willing to fund SRA projects. Maharashtra CM had announced a JV of Shivshahi Prakalp. SBI signed MoU of Rs. 2500 crore for various SR schemes in Mumbai but not a single rupee has been funded for the last 2 years. 42% of Mumbaikars live in slums in unhygienic condition without proper light, air and ventilation. Due to lack of SRA funds, developers are committing suicide.

Recent suicide case is 3rd in the last two years. There is a need to take strong steps to bail out stuck SR schemes otherwise Mumbai will never be a slum free city.

(xxiii) Need to repair N.H. 77 connecting Sitamarhi - Muzaffarpur district Headquarters

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संo 77 का वह भाग जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है विशेषकर गाढ़ा, प्रेमनगर, सुभई आदि गांवों से गुजरने वाला भाग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, जिससे वहां अक्सर यातायात बाधित रहता हे और सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसे शीघ्र चौड़ा कर मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है; जैसा कि एक बहुत बड़ी आबादी इसके इर्द-गिर्द बसती है और यह देश-विदेश के व्यापार केन्द्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों में से एक है।

(xxiv) Regarding issues of local candidates and creamy layer in Chennai Petroleum Corporation Ltd.

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): The Chennai Petroleum Corporation Ltd., (CPCL) has two refineries one at Manali and another at Nagapattinam. Now, the Petroleum ministry has proposed to dismantle the Cauvery Basin Refinery at Nagapattinam and proposed to set up a new refinery of 9 MMTPA capacity.

I want to mention here that in recent *years*, huge number of non-officers in CPCL recruitment happen to be candidates from northern states of our country resulting in loss of employment to the candidates who are available in plenty in our state. So, I request the union govt. to suitably amend the rules and guidelines to recruit candidates hailing from Tamil Nadu to be given preference in appointment of Officers and Non-Officers Grade in CPCL. Also Non- Supervisory recruitment had been carried out by CPCL like Officers of All India recruitment, which affects the state reservation pattern applied in regional recruitment which is also in violation of the DoPT guidelines which clearly state that regional recruitment has to be carried out for Non-Supervisors cadre.

Further, CPCL has recently issued a circular No. PD/29/2019 dated 02.05.2019 stating that "All officers belonging to OBC (Other Backward Classes) come under creamy layer". This circular issued in violation of DoPT guidelines which clearly mentioned that only officers coming under the Managerial functions may be considered as creamy layer. So, I request the

union govt. to suitably modify creamy layer concept applied to OBC employees in CPCL.

In view of the above, I urge upon the Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas to take necessary action to sort out the above-mentioned issues for the sake of local candidates' appointment in the proposed new refinery of CPCL and sort out the creamy layer concept being presently followed in CPCL.

(xxv) Regarding progress in cases relating to Bodoland movement

श्री नबा कुमार सरनीया (कोकराझार): | असम में बीटीसी में लगभग 50 वर्षों से बोडालैंड मूवमेंट चल रहा है। जहां हत्या, अपहरण, लूट, घरों को जलाना, गोलीबारी सालों से चल रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और हजारों की तादाद में लोग भागकर कहीं और बस गए। 2014 में जब मैं सांसद बना उसके बाद इसमें कुछ कमी आई, फिर भी 2014 में 2 मई को एक विशेष वर्ग के 41 लोगों को मार दिया। गया। 2014 के 23 दिसम्बर में 81 आदिवासी लोगों को मार दिया गया। 2016 में कोकराझार टाउन के बालाजान तिनिआली में 16 लोगों को मार दिया गया। आसु नेता मनोज दास एबीएमसु नेता लिफकुल इस्लाम को भी 2017 में मार दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि सीबीआई को लिफकुल इस्लाम का केस सौंपा गया है लेकिन अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह और मांग है कि 1. मनोज कुमार दास के केस को सीबीआई को सौंपा जाये और लिफकुल हत्याकांड केस का क्या हुआ उसका जवाब दिया जाये।

- 2. बालाजान तिनियाली का 16 लोगों के मर्डर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया जाये।
- 3. जो लोग अभी भी रिफ्यूजी कैंप में हैं उनको पुनर्वासित किया जाये।
- 4. बोडोलैंड मूवमेंट के दौरान जो लोग मारे गये या घायल हुए हैं। उनको उचित मुआवजा दिया जाये।

12.12 hrs

FINANCE (NO.2) BILL, 2019*

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Member, I will permit you in 'Zero Hour'. You may discuss with me in my Chamber.

अब आइटम नंबर - 8, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2019-2020, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to object the motion for consideration of the Finance (No.2) Bill under rule 219 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and under article 110(1) and article 117 of the Constitution of India as well as rule 376 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok

^{*} Moved with the recommendations of the President.

Sabha as clauses 135 to 181 and clauses 187 to 192 of the Finance (No.2) Bill, 2019 will not come within the purview of the Finance Bill.

Sir, rule 219(1) says:

"In this rule, "Finance Bill" means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government of India for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period."

So, a Finance Bill is for a particular period. It is for either for the next following financial year or for a particular period and this shall not give any permanent changes to the existing laws. It is very clear that rule 219(1) is distinct and separate.

Sir, let now come to article 110(1) of the Constitution of India. I will not take much time of the House by reading the entire article as I know that there is paucity of time. Article 110(1) of the Constitution of India speaks about Money Bills. It says:

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely—

 The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;"

I stress upon the words 'only' and 'imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax'.

Clause (b) of the article 110(1) says about the regulation of the borrowing of money; clause (c) speaks about the custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India and clause (d) speaks about the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India. The Government is relying on clause (g) which says:

"any matter incidental to any of the matters specified in subclauses (a) to (f)."

The Government is relying on article 110(1)(g) under which this Finance Bill is being brought forward. The Government is relying upon any matter which is incidental to any of the matters specified in article 110(1) (a to f).

Sir, what is the long title of the Bill? Even in the Finance Bill, the long title of the Bill is, and I quote:

"A Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the Financial Year 2019-20."

That means, these should be the financial proposals for the financial year 2019-20, and nothing else. This means that it is temporary in nature. It cannot have any permanent nature. Every year, for a particular period, for a financial year, the financial proposals are being brought before the House by means of a Finance Bill.

Now, let us see what does Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher says. It explains, what is meant by a Finance Bill, and I quote:

"Finance Bill means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government of India for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period."

This is at page No. 726 of the Practice and Procedure of Parliament by M.N. Kaul and S.L. Shakdher. It means that it does not contain provisions intended to make permanent changes in the existing laws unless they are consequential upon or incidental to the taxation proposals.

Sir, the Government can come with a Financial Bill without having the non-taxation proposals only on two conditions – according to Kaul and Shakdher. If it is consequential upon or incidental to the taxation proposals, the Government can definitely come with a Financial Bill. I will come to the clauses one-by-one afterwards. I am not going into the details of Financial Bill of Category A and the Financial Bill of Category B because I know, there is paucity of time. In this background, let the hon. Speaker may kindly examine the contents of the Finance Bill No. 2 of 2019.

Number one, Clauses 135 to 142 of the Bill deal with amendments to the Reserve Bank of India Act, 1934.

It is giving power to the Bank to remove the Directors from the office. Is there any taxation proposal? It is supersession of the Board of Directors of the non-banking financial companies. It is power to take action against the auditors. I want to know whether it will come under the purview of the Finance Bill. How will these things come within the purview of the Finance Bill? This

means that you are making permanent changes, not for a particular year or for a particular period.

Similarly, Clause 143 of the Finance Bill No. 2 of 2019 deals with amendment of Insurance Act; Clause 144 and 145 deal with amendment to Securities Contract Act; Clause 146 and 147 deal with amendment to Banking Companies Act; Clause 148 deals with amendment to General Insurance Act; Clause 151 to 171 deal with amendment to National Housing Bank Act.

I want to know how National Housing Bank Act will come within the purview of a Money Bill or a Finance Bill? Further, Clause 172 to 176 deal with amendment to Benami Property Act; Clause 177 to 181 deal with amendment to SEBI Act; and Clause 187 to 192 deal with amendment to Prevention of Money Laundering Act. These are the clauses I am having objection to.

All the aforesaid amendments will never come within the ambit of the Finance Bill for which a separate amendment Bill is required. These amendments are incorporated in the Finance Bill with an intent to avoid threadbare discussion and scrupulous scrutiny of the Bill. It is against the basic principles of the legislation. The legislative supremacy of the Parliament is being taken away by the executive under the protection of the Finance Bill. It is not at all fair. Sir I am coming to the third part.

Hon. Speaker Sir, I seek your wisdom regarding this. It is very academic. Let the Government also explain. It is regarding ruling of your predecessors. Number one, Shri G.V. Mavalankar, the first Speaker of India in Lok Sabha who served till 1956, said:

"Only the taxation proposals and other provisions necessary for the administration of tax will come within the purview of Finance Bill."

Number two, what Shri M. Ananthasayanam Ayyangar said, in the same year 1956, when the Lok Sabha considered regarding the Wealth Tax Act, Gift Tax Act and the Finance Bill, I would like to read that ruling also. I may kindly be permitted a little bit more time. That is in Volume 10 of Part-II of Lok Sabha debates of 1956 at column 2105. I quote that ruling:

"I would normally urge upon the Finance Minister, not only he but also all his successors to see to it that only those provisions which relate to the raising of taxation should be included in the Bill. The procedure should be followed, and no other provision should be given attention to, unless they are absolutely consequential."

So, those which are absolutely consequential to the taxation proposals, they will only be included or incorporated in the Finance Bill. That is the ruling of M. Ananthasayanam Ayyangar, the second Speaker of Lok Sabha.

I am now coming to the last speaker, your immediate predecessor, Madam Sumitra Mahajan Ji. When the same objection was raised by myself and Prof. Saugata Roy, who is presently absent in the House, during the 16th Lok Sabha, Madam Sumitra Mahajan Ji had stated that and I quote. ...(Interruptions). It is just for academic interest. Please give me two minutes. She said:

"Nevertheless, the fact is that a well-established practice of this

House has been not to include non-taxation proposals in not only a

Finance Bill but also other Bills containing taxation proposals unless

it is imperative to include such proposals on constitutional or legal

ground. Therefore, every effort should be made to separate taxation

measures from other matters unless it is impossible on constitutional

or legal grounds or on some such unavoidable reasons to do so in a

particular case."

I am concluding. My point is this. I do agree with the hon. Speaker that

under Article 110 (5) of the Constitution, you have ample authority and

discretion to declare this Bill as a Money Bill. I do not dispute it. This is

absolutely a backdoor legislation. It cannot be allowed under the pretext of

Finance Bill by suspending Rule 80 (1) of the Rules of Procedure and invoking

Rule 388 of the Rules of Procedure, thereby bypassing the Parliament

scrutiny. The legislative supremacy of the Parliament is being questioned. So,

hon. Speaker, I appeal to you to uphold the democratic conventions and

precedence and the spirit of the Constitution and the rules framed thereunder.

I appeal to the hon. Speaker to give a ruling to protect the rights of Members of

Parliament.

With these words, I conclude.

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे जी, आप कृपया संक्षेप में बता दें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): श्रीमान् स्पीकर सर, श्री प्रेमचन्द्रन जी ने संविधान के आर्टिकल-110 में कहा, यह क्या कहता है, सर? यह कहता है कि:

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains:

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax; और सर, बी कहता है कि:

"the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;"

प्रेमचन्द्रन साहब, आप बहुत विद्वान वकील हैं। आप यह समझिये कि आरबीआई में, सेबी में या इंश्योरेंस में ये ऑब्लिगेशन है या नहीं है? और स्पीकर सर, इसके आगे ...(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप बोलना चाहेंगी?

डॉ. निशिकांत दुबे : इसमें यह कहा गया है कि ...(व्यवधान) । स्पीकर सर, केवल एक मिनट लूंगा। प्वाइंट नंबर 3 यह है कि:

"If any question arises whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final."

इसीलिए आप सबसे सुप्रीम हैं और सुप्रीम कोर्ट यही कहता है।

माननीय अध्यक्ष: प्रोफेसर सौगत राय साहब, आप लेट आए थे, इसलिए आप माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you respected Speaker Sir. Shall I come out with the contents of the Finance Bill and then also at the end, answer the objection raised by the hon. Member? ...(Interruptions). Can I please make my submission to the Speaker and obey the orders of the Speaker? ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जैसा आप चाहें।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Speaker Sir, I am addressing you and I like to take order from you ...(Interruptions) . I am addressing you and taking an order from you. As your instruction goes, I shall follow that route. ...(Interruptions). I am asking you, Sir, if you would want me to first respond to the hon. Member, who raised an objection. ...(Interruptions). कृपया स्पीकर सर को बोलने दें. ...(व्यवधान)... or would you like me to also speak about the contents of the Finance Bill and then also answer the hon. Member. Sir, I seek your directions. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the hon. Member has quoted rule 219, and then, rightly from his side, there was an objection. The primary object is to give effect to the financial proposals. But it does not rule out the possibility of including non-taxation proposals in the Finance Bill.

So, rule 219 that the hon. Members is quoting, does not rule out the possibility of brining non-taxation related matters ...(Interruptions)

Prof. Sougata Ray, let me clarify the matter. You are a very senior Member and I respect you. Let me finish. I have my own way of talking. Unfortunately, it is not as sharp as yours! ...(Interruptions)

So, when this rule does not explicitly exclude, I cannot see, why objections should come. Again, it also says this. While even referring to other Bills, which the hon. Member rightly quoted saying that it is not just about the Finance Bill but it is so in other Bills also. Yes, his point is understood. But it also gives room when it says: "Unless it is imperative." And, the Government considers what we are doing now as absolutely imperative.

So, now, may be permitted to speak about the Finance Bill?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रक्रिया नियमों के नियम 219 और संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 110 के अनुसार, वित्त विधेयक में उसके धन विधेयक होने के कारण गैर-कराधान प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकते हैं और इस विधेयक में गैर-कराधान प्रस्तावों को सम्मिलित करना विधेयक के पूरे नाम में उल्लिखित अधिदेश से परे है।

माननीय सदस्यगण, नियम 219 के अनुसार वित्त विधेयक का मूल उद्देश्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। किन्तु यह नियम गैर-कराधान प्रस्तावों को वित्त विधेयक में शामिल करने की सम्भावना से इंकार नहीं करता है। विगत में तत्कालीन माननीय अध्यक्षों द्वारा यह निर्णय दिए गए हैं कि स्थापित परम्परा के अनुसार यदि सांविधिक अथवा विधिक आधार पर ऐसे प्रस्तावों को शामिल करना आवश्यक न हो तो गैर-कराधान प्रस्तावों को न केवल वित्त विधेयक बल्कि कराधान प्रस्तावों वाले अन्य विधेयक में भी शामिल न किया जाए। कराधान प्रावधानों को अन्य मामलों से पृथक करने का तब तक हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जब तक कि किसी विशेष मामले में ऐसा करना सांविधिक अथवा विधिक आधार पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से संभव न हो।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विगत में भी वित्त विधेयकों में गैर-कराधान प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। वित्त विधेयक, 2017 और वित्त विधेयक, 2018 के विचार तथा पारित किए जाने के दौरान भी इन विधेयकों में कतिपय गैर-कराधान प्रस्तावों को शामिल करने के संबंध में ऐसी ही आपत्तियां की गयी थीं और तत्कालीन अध्यक्षों ने उपरोक्त आधार पर व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया था।

यह ध्यान में रखते हुए कि नियम 219, वित्त विधेयक में गैर-कराधान प्रस्ताव शामिल करने पर विशिष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता, इसलिए मैं व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत करता हूं।

माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Sir. Since the hon. Members will be discussing the Finance Bill today, I would just like to start the discussion with a few observations which will elaborate on the kind of things that we are aiming or proposing to do through the Finance Bill that we have brought in the Budget.

Sir, the Finance Bill, obviously, is looking at various taxation proposals. The taxation proposals are given in detail with the Budget documents. Broadly, I put them into different compartments so that when the discussion will happen, I shall be here to hear the input being given by hon. Members and, I shall, therefore, not make my introductory remarks too long. To give a broad picture, under direct taxation, about seven Acts are being amended keeping in mind the "Make-in-India" and furthering the agenda of "Make-in-India". It is because today we need a lot more manufacturing within the country. We want to incentivise people to produce things in India.

There are several measures under the Direct Taxation that we are taking up. I will just flag them all. I am sure the Members are all doing a great deal of in-depth study into them and it might just help the conversation. So, under the Direct Taxation, there are seven Acts, which are being touched, deal with the Payment and Settlement Systems Act, the Black Money Act, the Income Tax Act, the Finance Act of 2016 which relates to the income disclosure scheme, the Finance Act No.2 which is the Securities Transaction Tax, 2004, SFURTI and the Benami Act. So, seven Acts are being touched during this Finance

No.2 Bill. I am only mentioning some of them so that it will clearly pointing out the direction in which we want to take the Finance Bill. The provisions are the Reduction in the Corporate Tax rate, incentive to purchase electric vehicles, incentives to start-ups, boost to affordable housing, incentive to international financial service centre, incentives to certain non-banking financial companies, interchangeability of PAN and Aadhaar for these purposes, pre-filing of the returns, furthering the Government's agenda on tackling black money, TDS on cash withdrawal from banks, deduction of tax by individuals or HUFs from contract of professional fee payments, compulsory filing of returns, quoting of PAN and Aadhaar, strengthening the third-party reporting mechanism, facilities for low-cost electronic payments and so on. On the Direct Taxation, I am not getting into further details but these are the items under which the relevant Acts are being amended.

Now, under the Indirect Taxation, seven Acts are being amended so that Indirect Taxation related matters will have a greater simplicity and be effective. The Acts that are being amended are the Customs Act, the Customs Tariff Act, the Goods and Services Act, the Finance Act of 2002 regarding the road cess, the Finance Act of 2018 for the special additional Excise and Central Excise which I have mentioned, CGST and IGST.

The GST alone has five different amendments which will have to take place. As a result, there will be an ease of compliance for MSME sector. There will also be an ease of paying taxes. More simplified measures will come in for prompting digital payment and for improving compliance. If all

those are coming under the GST and also if the dispute redressal is going to have a quick resolution scheme, it will benefit the people. It is also being mentioned here and it gets under the Finance Act. These are under the Indirect Tax. There is also an amendment to the PMLA which is just one Act but this deals with the money-laundering cases. Therefore, we think it is important.

Financial markets are being addressed through eight Acts which are getting changed. I shall flag them all. Amendments are being made to the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956. The SEBI Act is being amended. We also have, as was referred, the RBI Act which is being amended. Both the Acts, the Insurance Act, 1938 and the General Insurance Business (Nationalisation) Act 1972 are being amended. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts both of 1970 and 1980, and the National Housing Bank Act 1987 are also being amended. For the sake of financial market, these amendments are taking place. There are specifics on which I can reply subsequently, but the specifics are also mentioned in the Budget document. I am sure, the Members are going through them. I am not going to elaborate on them here now.

Finally, we are also amending a fund-based Act, the Central Road and Infrastructure Fund Act, which actually allots funds to the States from the Centre. There is a Principal Committee which is headed by the Finance Minister and a Sub-Committee which is headed by the Finance Secretary. Both of them look into the funds which go to the States. We are bringing

greater clarity into that Act. There is nothing, which is otherwise significant, that we will be changing. But the clarity, which is necessary, is what is being brought through that amendment.

So, in all, if you want to bunch them, Direct Taxes, Indirect Taxes, PMLA, financial market and the Central Road Fund: these are the five major categories under which different amendments are proposed.

I would not take more time. I am sure, I will be here to hear the Members to give us inputs.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, before the discussion is set in motion, already a controversy has come into being as to the norms, rules, regulations, conventions, precedents etc. with regard to the financial Bills. I think, it is a very important issue. It should not be declined in an arbitrary manner.

We know that this year, two financial Bills have been brought in. A financial Bill, as we know, should be preceded by the Demands for Grants and the connected Appropriation Bill which has been passed just yesterday. The sequence in regard to the Budget, as provided in Articles 112 and 115 of the Constitution, should be followed.

I am very much in agreement with the contention of my esteemed colleague Mr. Premachandran that the Government has been encroaching upon the territory of Parliament and thereby trampling the Parliamentary privilege which has been practised since decades. The Finance Bill, 2019 was introduced in Lok Sabha on July 5, 2019. As we all know, the Finance Bill is a Money Bill which gives effect to taxation measures proposed in the Union Budget.

The Money Bill is defined in Article 110 of the Constitution as one which contains provisions related to taxation and borrowings by the Government or expenditure from the Consolidated Fund of India. The Money Bill needs the approval of the Lok Sabha and is sent to the Rajya Sabha for its recommendations. It is deemed to be passed by the Rajya Sabha if it does not pass the Bill within 14 days.

Sir, in the year 2019, in addition to tax changes which have been proposed to amend several laws such as Securities Exchange Board of India, Central Goods Services Tax, National Appellate Authority of Advance Ruling on GST matters, it has been found that the Bill amends 18 laws which are not related to tax proposals connected with the Union Budget. Therein lies the rub.

Sir, the Finance Bill have included the items which do not relate to imposition or changes in taxes. Some of the amendments are substantive in changing regulatory framework and such changes would normally be introduced as ordinary Bill in Parliament. This is our contention.

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदय, प्रेमचन्द्रन साहब ने जो सवाल उठाया था, उस पर आपने व्यवस्था दे दी। जब आपने व्यवस्था दे दी तो अब फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: उस बात को क्यों नहीं उठा सकते हैं?...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह : महोदय, फिर से उसी बात का दोहराया नहीं जाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, इन्होंने एक शब्द कहा है। आपने कहा कि आपकी व्यवस्था आर्बिट्रेरी रूप से है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: नहीं-नहीं, मैंने उनको नहीं कहा है।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपने ऐसा कहा है।...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I had used 'should not'. I am depicting the reason.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आपने स्पीकर के डिसिजन को चैलेंज किया है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने ऐसा नहीं बोला है।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अभी आपने ऐसा बोला है।...(व्यवधान) आप बोलते समय ऐसा बोल गये।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपकी आपत्ति के आधार पर मैं रिकॉर्ड को चैक कर लूँगा। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब अध्यक्ष के रूप में मैंने व्यवस्था दे दी है और अध्यक्षीय निर्णय को आप सब अंतिम निर्णय मानते हैं, तो फिर उस पर आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, आपके ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा है, सब कुछ है।...(व्यवधान) Precedent cannot be treated as sacrosanct. Precedents cannot be treated as inviolable. I am depicting the reason.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विधेयक पर बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The reason is that the Finance Bill 2016 included amendment to create the Monetary Policy Committee to target inflation. These are all non-financial items.

The Finance Bill, 2017 amended over 17 laws which established various Tribunals. It changed the composition of 19 quasi-judicial bodies such as Securities Appellate Tribunal, National Green Tribunal and Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.

The Finance Bill, 2018 had 218 clauses of which around 50 per cent were on issues related to taxes. For example, several laws such Securities Contract Regulation Act, 1956, SEBI Act, 1992 and the Prevention of Money Laundering Act, 2002 were amended to increase the penalties for various offences.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, माननीय सदस्य वही बात बोल रहे हैं।...(व्यवधान) वही सेम आर्ग्युमेंट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या आप तय करेंगे कि मैं क्या बोलूँ?...(व्यवधान) स्पीकर महोदय यहाँ पर हैं।...(व्यवधान) मैं क्या बोलूँ, क्या न बोलूँ, यह आप क्यों तय करते हैं? आप ऐसा क्यों तय करते हैं?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Are you challenging the Speaker? You are challenging the Speaker. You cannot challenge the Speaker. Speaker has given the verdict. श्री अधीर रंजन चौधरी: मै कहाँ चैलेंज कर रहा हूँ?...(व्यवधान) मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँं...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I am Parliamentary Affairs Minister. I can speak.

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ।...(व्यवधान) आप स्पीकर नहीं हैं।...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I have the right to speak. ...(Interruptions) श्री अधीर रंजन चौधरी: मेघवाल साहब, आप स्पीकर नहीं हैं।...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I have the right to speak. ...(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: स्पीकर के रूप में हमारे ओम बिरला साहब यहाँ हाजिर हैं।...(व्यवधान) आप स्पीकर नहीं हो।...(व्यवधान) क्या आप रूलिंग देने वाले हैं?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अनुभवी हैं, मेरा आपसे आग्रह है। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैं किसलिए बोल रहा हूँ, उसे जरा आप सुन लीजिए।...(व्यवधान) चाहे तो उसके बाद आप मुझे बिठा दीजिए।...(व्यवधान) आपकी जो मर्जी हो, वह कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं। माननीय सदस्य, यह आपका अधिकार है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप व्यवस्था पर सवाल मत उठाइए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैंने व्यवस्था पर सवाल कभी नहीं पूछा है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। आप अपनी बात कीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैंने कहा कि पिछले दिनों में ऐसा हुआ करता था। आपने अपनी रूलिंग में कहा कि वर्ष 2016-17 में जो व्यवस्था दी गई है, उसका जिक्र करते हुए मैंने इन्हें पारित करने का मौका दिया।...(व्यवधान) इसका मतलब है कि आपके पहले भी यह रूलिंग थी।...(व्यवधान) इसे दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी जबिक पहले भी तो रूलिंग थी।...(व्यवधान) सर ने खुद रूलिंग दी। सर ने वर्ष 2016-17 का जिक्र किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य वित्त विधेयक पर ही चर्चा कर रहे हैं।

माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन यह काम मेरा है।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I am not as intelligent and as competent as you, hon. Member. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी वरिष्ठ हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी सदन ने मुझे दी है। इसलिए अधीर रंजन जी से मैंने आग्रह कर दिया है। इस पर व्यवस्था दे दी है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं कभी कल्पना में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं कोई ऐसा काम करूं, जिससे आपको चोट पहुंचे, चेयर को चोट पहुंचे।

सर, मेरी बात सुन लीजिए और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यह भी सुन लीजिए । Currently, the Supreme Court is hearing several petitions filed against the Constitutional validity of changes made to the structure and composition of Tribunals under the Finance Bill, 2017. One of the challenges before the Court is whether the Bill was validly passed as a Money Bill or not. Note that in earlier judgement, the Supreme Court in 2018 has clarified that the decision of the Speaker on certification of a Bill as a Money Bill is not final and can be examined by courts. That is why, I am depicting the issue. ...(Interruptions) माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि विधान सभा का निर्णय अंतिम निर्णय है। अभी नया डायरेक्शन हो रहा है, क्या इसके बाद भी आप ऐसा कहेंगे?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं।

सर, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि इस चेयर को छोटा करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, यह कभी नहीं हो सकता है और कभी होगा भी नहीं।

सर, मैं सिर्फ इसका जिक्र कर रहा हूं कि जब हमारी यू.पी.ए. की सरकार थी तो मान लीजिए कि अगर सदन में 100 बिल्स आते थे तो उनमें से 75 परसेंट बिल्स स्क्रूटनी के लिए जाते थे। पर, यह जो एन.डी.ए. की सरकार आई, इसमें जितने भी बिल्स आते हैं, उनमें से 20 से 25 परसेंट ही स्क्रूटनी के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि सदन में जिस तरह से एक-

एक बिल को लेकर चर्चा होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी प्रिविलेजेज पर एनक्रोचमेंट्स हो रहा है। इसलिए मैं चिल्लाता हूं। जैसे यह फाइनैंस बिल है।

सर, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमें बोलने के लिए समय देते हैं। उस समय अगर आप एक घंटा समय निर्धारित करते हैं तो हम आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि एक से बढ़ा कर इसे दो घंटे कर दीजिए। जैसे इस बजट के ऊपर सत्ता पक्ष ने आठ घंटे का समय कहा, विपक्ष ने दस घंटे के समय के लिए कहा, पर आपने इसे बढ़ा कर बारह घंटे या पन्द्रह घंटे कर दिया। यह क्यों है, क्योंकि आप चर्चा चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।

सर, आप देखिए, इसमें 14 बिल्स हैं, जो इस तरीके से धड़ल्ले से पास किए जा रहे हैं। ऐसा ही वर्ष 2016 में हुआ, वर्ष 2017 में हुआ। मैं इसी का जिक्र कर रहा हूं, और कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए हमें मौका दिया जाए।

Madam, I am coming to your point. You are my teacher. You are my elder sister. Do not take it otherwise. You are fond of elephants. You have referred about elephants also in your Budget. Just as elephants are needed for catching other elephants, so also one does need wealth for capturing wealth. So, the Budget should be prepared in such a way that there must be generation of wealth. The Budget should prescribe the formula for generation of wealth. It should not be a high sounding and high blowing description of any political agenda. I must say that.

Sir, by using the Revised Estimates figures in the Interim Budget for budget numbers of revenue and expenditure, even as the provisional actual numbers vetted by the Controller General of Accounts and the Economic Survey were available, the security, the sanctity and correctness of the regular budget numbers have been called into question. In fact, the provisional actual

numbers for both revenue and expenditure have been far lower than the Revised Estimates numbers used in the regular Budget. Was it a deliberate attempt to show that the budget numbers are less challenging than they really are? It is a valid question.

Yes, the Government has already brought some amendments. A plethora of amendments have been brought. Why? We are here to discuss it. But the Government is not serious to discuss the amendments in the Financial Bill because within a few minutes it is hardly possible for me to scrutinize all the amendments and react accordingly.

<u>12.50 hrs</u> (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

You have omitted numbers related to Government's overall revenue and expenditure. Your response was 'supplementary material has been provided'. But it is misleading and actually false. Discrepancy of tax revenue retained by the Centre were actually lower than the Revised Estimates by a whopping amount of Rs.1,65,176 crore, that is, 13.5 per cent of the Revised Estimates of the total tax revenue.

The total transfer of Central resources to the States has gone at a lower rate than Centre's own receipts post-devolution of States' share in taxes. This is because the Centre has gone on increasingly levying cess and surcharge to boost its own receipts. You are imposing cess and surcharge but it is not being devolved upon the States. Naturally, you are enjoying the earnings accrued from cess and surcharge by depriving the States. It cannot be called cooperative federalism.

Public Accounts, other than the Consolidated Fund of India, are being randomly tapped to fund programmes that ideally should be funded out of the Consolidated Fund of India. The National Small Savings Fund is being used increasingly to meet Food Corporation of India's funding needs and keep procurement operations going. All these are adding to the public debt and are rank adhocism that would backfire. I told you that you have to generate wealth. This is the theme of my discussion.

Sir, even in the Economic Survey, it was told that there are two cycles, either vicious or virtuous. Are we maintaining vicious cycle or the virtuous cycle? That needs to be considered. Both savings and investment rates have come down under your Government. Private investments remained elusive. The failure of Public Private Partnership (PPP) model has put enormous burden on the Government finances. Of late, your Government has been resorting to unprecedented and very high level of off-budget funding to keep pace to public expenditure. Even the Government's schemes and programmes like National Food Security are getting funded out of the extra budgetary resources. All this has undermined the fiscal honesty of the Government. The deficits shown in the Budget are, in fact, gross under estimations. The economy is in a shamble. Grands schemes like Make in India, which you referred to right now, born no fruits and seem to have come a cropper. The Government has done little but has been coining new names for old schemes making incremental progress in but advertising them them disproportionate manner.

We should discuss the entire Finance Bill in a dispassionate perspective. Manufacturing sector is in doldrum. Exports have not been going very well at all for many quarters. Private consumption sector, which is the main engine of the economy is hit badly. It seems that the Government cannot sustain consumption momentum through its own spending any longer. So, while the Economic Survey talks about the economy either being in a virtuous or vicious cycle at any point of time, our economy seems to be caught in a vicious cycle and is heading towards a bottomless pit under the watch of an inept and incompetent Government. You have even chosen to factor in receipts of Rs.90,000 crore from the RBI balance sheet as surpluses.

Madam, in the Budget Speech, the Finance Minister said:

"The Indian economy will grow to become a 3-trillion dollar economy in the current year. It is now the sixth largest in the world. Five years ago, it was at the 11th position. In Purchasing Power Parity terms, we are, in fact, the 3rd largest economy already, only next to China and the USA."

Madam, whether we are sixth or third, both cannot be juxtaposed and *pari* passu. You cannot say that we are heading for two objectives. You have to define sixth or third because it is really creating a great confusion.

In Para 10, the Finance Minister said:

It took over 55 years for the Indian economy to reach 1 trillion dollar we, in 5 years, added 1 trillion dollar."

Your five years mean 'up to 26th May, 2019'. Then, she said: "Today we are nearing a 3 trillion dollar level." This means 'after six weeks.' The FM said that it took 55 years to reach one trillion dollar and one trillion dollars were added in five years by May 26, 2019. Then, she says that the economy is nearing three trillion dollars, that is, one trillion dollars added in just six weeks. This is as per your description of the Budget. If it is so, then I must say that this is the fastest expansion of any economy in the history of humankind.

You are talking about five trillion US dollars at the end of five years, that is, by 2024. We all are heartily wishing it so, but I would like to know how it is probable. It is true that the Modi Government in its first innings of five years added 0.9 trillion dollars and the worth of Indian economy at the end of 2018-19 was estimated to be 2.7 trillion dollars. Since your Government had inherited 1.8 trillion US dollars from the previous Congress regime in 2014-15, enhancement of only 0.2 trillion US dollars is so encouraging. Yes, it may be, but you have to look back at the history, the 67 years before 2014. You should not say that past is a cancelled cheque. It should not be so. You should ponder over the past from where we had started our journey, our odyssey to become a developing country.

In 67 years before 2014, the economy grew to 1.8 trillion US dollars and they contributed in five years 0.9 trillion US dollars. It is to be kept in mind that the Congress had started it after Independence having inherited from the colonial master, after 190 years of constant drainage of resources from India to the UK. It was the darkest period characterised as 'drain of wealth' in the

history of India. In fact, Indian economy grew at the rate of less than one per cent per year before independence and after independence, for 29 years, Indian economy grew at the rate of 3.5 per cent. It was not a small achievement. Madam, I am reminding that since 1991, Indian economy had a real turn towards higher growth regime from the traditional five per cent or less growth to steady seven per cent growth per year.

In the first Indian Budget of independent India, in 1947-48, - अनुराग भाई, सुनिए - the revenue receipt was Rs. 171 crore, revenue expenditure was Rs. 197 crore, leaving a revenue deficit of Rs. 26 crore. हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब, फुटबाल क्लब, अभी उनका बजट इससे ज्यादा है। हम लोगों ने कहां से शुरू किया, आप इसको देखिए। The current year's revenue budget stands at Rs. 16,49,582 crore. The revenue expenditure is Rs. 24,47,780 crore and the revenue deficit is of Rs. 4,85,019 crore.

13.00 hrs

To raise the revenue resources of the country from Rs. 117 crore to Rs. 1,96,200 crore would not have been possible without the sustained economic development done under the Congress regime of 55 years and combined Opposition rules, including first innings of Prime Minister Narendra Modi ji. They also have made some contribution.

I would like to say that you should not be so boastful. You should not be so glorious in projecting yourself as the saviour of India. That boasting is meaningless because these are not comparable situations. I consider them

incomparable. How much resources were drained? I am not talking of the period long time back.

In 1927 Lord Winterton told the House of Commons that there were 7,500 retired employees in Great Britain drawing annually 1,75,00,000 US dollars as pension from the Indian revenue. Ramsay Macdonald put the figure as 2,00,00,000 dollar a year. In 1783, Edmund Burke predicted that the annual drain of Indian resources to England without equivalent return would eventually destroy India. Actually that is what had happened. In 190 years they left an impoverished and famine-stricken group of human beings whose annual GDP growth in the last half a century was less than one per cent. In 1901 R.P. Dutta estimated that one-half of the net revenue of India flowed annually out of the country never to return.

Keeping that in mind, the claim of your Government, I mean the Modi ji's II Government that they have done wonders and asking us to wait for five years for the next wonder to happen in 2024, that is attaining five-trillion dollar economy, is not correct. You are doing it without any roadmap. You do not have any roadmap, you do not have any action plan, and you do not have any mission. Out of the blue you are talking of five-trillion dollar economy. So, doing it without outlining any roadmap just means taking the people for a ride, which is something this Government specialises in. We have already appreciated it.

The growth from the present three-trillion US dollar to five-trillion US dollar would require concrete efforts. If the Indian economy does not grow

annually at 8 per cent plus – I am talking of real GDP growth – it would be difficult for the Finance Minister to reach the targeted number. We will not at all be jealous if you reach the targeted number. We are simply trying to get ourselves enlightened as to how you are going to achieve the objective, rather I would say this noble objective.

Moreover, two important issues have to be kept in mind. For that to happen, price level will have to remain the same as it is today and also the value of the dollar in terms of rupees will have to remain unaltered at the current ratio.

You have already decided to go abroad for fund. You have already decided to go for external borrowings at the cost of exposure of our economy. That has been pointed out by various experts, including Shri Raghuram Rajan.

It is a lofty idea to emerge as the third largest economy of the world by reaching the five-trillion dollar economy. But for that, a direction and target has to be fixed. I am afraid that the Budget lacks that. ...(*Interruptions*) Please give me five minutes.

HON. CHAIRPERSON: Let me just tell you that 23 minutes was the time allocated.

श्री अधीर रंजन चौधरी: मेघवाल जी ने मेरा समय काट लिया, आधा हिस्सा मेघवाल जी ने ले लिया।

HON. CHAIRPERSON: आपका समय खत्म हो गया है और आपके दो स्पीकर्स बोलने वाले बाकी हैं। आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: स्पीकर साहब दिरयादिल हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी दिरयादिल हैं, फिर कैसी चिंता।

HON. CHAIRPERSON: So, you conclude within two minutes.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Give me just ten minutes.

HON. CHAIRPERSON: Take ten minutes and that is it.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Getting back to the drain of wealth to put things in perspective, in 1906, the Hyndman reckoned the drain to be at 4,00,00,000 dollar a year.

I am simply describing the earlier and the present position of our country. If time does not permit me, I will have to restrict my observations. If Modi Government is aiming at an economy of 1.8 trillion US dollar, it will not be possible merely by words and promises, but by concrete actions.

India launched the First Five Year Plan in 1951 with a very modest outlay of Rs.2000 crore and the outlay for the Ninth Five Year Plan was Rs36,44,718 crore. The Indian economy grew for the ten years, from 2001 to 2011 at the rate of 5.4 per cent, 3.9 per cent, 8 per cent and so on. During the financial year, 2004-05, the NDA Government led by late Shri Atal Bihari Vajpayee was in power. I am not talking about the figures of 2012-13 and 2013-14. The hon. Minister knows it well.

During UPA-I and UPA-II regime, in 2003-04, the growth was 8 per cent; in 2004-05, the growth was 7.1 per cent; in 2005-06, the growth was 9.5 per cent; in 2006-07, the growth was 9.6 per cent; in 2007-08, the growth was 9.3 per cent; in 2008-09, it was 6.7 per cent. You know that global financial crisis

took place at that time. In 2009-10, the growth was 8.6 per cent; in 2010-11, the growth was 8.9 per cent; and in 2011-12, the growth was 6.7 per cent.

Therefore, it proved that the Congress Party contributed much to building the Indian economy through planned economic development from the First Five Year Plan up to Seventh Five Year Plan and, thereafter undertook the massive liberalisation programme in 1991-92. It was possible to achieve this level of growth by the efforts of late Shri P.V. Narashima Rao and Dr. Manmohan Singh. If you look at the production aspect during that period, you will find that there was growth in all the sectors – industry, agriculture and everywhere.

Madam, I know that the country is gasping for employment. The employment scenario is too bleak to describe. The employment figures are heart-wrenching. It is set to touch the highest figure in the last 45 years. The rate of unemployment is sharply coming down, according to the Government data. Unemployment has been growing by leaps and bounds and export has been declining. We are heading towards a vicious circle of economy and you are boasting of 5 trillion US dollar economy. What we need is concerted effort to build our economy, much to the desire of our countrymen.

You are talking about disinvestment. Even in disinvestment, you have played a great trickery with the people of our country. The Government has claimed to reach its disinvestment target not only by Rs.80,000 crore by the year 2019, but also to surpass the target by Rs. 5000 crore, not by disinvestment but by getting one PSU buying equity of another PSU. This was

the case, when the Rural Electrification Corporation acquired nearly 53 per cent share of Power Finance Corporation and the Government made an amount of Rs.14,500 crore and when the ONGC bought the Government's stake in HPCL for Rs. 37,000 crore. The Government managed to list five companies in the financial year, 2018-19 just to raise a paltry of Rs.2000 crore and Rs. 8000 crore was acquired by share buy back from our own PSUs. That is how the Government has been playing trickery or chicanery with the people of our country.

Madam, I will mention two quick points. I am proposing to the hon. Finance Minister that she should refer to the Circular dated 24th June, 2019 of the Central Board of Direct Taxes, and reconsider and exempt pensions which were earlier tax free and now taxable to disabled soldiers who are forced to leave the service prematurely due to disability incurred in service. Please reconsider it.

I know that every now and then, you are praising Mahatma Gandhi. We are also very pleased to note it.

However, I would like to say that you better play this *bhajan* every day, which is good for yourself and good for the country:

raghupati raaghava raajaa raam patit paavan siitaa raam iishvar allaah tere naam sabako sanmati de bhagavaan

नमस्कार।

माननीय सभापति: अभी समय 1 बजकर 10 मिनट हुए हैं और मुझे लगता है कि 2 बजकर 10 मिनट तक के लिए सभा को स्थगित किया जाए। So, we meet again at 2.10 pm. Thank you.

13.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.

14.10 hrs The Lok Sabha then reassembled after lunch at Ten Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Kodikunnil Suresh in the chair)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड़डा): सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं इस देश के प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और हमारे परम मित्र श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के प्रति शुक्रगुजार हुं कि उन्होंने देश को इतना अच्छा फाइनेंस बिल दिया है। यह इतना बड़ा मेनडेट था और उस मेनडेट में जो सबसे बड़ा कारण था, सबका साथ सबका विकास गांव । इस बजट में गरीब, पिछड़े, दलित, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेकर गरीबों को उस टैक्स का फायदा पहुंचाना है। जो लीकेज थे, जो स्लिपेजेस थे उन सभी को ठीक करना है और इस कारण से मुझे लगता है कि इस सदी का जो यह फाइनेंस बजट है, मैं इसके बारे में जब एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो भ्रम है, वह खत्म हो जाएगा। इस पार्लियामेंट में मेरा यह ग्यारहवां साल है और यहां मीनू मसानी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री इन्द्रजीत गुप्ता, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री नरसिम्हा राव और श्री प्रणव मुखर्जी इस तरह के लोग इस पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। श्रीमती इन्दरा जी, श्री नेहरु जी और श्री चन्द्रशेखर जी भी पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, लेकिन ग्यारह साल में जब भी मैं कांग्रेस की तरफ से फाइनेंस बिल पर बात करते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यह पार्टी क्या हो गई है। सन् 1885 में बनी यह पार्टी यदि आज यहां तक ही सीमित हो गई तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगा और कांग्रेस आज ... * से ग्रसित है। ... * का मतलब है कि उसे कुछ आता-जाता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि दुनिया का सबसे विद्वान आदमी वही है, ज्ञानी आदमी वही है।

^{*} Not recorded.

सबसे ज्ञानी आदमी वही है। ...(व्यवधान) आप यह देखें कि चर्चा फाइनेंस बिल पर हो रही थी, ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) लेकिन लीडर ऑफ दि पार्टी की पूरी बात ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, please come to the subject.

...(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: लेकिन लीडर ऑफ दि पार्टी ने पूरी चर्चा बजट पर की। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, you please speak on the Finance Bill. Hon. Members, please sit down.

... (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: मैं पूरी तरह से फाइनेंस बिल पर ही आ रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि उन्होंने बजट पर चर्चा की। उन्होंने यह चर्चा की 1947 में 171 करोड़ रुपये का बजट था। ठीक है, लेकिन डॉलर और रुपये की क्या पैरिटी थी, यह उन्होंने नहीं बताया। ...(व्यवधान) एक रुपये का एक डॉलर था और एक डॉलर का एक रुपया होता था। ...(व्यवधान) आज एक रुपये से 70 रुपये तक पहुंच गए, शायद यह भी मैंने ही कर दिया होगा। आप दूसरे के ऊपर चार्ज लगाते हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने इकोनोमी और जीडीपी की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीडर ऑफ दि पार्टी को यह नहीं पता है कि जीडीपी पूरी दुनिया में 1935-36 में इंट्रोड्यूस हुई और वह 1901-1902 की बात कर रहे थे। ...(व्यवधान) जब पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं तो देश भर में और दुनिया भर में इस पार्लियामेंट के बारे में क्या मैसेज जाता है कि वहां जो सांसद बैठे हुए हैं, उनको किसी चीज की जानकारी नहीं है। उनको यह नहीं पता है कि 1947 में चाइना हमसे पीछे था।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1980 में ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, you please speak on the Finance Bill.

... (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं वही तो बता रहा हूं, जो उन्होंने कहा है । ...(व्यवधान) 1980 में चाइना और इंडिया की इकोनोमी बराबर थी । ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down.

... (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि भेद खुल जाए, वह सूरत हमारी नहीं है। ...(व्यवधान) मैं एक-एक भेद खोल दूंगा। ...(व्यवधान) नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश की इकोनोमी कैंसर से भी ज्यादा बुरी स्थिति में है। जिस तरह 2014 में माननीय नरेन्द्र भाई मोदी को इस देश की इकोनोमी मिली, उस समय जीडीपी की ग्रोथ 4.5 प्रतिशत थी। ...(व्यवधान) Sir, I am not yielding...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Are you yielding?

DR. NISHIKANT DUBEY: I am not yielding...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He is not yielding.

... (Interruptions)

DR. NISHIKANT DUBEY: Under what Rule?...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Under what Rule you are raising point of order?

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Are you yielding?

... (Interruptions)

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Sir, he is not yielding.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, Rule no. 352 (vii) says that a Member while speaking shall not utter treasonable, seditious and defamatory words...(*Interruptions*). The defamatory word shall be removed...(*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY: Sir, which word is defamatory? Is ... *defamatory?...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it. If there is any unparliamentary word, we will remove it.

... (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे : बताइए, कौन सा शब्द डिफेमेटरी है? जो पूरा का पूरा फाइनेंस एक्ट था। ...(व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी।...(व्यवधान) केवल टैक्स टेरिंग्जम चल रहा था।...(व्यवधान) जो इनकम टैक्स है, सेक्शन्स 131, 132, 133 और 133B देखिए।...(व्यवधान) इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस बिल के बारे में सुनिए। ...(व्यवधान) सर, इन लोगों को कुछ नहीं पता है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Both the sides, please maintain silence...(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिसी पैरालिसिस और टैक्स टैररिज्म का यह शिकार था।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down.

... (Interruptions)

डॉ. निशकांत दुबे : वेल्थ टैक्स के मामले में यह सरकार केवल टैक्स टेरिंग कर रही थी, पॉलिसी पैरालिसिस कर रही थी। ...(व्यवधान) इस एक्ट में हमने जो सबसे बड़ा संशोधन किया है, वह बेनामी ट्रांजैक्शन्स एक्ट है। ...(व्यवधान) फाइनेंस बिल में जिस सबसे बड़े एक्ट में हमने संशोधन किया है, वह बेनामी ट्रांजैक्शन्स एक्ट है। ...(व्यवधान) बेनामी ट्रांजैक्शन्स एक्ट की कहानी सुनिए। ...(व्यवधान) बेनामी ट्रांजैक्शन्स एक्ट की

-

^{*} Not recorded.

आई। ...(व्यवधान) में 1980 की बात कर रहा हूं – 'हुजूर देर कर दी आते-आते।'...(व्यवधान) 1980 में लॉ कमीशन की 57वीं रिपोर्ट आई, जिसमें लॉ कमीशन ने कहा कि इस देश में करप्शन बहुत बढ़ रहा है, कोई गीदड़ के नाम पर, कोई बकरी के नाम पर, कोई भाई के नाम पर, कोई नौकर के नाम पर वेल्थ क्रिएट कर रहा है। कोई ड्राइवर के नाम पर, कोई कंडक्टर के नाम पर, कोई मरे हुए आदमी के नाम पर, कोई नाना के नाम पर या दादा के नाम पर वेल्थ क्रिएट कर रहा है। इस कारण से लॉ कमीशन की 57वीं रिपोर्ट में यह बात आई कि हमें बेनामी ट्रांजैक्शन्स एक्ट की आवश्यकता है। आ गया। ...(व्यवधान) 1983 में प्रणब मुखर्जी साहब ने इसी पार्लियामेंट में बजट स्पीच दी।

उन्होंने कहा कि सरकार एक सबसे बड़ा संशोधन लाने वाली है, जो सबसे बड़ा एक्ट लाने वाली है, वह बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, 1983 है। उस समय राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। उनके दिमाग में आया कि इसे किसी तरह से ला दें।...(व्यवधान) सर, ये बार-बार क्या कह रहे हैं, इनको रोकिए। ...(व्यवधान) ये बार-बार खड़े हो जाते हैं।...(व्यवधान) ये हमें फाइनैंस बिल पर भी बात नहीं करने देंगे।...(व्यवधान)

सर, वर्ष 1988 में चूंकि वी.पी. सिंह बोफोर्स के मामले में सरकार से बाहर चले गए थे। बोफोर्स के करप्शन का चार्ज उन्हीं के मंत्री ने उनके ऊपर लगाया था। देश में एक मैसेज देने के लिए कि क्वात्रोची ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है, बोफोर्स में कुछ किया है, वी. पी. सिंह ने कुछ नहीं किया है और चूंकि इलाहाबाद का बाय इलेक्शन आने वाला था, इसलिए वर्ष 1988 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ गया।...(व्यवधान) मैं बताऊंगा कि क्वात्रोची कौन है? वर्ष 1988 का बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, यह देश को और कांग्रेस को जानने वाली बात है। जो ऐक्ट वर्ष 1988 में लागू हुआ।...(व्यवधान) बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट फाइनैंस बिल का पार्ट है। यदि सुनील मंडल जी आपको पता नहीं है तो आप पढ़ लीजिए।...(व्यवधान) वर्ष 2014 तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन नहीं होने के पीछे कारण था कि वर्ष 1988-89 के बाद केवल वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दीजिए, कांग्रेस

ने जितनी भी सरकार चलाई, वे सभी कोलिशन की पार्टनर थीं। उसके नोटिफाई नहीं होने का कारण यह है कि जो दानिश अली साहब बैठे हैं, इनके पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी की संपत्ति 13 सौ गुना बढ़ गई, 400 करोड़ रुपये।...(व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा (कृष्णानगर): ... * का क्या हुआ?

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, ... * जो बोल रही हैं, रोज वैली, शारदा चिट फंड के सारे पैसे बेनामी ट्रांजैक्शन में लगे हुए हैं।...(व्यवधान) सर, उसके पीछे रीज़न था।...(व्यवधान) यहां आस-पास गजेन्द्र सिंह शेखावत जी और बीकानेर के माननीय सांसद अर्जुनराम मेघवाल जी बैठे हुए हैं। बीकानेर में जो जमीन खरीदी गई, वह ... * कौन है, ... * कौन है, ... * कौन है? इन सभी के नाम पर, भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके बेनामी ज़मीन खरीदा गई। ...(व्यवधान) यही कारण है कि पिछले 28-29 साल में, मैं आपको बताऊं कि ये सभी लंदन की प्रॉपर्टीज हैं। सारी प्रॉपर्टीज भारत के राष्ट्रीय दामाद ... * के साथ है। अगस्ता वेस्ट लैंड का पैसा लगा हुआ है, पिलाटस का पैसा लगा हुआ है। नौकर के नाम पर, चाकर के नाम पर, दुबई के नाम पर, अमेरिका के नाम पर, लंदन के नाम पर, चूंकि इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली थी, यही कारण है और हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि न खाएंगे और न खाने देंगे।...(व्यवधान) उन्होंने चुनाव में कहा था कि वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक सभी को जेल के दरवाजे तक ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि सब को वर्ष 2019 में धक्का दे कर सभी को जेल में बंद कर देंगे।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him complete.

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, you can reply when your turn comes.

^{*} Not recorded.

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, यही कारण है कि इस फाइनैंस बिल में जब हम चेंज करने के लिए लाए हैं तो ये लोग अपोज कर रहे हैं। यही कारण है कि इस फाइनैंस बिल के माध्यम से बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में, भारत सरकार ने एक बड़ा संशोधन किया है। मोदी जी ने कहा है कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक जितने करप्ट आदमी हैं, चाहे वह गोमती रिवर फ्रंट का करप्शन हो। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record except Shri Nishikant Dubey Ji's speech.

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down. Do not disturb him.

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : चाहे इनके नेता का करप्शन हो, उन सभी करप्शंस के लिए, सभी को जेल में भेज देंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके बाद दूसरे एक्ट में संशोधन है – प्रिवेंशनऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record except Shri Nishikant Dubey Ji's speech.

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down. Do not disturb him.

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सभापित महोदय, इसके बाद फाइनैंस बिल के दूसरे एक्ट में संशोधन है। 72(a) में एक बड़ा संशोधन किया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग ऐक्ट में सबसे बड़ा सवाल था कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के साथ बात नहीं कर रही थी।

मान लीजिए कहीं इनकम टैक्स विभाग रेड कर रहा है, कहीं ईडी रेड कर रहा है, कहीं सीबीआई रेड कर रही है, कहीं डीआरआई रेड कर रही है, कहीं फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट से सूचना मिल रही है, तो इन सूचनाओं के आदान-प्रदान का कोई मैकेनिज्म नहीं था। इस वजह से जब तक सूचनाओं का आदान-प्रदान होता था, उसके लूप्होल्स का लोग फायदा उठा लेते थे। इसी वजह से इस एक्ट में संशोधन किया गया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों दूसरे संशोधन का विरोध करते हैं। आज टेरर फंडिंग इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। आपको पता होगा कि एनआईए हुर्रियत कांफ्रेंस की और \dots^* के कई आतंकवादियों की प्रोपर्टी अटैच कर रही है या उन पर केस कर रही है। डिमोनोटाइजेशन का जो सबसे बड़ा इम्पेक्ट हुआ, वह इम्पेक्ट यह हुआ कि पत्थरबाजी बंद हो गई। मैं झारखंड इलाके से आता हूं, यहां नक्सलवादी गतिविधियां बंद हो गईं, लेकिन पीएमएलए में इस तरह के संशोधन की इतनी आवश्यकता थी, क्योंकि कुछ चीजों को हम पीएमएलए में नहीं पाते थे। यही कारण है कि दो-तीन दिन पहले एनआईए एक्ट में भी संशोधन हुआ और पीएमएलए में एक बड़ा संशोधन हुआ । इसका बड़ा रिपरकशन यह होगा कि जिन्होंने भी शारदा घोटाले के तौर पर, रोज वैली घोटाले के तौर पर, टेरर के तौर पर, भ्रष्टाचार के तौर पर, हुर्रियत के तौर पर, बेनामी प्रोपर्टी के तौर पर...(व्यवधान) मैं यहां बोलना नहीं चाहता, कई एक माननीय सांसद हैं, उन सभी से मेरे बहुत व्यक्तिगत, पारिवारिक संबंध हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो होने वाला है, वह यह है कि पीएमएलए में एक बड़ा संशोधन करके भारत सरकार ने उन सारे लोगों को जेल के रास्ते तक पहुंचाने का इस फाइनेंशियल एक्ट के माध्यम से काम किया है कि जो इस देश में चोरी करेगा, वह जेल के अंदर होगा। यह दूसरे एक्ट में एक बडा संशोधन है।

महोदय, तीसरा बड़ा संशोधन ब्लैक मनी एक्ट में है। यहां ब्लैक मनी पर बहुत चर्चा होती है। 'लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है।' वर्ष 1972 में वांचू समिति की रिपोर्ट आई और

-

^{*} Not recorded.

उस रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे बड़ा सवाल करप्शन का है और अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग करप्शन है जिसके लिए भारत सरकार को काम करना चाहिए। वांचू समिति की रिपोर्ट उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को पसंद नहीं आई। कोई भी कारण हो सकता है और उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने चोपड़ा कमेटी बना दी। चोपड़ा कमेटी के बाद, पार्थसारथी शोम कमेटी, राजा चेलैय्या कमेटी, कमेटी पर कमेटी बना दी जैसे 'तारीख पर तारीख' सन्नी देओल की फिल्म का डायलॉग है। सन्नी देओल हमारे सदन के माननीय सांसद हैं। वर्ष 2008 का एक्ट इस सदन में कांग्रेस पार्टी लाई और दो टैक्स प्रपोजल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और देश में कमोडिटी एक्सचेंज को बढ़ा दिया। कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात करती है. उसके हिसाब से संसद का कुछ मतलब नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सीटीटी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। मुम्बई के एक व्यक्ति मिस्टर शाह थे, उनके आधार पर कमोडिटी एक्सचेंज खुल गया। 50 रुपये की हल्दी स्पेकुलेटिव मार्केट में 150 रुपये में बिकने लगी। सारी चीजों के दाम बढ़ गए। संयोग से मैं वर्ष 2009 में इस सदन का सदस्य बन गया। कोई ऐसा सैशन नहीं हुआ, जब हमने इन्फ्लेशन पर चर्चा नहीं की । कोई ऐसा सैशन नहीं हुआ जिसमें 'महंगाई डायन खात है' इस पर चर्चा नहीं हुई। कमोडिटी एक्सचेंज के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मैं सीबीडीटी की रिपोर्ट लेकर आया हूं, जो सीबीडीटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई थी – ब्लैक मनी कमेटी 2012. कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है। श्री लक्ष्मण दास उस समय सीबीडीटी के चेयरमैन थे। इसके कई अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने कहा कि सीटीटी के ऊपर वर्ष 2008 से इम्प्लीमेंट मत करो, नहीं तो पूरी की पूरी कमोडिटी एक्सचेंज खत्म हो जाएगी।

यह करप्शन हो गया है, यह ब्लैकमनी जेनरेशन का एक बड़ा साधन हो गया है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हुआ यह कि कमोडिटी एक्सचेंज खत्म हो गया। कमोडिटी एक्सचेंज में उसका जो रेगुलेटर था, उसे फाइनली सेबी के साथ जोड़ना पड़ा। कौन ब्लैकमनी जेनरेट कर रहा है?

मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग और चिट फंड के बारे में कहना चाहता हूँ। ये सारे फाइनेंस बिल के पार्ट हैं। इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ। चिट फंड का बिल आज ही सभी संसद सदस्यों के बीच सर्कुलेट भी हुआ है। फाइनेंस कमेटी की, सीबीडीटी की रिपोर्ट थी, वह चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी। आज से नहीं, जब पीयरलेस का केस हुआ, उस समय से यह बात चल रही थी कि आप इसके लिए कोई-न-कोई रेगुलेशन लाओ। संयोग से, सौगत बाबू, भर्तृहरि बाबू आदि सभी फाइनेंस कमेटी के मेम्बर्स बैठे हुए हैं। फाइनेंस कमेटी ने इनसिस्ट किया, आज वह बिल पार्ट है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या हाल है? आप यह समझें कि जिस इलाके से मैं आता हूँ, बंगाल उसका पूरा-का-पूरा केन्द्र बिन्दु है, पूरी-की-पूरी ज्वालामुखी ईस्टर्न इंडिया में है। पीयरलेस, शारदा, रोज़ वैली आदि सभी का एक इतिहास है। जितने भी चिट फंड या मल्टी लेवल मार्केटिंग कम्पनीज बनाने वाले हैं, उन सबने अपने पैसे को बाहर भेज दिया है। किसी का अमेरिका में होटल है, किसी का लंदन में होटल है, किसी का कहीं है। इस तरह के ब्लैक मनी का फाइनली क्या होगा?

तीसरा बिन्दु, इस एक्ट में जो संशोधन है, यहाँ सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सभी गाँवों और शहरों से भी आते हैं। सर्किल रेट और मार्केट रेट में एक बड़ा डिफरेंस है। ब्लैक मनी जेनरेशन का यह एक बड़ा सवाल है कि सर्किल रेट क्या होगा और मार्केट रेट क्या होगा और वह कितना टैक्स पे करेगा। इसके बारे में आज तक किसी ने कानून नहीं बनाया। हमने इस एक्ट में यह संशोधन किया है।

अब गोल्ड स्मगलिंग की बात है। संयोग से, यह ऐसा पार्लियामेंट है, जहाँ सबसे ज्यादा महिलाएँ आई हैं। यह एक गोल्ड लिवंग कंट्री है। शादी, विवाह, जनेऊ या किसी का मुंडन आदि हो, सभी समारोहों में गोल्ड दिए जाते हैं। मैं पढ़ रहा था, वर्ष 1947 से 2014 तक कांग्रेस के ऐसे कोई वित्त मंत्री नहीं रहे, जिन्होंने गोल्ड के ऊपर कोई-न-कोई स्टेटमेंट या टैक्स न लगाया हो। इसके कारण हाजी मस्तान पैदा हो गया। यही नहीं, वर्ष 2014 में इलेक्शन के पहले, तत्कालीन वित्त मंत्री ने कुछ कम्पनियों को फायदा पहुँचाने के लिए 80-20 स्कीम लेकर आए। 80-20 स्कीम में, उन्होंने ऐसा किया कि नेचुरल डायमण्ड की जो वैल्यू होगी, वही आर्टिफिशियल डायमण्ड की

वैल्यू होगी। एक ऐसी कम्पनी, यह सीएजी की रिपोर्ट है, एक ही दिन में सोना लेकर दिल्ली के एयरपोर्ट पर आती है, ...(व्यवधान) यह फाइनेंस बिल का पार्ट है। गोल्ड पर जो टैक्स लगाया है, यह उसका पार्ट है। ...(व्यवधान) वह यहाँ लेकर आती है और उसी दिन हरिद्वार चली जाती है, देहरादून चली जाती है और 24 घंटे के अंदर पूरी ज्वेलरी बनाकर ले आती है। ...(व्यवधान) मैं आपको बताऊँ, मैं बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इसमें जो एक्ट है कि उत्तर प्रदेश में सारी चीनी मिलों को किस तरह से बेच दिया गया, किस सरकार ने बेच दिया, उसमें कहाँ से और कौन-से पैसे गए, इसके लिए भी हम पीएमएलए में संशोधन लेकर आए हैं। आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने पूरी-की-पूरी जमीन बेच दी, हम उसका भी संशोधन लेकर आए हैं। यह फाइनेंस बिल है।

राउंड ट्रिपिंग पर भारत सरकार एक बड़ा संशोधन 12 A A लेकर आई है। राउंड ट्रिपिंग क्या है? एक आदमी की एक कम्पनी दुबई में है, उसी आदमी की एक कम्पनी सिंगापुर में है, उसी आदमी की कम्पनी दिल्ली में भी है। एक ही कम्पनी खरीदती है, एक ही कम्पनी बेचती है। वर्ष 1997 में वांचू कमेटी की जो रिपोर्ट थी और वर्ष 2012 की जो सीबीडीटी की रिपोर्ट है, 40 सालों तक देश में जितने एक्सपर्ट थे, वे लगातार यह हल्ला करते रहे कि रीयल एस्टेट करप्शन का, ब्लैकमनी जेनरेशन का सबसे बड़ा कारण है। आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जब हमारी सरकार वर्ष 2014 में आई, अभी के फाइनेंस बिल में हमने किया, रीयल एस्टेट सेक्टर को इतना बड़ा ख़िमयाजा भुगतना पड़ रहा है, इस तरह से लोगों को जेल में जाना पड़ रहा है कि आप उसका हिसाब-किताब नहीं कर सकते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जो गरीबों का पैसा है, जो आमजन का पैसा है, जिन्होंने अपनी पूरी गाढ़ी कमाई मकान में लगा दी या तो उनको मकान देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने यह काम कभी नहीं किया।

इसके बाद मैं पी-नोट्स के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी जो सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन एक्ट में जो सबसे बड़ा चेंज है, जिसके कारण पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा था, वह पी-नोट्स है। पी-नोट्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इनके जो आईबी के हेड थे और प्रधान मंत्री के जो

नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइज़र थे, यदि आप कहेंगे, तो मैं उनकी चिट्ठी भी हाउस में प्लेस कर दूँगा। ... * ने कहा कि ये जो पी-नोट्स है, आपकी सरकार में, ... * की सरकार में, आपके एनएसए थे, आईबी के भी हेड थे और आपके एनएसए थे, उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ऊपर और नीचे खेल हो रहा है, यह स्टॉक एक्सचेंज जो देश की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है, यह जो कैंसर के तौर पर आ रहा है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो और 'know your customers' को इतना टाइट करो ...(व्यवधान) जो पार्ट है, आप कहोगे, तो मैं डाल दूँगा न, मैं जानता हूँ, ...(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN: Sir, I am on a point of order....(Interruptions)

DR. NISHIKANT DUBEY: Sir, I know what he wants to say. I know Rule 369. रूल 369 यह कहता है कि यदि उसको मेरे बात पर कोई ऑब्जेक्शन है, तो मैं इसको ऑथेंटिकेट करके डाल दुँगा।...(व्यवधान) I am not yielding. I know Rule 369.

SHRI HIBI EDEN: Sir, I have a point of order.

HON. CHAIRPERSON: Under which rule you are raising the point of order?

SHRI HIBI EDEN: Rule 353, which says: "No allegation of a defamatory or indiscriminatory nature shall be made by a Member against a person, unless the Member has given adequate notice to the Speaker.

सर, क्या आपको नोटिस मिला है? He is talking about the ex-Finance Minister. जो हाइअर अथॉरिटीज में रहे, ये उन सबका नाम ले रहे हैं। वे कैसे नाम ले सकते हैं? ...(व्यवधान) He should have given advance notice....(Interruptions) I am speaking on a point of order.

-

^{*} Not recorded.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, श्री निशिकांत जी ने किसी का नाम नहीं लिया ।...(व्यवधान) उन्होंने एक्स-फाइनेंस मिनिस्टर कहा ...(व्यवधान) He can say, ex-Finance Minister or ex-Prime Minister. ...(व्यवधान) इन्होंने नाम लिया है, तो वांचू कमेटी और सीबीडीटी कमेटी के नाम लिये हैं और किसी का नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the record. If the hon. Member has mentioned any name, it will be expunged.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: इनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ये नये सदस्य हैं, उत्साही हैं, हम इनके उत्साह का स्वागत करते हैं। उनको रूल 369 पढ़ लेना चाहिए। उनको यदि मेरी किसी भी बात पर परेशानी है, तो मैं उसको ऑथेंटिकेट करके यहाँ डाल दूँगा। वह पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मैंने उस रूल का जिक्र किया है। संयोग से, मुझे पूरा नियम पता है।

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, you are making a very interesting speech.

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ओवर-इनवॉयिसंग हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा पैसे इस देश से बाहर चले गये। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि डोमेस्टिक में, वर्ष 2009, 2010,2011 और 2012 में सीएजी की रिपोर्ट आई और फाइनली वर्ष 2013 में रिपोर्ट आई, केवल विदेशों में ही ओवर-इनवायॅसिंग के पैसे नहीं गये, रेल का जो डुअल फ्रेट है, उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक फ्रेट अलग लगेगा और एक्सपोर्ट का फ्रेट अलग लगेगा। उसके कारण 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। शुरुआत में मैंने कहा कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा था। खाओ, पीओ। हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ, किसी के बारे में चिन्ता मत करो। आम आदमी से कोई मतलब नहीं है।

वांचू कमेटी की रिपोर्ट वर्ष 1972-73 में आई। एमबीबीएस, इंजीनियरिंग में इस तरह से एडिमशन हो रहे हैं कि कैपिटेशन फी के रूप में एक करोड़ से दो करोड़ रुपये लिये जा रहे हैं। ये केवल कैश में लिये जा रहे थे। लिये जा रहे थे या नहीं? वे पैसे कहाँ जा रहे थे? क्या आपने उस एक्ट में संशोधन किया?

यदि हम एनएमसी बिल लेकर आए हैं, यदि उस करप्शन को हम रोकना चाहते हैं, पिछले तीन-चार सालों से इस सदन और उस सदन के सदस्य इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या परेशानी है?

वह करप्शन का कारण है, ब्लैक मनी जनरेशन का कारण है, इसलिए उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, यहां सुप्रिया जी बैठी हैं, वर्ष 2011 में यशवंत सोनेवाल का डीजल और पेट्रोल करप्शन का सबसे बड़ा साधन था। वर्ष 2011 में यशवंत सोनेवाल की हत्या हुई या नहीं हुई? वर्ष 2005 में इसी डीजल स्कैम के कारण मंजूनाथ की हत्या हुई या नहीं हुई? डीजल और पेट्रोल करप्शन का सबसे बड़ा कारण था या नहीं था? ...(व्यवधान) वह पैसा कहां जाता था? ...(व्यवधान) आज यही कारण है कि इस फाइनेंस बिल में इलैक्ट्रिक कार में टैक्स कन्सेशन दिया गया है। ...(व्यवधान) इलैक्ट्रिक कार के लिए हम फंड बनाएंगे, ताकि डीजल. पेट्रोल और कैरोसीन तेल से लोगों का ध्यान हट जाए, इससे कोई ऑल्टरनेट एनर्जी आ जाएगी। इस कारण से यह फाइनेंस बिल अच्छा है या नहीं है? यह भविष्य की चिंता करने वाला बजट है या नहीं है? मैं आपके माध्यम से अपनी ये बातें कहना चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Your time is going to be over.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मुझे पता है कि आप यह बोलेंगे। मैं केवल दो प्वाइंट्स पर लास्ट पांच-सात मिनट बोलना चाहता हूं। मैं 35-40 मिनट बोलने वाला था, अभी तो मात्र 25 मिनट ही हुए हैं। **HON. CHAIRPERSON:** Thirty minutes are already over. Please come to the main point

डॉ. निशिकांत दुबे: मैं आपको सबका विश्वास और लीगेसी के बारे में बताता हूं कि टैक्स के लिए एक डिस्प्यूट मेकेन्ज़िम इस बजट का सब से बड़ा पार्ट है। वह लीगेसी क्या है? मैं इस लैगेसी को देख रहा था। हसन अली खान के ऊपर भारत सरकार ने 1 लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये का टैक्स डिस्प्यूट डाला हुआ है। हसन अली के पास यह किस का पैसा है?

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : आपने छ: सालों में पता नहीं किया? ...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : हमें सब पता है, बाकी सब पता चल जाएगा। ...(व्यवधान)

चेयरमैन सर, स्विस गवर्नमेंट ने जो कुछ अकाउंट्स दिए हैं, उनमें एनएमए, एमएमए, एएम, टीएएस, आरएएस, डीएस और एसएलएस के नाम हैं। ...(व्यवधान) मैं आपको बताऊं कि इस सरकार में ...(व्यवधान) मैं लीगेसी डिस्प्यूट खत्म करने के लिए ये बातें कह रहा हूं। ...(व्यवधान) ये लोग बड़ा हल्ला-हंगामा करते हैं। ...(व्यवधान) मैंने वर्ष 2011 में यहां एक भाषण दिया था। ...(व्यवधान) मैंने कहा कि लिंचिंस्टाइन बैंक से जो अकाउंट आए हैं, हमारे यहां लिंचिंस्टाइन से अकाउंट आए, जर्मनी से अकाउंट आए, पनामा से अकाउंट आए और स्विट्ज़र्लैंड से अकाउंट आए। ...(व्यवधान) वर्ष 2011 में लिंचिंस्टाइन से अकाउंट आया था। ...(व्यवधान) मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के तीन तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैंने कहा कि इनका नाम उस लिंचिंस्टाइन अकाउंट में आ रहा है। ...(व्यवधान) मैं यह नहीं कहता कि उनका अकाउंट है या नहीं है, लेकिन एक सांसद होने के नाते भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि अखबारों में यह जो बातें छप रही हैं या सोशल मीडिया में जो बातें आ रही हैं, उसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मैं बस दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं । ...(व्यवधान) सरकार को ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह बताना चाहिए कि हमारा नाम नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्वड नहीं है । ...(व्यवधान) उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री, जो बाद में देश के राष्ट्रपति हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि किसी का कोई अकाउंट

नहीं है। मेरे इसी भाषण के आधार पर हर्ष रघुवंशी ...(व्यवधान) संसद को इस पर गर्व करने वाली बात भी होनी चाहिए और सोचने वाली बात भी होनी चाहिए। ...(व्यवधान) मेरे भाषण के ऊपर एक पीआईएल हुई, जिसको रामजेठमलानी और शांति भूषण ने लड़ा।

वर्ष 2012 में उसी भाषण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट आया कि एक सांसद के प्रश्नों का सही जवाब संसद में नहीं मिलता है। फैक्ट यह है कि उस वक्त के कांग्रेस के तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम लिंचिंस्टाइन अकाउंट में थे, बाद में यह प्रूफ हुआ, इस कारण से एसआईटी बनाई जाए, लेकिन एसआईटी नहीं बनी। ...(व्यवधान) इसलिए 'सबका साथ, सबका विकास' में यह जो लेगेसी प्रॉब्लम है कि आपने फॉरेन में जो अकाउंट बना दिया है, जो पैसा डाल दिया है, इस कारण इस बिल में यह लाया गया है। मैं अंत में केवल इतना ही कहते हुए कनक्लूड करूंगा कि यह मोदी जी की सरकार है। ...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): यह भी बता दीजिए कि एसआईटी किसने बनाई? ...(व्यवधान)

डॉ. निशकांत दुबे: पहली ही कैबिनेट में, माननीय मोदी जी की 26 मई, 2014 को जो कैबिनेट बनी, उसी में एसआईटी बनी। एसआईटी ने अपनी काफी रिक्मनडेशन्स दी हैं, जिनमें दो करोड़ रुपये न निकालने की इस तरह की जो बातें हैं कि कैश का काम नहीं कर सकते हैं, मैं इनके बारे में केवल इतना ही कहूंगा कि इस फाइनेंस बिल से कई चीज़ों पर काम हो सकता है, जो चीज़ें लोगों को चुभने वाली या लोगों को चूसने वाली हैं। संस्कृत का एक श्लोक है:

आपदा मापतंतिनां हितो अप्यायाति हेतुताम, मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभभवति बंधनेन।

चेयरमैन सर, यह समय ऐसा है, जो आपद् का समय है। इन्होंने एनपीए, लीगेसी, बैंकिंग व्यवस्था, आपने सारी इकोनॉमी की व्यवस्था को खोखला और कैंसरस कर दिया था। जैसे मां कभी-कभी बंधन के तौर पर खड़ी हो जाती है, उसी तरह हमारे प्रधान मंत्री जी मोदी जी इस देश को चलाने के लिए आपके साथ हैं। आपका विकास होगा, देश का विकास होगा, जनता का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before 6 o'clcok, we have to conclude this discussion on the Finance Bill. Hon. Speaker, has already told that we would take up 'Zero Hour' at 6 o'clock. Therefore, I would request the hon. Members to conclude their speeches within the allotted time.

DR. T. THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I thank you profusely for giving me this opportunity to make my maiden speech on the Finance Bill.

As a debut parliamentary Member from Chennai South Constituency, I ascend from the land of Tamil Nadu, a land where the great Sangam poet, Kaniyan Poongundranar, 2000 years ago transcended all the geographical boundaries and declared 'Yaadhum oore, yavarum kelir' meaning the whole world is my home and all human beings are my kith and kin.

I ascend from the land of social justice and equality wherein the great poet Thiruvalluvar transcended, evened all the divisions in the society 2000 years ago and denounced the water tight Varnashrama Dharma and declared 'Pirappokkum ella uyirkkum' meaning all are equal by birth.

I am equally proud to state that I hail from the land of Dravidian reformation and Tamil cultural renaissance pioneered by iconoclast rebel, Thanthai Periyar, Dravidian Demosthenes Arignar Anna, founder leader of our DMK Party Muttamizh Arignar Dr. Kalaignar, the legendary literary icon and the phenomenonal political statesman for whom I am perennially indebted for my political career.

Sir, I stand here cherishing the memory of my father, late Mr. Thangapandian, and I want to place on record my sincere thanks to my Party leader, Thalapati Mr. M.K. Stalin, for whose statesmanship, leadership and his guidance, the Tamil Nadu people have given a solid mandatory support for federalism and secularism. ...(Interruptions). This is my maiden speech. I

have every right to give an elaborate introduction. I thank him for having reposed faith and trust in me and for having allowed me to enter this portal for which I am grateful to him ...(Interruptions).

HON. CHAIRPERSON: This is her maiden speech. That is why, she is giving some introduction.

... (Interruptions)

DR. T. THANGAPANDIAN: Sir, here I am reminded of Dadabhai Naoroji who in his maiden speech told that he was the first Indian member to get elected to the British Parliament. He said that on behalf of India, I thank the British people. On behalf of our Party, I thank the Tamil Nadu people for their mandate for federalism and secularism.

The present Lok Sabha is vibrant with 78 women MPs and I humbly and happily share the fact that I am the second woman MP to get elected from the Chennai South Constituency after 28 years. It is a constituency which has been represented by luminaries like Anna, Dravidian ideologist, Mr. Thiru Murasoli Maran, our former President, Shri R. Venkataraman and the present DMK Party leader, respected hon. Member, Shri T.R. Baalu. I thank my constituency people and I promise them that I shall put my best foot forward.

At the outset, I would like to congratulate our first fulltime woman Finance Minister, Shrimati Nirmala Seetharaman, for having presented her maiden Budget. I am doubly happy to congratulate her as Thamizhachi – Tamil woman – since she is the daughter of our soil.

Sir, I envisage the hon. President's Address, hon. Prime Minister's speech, the Finance Minister's Budget and the Finance Bill as a I square of mirage. It is a mirage which has given the citizens a lot of promises and rosy picture that all will be well with the vision and mission of 5 trillion dollar economy by 2024-25.

During his last stint, our hon. Prime Minister had made a lot of promises that all the black money would be brought back, ten crore jobs would be generated, but alas, nothing concrete was done.

With the unemployment rate of 6.1 per cent trumpeting of a \$5 trillion economy by 2024 is a big farce. India's major strength lies in its conventional labour driven industries and its development depends mainly on the skilled young manpower. But misadventures like demonetisation, badly handled GST, devaluation of the rupee have created tremendous unemployment. The Budget is actually a Fudget. I would term it as a Fudget and I will tell you why.

Table 2.5 of Statistical Appendix in Volume II of the Economy Survey reveals that actual Net Tax Revenues in 2018-19 are provisionally estimated at Rs. 13.16 lakh crore, but in the Budget, it has shown as increase of Rs. 14.84 lakh crore. That is why I term it as a Fudget and I term it as a Much Ado About Nothing Budget.

Sir, coming to the discussion on the Finance Bill, I am again here reminded of the late Dadabhai Naoroji. He had given a very famous speech titled as 'India must be bled', a title which he borrowed from Lord Salisbury. I quote:

"As India must be bled"

These words were delivered by a Secretary of State for India, Lord Salisbury himself.

"Let us clearly understand what is meant by bleeding a nation. It is perfectly true that when there is a Government, people must pay taxes, but there is a great difference between taxing people and bleeding people."

Sir, through you, I would like to ask the Government – you waive tax for corporates, you disinvest public sectors, you neither rebate tax for middle class, common people nor waive farmer's loan but increase the tax thereby escalating the prices of petrol and diesel. Doesn't it make India bleed all the more?

If you still believe in what Gandhiji told -- 'the crux of the nation lies in the welfare of the farmers', then you would not have given them just Rs. 6000, a pittance amount and leave them in the lurch. It is a pittance amount. The greatest grouse, I record here, that the people of Tamil Nadu still have is that our hon. Prime Minister has not visited the Gaja cyclone-hit areas and has turned a cold shoulder to it.

Sir, I would like to refer to the increase in the gold prices. Is it not making the country bleed? The hon. Finance Minister said that there will be a shift from women-centric to women-lead India. If that is true, then why has the import duty on gold been hiked from 10 per cent to 12.5 per cent which would directly hit the middle-class Indian women?

Because even now the savings of Indian household is in gold. For under-privileged section of women, for working class women even making a *Mangal-Sutra* in gold has become a far-fetched dream now. Does it not make India bleed all the more?

Sir, the Finance Bill, if I may use the term, is a poor cousin of the Budget since it parrots the policies of the Government -- a procorporate and an anti-common men Government with a thrust on disinvestment which makes India bleed all the more.

They say the 'destiny of the nation' lies in the way it treats its women, children, under-privileged section, physically challenged people, writers, artists and above all the minorities. But there is lynching and poaching. Does it not make India bleed all the more?

As a Vernacular poet I can see and sense disappointment and despair. Plurality, regionalism, diversity, Federalism and Secularism, everything has been tamed into one sloganeering of 'One Nation, One Election, one Ration Card and now one Grid'.

Sir, Robert Walpole, later Earl of Orford spoke on the House of Lords Bill in 1719 and made this observation. I quote:

"Among the Romans, the wisest people upon earth, the Temple of Fame was placed behind the Temple of Virtue, to denote that there was no coming to the Temple of Fame but through that of Virtue."

If this scenario continues, our virtues will be lost and India will bleed all the more.

I have a few queries to be clarified. My South Chennai constituency comprises a lot of fishermen populace. Till today, agriculture, fishery and farming are not treated as industries in the real sense of the term, besides the fact that they are destined to bear the brutal brunt of natural calamities like cyclones, tsunami and depletion of resources.

The hon. Finance Minister has announced 'Matsya Sampada Yojana' as part of the Blue Revolution with an aim to bring all fishermen under the umbrella of farmers welfare programmes and assures to promote aqua culture through easy access to credit. I quote from Money Control News. It says:

"A special Fisheries and Aqua Culture Infrastructure Development Fund of Rs. 7522 crore has been allotted last year but this fund will be used to attract private investment in creation and management of fisheries infrastructure facilities."

How will you expect an ordinary fisherman, son of the sea, who sets out to the sea everyday, make his living with nil investment to get benefits?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. Your allotted time is already over.

DR. T. THANGAPANDIAN: Sir, this is my maiden speech. Please give me five more minutes....(*Interruptions*)

This Yojana will not be for the benefit of the indigenous fishermen but for the macro fishing industry magnets. Private investment is the key word here.

Chennai's largest IT hub is in my constituency. In this era of technological advancement, the paradigm shift is now on artificial intelligence. What are the steps taken to sensitise this industry towards opportunities that will open up due to 5G spectrum?

Sir, T. Nagar and Mylapore, the two Assembly constituencies, are the most important cluster areas of MSME. The Finance Minister has just reiterated the sanctioning of loans upto Rs. 1 crore in 59 minutes for GST approved SME units. I appreciate it but the bankers are wary of disbursing the loans accordingly. Could the Government furnish any data of the number of loans actually distributed through this scheme?

Sir, there are major amendments in income tax and other direct taxes domain, indirect taxes, GST, etc. Insertion of new provisos in Section 139 makes the following categories of persons also to file ITR irrespective of their income. They are individuals spending more than Rs. 2 lakh on foreign travel in a year and individuals spending more than Rs. 1 lakh on electricity in a year. How is it possible? This is a country wherein joint family system is still prevalent. How would a family with many members limit their electricity expenses within Rs. 1 lakh a year?

There is a Tamil poem from the Sangam Literature, Nattrinai. It says:

"Maram Saa marundhum Kollar, Mandhar; Uram chach seyyar, uyarthavam; valam kedap Ponnum Kollar, Mannar Nannuthal!

Naam tham unmaiyin uzhame."

The meaning of this poem is as follows: Generally, men of great stature would not strip of the medicinal plants to that extreme of letting it to perish. They would not do penance at the cost of their prowess to become weak. Similarly, a good natured king would not burden his citizens with heavy taxes leading them to poverty. The world survives since men of such stature never falter.

With anguish and pain, I want to draw the attention of the hon. Minister through you to the allocation of Rs. 50 crore to appoint Hindi teachers in the non-Hindi speaking States which is a clear design to promote the Three Language Formula, a pet theme of this Government. Here, I want to emphatically state that the DMK Party and our leader, Thalapathy, Shri Stalin upholds only the Two Language Formula. I would like to remind the statement of our party founder leader, Perarignar Anna. He said:

"I have authorised three Legislative Laws in Tamil Nadu State Assembly as its Chief Minister, namely, renaming the Madras State as Tamil Nadu, endorsing legal sanctity to marriages without religious customs and rituals and adhering only to the Two Language Formula. And no one can dare either to scrap or do change these laws!"

I would like to conclude with the lines of Shelly. He said: "I fall upon the thorns of life! I bleed!" The Budget makes India bleed all the more.

15.00 hrs

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir, for letting me talk on the Finance (No. 2) Bill, 2019.

I would like to put it into two perspectives — one is the National perspective, and the other is the State perspective. From national perspective, the Budget is full of hope, and a lot of good schemes have been inducted this time, like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Housing Scheme, and Har Ghar Jal. But if you see it from our State's perspective, we are disappointed. Nothing, which is mentioned in the AP Reorganisation Act, has been put into the Budget. There is no mention about the State of Andhra Pradesh.

Sir, I would like to talk about our concerns. The first one is regarding special category status for our State. Special category status is not something which we are demanding. I would like to clear the air about this special category status. On March 2, 2014, in the Cabinet Meeting, the then Prime Minister generated a Cabinet Note saying that 'Special Category Status be given to Andhra Pradesh, and it should be implemented immediately.' I also have the Cabinet Note here.

Sir, it is disappointing that in the last five years, nothing substantial has been done, and also nothing has been mentioned about special category status. There are a few Members who spoke even in the House that 14th Finance Commission objected to special category status but it is not a fact as Mr. Abhijit Sen, who is a member of the Finance Commission, clearly wrote a letter saying that Finance Commission has got nothing to do with special

category status, and it is only a decision of the Executive. I also have the letter here which says that Finance Commission has nothing to do with special category status, and it is only a decision of the Executive. With the stroke of a pen, we can accord special category status.

I will also tell you the reason for this. Our State was split against our wishes. We did not want our State to be split because we did not have a capital, and nothing was there. But we were promised a lot of things. An Act like the AP Reorganisation Act was also enacted which promised a lot of things. But if you see today, no word has been kept. Whatever word was given on the floor of the House, it has not been fulfilled. To give the magnitude of the situation in Andhra Pradesh, I would like to again quote. I have spoken about it earlier also. I just want to again bring to the notice of the House that the debt of our State from independence for the residual State of Andhra Pradesh was Rs. 90,000 crore, and in these five years, our debt has increased to a huge sum of Rs. 2,60,000 crore due to which we are having an interest burden of Rs. 20,000 crore per year. If such is the situation over a couple of years or after three years, it will be difficult for us even to pay the salaries, let alone development of the State. The 14th Finance Commission projected that the revenue deficit would be Rs. 22,000 crore between 2015 to 2020, and it was promised that the State would be given enough support. It was even mentioned in the Prime Minister's Address that the State will be adequately supported. But if you see, many words were given on the floor of the House but no word has been kept. What has been done? Nothing has been done.

They are not keeping up any promise. We want support for our State. We have been unjustly divided. We expect support from the Government. It is also the right time to act because the revenue deficit of Rs. 22,000 crore which was expected in the last five years is close to almost Rs. 63,000 crore. How do you expect a new State without a capital, and without proper infrastructure to generate such an amount? That is our question. A lot of industrial incentives have also been promised, and one or two incentives have been announced for our State. But to give a real fact, if you see what actually came to our State, in spite of these incentives, you will find nothing substantial has come in.

If you see the report of Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP, not more than Rs. 4000-5000 crore investment has come in for the past five years, except for one year, where we got Rs. 9000 crore. If they check all the IEMs filed, you will see the stark reality where nothing substantial is happening. We are not getting proper employment. We have a lot of youth. They are all highly disgruntled because we cannot see a proper future where our youth is going to get a job. So, special category status, as was promised, is our demand. We want special category status to be granted. We are not asking for something which is new. It is what you had promised. It is time to keep up your promise, your words. That is what we are demanding. If you get into the AP Reorganization Act, which was passed on the floor of this House, a lot had been promised like steel plant in Kadapa. There is no mention about it in the Budget. There is no fund allocation for that. We have been given package for backward districts under special development package, but even

the funds allocated have not been allotted for the last two years. Even in the Prime Minister's speech, it was told that development package on the lines of Koraput-Bolangir-Kalahandi package will be given. But there is no mention about it also. It was told that special package like Bundelkhand package will be given, but so far there has been no mention about it. The AP Reorganization Act in Section 94, para 1 clearly states that the Central Government shall take appropriate fiscal measures including offering of tax incentives to the successor States to promote industrialization and economic growth in both the States. We would like to know what you have given in the past five years and what is the result of that? We would like the Minister to specifically talk about it.

There is no mention of Durgarajapatnam Port or the Vizag-Chennai industrial corridor. Even the metro rail project is going at a snail's pace. Nothing has started, let alone the Vishakhapatnam and Tirpuati airports which were promised to be made international airports. Forget about developing the airports, the flights are getting cancelled. We requested the Minister not to cancel the flights because the State should be treated in a special way.

One more issue is this. The Polavaram project is like a lifeline for our State. It is very important. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that Polavaram project is a national project which was supposed to be built by the Central Government. But as part of the NDA Government's recommendation, the State Government would construct it. One thing we are not able to understand. Polavaram project cannot be built in one year. It will

take around 6-7 years and now it is going to take 2.5 years more to construct it. The Central Government said that they will stick to the initial proposed amount and they will not increase the amount for Polavaram project. It is not fair as it is an irrigation project. The foundations may vary and the cost is bound to change. There are escalations. So, we request that total cost for Polavaram project be borne by the Central Government as it was promised.

One more issue on which I need a clarity from the hon. Minister. The 15th Finance Commission, as part of devolution of funds to the States, is taking the 2011 population Census. Earlier it was taking 1971 population Census. But if you take the 2011 population Census, States like Andhra Pradesh, which effectively implemented family planning will be grossly affected because our population has been controlled very well. There have been a lot of effective measures taken by the Government. If you see, there have been a lot of slogans like "we two and ours two" and all other effective planning measures. But this is not going to be considered according to the 1971 census and if our population is down and funds are going to be down, the population control measure is not going to matter. We wish that justice is done in this and proper measures are taken, so that States which effectively implement population measures are not at a disadvantage.

There is one more scheme which is Har Ghar Jal. We would like to know the modalities of this scheme because our Government is planning to give piped water to every households in the State within two years, but not in

five years as was mentioned by the hon. Minister. We wish the Government comes out with modalities and helps us soon.

There are two more important points. One is regarding GST.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Yes, Sir.

I would like to bring to your notice that that hon. Minister spoke of elephant story that 'if you do not pay proper taxes, your fields will get trampled.' Here is the case -- there are people, who have been doing Government contracts much before even GST was implemented. After the launch of GST, various Governments are not paying GST benefits to these contractors.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Give me two minutes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: No. You have already spoken for 10 minutes.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: In the BAC, it was decided that we will have enough time for discussion on the Finance Bill.

I am just keeping track of my time. I need two more minutes.

HON. CHAIRPERON: Your allotted time is already over.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Just give me two more minutes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Within one minute, please conclude.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Sir, various Governments are not giving the GST benefits to the people doing Government contracts. But Department concerning GST is rather imposing penalties on them and filing cases on them.

So, I would request the Central Government to derive a mechanism whereby if GST benefit does not reach them, the business community should be prevented from imposing penalties and things like that.

Lastly, I would like to say that if 'Make in India' has to be successful, the banking system has to be put in place.

Due to paucity of time, I would stop here and conclude my speech. Thank you.

PROF. SOUGATA RAY: Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on the Finance Bill.

The Finance Bill should normally deal with the tax proposals of the Government. But this Finance Bill deals with a lot of other things, which it should not deal with. I would mention them later.

Before starting my speech, I have a suggestion to make to the Government. I heard Mr. Nishikant Dubey in silence; and I suggest that he be made a Minister of the Government. Since he knows so much about corruption that has taken place, why is he not made the chief policeman of the Government so that he can catch all the wrongdoers? Why does the Government not catch all the wrongdoers and put them in jail? Who is preventing them from doing so? They have an absolute majority. The shouting about old time corruption is again an attempt to confuse the people.

15.12 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

Madam, I shall remind you about two promises that the Modi Government had made to people in 2014. First, all black money from abroad will be recovered and Rs. 15 lakh will be put in the account of every Indian citizen; and second, two crore employment per year will be generated. Five and a half years are over but those promises have not been fulfilled.

Mr. Modi has proved to be an effective salesman, a dream merchant who does not deal in reality.

Madam, 8th November, 2016 was a black day for India when demonetisation of Rs. 1,000 and Rs. 500 notes was effected. It was promised

that all black money in the country will be captured. But three years later, the black money has not been captured. The Government has not given any figures as to how much black money has been recovered due to demonetisation. They still talk about black money.

We want a white paper from the Government as to how many MSME units were closed because of demonetisation. When the hurried implementation of GST took place, we had protested. We said that we support GST, in principle, but it should not be done in a hurry. As a result of hurried implementation of GST, many small businesses have been closed in the country. The Finance Minister has not even mentioned demonetisation in her whole Budget Speech. Demonetisation is a bad dream, best forgotten. That is their theory.

Madam, the Finance Minister says that the effort of tax proposals in the Finance Bill will aim to stimulate growth, incentivise affordable housing and encourage start-ups by releasing entrepreneurial spirits.

Madam, we are talking of a situation when the growth rate has fallen to 5.8 per cent. The unemployment is at an all-time high at 6 per cent and growth of unemployment is the highest in 45 years. I may also mention that there is a decline in car sales and consumption is ebbing. The non-banking financial companies' crisis has aggravated the credit crunch. The FDI is decelerating as well.

Also, exports have fallen to a 14-year low as a percentage of GDP and unlikely to get an upgrade. Thus, the present scenario, with the factors which

drive GDP growth, is very pessimist. You need 8 per cent growth per year to reach \$5 trillion economy by the year promised. Will there be a miracle? That is what the Government hoping. It is very unlikely. If our youth workforce becomes the world's workforce, then only it is possible.

The Budget declared that it would bring new programmes to skill youth for foreign employment. So, it is back to brain-drain and remittances. But given the Government is unskilled – as skilling is hard to get people's hopes up – we will reach \$5 trillion economy but not under Modi 2.0. No, we will not reach \$5 trillion economy in the promised year.

Let me directly go to the tax proposals. What are the tax proposals? There are surcharges on Income Tax – earning over Rs. 2 crore, the surcharge is 25 per cent and for earning over Rs. 5 crore, it is 37 per cent. One complaint is that the surcharges and the cesses do not go to the State. They are not in the divisible pool. We protest against all surcharges and cesses on behalf of the State.

The corporates have been given an advantage because this Government is depending on private investment for surviving. ... (Not recorded) are essential for their survival. So, all companies upto Rs. 400 crore have been brought at a Corporation Tax rate of 25 per cent. Tax on cash withdrawals is now two per cent over Rs. 1 crore. ... (Interruptions)

DR. NISHIKANT DUBEY : Madam, there is point of order under Rule 352. ...(Interruptions) महोदया, इन्होंने जो कोट किया है।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: भैडम, ये प्रोफेशनल हेकलर बन गए हैं ।...(व्यवधान) इन्होंने खुद भाषण दिया है ।...(व्यवधान) इसके बाद ये रूल 352 दिखा रहे हैं ।...(व्यवधान) They are trying to stifle ...(Interruptions) भैडम, ये प्रोफेशनल हेकलर हैं । इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए ।...(व्यवधान) He is the representative of corporates....(Interruptions) भैडम, कुछ नहीं है ।...(व्यवधान) He has no point. ...(Interruptions) Everyday he wants to be popular with the Government and become a Minister by raising objection during Opposition's speeches. ...(Interruptions) That is his way to become a Minister. ...(Interruptions) He wants to stifle our voices....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Sougata Ray.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Madam, I am losing my time. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, we will keep an account. In any case, you have four minutes left.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: He is a professional heckler. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It does not matter. We will listen to him.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please read Rule 352.

... (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदया, रूल 352(7) है। इन्होंने सीधा-सीधा करप्शन का चार्ज लगाया है।...(व्यवधान) इन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लिया है।...(व्यवधान) यदि मिस्टर सौगत राय प्रव कर दें कि इस टैक्स प्रपोजल में अडानी और अंबानी को एक पैसे का भी फायदा हुआ है,

25 परसेंट कारपोरेट वाले में, तो ये क्या, मैं इस सदन में इस्तीफा दे दूँगा।...(व्यवधान) ये गलत बात कह रहे हैं।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैडम, ये बोगस हैं।...(व्यवधान)

DR. NISHIKANT DUBEY: He is making false allegation. ...(Interruptions)

माननीय सभापति: एक मिनट रूकिए। निशिकांत जी, आप पहले रूल 352 (7) पढ़िए।

...(व्यवधान)

DR. NISHIKANT DUBEY: Madam, under Rule 352(VII): A member while speaking shall not—

"utter treasonable, seditious or defamatory words;"

ये कह रहे हैं कि सरकार ने कारपोरेट सेक्टर का 25 परसेंट टैक्स कंसेशन करके अडानी और अंबानी को फायदा पहुँचाया है।...(व्यवधान) यदि अडानी और अंबानी को इससे एक भी पैसे का फायदा होगा, तो मिस्टर सौगत राय मैं इस सदन में इस्तीफा दे दूँगा और यदि आप में भी हिम्मत है, तो आप भी इस्तीफा दे दो।...(व्यवधान) आप सरकार के ऊपर इस तरह का कोई ऐलिगेशन नहीं लगा सकते हैं।...(व्यवधान) मैं बड़ी शिद्धत के साथ कह रहा हूँ कि मैं लोक सभा से इस्तीफा दे दूँगा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The point of order has been raised. The two names will be removed. Rest, you can continue.

PROF. SOUGATA RAY: 'Adani' is not the name of a person; 'Ambani' is not the name of a person...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: These are names.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: These are companies. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Surname is a name.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: 'Adani' is not a name of an individual; 'Adani' is a title. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated. Do respect the Chair.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): ...* ...(Interruptions)

Please give respect because I represent a constituency which has 15 lakh voters. Please respect them. ...(Interruptions) Please do not tell me to sit down. ...(Interruptions) Do not treat me like a student. ... * ...(Interruptions)

You are also a Member; I am also a Member. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI B. MANICKAM TAGORE : ... * ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Sit down, please.

... (Interruptions)

SHRI B. MANICKAM TAGORE: We both are Members. You are in the Chair now. Therefore, I respect you ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I am also a Member.

... (Interruptions)

-

^{*} Not recorded.

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Yes, you are also a Member. Otherwise, I am a Member. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are a Member; so am I a Member. Please sit down. Do not speak while you are sitting.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: 'Adani' is nobody's name; 'Ambani' is nobody's name. They are names of companies...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sit down. There are students from a school sitting in the Gallery. What impression are you setting before them?

... (Interruptions)

AN HON. MEMBER: What impression the students will get? They will get the impression that the Treasury Benches are defending ... (*Not recorded*) ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY

INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM

MEGHWAL): You cannot insult the Chair. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Parliamentary Affairs Minister.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Madam, he is a Minister of State. ...(Interruptions)

AN HON. MEMBER: He should be suspended. ...(Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Yes, Prof. Sougata Ray, I am a Minister of State. ...(*Interruptions*)

मैडम, हम यहां फाइनैंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। यह गम्भीर चर्चा है। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि चेयर पर कोई भी बैठे, वह चेयरमैन की हैसियत से ही नहीं, बिल्क स्पीकर की हैसियत से बैठा है। इसलिए हम लोगों को इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, यह ध्यान में रखें।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Sougata Ray, I expect you to know better. These are names of people. The names of companies are different.

... (Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: मैडम, यह बात तो और भी सीरियस है। यदि अडानी और अम्बानी टाइटल है, कम्युनिटी है तो ये पूरी कम्युनिटी को यह कह रहे हैं। यह तो और भी सीरियस है।...(व्यवधान) HON. CHAIRPERSON: You continue with your speech and then conclude.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Madam, let me again state that the two names that I named are not names of individuals. They are names of companies; they are titles which may belong to anybody. Anyway, I will abide by your ruling.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Just one Minute; Mr. Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Not only in our country, in Germany and also in the United States, companies are there in the name or surname of persons. It is not only the two names which have been mentioned by Prof. Ray. There were names like Tata and Birla earlier, which were also said in this House earlier. My request to you, Madam, is this. Let the

Secretariat go into those records and come to a conclusion. Let us hear what Prof. Ray has to say.

HON. CHAIRPERSON: Go through the records; absolutely fine.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): You go through the records.

The other thing is two per cent tax on cash withdrawals. If cash withdrawals are over two per cent, then what will the tea gardens do? They have to pay lakhs of rupees to their workers all in cash every month. So, they will have to pay extra two per cent tax. Tea gardens are already sick.

What will they do? That is why, I oppose this. Road and infrastructure cess has been increased by one rupee per litre of petrol and diesel. Excise duty has also been increased. This is totally an inflationary step. It will create problems for the common man. It will cause price rise. I am opposed to this.

Customs duty on gold and precious metals will be increased from 10 to 12.5 per cent. I oppose this also because this is not resource mobilization. Thousands of Bengali workers are employed in the jewellery trading in Mumbai and Surat. Many of them will lose their jobs, if customs duty on gold and precious metals are raised. Newsprint import has been increased to 10 per cent customs duty. This will hit the newspaper industry. It seems that the Government wants the newspaper industry to shut down. That is why, they are creating conditions so that they cannot indulge in free expression. That is why, I am opposed to this.

Last year and year before that, I had opposed inclusion of non-tax proposals in the Finance Bill. Now, there are major legislative changes

proposed in the Finance Bill and they include Disputes Resolution Scheme, Central Goods and Services Act, Reserve Bank of India Act, 1934, National Housing Bank Act, 1894, Insurance Act, 1938, Security Contract Regulation Act, 1956 etc.

Madam, the point that has been raised by Shri Premachandran earlier has to be repeated here that this Finance Bill is a Money Bill. It cannot be discussed in the Rajya Sabha. So, it escapes proper legislative scrutiny. That is why, they are bringing these Bills through the Finance Bill so that they cannot be discussed in Rajya Sabha. Changes in the taxation regime may vary according to the Government. Such changes can only be done by the directly elected House like ours. However, structural changes in our legal system which are unrelated to taxation should only be done through the established mechanism of scrutiny and deliberation by both the Houses of Parliament. There is no reason to exclude the Rajya Sabha from deliberating on the changes of a permanent nature to the legal system and having its opinion addressed. This Finance Bill also includes GST amendment.

Madam, with the introduction of this Bill, it seems that for the first time since the advent of the new indirect tax regime, the Government has sought to bring amendments to the GST legislation through the Finance Bill.

HON. CHAIRPERSON: The time lost has been counted and more than that also has been counted.

PROF. SOUGATA RAY: Thank you Madam, you have been very kind and you are generally kind. ...(*Interruptions*)

This poses with some questions as to whether the Government can amend the GST law by including the proposal in the Finance Bill. Would this be a trend of the Government to introduce amendments to GST legislation during the Union Budget subject to GST Council recommendations? Above all, can the Government propose any amendment in the Bill which goes beyond the recommendations of the GST Council? This is an important point. GST is the representative of federalism. Now, if you include GST amendment in a Finance Bill which cannot even be discussed in the Rajya Sabha, you are actually taking away the powers of the GST Council and of federalism. What you should have done is to bring a GST amendment Bill separately. So, that would be discussed in both the Houses of Parliament. Now, putting GST amendment into this, is something that I strongly oppose.

There are only two things which have to be supported in this Budget.

One is that they have removed the customs duty on defence equipment. It is good, if it is needed for the country.

The other thing is that they have clarified the matter with regard to Angel Tax as far as the start-ups are concerned.

I think this will help the new Start-ups. Overall, this Budget does not give any direction to the people. It will not release the animal spirit of entrepreneurship in the country. It will not take the country to a five-trillion-dollar economy. It will not relieve the farmers, who are committing suicide, from their extreme misery. It will further exacerbate and hand over the family silver to private parties like selling of Air India and shedding of Rs.1,09,000 crore of

shares of Public Sector Undertakings to private parties. That is why, we shall fight against this Bill.

Why are we not stopping to protest? To quote what Nazrul Islam said:

"Ami sheidin habo shanto, bidrohi ranoklanto Jedin utpiriter krandanrol akashe batashe dhonibe na Atyacharir khargokripan bheem ranabhume ranibe na Ami shei din habo shanto, bidrohi ranoklanto".

So, we shall not be quiet. Stop, they are tortured. That is why, I oppose the Finance Bill *in toto*.

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): माननीय सभापित महोदया, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक महत्वाकांक्षी बजट इस सदन में पेश किया और अपने लम्बे भाषण के दौरान एक बार भी पानी पीने का काम नहीं किया। यह दर्शाता है कि इस बजट के जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उनके अन्दर पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है।

इस बजट में इन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। इसमें स्टार्ट अप्स के बारे में योजना है या हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना है, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिससे इस देश का एक-एक नागरिक, एक-एक घर लाभान्वित होने वाला है। उस महत्वाकांक्षी बजट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस फाइनेंस बिल के माध्यम से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स और टैक्स के जो प्रस्ताव लाए गए हैं, हम उनका पूरे तौर पर समर्थन करते हैं।

उनका लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर अमेंडमेंट्स लाना होगा। अमेंडमेंट्स क्या आए हैं? इनमें ब्लैक मनी पर हमला है, मनी लांड्रिंग पर हमला है और बेनामी सम्पत्ति पर हमला है। पीछे भी इन्होंने नोटबंदी की, जिसकी अभी सौगत राय साहब चर्चा कर रहे थे। नोटबंदी का फायदा हुआ या नहीं, यह तो आप जोड़ते रहिए, लेकिन कई राज्यों में आप लोगों का और आपके गठबंधन का सफाया हो गया। आपको उसका पता चले या नहीं चले, आम जनता को उसका पता चल गया।

मैं आपको एक बात बता दूं। जब नोटबंदी हुई थी, तब मैं मुंबई गया था। मैडम, एक उदाहरण दे रहा हूं। एक ठेले वाले से हमने पूछा कि नोटबंदी से आप लोगों को बड़ा घाटा हो रहा होगा, क्योंकि पैसा नहीं चल रहा है? उसने कहा कि हम लोग बड़े खुश हैं। हमारे पास भी पैसा नहीं है और मर्सिडीज पर जो चल रहा है, उसकी पॉकेट में भी पैसा नहीं है। यह स्थिति है। आम लोगों का समर्थन नोटबंदी के प्रति था। ...(व्यवधान) आप हल्ला करते रहिए, चिल्लाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्लैक मनी पर हमला हुआ है। हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जब चौकीदार मजबूत होता है, जब चौकीदार कड़क होता है, तो पीछे जो इधर-उधर करने वाले

लोग हैं, उनमें छटपटाहट होती रहती है। उनकी चिंता छोड़ कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढिए।

हम सारे संशोधन कर समर्थन करते है, समय कम है। बिहार में उनके गठबंधन के लोगों का डिफेंस कॉलोनी में मॉल बन रहा था। पूरे देश और दुनिया में सम्पत्ति थी, इन सब को पता है, उसके समर्थन में खड़ा हैं और कह रहे हैं। इन्फोर्समेंट डॉयरेक्टरेट और सीबीआई जानबूझकर फंसा रही है। इन्फोर्समेंट डॉयरेक्टरेट और सीबीआई साक्ष्य के आधार पर कोर्ट गई है, आप कोर्ट चले जाइए, कहां इधर बाहर झटपटा रहे हैं। आजकल पब्लिक को स्टेटमेंट देने से वह नहीं समझने वाली है।

हम कह रहे हैं कि इनको छटपटाहट होगी और उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार ने आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी काम हो, उसे आगे करना चाहिए। मैं सिर्फ सरकार को सलाह दूंगा। मेरी सलाह है कि जो टैक्स अमेंडमेंट्स के माध्यम से आप लोगों पर डाल रहे हैं, हम टैक्स कलैक्टिंग एजेंसी के बारे में सलाह देना चाहते हैं, टैक्स कलैक्टिंग एजेंसी को पीपुल्स फ्रेंडली बनाना चाहिए, लोगों को उसके प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश में 85 प्रतिशत लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं। अगर एक ईमानदार आदमी को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया, वित्त मंत्री जी ने दो घंटे के बजट भाषण में एक गिलास पानी नहीं पिया, लेकिन उसको एक नोटिस मिल जाने पर वह पांच बार पानी पीएगा। पन्द्रह परसेंट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको छटपटाहट है, पन्द्रह परसेंट लोग आराम से सूटबूट पहन इनकम टैक्स ऑफिस जाते हैं और अपना काम करा कर निकल जाते हैं और जो 85 परसेंट लोग हैं, जब वे इनकम टैक्स ऑफिस जाते हैं और जातो हैं तो उनको परेशानी होती है। आप इसे पीपुल्स फ्रेंडली बना सकें तो यह सबसे बेहतर होगा। आज देश में ऐसी धारणा बन गई है कि टैक्स लिया जाता है, टैक्स लिया नहीं जाता है, टैक्स देना है, इस तरह की प्रेरणा पैदा करने की भावना है। आज लोग मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थल जाते हैं, करोड़ों रुपये दान देकर चले आते हैं लेकिन सरकार के खजाने में उन्हें टैक्स देने में

डर लगता है। अगर एक बार टैक्स दिया तो कहीं दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें। उसको आप जितना पीपुल्स फ्रेंडली बना सकें तो आम लोगों के मन में यह भावना पैदा होगी कि अगर हम टैक्स का पैसा देने जा रहे हैं तो कोई हमें तंग नहीं करेगा, तबाह नहीं करेगा।

जीएसटी की चर्चा हो रही थी। जीएसटी का हमारी पार्टी ने, जब यूपीए की सरकार थी और जीएसटी ला रही थी, तब हमारी पार्टी ने जीएसटी का समर्थन किया था। जिस समय जीएसटी आया था, उस समय हम एनडीए के पार्ट नहीं थे। हमारी पार्टी एनडीए की पार्ट नहीं थी। लेकिन हमारी पार्टी ने जीएसटी का समर्थन किया था क्योंकि जीएसटी एक सही कदम है और टैक्स चोरी को बचाने के लिए सही रास्ता था, एक सुलभ रास्ता था। आज जीएसटी के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि जीएसटी के बारे में कई भ्रांतियां हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जीएसटी नहीं देना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ जीएसटी देना चाहते हैं। जो छोटे व्यपारी हैं, वह भी जीएसटी देना चाहते हैं। जीएसटी के हिर्ट भरने और जमा करने में कई तरह की भ्रांतियां हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि जीएसटी के बारे में जितना साधारण से साधारण सिस्टम हो, उस सिस्टम को लागू कीजिए ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके कि आप जीएसटी जमा कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज अगर कोई जीएसटी रिटर्न गलत भर देता है, उसमें दो तरह के लोग हैं, एक विलफुल डिफॉल्टर हैं। जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उस पर जितनी सख्ती कर सकते हैं, आप कीजिए। जो इनोसेंट डिफॉल्टर हैं जिनकी गलती या नहीं जानकारी के कारण जीएसटी के रिटर्न फाइल में गलती होती है, उसे बाइफरकेट कीजिए। उनको परेशानी नहीं हो।

अंत में, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। रघुराम राजन कमेटी की बात आंध्र प्रदेश के साथी भी उठा रहे थे। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठी हैं, अनुराग जी, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भी यहां हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट पिछड़े राज्यों के बारे में है, उस पर आपको फैसला करना चाहिए। आप पिछड़े राज्यों को आर्थिक मदद दीजिए। जब तक

पिछड़े राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। जब तक पूरा देश विकसित नहीं होगा तब तक हमारा देश दुनिया में विकसित देश के रूप में नहीं जाना जा सकता। मैं पिछड़े राज्यों को मदद करने की अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Madam, I thank you for giving me the time to speak on the Finance Bill, 2019.

At the outset, I would like to thank the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman and MoS, Shri Anurag Thakur for presenting the first Budget of NDA Government of 17th Lok Sabha headed by hon. Narendra Modiji. This Budget is committed to the development of the country. I rise here to speak on Finance Bill and support the Budget with my request for certain provisions of additional allocation in respect of overall development of Mumbai to develop it as a world-class city.

Madam, as is very well known, Mumbai is the primary economic engine of India with the presence of several international and indigenous businesses and thus, regarded as the financial, industrial, commercial and celluloid capital of India. Mumbai is home to various multinational companies and financial market players such as foreign institutional investors and bankers. This gives us an opportunity to develop it as an international city, for which norms have been drawn up.

Surprisingly, Mumbai has the highest percentage of slum-dwellers among the metropolitan cities and it requires the setting up of a Mumbai Development Plan Implementation Authority which must be funded by the Central Government. For a proper development process, lands are being planned and earmarked for public utility services such as hospitals, community centres, schools etc. However, since the land belongs to the State and Central Governments and some private persons, there has been an unending delay in

handing over the same to MCGM. I feel proud to say that Mumbai city alone contributes 30 per cent of total tax revenue to the Exchequer. So, implementation of 100 per cent development plan for Mumbai is very much necessary. Therefore, for a planned and holistic land development of Mumbai, a special package of Rs. 14,00,600 crores may be sanctioned and released at the earliest.

Madam, Mumbai's public buses run by BEST have been in trouble, with footfall of passengers gradually decreasing. Due to this, the BEST is running in huge losses up to Rs. 1,100 crore today. Therefore, I request the hon. Finance Minister to allocate Central fund of Rs. 2,000 crore to the BEST for smooth operation of its services.

Hon. Finance Minister, in her speech, stated that the Government's focus is on making India a digital economy and with the focus of achieving this goal, the Minister provided various measures by which cash transactions charges could be reduced, including TDS on cash withdrawals over one crore rupees. However, there has not been any significant development in making digital payments accessible to the under-privileged sections of the society that predominantly use cash for their transactions. The highest percentage of cash transactions is of small denomination transactions, and in order to make the country a truly digital economy, the Government must adhere to a bottom up approach by educating the masses about the benefits of digital payments along with developing ways to incentivise digital payments.

Madam, hon. Prime Minister has a vision to make Mumbai slum-free by 2022. Mumbai's real estate development comprises of two categories. Yet in reality, banks are majorly limiting themselves to providing financial support to the corporates, while SRA projects in Mumbai are either stopped or progress very slowly. This is particularly problematic considering the fact that Mumbai houses Dharavi which is the largest slum in the country and the developers do not have funds to finish the SRA projects.

NBFCs are giving loans to selected builders charging 19 to 27 per cent interest to selected projects and following the onset of the NBFC crisis there has been a further decrease in the loan disbursement for SRA projects. In 2017, the Maharashtra Chief Minister proposed to the then Urban Development Minister to include SRA projects in affordable housing so that these projects would get project funding from the banks. Consent for the same was sent from the Urban Development Ministry to Finance Ministry, but the advisory is still stuck in the Finance Ministry. Banks are not willing to fund SRA projects. The State Bank of India signed an MoU of Rs. 2,500 crore to various SRA Schemes in Mumbai but not a single rupee has been released in the last two years. Around 42 per cent of Mumbaikars live in slums in unhygienic conditions without proper lighting, air and ventilation. Due to lack of SRA funds, developers investing in projects have been forced to commit suicide due to lack of financial resources made available to them, the most recent case being that of Mukesh Savala who has committed suicide in desperation. There is a

need to take strong steps to bail out stuck slum redevelopment schemes.

Otherwise, Mumbai will never be a slum-free city.

The real estate sector must be recognised as a priority sector by the Reserve Bank of India as well as by other banks and given the 'industry' status, which will ease the project approval process and will attract foreign investments in several forms. As a result, buyers will be able to avail tax benefits and a reduction in stamp duty. Therefore, it becomes pertinent to rationalise the tax slabs to accelerate the growth of housing and construction sector. It is noticed that a lot of Government land is being encroached because of which there is a huge revenue loss. My suggestion in this respect is to make a provision for auditing of Government lands and that should be reflected in the Budget.

My Parliamentary Constituency, Mumbai South-Central harbours all three lines of Mumbai Railways, that is Western, Central and Harbour Lines. Mumbai has an overstressed suburban railway system and, hence, to ease it down, we need provisions for emergency medical care for accident victims, introduction of car rakes to reduce overcrowding, more FOBs and subways to prevent the hazards resulting from crossing railway tracks, CBTC system for signalling. These measures will require substantial amount of expenditure, for which I request the hon. Minister for additional allocations.

I am sure that the hon. Railway Minister, Piyush Goyal ji will agree to the necessity and importance of the suggested measures for the safety of the rail commuters. In addition to this, due attention has to be given to Dadar Railway

Station situated on the Western as well as on the Central Line. Despite demarcation of the railway stations to ensure that hawkers do not overcrowd near the stations, the menace has not been curbed. I hereby propose an overall renovation of Dadar Station and its precincts into a transit hub with appropriate oversight development.

Smaller companies with a turnover of total receipts of up to Rs. 250 crore are subject to income tax at a concessional rate of 25 per cent instead of the regular rate of 30 per cent. The current Finance Bill has increased this ceiling of Rs. 250 crore to Rs. 400 crore. This will bring a large chunk of small companies within the concessional tax rate of 25 per cent, leading to a significant loss in revenue.

I appreciate that the current Finance Bill has provided an additional deduction of Rs. 1,50,000 in respect of interest on housing loans to individuals who will purchase their first house costing up to Rs. 45 lakh. This will help such individuals save tax up to Rs. 45,000 per year.

With a view to ensuring compliance with summons issued and information sought under the Benami Property Transactions Act, it is proposed to provide for levy of penalty for failure to comply with summons to provide information under the Act.

I thank you Madam for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2019. I am sure that the hon. Finance Minister will consider my suggestions and demands in respect of allocation of Central funds for overall development of Mumbai city. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I should have said this in the last but due to constraint of time that we have today, I will first move the amendments. The points that I want to raise relate to 25 per cent of total income which was mentioned here.

The Government has granted a big relief to small companies by reducing the rate of income tax from 30 per cent to 25 per cent. The previous Finance Minister, Shri Arun Jaitley said that we will try to bring down the tax to 25 per cent which will be at par with other Asian countries so that we can become more competitive. It includes the company which has a turnover of up to Rs.400 crore as against the normal rate of 30 per cent income tax which is applicable to larger companies. However, I do not understand the logic as to why this benefit is being extended to companies only. There are many partnership firms and limited liability partnerships which run businesses on small scale. But they are still subjected to 30 per cent income tax. I have an amendment to that effect. If the hon. Minister replies on this, I will be happy.

The second issue relates to 10 per cent customs duty on newsprint. Through this Finance Bill, customs duty of 10 per cent on the import of newsprint is being levied. Earlier, there was no customs duty. Most of the big newspapers and even medium newspapers also import newsprint or they used to import.

The Government has said that it wants a level-playing field for the domestic newspaper industry. But my information is that everything is sold out in the domestic newspaper industry. There is no glut in the market. Still, I fail to

understand the level-playing field which the Government is mentioning. This would put a heavy burden on the industries. According to my information, the customs duty will affect the small and medium newspapers in a very big way. It will also add to the cost as the newsprint is also subjected to 5 per cent GST, last year. This 10 per cent customs duty will put a big strain on the newspaper industry. It will affect the bottom line of newspapers.

Madam, I would just like to mention, not in detail although I have all the information. Initially, Shri N.K. Premachandran said that it is an academic discussion. But I think, it is not an academic discussion. I would go back to the history of 16th Lok Sabha. Some Finance Bills or amended laws were not connected to the taxation regime in the country. In 2016, Monetary Policy Committee was set up through Finance Bill. In 2017, there were changes in the composition of tribunals, such as, Securities Appellate Tribunal and Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal. There were seven other authorities including Competition Appellate Tribunal which were also repealed. This happened in 2017. In 2018, there were 218 clauses, half of which were matters relating to imposition of taxes.

Of course, Prof. Ray stands every time and says that the non-taxable bills should not become a part of the Finance Bill. I have a point here to make. In our Parliamentary system, all bills should go through the detailed scrutiny process. However, in case of Finance Bill which falls in the category of a Money Bill does not go through the similar process. Bypassing this process results in litigation.

Currently, the Supreme Court is hearing several petitions. That questions the constitutional validity of changes made to the structure of composition of tribunals as was done by the Finance Bill, 2017. This is bad and it undermines the role of Parliament.

One thing I would like to mention here. I think today or yesterday, an article has come about this in the newspaper. Parliament is in shackles. Of course, it has different connotations. Our Parliament is not as sovereign as the British Parliament is.

Our Indian Parliament is not sovereign to that extent because whatever law we make is also determined by the court of law, namely, the Supreme Court. So, the final decision is not ours at all. If we bypass the Parliament and bring certain amendments through the Finance Bill, then it is definitely getting challenged in the Supreme Court. This is what is happening now with regard to the 2017 amendments that had taken place. So, it is not only an academic deliberation, which should be made on the Finance Bill. It also impinges on the right of the Parliament and the Parliamentary procedures.

There are two major aspects that I would like to mention here relating to the direct tax and indirect tax. Therefore, I think that the hon. Chair would give me some time as these deals with figures. The Central Government's tax revenue for the financial year ending March 2019, as reported by the Controller General of Accounts (CGA), fell short of the Interim Budget estimates that was presented in February by 0.9 per cent of GDP. The CGA figures show that the

direct tax collection of 2018-19 fell short by Rs. 74,774 crore while those of indirect tax collection were short by Rs. 93,198 crore.

We all know that the economy is not growing as it is supposed to be, but here are the figures of the CGA. These are very well stated and this new Budget estimate for gross tax revenue is Rs. 90,936 crore, which is lower than what was projected in the Interim Budget. This is despite the higher surcharge that is imposed as income tax for those earning more than Rs. 2 crore and a range of hikes levied on customs duties. The gross tax revenue-GDP ratio is budgeted to slip from 11.9 per cent in 2018-19 to 11.7 per cent in 2019-20. While the direct tax to GDP ratio is expected to go from 6.4 to 6.3, the indirect tax to GDP ratio will reduce from 5.5 to 5.3. Significantly higher non-tax revenues have been budgeted than the estimates of the Interim Budget to fill the gap on the tax revenue side.

Very many times when the elections are held in the month of April and May, we are having two Budgets, and we would also get the benefit of comparing those two Budgets. This happened in 2014, and also now in 2019. We also had it before that in 2009, and before that in 2004. So, by having two Budgets in one year, it becomes easier to understand and also to find out how the Government is functioning and how the economy is behaving.

Dividends and profits from Public Sector Enterprises are budgeted at Rs. 1,63,526 crore compared to Rs. 1,36,072 crore in February. This includes an extraordinarily large increase in dividends ...(*Interruptions*)

Madam, I am just on my first point.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Mahtab, you had just five minutes. I have extended it by four more minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yes, I understand, but we sat till 12 o'clock in the night.

HON. CHAIRPERSON: Yes, I know about it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Those were just Demand for Grant of one Ministry. I would urge upon you that this is the Finance Bill, and we hardly go into the details of the Finance Bill. I have already heard seven speeches today, and I think that these are matters that need to be deliberated. This is the place where we can do it. Otherwise, it does not get discussed in the Standing Committee of Finance either, where we discuss about the policy.

Madam, I will just quickly run through the points. This includes an extraordinarily large increase in dividends from the RBI from Rs. 68,000 crore it paid last year, and this year it is mentioned that it will be Rs. 90,000 crore.

16.00 hrs

I think, today Supriya *ji* would help me out. It should be given in stages, not in one go. That has also come out.

The basic question which has haunted me is this. Why have exports today hardly grown? The Government should answer this. Is it because India is a high cost economy that cannot compete with the Asian peers? Land, labour, capital, electricity, freight rates, corporate tax, income tax all add up to the higher cost. We need to make our products competitive. Former Finance Minister, Shri Arun Jaitley had said that India would cut its corporate tax to 25

per cent to compete with other Asian countries. Has this vision been abandoned? Corporate tax is yet to be cut for large companies with a revenue of over Rs.400 crore. The amendment deals with that, which I am going to move. In any Asian country, corporate tax has fallen today to 15 to 20 per cent. Today, we are still stuck at 30 per cent. The new peak income tax rate today in our country, which is 42.7 per cent, is a clear disincentive.

Foreign portfolio investors organised as trusts suddenly found they have to pay 42.7 per cent tax, and have started exiting. I had put a question when I was discussing about the Budget. Why is the market crashing? Why is the stock market crashing? Here is the answer. I didn't get the answer during that time. This has brought crash in the stock market. Many Indian businessmen are moving out to low tax haven countries like Singapore, Dubai and some other countries. Corporate promoters would keep profits in companies instead of distributing them as dividends that are highly taxed because the policy is anti-dividend today.

India's history of tax reforms - since the time of Dr. Manmohan Singh, when he was the Finance Minister – revolved around making rates more reasonable and reducing the scope of arbitrage. After zero tax for those earning up to Rs.5 lakh, the tax rate jumps to 20.8 per cent. For those whose income is even a few lakh over five lakhs, they would find ways to try and lower their taxable income to below Rs.5 lakh. Study shows that authoritatively if there is one percentage point cut in the average tax rate, compliance increases by over six percentage points.

HON. CHAIRPERSON: Shri Mahtab, ten minutes time has been given.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, I have just completed 12 minutes to be specific.

HON. CHAIRPERSON: We have no time. At 5 o' clock, the reply has to start. There are many Members to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Please give me five minutes.

HON. CHAIRPERSON: One minute.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: A simple calculation can throw some light. Madam, 81,344 individuals reported earnings of more than Rs.1 crore in the financial year 2017. Madam, 4.5 to 5 million go abroad on holiday every year. A research agency estimates the number of those earning over Rs.1 crore at around 6.4 lakh in the financial year 2016, and those earning between Rs.50 to Rs.100 lakh at 11.6 lakh. Yet, 1.4 lakh persons have declared this to be their income in the financial year 2016. Yes, the number of individual tax filers rose from 42.9 million in 2015-16 to 64.3 million in 2017-18. Personal tax collections have risen. Now, transactions are being brought under tax withholding net; assault on black money is going on. Attempt is being made to move towards cashless economy.

I come to the total indirect tax collections, which is estimated to be Rs.11,19,247 crore in 2019.20. The Government has estimated to raise Rs. 6,63,344 crore from GST.

Madam, I am coming to my last point. I am not going into the details of the indirect tax. However, I would like to know from the Government that when

this tendency to levy cess is going to have a sunset clause. A cess is levied on the tax payable and not on the taxable income, in a sense, for the tax payers, it is equivalent to a surcharge on tax. We have infrastructure cess on motor vehicles, clean environment cess, Krishi Kalyan Cess for improvement of agriculture etc. and education cess. It was an older regime which had started cess since 2004 and it is getting mounted. All the cesses are credited to the Consolidated Fund of India to meet specific socio-economic goals. A cess is preferred over a tax. In this Budget, 4 per cent health and education cess has been announced which incorporates the previous 3 per cent of education cess as well as an additional one per cent to provide health facilities to rural families.

The data show that when tax proceeds increase, the cess collected also rises.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ritesh Pandey.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, let me complete. It will take hardly two minutes. You did not give me five minutes.

HON. CHAIRPERSON: I did give you five minutes. There are many Members after you who have to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The data show that when tax proceeds increase, the cess collected also rises. From the inception of the education cess since 2004 till 2019, the total proceeds have been

Rs. 4,25,795.81 crore, but it is more shocking that this fund has remained

dormant as of March, 2018. We cannot say that till 2014, the funds remained dormant but till 2018 also, the funds remained dormant.

HON. CHAIRPERSON: Bhartruhari ji, you have made your point. Now, Mr. Pandey.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: We need to know why the funds remained dormant for such a long time since a cess is introduced with a specific purpose.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Mahtab, 18-20 minutes have already passed. Let Mr. Pandey take over because there are many Members who have to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: From 2004-19, around Rs. 5 lakh crore is lying dormant with the Government. At least, they have to answer.

HON. CHAIRPERSON: It has already come on record. Nothing will go on record now.

...(Interruptions)...*

-

^{*} Not recorded.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): महोदया, मैं फाइनेंस बिल पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने दो घंटे के भाषण में पानी तक नहीं पिया। इसका बहुत सीधा जवाब है और मुझसे विरष्ठ हैं, इसलिए बुरा नहीं मानेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने पानी इसलिए नहीं पिया, क्योंकि टैक्स के भाषण में उन्होंने किसानों और गरीबों का ...*, इसलिए उनसे पानी नहीं पिया गया।

HON. CHAIRPERSON: This will not go on record.

...(Interruptions)...*

माननीय सभापति: यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी, ऐसा मैंने बोल दिया है। आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सभापित जी, मैं यह बात इसिलए कह रहा हूं क्योंकि यह जो दो परसेंट टीडीएस का सरचार्ज लगाया गया है, यह पूरी तरह से किसान विरोधी है । इसके लिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा । अगर मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर को ही ले लिया जाए, वहां एक आढ़ितया तीस किसानों से एक हजार बोरी चार हजार के रेट से यदि खरीदता है, तो मान्यवर एक हजार बोरी चना सीध-सीधे चालीस लाख रुपये का होगा । यह एक दिन की खरीद है । यदि आप 120 दिनों का पीक सीजन लेते हैं, तो 120 दिनों में यह हिसाब करोड़ रुपयों में चला जाता है । यह सारा का सारा पैसा किसानों को नकद में दिया जाता है । जब नकदी के ऊपर दो परसेंट टीडीएस चार्ज किया जाएगा, तो जायज बात है कि आढ़ती इसका पूरा का पूरा नुकसान किसानों पर डालेगा और किसानों से कटौती करेगा और किसानों का सामान सस्ते में खरीदने का काम करेगा । यह बहुत बड़ा किसान विरोधी कदम है।

आजकल किसान खेती में बिल्कुल पैसे नहीं कमा पाता है। आज आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चले जाइए, सभी ने अपने-अपने घरों में बकरियाँ या भैंस या गाय पाल रखी हैं तािक वे

-

^{*} Not recorded.

उससे कुछ धन कमा सकें। गाय, बकरी और भैंस के खुले बाजारों में जाइए, वहाँ नकदी में खरीद होती है। जितनी भी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ हैं, जो इन जानवरों की खरीद करती हैं, भले ही उनके पास रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं, उन ट्रेडर्स को तो वे आरटीजीएस से पैसे देती हैं, लेकिन यही ट्रेडर्स जब एक हजार से पन्द्रह सौ भैंसें खरीदते हैं, तो वे करोड़ों रुपये किसानों को सीधे देते हैं। आप इस पर भी टीडीएस का दो पर्सेंट सरचार्ज लगाएंगे। आप बताइए, आप किसानों का क्या हाल करेंगे? मेरा मानना है कि दो पर्सेंट टीडीएस का सरचार्ज बेबुनियाद है और किसान विरोधी है। यह पूरी तरह से किसानों को और दबाने के लिए बनाया गया है। वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसको हटाना बेहद जरूरी है।

यह दो पर्सेंट का सरचार्ज 194 N के रूप में टीडीएस में आया है। मैं इसको भी रेकॉर्ड पर डालना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है, यहाँ पर आदरणीय एमओएस बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे इस पर जरूर ध्यान दें। अभी आदरणीय महताब जी ने बड़े ही विस्तार से उस पर चर्चा की थी। मैंने अभी गरीबों की बात की। अब हम लोग थोड़ा हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स की भी बात कर लें।

Madam, surcharge on annual income between Rs.2 crore and Rs.5 crore has been increased to 25 per cent and now the tax has gone up to 39 per cent which previously was 35.88 per cent. Mr. Mahtab said this and I fully agree with him. I am not going to shed too much light on this but it is certainly going to result in a brain drain from this country. When you have a tax burden of 42 per cent and 39 per cent on salaried people who provide money to the economy and enable it to move forward by giving huge amounts of money in the form of taxes, do you think they will stay in this country given the fact that we do not have even fresh air in the country? The quality of air, the quality of life is terrible. That being the case, how do you expect these individuals to pay

such high taxes and stay in this country? So, my appeal to the hon. Minister of State for Finance is to also look into this.

I would refer to the Laffer Curve of taxation which shows that there is an optimum level of tax that you have to put. If you charge lower, there will be not be enough tax. But if you charge higher, you will have people avoiding the tax bracket by evading taxes. When you charge tax up to 42 per cent, all these people who fall into this bracket are rich enough to employ the right kind of lawyers, the right kind of Chartered Accountants who will find loopholes to get away from it.

Clause 8 of the Bill seeks to amend Section 13A of the Income Tax Act. There is capital gains tax which has been exempted on political parties. Income from voluntary contributions will not come under this. Madam, there is a provision that has been made which allows the Government to even take money through other digital means. So, in the future, you are opening it up for blockchain also to give money to political parties which will not be traceable. So, what the Government is trying to do here is trying to cover the money that comes in the form of donations. This is a serious flaw and it has to be looked into.

I thank you for allowing me to speak here. I will finish with what I said in my speech the other day कि यह सरकार किसान विरोधी है और इस सरकार ने किसानों के हित में कोई डिसीजन नहीं लिया है। इसलिए यह सरकार किसानों के लिए बेसुध और बंजर साबित हो रही है। आपने मुझे इस विषय पर यहाँ बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय सभापति महोदया, मेरी पार्टी को दो घंटे का टाइम एलॉट है और अभी तक केवल 30 मिनट हुए हैं।

अपनी पार्टी की तरफ से मुझे फाइनेंस बिल 2019-20 पर बोलने का मौका मिला है। महोदया, भारतीय महिलाओं में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। महिलाएँ अपने कैरियर में कितनी भी आगे चली जाएँ, पर वे अपना घर अच्छी तरह से चलाना कभी नहीं भूलती हैं। मैं माननीया मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत बधाई दूँगा कि उन्होंने बढ़िया तरीके से देश चलाने के लिए यह वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 एवं अन्य विधानों में संशोधन किये हैं और उससे अपने देश की तिजोरी बहुत ही कायदे से भरी है।

इसके साथ ही भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत ही मज़बूत औद्योगीकरण की नींव रखी है।

महोदया, जिस प्रकार से विभिन्न सामानों पर आयात कर लगाया गया है, हमारे पिछले एक वक्ता एतराज़ कर रहे थे कि इतने टैक्सेज़ क्यों लगे हुए हैं। ये टैक्सेज़ लगने ही चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य 'मेक इन इंडिया' है। अगर 'मेक इन इंडिया' को सक्सेसफुल बनाना है तो हर हालत में हमें बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगाना होगा, जिससे हम दस वर्षों में विश्व के प्रथम तीन औद्योगिक देशों में आ सकें और हम आएंगे, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है।

इस फाइनेंस बिल के माध्यम से बिना किसी को कष्ट दिए हुए इतना टैक्स जमा किया जा रहा है, जिससे हमारे यहां के जो गरीब, मज़दूर और किसान हैं, उनको मिनिमम सहूलियतें बहुत ही अच्छे से दी जा सकें, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। यह तब ही हो सकता है, जब देश में एक गरीब का बेटा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में सत्ता के शीर्ष पर बैठता है और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने स्वाभिमान के साथ ज़िंदा रह सके, स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का पालन कर सके। यह सोच केवल मोदी जी की हो सकती है।

16.16 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)

मैं कभी-कभी सोचता हूं कि मोदी जी का जो मूल मंत्र है, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' इससे किसी को क्या तकलीफ होती है। मुझे ध्यान आता है कि वर्ष 2014 में जब चुनाव चल रहा था, तब माननीय मोदी जी ने एक और बात कही थी - न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इस पर हमारे विरोधी दल ज़्यादा शोर नहीं मचाते, क्योंकि वे जानते हैं कि जनता ने इनको हमेशा खाने का मौका देने से अब महरूम कर के रख दिया है, लेकिन एक बात जो मोदी जी नहीं बोलते हैं, जिससे हमारे विरोधी दलों को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, वह बात है - न खाऊंगा, न खाने दूंगा और जिसने पहले खाया है, उसको पचाने भी नहीं दूंगा, यही हमारे विरोधियों को सबसे ज़्यादा कष्ट देता है।

महोदय, नोटबंदी, इनसॉलवेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड, वर्ष 2011 से इनकम टैक्स का सर्वे, बेनामी संपत्ति कानून, काला धन और कर आरोपण अधिनियम, देश के आरोपित अफसरों का ज़बरदस्ती रिटायरमेंट, ये सारे मोदी सरकार के ऐसे काला धन विरोधी फैसले हैं, जो हमारे विरोधी दलों के पेट में दर्द होने के लिए मजबूर कर देता है। आज हमारे विरोधी दल के नेता बोल रहे थे, उन्होंने कह दिया कि फाइनेंस बिल पर लोक सभा अध्यक्ष की रूलिंग डैरोगेट्री हो रही है। माननीय वित्त मंत्री ने जब संशोधन प्रस्ताव किया तो माननीय सदस्य ने कहा कि यह लोक सभा का अपमान है, इतनी देर में इतने संशोधन क्यों दिए जाते हैं। यहां तक कि विरोधी दल के वे नेता जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो बार-बार पूछ रहे थे कि उनके बगल के दो लोग जेल क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूं। समझने के लिए तो सब समझ गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाक्रर): आप विपक्ष के नेता बोल सकते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : मैं विपक्ष के नेता नहीं बोल सकता हूं, उससे मैं टैक्निकली फंस जाऊंगा। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय कानून में इतनी अधीरता बहुत अच्छी बात

नहीं है। भारत का कानून ऐसा है कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या हो गई और 21 वर्ष तक यही तय होता रहा कि हत्यारों को फांसी दी जाए या आजीवन कारावास दिया जाए। आपके नेता जेल में नहीं हैं, पर बेल पर हैं। आप इससे निश्चिंत रहिए, भारत की न्यायपालिका में देर है, अंधेर नहीं है। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, इसका हम लोगों को भी आप ही की तरह पूरा विश्वास है। उस दिन बार-बार वे यही प्रश्न उठा रहे थे।

महोदय, अगर ईमानदार लोगों की बात की जाए तो यह सरकार जो टैक्स रिफॅम्स लेकर आई है, वह ईमानदार लोगों के लिए किसी ईश्वरीय आर्शीवाद से कम नहीं है। इस देश में पुरानी सरकार के समय आम नागरिक बिना चढ़ावा चढ़ाए अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं ले पाता था। वह आज आश्चर्य करता है, जब उसका इनकम टैक्म रिफंड, जीएसटी रिफंड, उसके बैंक अकाउंट में चला आता है। इससे उसे बहुत आश्चर्य होता है कि मोदी जी ने यह क्या कमाल कर दिया। दो साल पहले जब 'वन नेशन, वन टैक्स' के तहत जीएसटी आया तो आप याद कीजिए कि उस पर बहुत लोगों को एतराज़ था, उनको एतराज इसलिए था, क्योंकि पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया था।

उन लोगों को लगता था कि हम ईमानदारी से टैक्स भी देंगे और विभागों को चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने मोदी सरकार का कार्य देखा और यह देखा कि ईमानदारी से इनकम टैक्स और जी.एस.टी. भरने पर किसी विभाग से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है तो वे सब आज खुशी-खुशी भारत सरकार के साथ हो गए हैं, जिसका नतीजा है कि वर्ष 2019 का चुनाव हम लोगों ने इतने बड़े मेंडेट के साथ जीता है। इस बार नये फाइनेंस बिल का प्रोविजन आया है। उसमें इलैक्ट्रोनिक माध्यम से फेसलैस आकलन की इतनी बड़ी योजना है कि कौन करदाता है, विभाग का कौन अफसर डील करेगा, यह किसी को पता नहीं चलेगा। यह फेसलैस इण्टरफेस होने से हमेशा के लिए विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत देश के करदाताओं का धन्यवाद देने के साथ की। मोदी जी का विज़न बिल्कुल साफ है। जनता ने उनको इतना बड़ा

ऐतिहासिक बहुमत दिया है। हर नागरिक को उसके हिसाब से अच्छी सुविधा मिले, इसीलिए यह फाइनेंशियल बिल समाज को तीन दृष्टिकोणों से देखता है। पहला, अगर आप बहुत अमीर हैं तो आपको कुछ ज्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कमाते हैं, इसी समाज से कमाते हैं तो समाज के छोटे तत्वों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए उस पर ज्यादा टैक्स है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसमें जेल जाने का भी प्रावधान है। अगर पचास करोड़ से ऊपर वाले कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, तो जेल जाने का प्रावधान है। उसी तरह से कैश निकासी के प्रावधान पर कुछ लोगों को बहुत ऐतराज है। कुछ लोगों के धंधे ऐसे हैं, जो कैश से चलते हैं। वे बात तो किसानों की कर रहे थे, लेकिन अपना धंधा बताना भूल गए, जिसमें केवल कैश ही चलता है।

दूसरा, अगर आम मध्यम वर्ग के हैं या साधारण अमीर हैं तो ईमानदारी से टैक्स भिरए। हम लोगों ने 400 करोड़ रुपये तक के लिए 25 परसेंट टैक्स कारोबार के लिए रखा है, जिससे भारत का मेक इन इण्डिया का प्रोजेक्ट पूरा हो सके। इसी के साथ स्टार्ट अप इण्डिया, हाउसिंग लोन में रिबेट्स, इलैक्ट्रिक व्हिकल्स में फायदा आदि। पिछली बार फरवरी, 2019 के इसी साल के बजट में कई सारे टैक्स रिबेट मिले हैं, उसको भी देखने का काम है।

तीसरा हमारा तबका वह है, जिसकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है तो उसका कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप गरीब हैं तो सरकार आपको सारी सुविधाएं इसी टैक्स के माध्यम से मुहैया कराएगी। महोदय, यह सोच भाजपा के हर कार्यकर्ता की है, क्योंकि भाजपा का हर कार्यकर्ता पण्डिल दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय सिद्धांत के आधार पर ही इस दल को ज्वॉइन करता है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जो 100 वर्ष पहले माननीय विवेकानन्द जी ने भविष्यवाणी की थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह सारा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय सीतारमण जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मेरे मित्र श्री अनुराग ठाकुर जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया बजट दिया है। मैं इस फाइनेंस बिल 2019-20 का पूर्ण समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity. I would like to remind this House that the hon. Prime Minister, after getting the first mandate, had said that the aspirations of the States would be taken care of. The other day, the hon. Finance Minister in her address also said that the dynamics of the Centre and States will be rejuvenated. But we could not see any of these things in the Budget.

The people of Telangana are deeply anguished because there is no inclination for Telangana in the Budget which was presented in this House. Whether it is the Central Government or the State Government, the focus is to develop social security, infrastructure, and the rural economy. If we look into all these aspects, the hon. Finance Minister has allocated Rs. 10,000 crore for pensions by giving Rs. 200 per head per month. Our hon. Chief Minister, who has a very big heart, has allocated Rs. 11,000 crore for a small State like Telangana. He has given Rs. 2,016 for old age persons and Rs. 3,016 for differently abled persons. This is how a commitment has to be fulfilled. Out of Rs. 11,483 crore which were spent on pensions, the Government of India has given only Rs. 203 crore.

When it comes to infrastructure development, *Har Ghar Jal* is a very good project which is being taken up by the Central Government. But the hon. Finance Minister has allocated only Rs. 10,000 crore after identifying 260 districts in a country, whereas my hon. Chief Minister, who has a very big heart, has allocated Rs. 40,000 crore and he has finished giving piped drinking water to each and every household.

You need a big heart and commitment to come up with projects like this. Mission Kakatiya helps in rejuvenating all the tanks and lakes. These two iconic projects of the State of Telangana were highly appreciated by the NITI Aayog, which is a pet project of the Centre. NITI Aayog has recommended Rs.24,000 crore for the State of Telangana, but not a single rupee has been given. I would request the hon. Finance Minister to look into this.

So far as the Kaleshwaram Project is concerned, our hon. Chief Minister has allocated Rs.70,000 crore for this project. We were requesting that a national status be given to this project but it was not agreed to. Our Chief Minister was kind enough to dedicate this project to the Centre. I would request the hon. Finance Minister to consider giving national status to at least the Palamuru Rangareddy project, which is going to come up soon.

As a small State, we have limitations of our own Budget. We should not be deprived of the allocations that we are asking from the Centre in the form of help to a newly formed State. We have a young Minister of State sitting here. I wish to propose that whichever State performs best in the coming year, at least it should be identified and given special development schemes.

I feel Telangana was the best performing State last year. We have spent almost Rs.2 lakh crore each on the welfare schemes and development schemes. If such young States are considered as showcase States, the target of the Finance Minister to reach the five trillion dollar mark, which is our aim also, will definitely be achieved.

Under the housing scheme of Telangna, 1.95 crore houses are being planned for poor. I keep repeating that our Chief Minister has a big heart. To uphold the dignity of the poor, he has come up with a 570 square feet Double Bedroom Housing Scheme - with two bed rooms, one toilet, one kitchen and a separate master bed room - for the poor. That should be the commitment of a Chief Minister. I would request that the criteria may be relaxed.

With regard to the Prime Minister Gram Sadak Yojana, which envisages to consolidate 1,25,000 Km of road length in the States, money is lying idle with the executing agency. I would request the Finance Minister to look into this.

When it comes to the surcharge in income tax or when cess on petrol or diesel is increased, the excise duty is supposed to come to the State, but it is not being considered.

The tax net was increased from Rs.250 crore to Rs.400 crore. It has come down from 30 per cent to 25 per cent. I appreciate this but I would request the Finance Minister to look into the other aspects also. A company which has a bigger turnover may have less profit. They are being forced to pay 30 per cent tax, whereas a company with a little turnover is being given exemption. I feel that instead of turnover, profit has to be considered while finalising the tax net.

It is not an exaggeration when I say that experts in many channels said that all the schemes announced by the Finance Minister have already been implemented in Telangana; be it PM-KISAN, which is a copy of Rythu Bandhu

scheme or Har Ghar Jal Yojana, which is a copy of Mission Bhagiratha, and the list goes on.

In terms of allocation, Telangana has been asking thousands of crores, whereas we have got just Rs.280 crore for the IIT, Hyderabad, Rs.120 crore for the Phase-II Outer Ring Road, and only Rs.8 crore for the tribal university. There is no mention about the Kaleshwaram or any of our iconic projects. I would request the hon. Finance Minister to consider the Regional Ring Road proposals also.

With these words, I hope the Finance Minister will give a serious thought to what I have mentioned and take corrective steps in a proper perspective for a better India. Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: The situation here is, we have another twelve Members to speak. By 6 o'clock the discussion has to conclude. I am very poor in mathematics, but I think five minutes to each Member would suffice.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I have been listening to this debate; it has been an interesting debate because from our side, hon. Members are talking on the Finance Bill, but the two hon. Members from the Treasury Benches have only tried to explain to us about how corruption has happened and how they are going to react to it. It is actually surprising that they have conveniently forgot the history and the continuous amount of work that several Finance Ministers have done for decades before.

I would just like to remind them that 1991 was really the first time the economy opened up under the leadership of hon. Prime Minister, late Shri P.V. Narasimha Rao Ji and former hon. Finance Minister, Dr. Manmohan Singh Ji and that was really the game-changer of India's economy.

I was listening to Dr. Jaiswal when he was speaking. It was a very interesting comment that he made about several allegations that people make. I would just like to remind him and Shri Dubey who both spoke a lot about PMLA. It is a just gentle reminder. They have not taken the high morality of eradicating corruption from this country. It is just a gentle reminder to both of them, very humbly, that PMLA was first brought in by our Government and not by their Government. We were all a part of this House. I do not make it personal. But I do remember the speeches that all of them had made. So, I think, lets stick to why we are all here. Clearly, the markets have not realised, they keep talking about. I think in the last five years under this Government, the markets were really booming. So, that was really a big plus point for them.

But I would like to gently remind them that this time when the Budget was happening here, the whole day and a week after that, the entire market had collapsed and that shows that this is not a very flattering Budget. It is a signal to this Government that it is not as good as they are thinking in a very insulated manner here.

We were all saying that the numbers were varying in the Budget and in the Appropriation Bill. The hon. Finance Minister said that the Economic Survey is at arm's length. I am not sure what this arm is? It is because I was under the impression, with my little financial knowledge, that the Finance Ministry's arm only makes the Economic Survey. So, I really do not know as to how the Economic Survey can be at an arm's length.

Another point which they have talked about is the high morality. They really want to make a change and clean up the system, which I am very happy about and we welcome it. I think the whole House would want this change. I would like to ask one pointed question to the hon. Finance Minister. In the case of IL&FS, the whistle-blower was nearly put in jail. So, here is somebody who is contributing to improve the situation. The IL&FS is nobody's personal property. It is owned by the Government and by the common man. So, when we are making all these tax reforms and cleaning the system, then what is this Government going to do because that person may not be in jail now, but the charges are not completely dropped? So, you have to make sure that there is a whistle-blower system where they are completely safe and it is not misused

by any Government – it does not matter whether they are sitting on this side or that side.

They are talking about high morality of several things and a lot of allegations were thrown on our side of the Government. I just humbly like to ask this Government about the Panama Papers. We have seen that Mr. Cameroon resigned for it. Mr. Nawaz Sharif also had to go to jail. Pakistan is our neighbour, with whom we are having so many challenges and nobody wants to talk peace with them. So, what is this Government doing, considering that you are looking at cleaning-up the system? I am not sure of these documents. I am not making any allegations. If they could kindly see what they are doing about the Panama Papers.

I would like to explain, in short, the points which you have mentioned. I would just quickly reiterate about cess and tax. The cess is something that the Central Government keeps and the tax is something which they share. But whatever a little knowledge that we are getting from the Media and from reading papers and reports is that the health cess and education cess seems to be jumbled. You have made this point. When there is so much money lying around, why is it not getting utilised? Sir, even I would like to point out the point of CAMPA and USOF. Here we are all struggling for money in our constituency, no matter in which side you are sitting on for connectivity. So, why this money is not getting utilised? It is the same point, Sir, when you spoke about. I would like to reiterate it and I have a pointed question. Are you keeping this money only to manage the Fiscal deficit? What is it for? Why are

you not giving it to the States and why is it not going where it should? I would like to second Shri Mahtab Ji on this and wish to have more clarification on this.

Another quick point is about SEBI and Income Tax. There are several amendments. I remember Shri Chidambaram Ji was the hon. Finance Minister at that time. That was the first time we brought Direct Taxes Code which was brought in by the UPA, just to simplify tax. Like GST, as much credit as they would like to take, it is our Bill. We are happy and we supported it wholeheartedly when this Government brought it. But now there is another committee. I would like to quote Shri Yashwant Sinha Ji because, I think, he was the head of the committee then, when he talked about simplifying tax codes. Now, this Government has another committee. What is done with the old report? So, Shri Yashwant Sinha Ji's work is going to go down the drain. So, why are we not looking at simplifying taxes instead of keep changing it? The direct tax code came during the UPA. We do not want so many compliances. This Government talks about 'Maximum Governance and Minimum Government.'

In that case, if you complicate taxes by bringing in so many amendments, how is it going to work? The IO and AO officers are all just going to get confused and people are actually harassed several times. So, I would urge this Government to re-consider. Even I know they do not like a lot of things UPA did but there are a lot of good things that they had done in that

decade. So, instead of wasting time and doing one more Committee, why do you not relook into what Mr. Yashwant Sinha Ji's committee did? It may help.

The NBFCs and the new regulator is a welcome step. I do not think anybody objects to it but justice delayed is justice denied. For six years, they have been in power. Why have they not looked into all this? Now that you are cleaning up and it starts today, what would happen to the millions of people who have got affected? What are they going to do about all that? So, they need to give us a clear answer.

As regards RBI as a regulator, the NFRA already does this. So, will there be a conflict between RBI powers and NFRA powers? There has to be more clarity from this Government. They should tell us how they are going to handle this.

Mahtab Ji, you talked about corporate tax. I have a slightly different view about high tax. The rich are getting taxed. I am not objecting to it at all. I am a little socialist in this point of view. I think this debate is about disagreement. ...(Interruptions). I am not yielding. We were all in this House when the 2014 Budget was presented. I still remember Arun Jaitley Ji talked about in the 2014 Budget about a flat rate of 25 per cent across the board. I am with you in this that that is a commitment that this Government had made. It is not about rich and poor, but it is about generating wealth and giving it back to our people for nation building. So, if that 25 per cent commitment is taken, it would be wonderful.

I would just like to make two short points which Shri Jaiswal made. He talked very highly about this Government's performance. There are two clarifications I would like to ask. The Minister should reply on his behalf because his colleague has spoken.

The media report says that two lakh people, who are high net worth individuals, have left this country in the last five years. Is that true? If it is true, why are these high net worth individuals leaving this country? How are we going to stop them? It is not just about taxes but it is even about the talent.

Dr. Jaiswal also talked about the rate of interest which is coming. He said the collections are wonderful. It all sounds great but the GST collections are anyway down. The rate of interest on delayed refunds is 12 to 18 per cent. When the Government gives it back to us, it is at 6 per cent. I do not know which numbers he was talking about. You cannot look at the whole Finance Bill in isolation. It has to be looked at holistically in the larger interest to make our economy grow, which unfortunately is slowing.

I would just like to finish by quoting Benjamin Franklin who is one of the founding fathers of the USA. He said, "In this world, nothing is said to be certain except death and taxes'. I would urge this Government to simplify all the tax proposals and make life easier. I am sure if taxes are easier, India can be a 5 trillion dollar economy. We would support them if it is in the interest of making 10 trillion dollar economy. It is always a contribution that everybody makes. Tax plays a huge role in India's growth. So, I would say that let us be a progressive country, a pragmatic country and build a good nation together.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

I rise to oppose the Finance Bill, 2019. Once again, the Budget 2019-20 has let down the aspirations of the people of Andhra Pradesh. There are a lot of issues that the State is facing since bifurcation. There are a lot of issues relating to AP Reorganisation Act also.

In the last five years, only Rs. 1500 crore have been given for our State Capital, Amravati, as against Rs.16000 crore which was mentioned in the Reorganisation Act. We have to build our Capital. This amount of Rs.16000 crore was promised leaving the land part. Now only Rs.1500 crore have been allotted to us in the last five years. There is no mention about it in the present Budget.

As regards Polavaram project which is the lifeline project of Andhra Pradesh what has been allocated till now is only Rs. 6700 crore out of nearly Rs.55000 crore. There is no mention of this project in the Budget. The AP Reorganisation Act talked about metro for Vijaywada city and Vizag city but there is no mention of it in the Budget.

As regards 11 educational institutions which are mentioned in the AP Reorganisation Act, Rs. 12000 crore were to be sanctioned for them. The work has started but only Rs.845 crore have been sanctioned till today. There is no mention of this also in the present Budget.

Sir, there is no mention of the Revenue deficit in the Union Budget of 2019. There was a Revenue deficit of Rs. 16,000 crore when the State of

Andhra Pradesh was bifurcated and it was mentioned in the Andhra Pradesh Re-organisation Act that this amount would be given to the State of Andhra Pradesh. A sum of only Rs. 4000 crore was given in the last Budget. But there is no mention of it in this Budget. Moreover, only a sum of Rs. 21,000 crore has been allocated to the State of Andhra Pradesh which is a very meagre amount.

Sir, I have some concerns with regard to the Finance Bill, 2019. The Finance Bill proposes to charge income tax at 25 per cent for the companies with an annual turn over of less than 400 crore. While welcoming this measure, I would like to submit to the Government that bulk of the MSME entities and partnership firms are still charged income tax at 30 per cent, which I feel is discriminatory in nature. Maximum rate should be the same across all entities. Hence, I would like to request the hon. Minister to look into this matter and bring partnership firms in the 25 per cent tax rate category.

I welcome the measure proposed in the Budget to encourage digital mode of payments. However, looking at the finer points, it appears that the merchant establishments with an annual turnover of more than Rs. 50 crore will be spared by the banks from the cost of digital mode of receipts. Does this mean that the merchants who have below Rs. 50 crore transactions, who constitute a bulk of the trading community will continue to be charged the digital transaction fee which is about 2 per cent? The present legislation seems to be flat and, in my opinion, the small and the medium traders and their customers should be spared from this burden of paying digital transaction fee.

Sir, the other point is on the TDS on cash withdrawals exceeding Rs. 1 crore in a year. When a person, be it a company, or firm or individual withdraws money from its own account no element of income tax is involved in that transaction. Then, how can the Income Tax Department deduct tax from such cash withdrawals? Is it within the powers of the Income Tax Department to collect TDS on such cash withdrawals? Even if TDS is allowed to be deducted on cash withdrawals from banks, how come Income Tax gives credit for TDS to the person? It is because cash withdrawals are not in the nature of income as contemplated under Section 99 of the Income Tax Act. Even if these amounts were to be refunded at a later stage, there would be a huge loss of interest to the person concerned since the IT Department does not pay any interest. According to my understanding, TDS under income tax is to be at source of the income and not at the time of cash withdrawals for spending. It is most likely that TDS is effected when the money is getting credited to the account of the person. If they were to be taxed again at the time of withdrawal, then one has to pay tax two times. I would like to request the hon. Finance Minister to kindly look into this anomaly and withdraw this.

Sir, my last point is about according special category status to the State of Andhra Pradesh. This was a promise made by the former Prime Minister ...* in Rajya Sabha as part of the Andhra Pradesh Re-organisation Act. Our present Chief Minister, ...* when he was in Opposition, he promised to the

_

^{*} Not recorded.

people of Andhra Pradesh that he would get the State of Andhra Pradesh the special category status if people voted him to power. Now, the people have voted him to power and he has become the Chief Minister of the State. In his meetings with the hon. Prime Minister recently, he says that he would have to continuously ask the Government for according this special category status for the State of Andhra Pradesh. It stands as a responsibility of our hon. Chief

Minister and all the 22 MPs of YSRCP for achieving the special category status

for our State ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You do not have take the names. Names should not

be there. It is otherwise a good advice.

... (Interruptions)

SHRI KESINENI SRINIVAS: Sir, I would like to urge upon the 22 MPs

...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions)... *

* Not recorded.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): माननीय सभापित महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया। जो वित्त विधेयक होता है, वह देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कैसे कलेक्ट किया जाए, किस दर से कलेक्ट किया जाए, आने वाले वर्ष में क्या उसका प्रोसीजर हो, उसके लिए लाया जाता है। यह जो कर का प्रस्ताव है, आदिकाल से चला आ रहा है। एक जगह तुलसीदास जी ने बोला है कि-

बरषत हरषत लोग सब करषत लखे न कोइ। तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ॥

टैक्स जो लगना चाहिए, वह सूर्य भगवान जैसे लेना चाहिए कि वह थोड़ा-थोड़ा सब जगह से सोखता है। किसी को मालूम नहीं होता कि कहाँ से कितना पानी सोख रहा है। पानी सोखने के बाद बरसात में वापस देता है ताकि आम जन उस बरसात से हर्षित होए। यह तुलसीदास जी ने बोला है।

मान्यवर, पिछले पाँच साल में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार हुए हैं, उतने सुधार शायद कभी नहीं हुए। आज उन सुधारों का परिणाम है कि ईमानदार टैक्स पेयर स्वाभिमान से जी रहा है। सरकार की करों से आमदनी भी बढ़ रही है। प्रधान मंत्री जी की सोच है कि कोई भी कर कानून इतना जटिल न बने कि ईमानदार जो करदाता है, उसको उसकी अनुपालना में परेशानी हो। उसके साथ-साथ ऐसा भी कानून बने ताकि जो कर चोरी करता है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। यह वित्त विधेयक इसी को दर्शाता है।

सभापित महोदय, जो वित्त विधेयक में छूट दी गई है, उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बोल दिया है। कालाधन और कर आरोपण अधिनियम, 2015 में केवल रेजिडेंट ही इसमें असेसी था, नॉन रेजिडेंट नहीं। नॉन रेजिडेंट का मतलब जो पिछले साल में 180 दिन भारत में नहीं रहा, वह नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर नॉन रेजिडेंट का विदेश में कालाधन है तो उस कानून के तहत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी परिभाषा को बदल कर उसमें

नॉन रेजिडेंट को भी इनक्लूड किया। देश से बेईमानी करके कालाधन कमाकर जो बाहर भाग गए हैं, उनके ऊपर भी यह लागू हो गया है।

कर के दायरे को बढ़ाने के लिए, जो व्यक्ति एक करोड़ रुपये से ज़्यादा बैंक में जमा कराता है या दो लाख रुपये विदेश यात्रा पर खर्च करता है या एक लाख रुपये सालाना बिजली का बिल भरता है, उनकी भले ही टैक्सेबल इनकम न हो, लेकिन सरकार ने उनके लिए रिटर्न भरना आवश्यक किया है। कोई एक करोड़ रुपये जमा कराने वाला टैक्स नहीं भर रहा है, यदि वह रिटर्न भरेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इस तरह से जो कर चोरी करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह कानून है।

दूसरा, कैशलैस असेसमेंट शुरू किया है। जो असेसिंग अथॉरिटी है, वे ई-मेल द्वारा असेसी को क्वेरी पूछेगी और ई-मेल से ही असेसी को रिप्लाई देना होता है। इसमें मेरा एक ही आग्रह है कि कहीं इसका मिस-यूज न हो, क्योंकि जो कर वसूल करने वाली मशीनरी है, वह तरीके सोचती है कि कैसे किस कानून का मिस-यूज किया जाए ताकि करदाता हैरेस हो। इसका मिस-यूज न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसमें पूरी सावधानी रखी जाए। एक करोड़ से ज़्यादा केश विद्ड्रा करता है तो उसके ऊपर बैंक ने 2 परसेंट टैक्स की शुरुआत की है। यहाँ पर भी एक्चुअल प्रेक्टिकल में दिक्कत है, जहाँ पर बैंकिंग सुविधा नहीं है, जैसे मंडियों में कोई भी किसान आता है तो बैंक ट्रांसफर के ऊपर वह लेना नहीं चाहता।

माननीय सभापति: पाँच मिनट हो चुके हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : सभापति महोदय, पार्टी का काफी समय है । अभी तो मुझे जो बोलना है, वह मैंने बोला ही नहीं है । अभी तो शुरुआत की है ।

माननीय सभापति : आपकी पार्टी की तरफ से और भी तीन-चार मैम्बर्स बोलने के लिए हैं।
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : दो घंटे के हिसाब से बहुत समय बाकी है। मैं अपनी सीधी बात पर
आता हूँ।

मैं भीलवाड़ा से आता हूं। भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा सिंथेटिक वस्त्र उद्योग का शहर है। मुझे मालूम है कि जीएसटी की दर जीएसटी काउंसिल में तय होती है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में अगर केंद्र सरकार कोई प्रपोजल ले जाती है, तो वह टर्न डाउन नहीं होता है, क्योंकि वन-थर्ड वोटिंग राइट इनके पास होता है और टू-थर्ड राज्यों के पास होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि भीलवाड़ा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर करीब 5 हजार छोटे-मोटे वस्त्र बनाने वाले कारखाने हैं। उनका जो इनपुट है, उस पर 12 पर्सेंट टैक्स लग रहा है और आउटपुट पर 5 पर्सेंट टैक्स ही है। इस कारण से आईटीसी जो है, 5 हजार व्यक्तियों को रिफंड फॉर्म भरने में और उसे भेजने में सरकार को भी दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि अगर यार्न पर ही 5 पर्सेंट जीएसटी कर दिया जाए, तो उसके कारण सरकार पर जो अननेसेसरी बर्डेन आ रहा है और जो टैक्सपेयर्स को दिक्कत हो रही है, वह भी एक तरह से कम हो जाएगी।

मैं एक और महत्वपूर्ण चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक नोटिफिकेशन 2018 में हो गया था – फार्म आईटीसी 04 का। उसको चेंज करना, अमेंडमेंट करने का नोटिफिकेशन 2018 में हो गया, लेकिन आज तक वह अमेंडमेंट पोर्टल पर नहीं डाला गया। इसके कारण जो करदाता है, वह आईटीसी 04 का फार्म नहीं भर पा रहा है। मेरा आग्रह है कि कोई भी ऐसा निर्णय हो, जिसमें फार्म भरने का या कोई सुविधा देने का, तो उसको इमीडिएट पोर्टल पर डाला जाए, ताकि करदाता समय पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें और रिटर्न भर सकें। आज केवल उसके कारण वे रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं। इसे भी सरकार को देखना चाहिए।

महोदय, जैसे आईटीसी जीएसटी के अंदर जमा होती है और किसी ने गलत क्रेडिट ले ली, लेकिन उस क्रेडिट का यूज नहीं किया, फिर भी उसके ऊपर 24 पर्सेंट की पेनाल्टी लगती है, जबिक उसने उस पैसे से कुछ काम नहीं लिया। उससे गलती से टेक्निकल मिस्टेक हो गई। इस बारे में करेक्शन होनी चाहिए। अगर वह उस आईटीसी को किसी का पेमेंट करने के यूज में ले लेता है, तो उसको उसके बारे में छूट मिलनी चाहिए और उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

इसके अलावा अब मैं अपना लास्ट पॉइंट कहूंगा। जीएसटी के अंदर, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों हैं, लेकिन आईटीसी के रिफंड में सर्विस टैक्स को परमीशन नहीं दी जाती है। जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिसमें सभी चार्जेज होते हैं, उस पर पूरा टैक्स लगता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि सर्विस टैक्स की जो आईटीसी जमा रहती है, उसका भी रिफंड करदाता को मिलना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के ऊपर दिलाना चाहता हूँ। मैं मुरादाबाद से आता हूँ, जो पूरी दुनिया में ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है। पूरे देश का तकरीबन 40 परसेंट हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट मुरादाबाद से होता है।

16.54 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

महोदय, मुरादाबाद में तकरीबन 1 हजार एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं और 10 हजार से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। मुरादाबाद शहर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डिक्लेयर किया गया और वहाँ पर एसईजेड भी है। पूरे नॉर्दन इंडिया में एक किमश्रर उसकी देखभाल करता है। आज के दौर में मुरादाबाद का एक्सपोर्टर और वहाँ हैंडीक्राफ्ट उद्योग से जुड़े हुए लोग, क्राफ्टमैन और आर्टिजंस बहुत बुरे हाल में हैं। वे भुखमरी के कगार पर हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो जीएसटी मुरादाबाद के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया गया है, जीएसटी रिटर्न तकरीबन 1,100 करोड़ रुपये इस वक्त बाकी है, जो मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को मिलना चाहिए था। ये ऐसे एक्सपोर्टर हैं, जो तकरीबन 50 लाख या 1 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट करते हैं और अगर 1 साल से उनको जीएसटी रिटर्न वापस नहीं मिला है, तो वे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? इस कारण से बहुत से एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट कंपनीज को बंद करने जा रहे हैं और बहुत से क्राफ्टमैन अपने कारोबार को चेंज करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले एक्सपोर्टर्स को तकरीबन 99.2 परसेंट ड्रॉबैक दिया जाता था। आज वह सिर्फ 2 परसेंट रह गया है। उसके कारण एक्सपोर्ट कम हो गया। जहां पहले मुरादाबाद 16,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट करता था, वहीं आज वह तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये का ही एक्सपोर्ट कर रहा है। इस ड्रॉबैक को खत्म करने के साथ-साथ जी.एस.टी. की भी प्रॉब्लम है। जिस एक्सपोर्टर को जी.एस.टी. रिफण्ड नहीं हो रहा है, उसकी जबर्दस्त प्रॉब्लम उसके सामने है।

अध्यक्ष जी, आज वहां का क्राफ्ट्समैन ऑटो रिक्शा चला रहा है और मजदूरी कर रहा है। मैं आपके माध्यम से बड़े अफसोस के साथ सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारा यह 'स्किल ड्रेन' है। ये लोग नेपाल और दुबई जैसे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां पर हमारे एक्सपोर्टर्स शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक तो 'ब्रेन ड्रेन' होता था, पर अब 'स्किल ड्रेन' शुरू हो गया। इसको रोकना हमारी और सरकार की जबर्दस्त जिम्मेदारी है।

आपके माध्यम से, मेरी यह डिमांड है। चूंकि जब सारी जी.एस.टी. वापस होती है तो फिर लगाई ही क्यों जा रही है? यह जी.एस.टी. न लगे, ऐसी कोई और सूरत निकाली जाए। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ड्रॉबैक 10 परसेंट होना चाहिए और काँग्रेस सरकार के जमाने में जैसे इंसेंटिव मिलता था, वैसे ही 10 परसेंट केश इंसेंटिव एक्सपोर्टर्स को मिले, तािक ये एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ें और देश का नाम आगे बढ़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Speaker Sir, thank you for the opportunity given to me. This time, a peculiar situation is prevailing. Demands for Grants, Finance Bill and allied matters have not been vetted by the Departmentally Related Standing Committees. So, we have to be very careful about that. A meticulous scrutiny by Standing Committees has not been done. As far as these proposals are concerned, before that we have to think about tax proposals made in this Budget: direct and indirect taxes, then cess and surcharge – these are all putting additional burden on the people. Proposals like hike in the petroleum products and its impact are going to come before us. In addition to that, while going through this Finance Bill, there are some plus points also like tax exemption for affordable housing, incentive for start-ups, tax exemption for electrical vehicles, exemption for national pension system. This kind of welcome suggestions are also there.

I would like to say a very important thing with regard to 10 per cent Customs Duty on newsprint. I understand that Prof. Saugata Roy also said about that. This 10 per cent Customs Duty on newsprint has created a very difficult situation for the newspapers. Almost all the small newspapers are going to stop publishing. Not only that, as far as our democratic set up is concerned, we have to engage with the newspapers. The argument in support of this is the development of what is called indigenous production. That is good. At the same time, there is a mismatch between our local production and the demand. The only way is to depend on imports. So, I very strongly appeal

that the Government should do away with this tax and this will help the very existence of our newspapers.

With regard to Direct Tax Code, it was mentioned here, while UPA was in power, we had tried for this during 2009 and 2013. Now, I would like to say that this Tax Code is very much required and it is high time to do it. There should not be any further delay in that.

I would like to say one more thing with regard to Prime Minister's National Relief Fund. It is for giving financial assistance to kidney patients, heart patients and such chronic diseases. You are all taking maximum interest in that kind of things. Actually, under this, for one MP, maximum 35 applications will be considered in a year. It means three applications on an average in a month. We are getting a lot of applications. So, I humbly appeal to the Government to increase the allocation for this PMNRF and thus, save the poor, ill-fated patients.

17.00 hrs

There are just one or two more points. Then, I am concluding.

Certain sections of people like tea, coffee, rubber and spices growers are still neglected. Their interests may also be protected.

Lastly, with regard to survey conducted in Kasaragod, the Government should take the initiative and help us.

Thank you, Sir.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Speaker, I am thankful

to you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill.

On behalf of my party AIADMK, I stand here to support this Finance Bill,

2019.

The amendments proposed by our Finance Minister are with the aim of

bringing fiscal stability and reforms. I appreciate our hon. Prime Minister of

India, Shri Narendra Modi-ii and the hon. Finance Minister for the initiative to

convert our nation into an economic power in the world, particularly in the

continent of Asia.

I welcome the taxation proposals announced by the hon. Finance

Minister. I also welcome the hon. Finance Minister's quote from the Tamil

Classic's Pura Nanooru about the advice rendered by Pisirandaiyaar to the

King Pandian.

Now, I would like to present the expectations of the Government of Tamil

Nadu, which may be included in the Finance Bill. The Finance Bill carries the

taxation proposals of the Government of India for this fiscal year. The main

concern, which Tamil Nadu has been raising repeatedly is that the Central

Government has been resorting to levy of cess and surcharges on various

central taxes including income tax.

HON. SPEAKER: Please conclude.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR: I am just concluding, Sir.

Tamil Nadu's share of the total GST collection in India has been around

7.4 per cent of the total collection of GST since inception. The annual SGST

collection in Tamil Nadu was Rs. 34,442 core in 2016-17, which is 37 per cent. Similarly, it was Rs. 37,897 crore in 2017-18 and Rs. 45,490 crore in 2018-19.

Sir, our State of Tamil Nadu stands third highest in collecting personal income tax in India after Maharashtra and Karnataka.

I register here the concerns of my State of Tamil Nadu regarding share of GST and Centrally Sponsored Schemes. I would request the hon. Finance Minister to consider clearing all dues pending for the State of Tamil Nadu, which would help our State significantly to implement various schemes.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, I rise here to oppose the Finance Bill (No. 2) for the financial year 2019-20.

The amount budgeted to be raised through the surcharge and cess on the direct tax side is Rs. 3 lakh crore. The total projected tax revenue is Rs. 16.5 lakh crore for 2019-20. As per the Revised Estimates of 2018-19, it is only Rs. 14.8 lakh crore.

So, the Budget for 2019-20 aspires ambitious revenue estimates based on surcharge and cess besides big disinvestment proceeds.

Now, I am coming to the points on surcharge and cess. I fully support and appreciate the imposition of super rich tax of three per cent and seven per cent. Those who are having a taxable income between Rs. 2 crore and Rs. 5 crore, will have to pay a surcharge of three per cent; and those who are having a taxable income above Rs. 5 crore, will have to pay a surcharge of seven per cent. I fully appreciate and support imposing super rich tax on the corporates and big people in the country.

But at the same time, when I am supporting it, I strongly oppose the increase in the Special Additional Excise Duty, and Road and Infrastructure Cess each by one rupee on petrol and diesel. It is putting a heavy burden on the common mass of the country. It is having a cascading effect.

Road and Infrastructure Cess, which was Rs. 8 per litre has been enhanced to Rs. 9 per litre. Similar is the case with regard to diesel also.

I would like to raise two points in this case. One is Road and Infrastructure Cess on fishing boats. Fishing industry in our country is facing a

big crisis. It is an export earning industry also. How can they impose road cess on fishing vessels? Hence, I would urge upon the Government to exempt the fishing vessels from imposition of road cess of Rs. 19. Imposition of road cess on fishing vessels is illogical and unjustifiable.

Regarding surcharge and cess, 80th Constitution Amendment provides for all central taxes to be shared among the Centre and the States. That means, surcharge and cess will be in the Divisible Pool.

HON. SPEAKER: Please conclude, now.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I have got only bullet points. I am just concluding.

Till 2015-16, surcharge and cess was only five to six per cent. But it has come to more than nine per cent of the gross tax receipts. That means, it is their intention that when they are imposing surcharge and cess, the concerned States will be denied the right to have the share of the Central Tax Revenue. So, this point has to be addressed. It is unfair. It is against the basic principles of cooperative federalism.

Sir, regarding the Customs Duty on Titanium Dioxide, the KMML industry, which is in my Constituency, I appreciate that 10 per cent of the Customs Duty is maintained. I urge upon the Government to enhance it, if it is possible.

As far as cashew nut is concerned, 2.5 per cent Customs Duty is there. More than 10 lakh cashew workers are there. This industry is facing crisis with this 2.5 per cent of Customs Duty. Around 95 per cent of the workers in this

cashew industry are socially backward women folk in this country. Kindly withdraw this Customs Duty also.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Thank you, Sir. The Government of Puducherry has implemented the Seventh Pay Commission recommendations to the employees including pensioners in the Union Territory of Puducherry with effect from 1st January, 2016. The revised pay is being paid from 1st September 2016 and the arrears of pay and pension, for the period from January 2016 to August 2016, which works out to Rs. 231 crore, is yet to be paid to the employees and pensioners. The Government of Puducherry has been urging the Government of India to release the Central assistance for meeting the additional financial implication arising out of the implementation of the Seventh Pay Commission recommendations.

I would like to inform the House that a few days back, to my Question, the hon. Minister of State for Home has given a reply that an amount of Rs. 1,545 crore had been allocated in the Budget Estimate of 2019-20 as Central assistance to the Puducherry Government. Actually, the amount, which was provided by the Government of India, is only a normal Central assistance given every year to U.T. of Puducherry. In the same Question, the hon. Minister had admitted that during the implementation of the Sixth Pay Commission, an amount of Rs. 367 crore was provided as additional Central assistance to Puducherry. On the same analogy, now, the Government of Puducherry is requesting for the Central assistance from the Centre.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Sir. Let me, first of all, thank all the Members who have participated in this discussion related to the Finance Bill. As I initiated the discussion in the morning, I had very clearly said: "At that stage, I shall not speak in detail on the Bill itself." But I had highlighted those Acts in which amendments are being made. The Members had rightly expressed concerns in the morning that certain things may not come technically in the Finance Bill but you have kindly heard us all out and spelt out your verdict on it. The underlying point in this is that even if they are non-taxable matters but because they have very important and critical impact on the finances of the State and also finances of the economy at large, it was felt imperative - 'imperative' is the word which the rule allows us that the Government, if it feels that there is an imperative to bring such aspects of nontaxable matters also under the Finance Bill's amendment, it may be permitted. You have taken a considered view on it and given us the permission to go ahead with the discussion after taking cognizance of the Members' concerns. I am very grateful for that.

As always, let me very quickly run through the names of the Members who have participated and given very valuable suggestions. I am starting with Shri Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Dr. Nishikant Dubey, Dr. Thamizhachi Thangapandian, Shri P.V. Midhun Reddy, Prof. Sougata Ray, Shri Rajiv Ranjan Singh *Alias* Lalan Singh, Shri Rahul Ramesh Shewale, Shri Bhartruhari Mahtab, Shri Ritesh Pandey, Dr. Sanjay Jaiswal, Dr. G. Ranjith Reddy,

Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shri Kesineni Srinivas, Shri Subhash Chandra Baheria, Dr. S. T. Hasan, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri P. Raveendranath Kumar and Shri N.K. Premachandran.

There are several issues which have been raised – to all of which, I can respond, item-wise – by Members. But holistically I would like to, first of all, draw the picture of what the Finance Bill aims at. We have already set ourselves a 10-year vision; we are also setting ourselves a five-year target, all of which was explained during the Budget speech. Through the Finance Bill, essentially through the various taxation proposals that we are bringing before you, we are underlining the fact that 'Make in India' needs to be given greater That is why, when you look at the Direct Tax amendments, as I push. mentioned in the morning, Direct Tax amendments are looking at seven Acts, all of which are getting amended in some way or the other, which relate to reduction in corporate tax rate. In order to reduce the effective tax on corporates, it is proposed to provide the benefit of reduced corporate tax rate of 25 per cent to all companies having an annual turnover of up to Rs. 400 crore. This will cover 99.3 per cent of all the companies. All the companies. literally 99.3 per cent of them, are getting covered under the 25 per cent tax rate which was a goal set by the first Budget of our previous NDA Government led by hon. Prime Minister Shri Narendra Modi. In 2014 it was promised that we will have this gliding path coming down on corporate tax rate from 30 per cent to 25 per cent. We are reaching the goal of corporate tax rate of 25 per

cent. Now we have reached the goal of covering 99.3 per cent of the companies. So, it is important to make that amendment.

Incentives were being provided for purchase of electric vehicles. It is an important step towards the concern that we expressed on environment consciousness. Therefore, in order to incentivise purchase of electric vehicle by an individual, it is proposed to provide deduction of an amount, up to Rs. 1,50,000 for interest which has been paid on loans taken for purchase of electric vehicles. The loan is required to be taken on or before 31st March, 2023.

Further, many other Acts of Direct Taxes will have to be changed only because several incentives for start-ups have been announced. I would like to go through one or two of them without taking much time on this one item itself. The condition of carry forward and set off of losses in the case of eligible start-ups is proposed to be relaxed enabling them to carry forward their losses. Obviously, start-ups cannot be making profits even in the first or the second year. So, we have been considerate because this is one demand which has come from start-ups. This is one of the things we are amending. Similarly, a provision has also been allowed for exemption of capital gains arising from sale of residential property because many of the start-ups do sell their own properties which they own and invest in the business to start with. For them, we need to give that concession. So, on investment of net consideration in equity shares of eligible start-ups, it is proposed to be extended by two years. The condition of minimum holding of 50 per cent of share capital is proposed to

be relaxed to 25 per cent. The restriction on transfer of computer or computer software is also proposed to be relaxed from the current five years to three years.

Like that, I can go on adding for each category. The essence of the taxation proposals which are in the Finance Bill is to promote greater ease of doing business, encouraging 'Make in India', and encouraging young entrepreneurs who want to do something by investing their own seed capital first. That is the drive which 'Make in India' requires now because there is a lot of enthusiasm among people who want to move from a salary-paying job to creating jobs for others.

'Boost for affordable housing' is something which I would like to underline. There is amendment again because of the incentives we want to give. In order to incentivise purchase of affordable houses, it is proposed to provide a deduction of up to Rs. 1,50,000 for interest paid on loans taken for the purchase of an affordable house. This shall be in addition to the existing interest deduction of Rs. 2,00,000. Again, for the increase of supply of affordable houses, it is proposed to relax the condition of 100 per cent profit-linked deduction to affordable housing projects also. By increasing the limit of carpet area from 30 square meters to 60 square meters in metropolitan regions and from 60 square meters to 90 square meters in non-metropolitan regions, it is also proposed to align the limit on cost of the affordable house to Rs. 45 lakh with the GST Acts also.

So, when I am talking of direct taxes, I am talking from the point of view of income and income related taxes. This will have a bearing even on the GST amendments which I will list out when I am talking about indirect taxes.

One of the major steps is that we wish India becomes a very big International Financial hub. With a view to further incentivising the International Financial Services Centre, IFSC, it is proposed to provide several direct tax incentives to an IFSC including hundred per cent profit linked deduction under the Section 80(LA) in any 10 year block within a 15 year period, exemption from dividend distribution tax about which most Members do express concern every now and then, from current and accumulated income to companies and mutual funds, exemptions on capital gain to category 3 AIFs and interest payment on loan taken from non-residents. So, this is an important thing which we want to make sure that India becomes eventually one of the biggest International Financial Service Centres. I have explained it during the presentation of the Budget that for the issue of NBFCs, to address the concern which is now very clearly voiced by very many people, we have come up with a proposal for the interest on bad and doubtful debts in the case of deposit taking NBFCs and systemically important non-deposit taking NBFCs. What is systemically important? You may ask this question later. Systemically important non-deposit taking NBFCs are nothing but those NBFCs which have more than Rs. 500 crore asset base. So, for these systemically important non-deposit taking NBFCs, they shall be charged on tax on receipt basis and not on accrual basis. This is an important change which

is necessary considering the situation in which NBFCs will have to now be addressing the issues that they are facing and the challenges that they are facing. So, it is also proposed to provide that deduction of such interest and shall be allowed to the payer on actual payment. So, these are institutional and important steps. I would not take more time going into each one of them much more elaborately.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, what are you doing for ILFS? ...(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am just coming one by one. I am not citing per company or per issue but the issue of NBFCs is being covered here.

So, for addressing the NBFCs issue majorly and in a wider context, I have put here. I am not citing individual instances of companies which have faced crisis for which the Government's response is even otherwise available. The inter-changeablity of PAN and Aadhar also requires certain kind of amendments, as much as for pre-filling of returns.

Sir, many Members have spoken about it. I will address the issue. But one other thing which requires amendment is the issue of TDS on big cash withdrawals from bank. For withdrawals by a person or by an individual in excess of one crore rupees in a year from the bank account will be subject to two per cent TDS. Here even as I say where it is required for some kind of amendments to take place because of this, I want to assure the Members that if there are people who are tax paying citizens, who have withdrawn like this, this TDS will be adjusted with the total tax dues. So, it is not over and above

what is expected to pay as tax but it is going to be reconciled with the total tax claim which can be laid on the individual. So, it is not something running parallel to it. So, if an individual has paid tax or is paying as an assessee, this two per cent will also get reconciled. But if he is not one, obviously he will have to pay the TDS.

There is then the deduction on tax by individuals or HUF. In this case again, there is also an issue of FPIs. Where you are trying to include tax deduction from HUFs and TDS, it has an impact on those FPIs who are registered as trusts.

There is an option for FPIs to register as companies. But if they registered it as a company, they do not have the problem of this new tax that we are talking about. But when it is registered as a Trust, a Trust is treated as a taxable entity, and, therefore, as an individual entity, it comes under the taxation. So, many of our officials have also been talking that such FPIs, who have registered themselves as Trusts, may consider the option of wanting to move to be registered as companies. That is something which I would like to highlight.

Similarly, there are facilities which are being extended for low cost electronic payments because digitization and less cash usage is a priority for this Government. Every attempt is being made to make people use some form of electronic payment, be it a card, be it a QR code or be it the BHIM App. In that process, it is not as if we are discouraging people from withdrawing their own cash deposited in a bank but it is more to encourage those who can use

the digital and electronic payment, and thereof, obviously, the amendment will affect the Payment and Settlement Systems Act. So, that is also being listed under the direct taxation.

The other amendments are into the PMLA, the Act relating to black money. On that, I would like to assure the Members regarding the kind of amendments. In fact, I would like to mention, well before that, the number of amendments, which are coming through for the PMLA, which is of 2002 vintage. Eight are being proposed by us. Of the eight, six are only explanations to the existing clause. The clause itself is not being changed. We are only coming with explanations. These explanations are being brought into the Act because of pleading in the courts by some of those who are accused and because of some kind of a confusion or a grey area or an ambiguity which might exist. Therefore, the amendment is not amendment of the clause itself. It is more explaining the clause. So, of the eight amendments proposed under the PMLA, six of them are amendments only for additional explanations to be added.

In fact, in this context, I am very grateful that you have given me the opportunity to be able to read out some passages. But I would not spend too much time on that particular thing. Probably, I would have waited for the conclusion of my speech but then I am very grateful that you have given me permission to lay a statement describing the entire background and giving the justification for the amendments to the Prevention of Money Laundering Act, 2002, which may be read as a part of my speech.

But of those eight points on which the amendments are being brought in, as I said, six are only explanation. One is deletion of a proviso, a proviso which has no purpose to be there, which was not being invoked but of course, being invoked by people who intend differently, and, therefore, that proviso is being removed.

A new proviso, which is being added, is only to make sure that where a case exists in one court and the hearings are going on there and where in a different court there could be proceedings happening, these two cannot be clubbed or brought together as one and treated as one. Therefore, that is a set of proceedings which is different. The case otherwise is going on in a different court. We have treated them separately. To that extent, the proviso is being added. Therefore, as regards PMLA, I want to be clear that the explanations which are going in, are explanations to the existing clauses, and no new clauses are being added, except for one where we are bringing a proviso. Another proviso is getting removed.

As regards indirect taxes--very quickly I will move over--there are about seven Acts which are getting amended with some amendments to seven of them. This morning I read a list of those seven. One is Customs Act where we are making sure that we have the authority to check somebody who is suspicious and even then, when they are going to be put through the x-ray, they will be put through the x-ray only after they have been taken to a Magistrate. So, it is not as if the official at the airport, who suspects somebody, does it on his own. The amendment is more to give them the power so that

18-07-2019 219

they can take such people before a Magistrate and say, we have strong evidence of suspicion, we seek your permission; would you allow us to do an

x-ray of this individual?

So, such kind of changes are brought in. Therefore, the Customs Act changes are largely to ensure that the Customs Department does not suffer from dealing with people who have absolutely stood out there in the redline and, therefore, they have to be acted upon. The second is on the Customs

tariff. That is also being amended because tariff lines for specific products will

have to be brought in.

Then, of course, there are amendments in the Goods and Services Tax Act. There are five different amendments under the GST Act. All of them are GST Council cleared ones. I mean the GST Council has approved them. So, it is only that which are coming in. I understand that some of the Members did have a concern about why GST Council's decisions should come through this route. Yes, GST Council is a constitutional body. They can take a call. But anything to do with tax collection will have to go through the Parliament, will have to go through the Finance Bill. So, those decisions which have been approved by the GST Council are becoming a part of this Finance Bill. Eight of them with specific intent are being listed. ...(Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: It means that Rajya Sabha will not be able to consider it.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, GST is a tax.

Then, I am also talking about the proposal relating to Prevention of Money Laundering Act. I have explained it. So, I would not go further into that.

So far as financial markets are concerned, in the morning I did say that there are eight Acts which are being amended. I listed out the names of them. Some are very, very simple changes. But the one which has probably attracted the attention of some of the Members about which they spoke is the amendment to the Reserve Bank of India Act. I just want to underline as to what is being done on the Reserve Bank of India Act.

The proposed amendment to the RBI Act is to strengthen RBI's regulatory powers over the regulation of the NBFCs. The amendments have become necessary given the developments which all of us have observed in the last few months particularly on the NBFCs. What are those powers? I will take a minute to explain them. These are: empowering the RBI to supersede the Board of an NBFC; to remove its Directors; to amalgamate or reconstruct or split an NBFC in public interest or for financial stability; to remove and debar auditors, direct the inspection and audit of any group company of an NBFC; to raise the net owned fund requirement of an NBFC and also to impose higher penalties in case of legal contraventions. These are the specific amendments to the RBI Act. All of them came because we want the RBI to take over regulating NBFCs. So, the amendments to the RBI Act is with specific intent of making the RBI a complete empowered regulator.

The National Housing Bank is also something which, we are making sure, is better regulated. So, it is like returning the regulation authority again back to the RBI.

Then, there are amendments in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act and the Insurance Act respectively. The Insurance Act is important because I heard in the morning some Members spoke about it. I just let you know what is the particular amendment that we are doing.

It is proposed to reduce the net owned funds requirement from Rs.5000 crore to Rs.1000 crore for opening of branches in the International Financial Services Centre (IFSC) by foreign re-insurers. There are amendments again to the General Insurance Business (Nationalisation) Act which we are bringing in.

Lastly, there are amendments in the Central Road and Infrastructure Fund Act. In the morning itself I have explained that this is something only to bring clarity. None of the features of the Central Road and Infrastructure Fund is being changed. The States will receive the money as have always been. The clarity was required because there was always this narrative going around that the Centre is cutting down the States' share or the States are not empowered. So, there is nothing new there. It is a matter of bringing greater clarity.

There are particular questions which some of the Members have asked. We have explained them in the larger narrative. If some of them need to be explained, I am willing to do it but considering that I am taking significant time, I

do not wish to expand unless there is anything in particular which any Member would want to say.

I can take the case of Shri Ritesh Pandey who said that digital payments to political parties cannot be traced. This is a matter of great interest for many of us. I would like to explain it in a minute. Digital payments always leave a complete trail – I am sure that the hon. Member is somewhere here – from the destination to the source. Therefore, it is the Government's policy to encourage digital payments and use less cash. Therefore, again, the statement is unfounded. Digital payments to political parties will make political donations more transparent.

Sir, Prof. Sougata Ray and also Shri Ritesh Pandey had spoken that tax on cash withdrawals will adversely affect tea growers who have to pay in cash to their employees. The threshold of TDS under Section 194N on cash withdrawals is deliberately set at one crore rupees. Cash withdrawals of up to about eight lakh rupees per month will be excluded from the scope of Section 194N. Thus, small tea growers will not be affected by the TDS. The large tea growers are expected to use banking facilities to make payments in line with the Government's policy to encourage digital payments and more to move towards less cash transactions.

Shri Bhartruhari Mahtabji spoke about increase in effective tax rate to 42.7 per cent and said that it will lead to flight of FPIs from India. I wish to respond to him by saying that increase in effective tax rate applies only to individual tax-payers, including other forms of FPIs, as I explained a minute

ago, those FPIs which are registered as trusts. A trust is treated as an individual legal entity rather than a company. So, the increase in tax rate applies only to individual tax-payers, including other forms of FPIs such as trusts, artificial juridical persons etc. which are treated as individuals. FPIs organised as companies will not be affected by the increase in effective tax rate. Therefore, the fear of flight of FPIs from India is not well founded at all. The increased tax rate will affect only high income individuals and it is the Government's policy that these individuals should contribute more towards nation-building.

Again, Shri Bhartruhari Mahtab had spoken about tax rates for domestic companies that are proposed at 25 per cent for turnover or gross receipt of up to Rs. 400 crore as against 30 per cent for other domestic companies and partnership firms. This is a very valid question. I would like to respond. The tax rates for domestic companies and partnership firms cannot be compared as distribution of profit to shareholders by domestic companies and is, again, subjected to dividend distribution tax at the rate of 15 per cent. In contrast, distribution of profits to partners of partnerships from their capital account is not subjected to the tax either in the hands of partnership firms or partners. So, there is a distinct difference.

Sir, I think, most of the questions raised by different hon. Members were covered in different answers that I have given. If there is anything in particular, I am ready to answer. There was an interesting question from Shrimati Supriya Sule as to why tax system should not be simplified by bringing a new tax code

and why we should not have a relook at the earlier code already examined by the Standing Committee on Finance headed by Shri Yashwant Sinha. Also, I think, one of the hon. Members, Shri Basheer, had said that there should be no delay in bringing the tax code. I just want to respond.

I just want to respond to that. A Task Force is already working on finalising the Report on a new Direct Taxes Code, which is required to be submitted by 31st July. The Government will receive the Report and then we shall take a call on it.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): What about disability pension?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will respond, but that is not part of the Finance Bill. If you permit me, I will answer. But that is not part of the Finance Bill at all.

Since the hon. Member has raised the issue of disability pension, I would like to say that the tax deduction, which was there, was removed on the advice of the Armed Forces Headquarters. The Ministry of Defence or the Ministry of Finance has not taken a call on its own. It was a recommendation given by the Armed Forces Headquarters. Of course, I understand the concern of the hon. Member. It is not part of my Finance Bill. But I still would want to honour him with an answer. And the answer is, it is not a decision taken without the recommendation of the Armed Forces Headquarters.

With all these remarks, I would like to repeat that I am very grateful for having given me this chance to respond and also for giving me the permission

to lay a Statement describing the amendments and the background and justification for all the amendments which have been made to the PMLA. That may be treated as part of what I have spoken today and be treated as read.

So, with these words, I am again grateful to all the Members who have spoken on the Finance Bill. The intent of the Government is to ensure 'Minimum Government and Maximum Governance'. Ease of living is the primary driving force of Prime Minister Modi ji. We are making sure that every citizen is completely bereft of all the due-diligence issues. The pain of having to be governed should not be on the citizens. We are trying to reduce the pain and making sure that ease of living dominates in everything that we do as regards taxation. Thank you very much.

STATEMENT RE: AMENDMENT/BACKGROUND/JUSTIFICATION FOR AMENDMENTS TO PMLA *

- 1. Prevention of Money Laundering Act, 2002 has been enacted to deal with the serious threat posed not only to the financial system of the country but also to its integrity and sovereignty which is enacted as a self-contained code providing for various aspects of investigation, prosecution and trial as contained in the Act. It has been amended from time to time.
- 2. Difficulties have been experienced in interpretation of certain provisions of Act of 2002 as some of the provisions are being misconstrued resulting into defeating the very object and legislative intent of the Act. The present amendments have been proposed in order to achieve the object and intent of the Legislature while enacting the Act of 2002. As a member of globally constituted Financial Action Task Force and otherwise also being a State committed to eliminate money laundering, the clarifications and provisions proposed are necessary so as to ensure that no provisions are misconstrued contrary to the legislative intent while enacting the Act of 2002. It has been found expedient and necessary to bring clarificatory amendments for effective implementation of provisions of the Act, regulation and operational measures for combating money laundering, terror financing and other related threats to the integrity of financial system of the country and to achieve the related

* Laid on the Table.

-

object of the Act of 2002. I would enumerate salient features of the clarificatory amendments and brief reasons for the same. It is also observed that by misconstruing the provisions of this Act, accused being investigated for serious offences attempt to thwart proceedings under the Act.

- 3. It has been experienced that certain doubts have been expressed as regards the definition of 'Proceeds of Crime' included in clause (u) to subsection (1) of section 2 of the Act of 2002. It is observed that the object and intention of the legislature while enacting Act of 2002 is wrongly understood to mean that only the property which is derived or obtained as a result of commission of scheduled offence would fall within the definition of "proceeds of crime" and the Act of 2002 would apply only to such property. The intention of the legislature had always been that the property derived or obtained, directly or indirectly by any person as a result of not only the commission of the scheduled offence but also any criminal activity relatable to the scheduled offence would also fall within the definition of "proceeds of crime". Accordingly, a clarification is proposed to be inserted in clause (u) to sub-section (1) of section 2 to clarify that "proceeds of crime" shall include property not only derived or obtained from the commission of the scheduled offence but also any property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity relatable to the scheduled offence.
- 4. It has been experienced that certain doubts are also raised as regards definition of 'Offence of money laundering' included in section 3 of the Act of 2002. It is observed that the legislative intent and object of the Act of 2002 is

wrongly construed as if all the activities as mentioned therein are required to be present together to constitute the offence of Money Laundering. The intention of the legislature had always been that a person shall be held to be guilty of offence of money-laundering if he is found to have directly or indirectly attempted to indulge or knowingly assisted or knowingly is a party or is actually involved in any one or more of the process or activity included in section 3 of the Act of 2002. It is also observed that the original intention of the legislature is wrongly construed to interpret as if the offence of money laundering is a one time instantaneous offence and finishes with its concealment or possession or acquisition or use or projecting it as untainted property or claiming it as untainted property. The intention of the legislature had always been that a person will be held to be guilty of offence of money-laundering and will be punished as long as person is enjoying the "proceeds of crime" by its concealment or possession or acquisition or use or projecting it as untainted property or claiming it as untainted property or in any manner whatsoever. Accordingly, an Explanation is proposed to be inserted in section 3 of the Act of 2002 to clarify the above legislative intent.

5. Proviso to sections 17 and 18 of the Act of 2002 provide that no search and seizure can be carried out unless a report under Section 157 of Code of Criminal Procedure, 1973 in relation to a scheduled offence has been forwarded to a magistrate. It is seen that due to the fact that sections 17 and 18 of the Act put a pre-condition on search and seizure, in cases where the Police authorities have failed or delayed registration of FIR, Directorate of

Enforcement sits as a mute spectator and accused persons continue money laundering with impunity. As against this section 19 of the Act specifically empowers the authorized officer to arrest any person, if on the basis of material in the possession of the officer/s under the Act, he has reason to believe, which are to be recorded in writing, that a person is guilty of an offence punishable under the Act. Section 19 of the Act does not put any precondition of forwarding of a report under section 157 of Code of Criminal Procedure, 1973 in relation to a scheduled offence, prior to exercising power to arrest. Similarly second proviso to section 5 of the Act, specifically empowers the authorized officer to attach property without there being any requirement of any report under section 157 of Code of Criminal Procedure, 1973 on recording of satisfaction that if property is not attached, the non-attachment is likely to frustrate any proceedings under the Act. Absence of such preconditions have a reasonable nexus with the object of the Act of 2002 and very nature of the offence under the Act. Thus, an anomalous situation is observed that, though an arrest under the Act of 2002 can be made even if FIR is not recorded under Code of Criminal Procedure, 1973 in relation to a scheduled offence, the search however cannot be carried out under the Act of 2002 without such an FIR. Section 17 of the Act of 2002 specifically records that authorisation for search is given by very senior officers of the Directorate of Enforcement after recording reasons to believe that the person has committed an act which constitutes money laundering. Therefore, when adequate safeguard has already been provided in the form of recording of reasons in

writing by a senior officer, the condition that it cannot be carried out unless a report under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is forwarded to a magistrate does not serve any purpose. Moreover at every stage of proceedings under the Act of 2002, the reasons are required to be recorded in writing before any action is taken. Any action under the Act including search, seizure, attachment, arrest, etc. are taken after recording of "reasons to believe" in writing on the basis of material on record and such reasons are always subject to perusal of the competent jurisdictional court. The said action is also further subject to judicial scrutiny either under the Act of 2002 or under Code of Criminal Procedure, 1973 as provided under section 65 of the Act of 2002. Thus no purpose is served by putting a condition on action taken under section 17 and 18.

- 6. In view of the above, the proviso to sub-section (1) of section 17 and proviso to sub-section (1) of section 18 of the Act of 2002 are proposed to be omitted. This would empower the Directorate of Enforcement to undertake search action under the Act of 2002 as regards the offence of money laundering on information of scheduled offence even in the absence of report under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- 7. There is no specific provision in the Act of 2002 to close an investigation if no evidence of commission of an offence under this Act is found though such a requirement is always inbuilt whenever an investigation commences. In order to make a specific provision providing for bringing a finality and closure in cases where no offence under the Act of 2002 is found to have taken place, a

proviso is proposed to be inserted after clause (b) of sub-section (1) of section 44 of the Act of 2002 to provide that if, after conclusion of investigation, no offence of money-laundering is made out requiring filing of the complaint under clause (b) of sub-section (1) of section 44 of the Act, the authority authorized under the Act shall submit a closure report before the Special Court empowered under this Act.

- 8. Considering the very serious nature of the menace of money laundering where the burden of proof is different, it is observed that, in spite of offences under the Act of 2002 having been established, the accused seeks orders from the Special Court based upon the orders which may have been passed by the Courts dealing with scheduled offences. The Act of 2002 neither stipulates a joint trial nor trial of scheduled offences and offences under the Act of 2002 together. The legislative intent was merely to try both the offences by the same Court. If this original legislative intent is not clarified, any order/s passed with respect to the scheduled offence/s even on account of death, want of sanction of prosecution of a public servant, etc. will impact the fully investigated case under the Act of 2002. This was never the legislative intent of this Act by the very nature of the distinction between the scheduled offence(s) an offence(s) under the Act of 2002.
- 9. It is also observed that the original intention of the legislature is wrongly construed to restrict the jurisdiction of the agency to conduct further investigation after filing of the complaint under the Act of 2002 and is construed to be precluded from filing further evidence, oral or documentary collected after

filing of the complaint against any accused persons involved in respect of the offence for which complaint has already been filed though such power of further investigation and placing further evidence before the competent jurisdictional court is inbuilt in any investigation. Accordingly, an Explanation is proposed to be inserted after clause (d) of sub-section (1) of section 44 of the Act of 2002 to clarify the above legislative intent and to make a specific clarificatory provision which was, otherwise, inbuilt in the Act.

10. For the intention of the legislature, what is relevant is the overall scheme and plain meaning of the language employed in the law as to whether the offences under the Act of 2002 are cognizable or not. It can be gathered from the plain meaning of the language of the various provisions of the Act, the purpose is to create a machinery and mechanism for investigation and enforcement of the offences under this Act outside the general system of investigation of crimes by police agencies. The police officers working either under the Code of Criminal Procedure or other enactments are kept out during every stage under this Act, unless there is a specific authorization in this behalf. The information of a crime punishable under the Act of 2002 is taken note of by the Director of Enforcement or the officers aiding or assisting him in the task and the investigative process taken up thereunder. If there are grounds to initiate such action, the Director or the empowered officer records the reasons in writing for the belief, noticing and adding thereto the material already collected, on which such belief is founded and proceeds to provisionally attach such property as, in his opinion, may be prima facie

tainted. Further, if during the course of investigation, on the basis of material in his possession, he has reason to believe the complicity of a person in an offence under the Act of 2002, he is authorized by the law to proceed to arrest him, after recording reasons for such belief in writing. Both recorded reasons, one leading to the attachment of the suspect property and the other leading to the arrest, are to be made over to the Adjudicating Authority with copies of the material from which inferences or conclusions had been drawn. The powers of survey, search and seizure, search of persons, retention of property or of records, to issue summons to enforce attendance of any person and compel him to give evidence or produce records, discovery or inspection, as indeed the power to arrest, as conferred by various provisions of the Act of 2002 on the investigative agency created by the law equip such agency with all the necessary tools to conduct an effective investigation without the aid or assistance of police. For purposes of criminal investigation and prosecution, the initiative is entrusted to the authorities established under the Act of 2002.

11. Enforcement officers under PMLA do not require the powers of police for investigation as granted by the general law contained in Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973. On the contrary, the prevailing misconstruction that the said part of Code of Criminal Procedure, 1973 applies to the investigation under this Act brings in inconsistency – in breach of the mandate, object and intent of section 65 of the Act of 2002 in particular and the scheme of the Act in general. There is nothing in the Act of 2002 to indicate that the power to arrest conferred on the Director or the other specified officers

is contingent upon either formal authorization by the court or otherwise except the conditions stipulated under the Act itself as inbuilt safeguards. The authorization to the Director or other specified officers to take up the investigation or exercise any of the powers thereby conferred do not require prior approval from the court in each case.

- 12. The offences under PMLA thus, are and have always been "cognizable", which would, inter alia, mean that a person respecting whom there is a reason to believe to be guilty for such offence may be arrested by the officer empowered by the law in terms of section 19 of the Act of 2002 without the need of obtaining warrant of arrest from the court. Thus, the use of the expression "cognizable" in relation to offences under the Act of 2002 would be different from the one applied for general law offences such as IPC offences and consequently, the definition of the expressions "cognizable offence" and "cognizable case" as appearing in sub-section (c) of section 2 of Code of Criminal Procedure, 1973 would have to be read and applied mutatis mutandis with suitable modification that is to say, by substituting the words "a police officer" and instead referring to the officers mentioned in section 19 of the Act of 2002. The offences under this Act are and have always been "cognizable and non bailable".
- 13. Accordingly, an Explanation is proposed to be inserted after section 45 of the Act of 2002 to clarify that the expression 'Offences to be cognizable and non-bailable' shall mean and shall be deemed to have always meant that all offences under the Act of 2002 shall be cognizable offences and non-bailable

offences notwithstanding anyting to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 or any other enactment. Accordingly, the Officers authorized under the Act of 2002 are empowered to arrest an accused without warrant subject to the fulfilment of conditions under section 19 of the said Act and the provisions for bail of such a person shall be subject to the conditions enshrined in section 45 of the Act.

माननीय अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी ने एक वक्तव्य सदन के पटल पर भी रखा है, जो वित्त विधेयक (सं. 2), 2019 में किए जाने वाले उस संशोधन के बारे में है। यह संशोधन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग अधिनियम, 2002 से संबंधित है। यह वक्तव्य माननीय मंत्री जी के भाषण के अंत में लोक सभा की कार्यवाही में जोड़ दिया जाए। यह वक्तव्य सदन की कार्यवाही का अंग होगा।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 और 3 आयकर तथा धारा 2 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 4 Amendment of Section 9

Amendment made:

Page 6, for lines 47 to 49, substitute -

"(viii) income arising outside India, being any sum of money referred to in sub-clause (xviia) of clause (24) of section 2, paid on or after the 5th day of July, 2019 by a person resident in India to a non-resident, not being a company, or to a foreign company."(7)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Amendment of Section 10

Amendments made:

Page 7, after line 5, insert –

(IA) after clause (4C) as so inserted, the following shall be inserted with effect from 1st day of April, 2020, namely:--

"(4D) any income accrued or arisen to, or received by a specified fund as a result of transfer of capital asset referred to in clause (viiab) of section 47, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange, to the extent such income accrued or arisen to, or is received in respect of units held by a non-resident.

Explanation – For the purposes of this clause, the expression –

- 42 of 1999 (a) "convertible foreign exchange" means foreign exchange which is for the time being treated by the Reserve Bank of India as convertible foreign exchange for the purposes of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules made thereunder;
- 15 of 1992 (b) "manager" shall have the meaning assigned to it in clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board

of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

- (c) "Specified Fund" means a fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate, --
- 15 of 1992. (i) which has been granted a certificate of registration as a Category III Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;
 - (ii) which is located in any International Financial Services Centre;
 - (iii) of which all the units are held by non-residents other than units held by a sponsor or manager;
- 15 of 1992. (d) "sponsor" shall have the meaning assigned to it in clause (w) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;
- 2 of 1882. (e) "trust" means a trust established under the Indian Trusts Act, 1882 or under any other law for the time being in force;

(f) "unit" means beneficial interest of an investor in the fund and shall include shares or partnership interests;'. (8)

Page 7, after line 16, insert -

- '(IIA) in clause (23C), with effect from the 1st day of September, 2019,--
 - (a) In the second proviso, for the words "and the prescribed authority", the words "and the compliance of such requirements under any other law for the time being in force by such fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution, as the case may be, as are material for the purpose of achieving its objects and the prescribed authority," shall be substituted;
 - (b) In the fifteenth proviso, for the portion beginning with "(ii) the activities of such fund" and ending with "was notified or approved,", the following shall be substituted, namely:--

"(ii) the activities of such fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution—

- (A) are not genuine; or
- (B) are not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified or approved; or
 - (iii) such fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution has not complied with the requirement of any other law for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality,". (9)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड 7 से 16 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 17 Amendment of Section 47

Amendments made:

Page 9, *omit* lines 13 and 14 (10)

Page 9, *omit* lines 18 to 32 (11)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 21 Amendment of Section 56

Amendments made:

Page 10, for lines 7 to 9, substitute-

'consideration received for issue of share that exceeds the fair market value of such share shall be deemed to be the income of that company chargeable to income-tax for the previous year in which such failure has taken place and, it shall also be deemed that the company has underreported the said income in consequence of the misreporting referred to in sub-section (8) and sub-section (9) of section 270A for the said previous years.",'. (12)

Page 10, in line 13, for "Category II", substitute "Category I or a Category II" (13)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 21, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 21, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये।

18-07-2019

Clause 37 Amendment of Section 115R

Amendments made:

Page 15, *for* line 36, *substitute* 'International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange:",'. (14)

Page 15, *omit* line 50. (15)

Page 16, line 1, for "(c)", substitute "(b)". (16)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38 से 44 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 45 Amendment of Section 194-IA

Amendment made:

Page 18, line 13, *for* "consideration for immovable property", *substitute* "consideration for transfer of any immovable property". (17)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45. यथा संशोधित. विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 45, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 46 Insertion of Section 194M and 194N

Amendments made:

Page 18, for lines 19 to 24, substitute--

"required to deduct income-tax as per the provisions of section 194C, section 194H or section 194J responsible for paying any sum to any resident for carrying out any work (including supply of labour for carrying out any work) in pursuance of a contract, by way of commission (not being insurance commission referred to in section 194D) or brokerage or by way of fees for professional services during the financial years, shall, at the time of credit of such sum or at the time of payment of such sum in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to five per cent of such sum as income-tax thereon:". (18)

Page 18, for lines 33 to 36, substitute—

'(b) "commission or brokerage shall have the meaning assigned to it in clause (i) of the *Explanation* to section 194H;

(c)"professional services" shall have the meaning assigned to it in clause (a) of the Explanation to section 194J;

(d)"work" shall have the meaning assigned to it in clause (iv) of the *Explanation* to section 194C; (19)

Page 18, line 44, for "from an account", substitute "from one or more accounts". (20)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 46, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 और 48 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates,

in its application to Government amendment No. 21* to the Finance (No.2) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

^{*} Vide Amendments list No. 3 circulated on 18.7.2019.

New Clause 48A

Amendments made:

Page 19, after line 15, insert -

48A. In section 198 of the Income-tax Act, after the first proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of September, 2019, namely –

"Provided further that the sum deducted in accordance with the provisions of section 194N for the purpose of computing the income of an assessee, shall not be deemed to be income received.".' (21)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 48क विधेयक में जोड दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 48क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 49 से 174 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 22* to the Finance Bill (No. 2), 2019 and that this amendment may be

allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 22* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमित दी जाये।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

_

^{*} Vide Amendments list No. 3 circulated on 18.7.2019.

New Clauses 174A, 174B and 174C

Amendment made:

Page 51, after line 7, insert—

Amendment of 174A. In section 30 of the principal Act, for the words "the section 30 Adjudicating Authority", the words "any authority" shall be substituted with effect from the 1st day of September, 2019.

Amendment of 174B. In section 46 of the principal Act, with effect from the section 46.

1st day of September, 2019, --

- (a) after sub-section(1), the following sub-section shall be inserted, namely:--
 - "(1A) Any person aggrieved by an order passed by the authority under section 54A may prefer an appeal in such form alongwith such fees, as may be prescribed, to the Appellate Tribunal against the said order within a period of forty-five days from the date of that order.";
- (b) in sub-section (3), after the word, brackets and figure"sub-section (1)", the words, brackets, figure and letter"or sub-section (1A)" shall be inserted.

Amendment of 174C. In section 47 of the principal Act, for sub-section (1), section 47. the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of September, 2019, namely:--

"(1) The Appellate Tribunal or any authority may, in

order to rectify any mistake apparent on the face of the record, amend any order passed by it under the provisions of this Act, within a period of one year from the end of the month in which such order was passed.".' (22)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नए खंड 174 क, 174 ख और 174 ग विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 174 क, 174 ख और 174 ग विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 175 से 184 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 185 Insertion of new Section 15HAA

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तृत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move :

Page 53, line 4, --

for "Rs. 10 per litre"

substitute "Rs. 5 per litre". (1)

Page 53, line 5, --

for "Rs. 4 per litre"

substitute "50 paise per litre". (2)

Sir, I am moving Amendment Nos. 1 and 2 regarding the petrol price cess as well as special additional excise duty to be reduced to Rs. 5 as well as 50 paise respectively.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 185 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 185 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

खंड 185 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 186 विधेयक में जोड़ दिया गया।

18-07-2019 253

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of

Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it

requires that an amendment shall be within the scope of the Bill

and relevant to the subject matter of the clause to which it relates,

in its application to the Government amendment No. 23* to the

Finance (No. 2) Bill, 2019 and that this amendment may be

allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1)

को. जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर

होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त

(संख्यांक 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 23* को लागू करने के

संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमित दी

जाये।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

^{*} Vide Amendments list No. 3 circulated on 18.7.2019.

New Clause 186A

Amendment made:

Page 53, after line 13, insert—

"Commencement 186A. Clause (iii) of section 187, sections 187A, 190A, of this Part.

190B, 190C and 190D shall come into force from the 1st day of August, 2019.". (23)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 186क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

नया खंड 186क विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 187 Amendment of Section 11

Amendment made:

Page 53, after line 19, insert—

'(iii) in clause (u), the following Explanation shall be inserted, namely:--

'Explanation. -- For the removal of doubts, it is hereby clarified that "proceeds of crime" include property not only derived or obtained from the scheduled offence but also any property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity relatable to the scheduled offence;'. (24)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 187, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

खंड 187, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

18-07-2019 256

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of

Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it

requires that an amendment shall be within the scope of the Bill

and relevant to the subject matter of the clause to which it relates,

in its application to the Government amendment No. 25^* to the

Finance (No. 2) Bill, 2019 and that this amendment may be

allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1)

को. जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर

होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सूसंगत होगा, वित्त

(संख्यांक 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 25* को लागू करने के

संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमित दी

जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

^{*} Vide Amendments list No. 3 circulated on 18.7.2019.

New Clause 187A

Amendment made:

Page 53, after line 19, insert—

Amendment of 187A. In section 3 of the principal Act, the following section 3. Explanation shall be inserted, namely:--

"Explanation. -- For the removal of doubts, it is hereby clarified that,-

- (i) a person shall be guilty of offence of money-laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted to indulge or knowingly assisted or knowingly is a party or is actually involved in one or more of the following processes or activities connected with proceeds of crime, namely:---
 - (a) concealment; or
 - (b) possession; or
 - (c) acquisition; or
 - (d) use; or
 - (e) projecting as untainted property; or
 - (f) claiming as untainted property,

in any manner whatsoever;

(ii) the process or activity connected with proceeds of crime is a continuing activity and continues till such time a person is directly or indirectly enjoying the proceeds of crime by its concealment or possession or acquisition or use or projecting it as untainted property or claiming it as untainted property in any manner whatsoever.". (25)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 187क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 187क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 188 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 189 Amendment Act 20 of 2002

Amendments made:

Page 53, for lines 25 and 26, substitute -

"(a) verify the identity of the clients undertaking such specified transaction by authentication under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed:

Provided that where verification requires authentication of a person who is not entitled to obtain an Aadhaar number under the provisions of the said Act, verification to authenticate the identity of the client undertaking such specified transaction shall be carried out by such other process or mode, as may be prescribed;". (26)

Page 53, for lines 37 to 42, substitute –

"(4) The information obtained while applying the enhanced due diligence measures under sub-section (1) shall be maintained for a period of five years from the date of transaction between a client and the reporting entity.

Explanation.- For the purposes of this section, "specified transaction" means-

- (a) any withdrawal or deposit in cash, exceeding such amount;
- (b) any transaction in foreign exchange, exceeding such amount;
- (c) any transaction in any high value imports or remittances;

(d) such other transaction or class of transactions, in the interest or where there is a high risk of money-laundering or terrorist financing,

as may be prescribed.'.

(27)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 189, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 189, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 190, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of 'Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.28* to the Finance (No.2) Bill, 2019 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 की सरकारी संशोधन संख्या 28* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमित दी जाए"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

_

^{*} Vide Amendments list No. 3 circulated on 18.7.2019.

New Clauses 190A, 190B, 190C and 190D

Amendments made:

Page 53, after lines 45, insert -

New clauses

190A, 190B,

190C and 190D

'Amendment of 190A. In section 17 of the principal Act, in sub-

section 17 section (1), the proviso shall be omitted.

Amendment of 190B. In section 18 of the principal Act, in sub-

section 18 section (1), the proviso shall be omitted.

Amendment of 190C. In section 44 of the principal Act, in sub-

section 44 section (1), the proviso shall be omitted.

1. after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that after conclusion of investigation, if no offence of money-laundering is made out requiring filing of such complaint, the said authority shall submit a closure report before the Special Court; or";

(ii) after clause (d), the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the removal of doubts, it is clarified that,-

(i) the jurisdiction of the Special Court while dealing with the offence under this Act, during investigation, enquiry or trial

under this Act, shall not be dependent upon any orders passed in respect of the scheduled offence, and the trial of both sets of offences by the same court shall not be construed as joint trial;

(ii) the complaint shall be deemed to include any subsequent complaint in respect of further investigation that may be conducted to bring any further evidence, oral or documentary, against any accused person involved in respect of the offence, for which complaint has already been filed, whether named in the original complaint or not.".

Amendment of section 45

190D. In section 45 of the principal Act, after sub-section (2), the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

Explanation.- for the removal doubts. it is clarified that the expression "Offences be to cognizable and non-bailable" shall mean and shall be deemed to have always meant that all offences under this Act shall be cognizable offences offences and non-bailable

2 of 1974

notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, and accordingly the officers authorised under this Act are empowered to arrest an accused without warrant, subject to the fulfilment of conditions under section 19 and subject to the conditions enshrined under this section.".'. (28)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि नए खंड 190क, 190 ख, 190ग और 190घ विधेयक में जोड़ दिए जाएं''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 190क, 190 ख, 190ग और 190घ विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 191 से 193 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 194 2007 के अधिनियम संख्यांक 51 का संशोधन

Amendment made:

Page 54, lines 35 and 36, *for* "shall impose any charge upon anyone, either directly or indirectly, for", *substitute* "shall impose, whether directly or indirectly, any charge upon a person making or receiving a payment by". (29)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 194 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 194, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 195 से 200 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 201

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 53, line 4, -

for "Rs.10 per litre"

substitute "Rs.5 per litre". (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 201 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 201 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 201 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 202 विधेयक में जोड़ दिया गया।

The First Schedule

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I had told

while participating in the debate that the idea that was mooted by our former

Finance Minister, Shri Arun Jaitley. This Government should not forget. The

Government should proceed or the country should proceed to be competitive

in the world market.

That is the reason why I have moved this amendment. The crux of the

matter is that the Government has granted a big relief to small companies by

reducing the rate of income tax from 30 per cent to 25 per cent. If the company

has a turnover of up to Rs. 400 crore as against the normal rate of 30 per cent

income tax which is applicable to the larger companies. Why is this benefit

being extended to only companies? There are many partnership firms, limited

liability partnerships which run business on small scale but they are still

subjected to 30 per cent income tax. I am, therefore, moving my amendment to

the First Schedule:

Page 63, for line 33, substitute,--

"(i) Where the total 25 per cent. of the turnover or the gross total income;

receipt in the previous

year 2017-18 does

not exceed four

hundred crore

(ii) Other than that 30 per cent. of the

referred to in item (i) total income."

(5)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भृर्तहरि महताब द्वारा प्रथम अनुसूची में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।
दूसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।
तीसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

चौथी अनुसूची

माननीय अध्यक्ष: श्री भूर्तहरि महताब जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब : ये न्यूज पेपर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है । पिछले साल से 5 परसेंट जी.एस.टी. लागू हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये नहीं बोलना है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अमेंडमेंट मूव कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं यह कनविंस करना चाहता हूं कि जब उसके ऊपर 10 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है तो It comes to 15 per cent on imported newsprint. हमारे यहां जो इण्डिजिनस न्यूज प्रिंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वे सब बिक जाते हैं, बचते नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो व्यवस्था है, उसी को बरकरार रखने की जरूरत है। I request the Government to withdraw this 10 per cent.

Therefore, I beg to move my amendment to the Fourth Schedule: Page 69, *after* line 5, *insert,--*

'(IA) in Chapter 48, in column (4), for the entry "10%" occurring against all the tariff items of heading 4801, the entry "Nil" shall be substituted:'. (6)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भृर्तहरि महताब द्वारा चौथी अनुसूची में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि चौथी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

चौथी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

पांचवीं अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 में कुछ नए खण्ड जोड़े गए हैं। इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खण्डों को तद्नुसार पुन: क्रमांकन कर लिया जाए।

मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक जानकारी भी देता हूं कि पहली बार इस सदन के अंदर पक्ष, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने जनरल डिबेट पर 17 घण्टे 23 मिनट चर्चा की है। रेलवे पर 13 घण्टे तक चर्चा हुआ और रात 12 बजे तक एक सारगर्भित चर्चा हुई। रोड ट्रांसपोर्ट पर 7 घण्टे 44 मिनट चर्चा हुई। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर पर 10 घण्टे 36 मिनट चर्चा हुई। यूथ अफेयर्स पर 4 घण्टे 14 मिनट चर्चा हुई। जितना समय बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया था, सत्तापक्ष ने कहा 8 घण्टे और प्रतिपक्ष ने कहा 10 घण्टे, लेकिन हमने कहा कि यह सदन 17 घण्टे चर्चा करेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 2 घंटे के लिए बढ़ाई जाती है। आप सबकी सहमित हो तो 'शून्य काल' शुरू किया जाए। मैं सभी माननीय सदस्यगण से आग्रह करूंगा कि आप सबके आग्रह पर 'शून्य काल' शुरू होने वाला है। अभी आपने सहमित से 2 घंटे बढ़ाए हैं। आपकी सहमित होगी तो इसको और बढ़ाया जाएगा, तािक सभी माननीय सदस्यों को 'शून्य काल' में सदन में अपनी बात कहने का मौका मिले। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। श्री ए.के.पी. चिनराज।

*SHRI A. K. P. CHINRAJ (NAMAKKAL): Hon. Speaker, Sir. Vanakkam. Arappaleeswarar temple, dating back to 2000 years and a 800 year old Jain temple are situated in Kollimalai which is a prominent tourist place in my Namakkal parliamentary constituency. This Kollimalai, once ruled by King Valvil Ori, is spread over an area 80 sq.kms. Around 45,000 tribals live in this area. Farmers grow plantain,,jack tree and world quality pepper in huge scale. There is a long pending demand for declaring this Kollimalai as a prominent tourist destination.

<u>18.03 hrs</u> (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

Tapioca is grown in large quantities in this Kollimalai area. As this is the place where 18 Siddhars lived, a Siddha Medical College or an Ayurveda Medical College should be set up by the Union Government. Farmers who grew pepper in this area did not get the remunerative prices last year. It was sold at Rs.300 per kg. Import duty on pepper imported from foreign countries

_

^{*} English Translation of Speech originally delivered in Tamil.

should be increased so that the world quality pepper grown in Kollimalai area will get remunerative and cost-effective price. Officials of Tourism Ministry should pay a visit to Kollimalai to ascertain its importance. I urge upon the Union Government to set up a Siddha Medical College and Research Institute in Kollimalai area besides allocating Rs. 100 Crore as a special package for development of Kollimalai as a tourist destination. This is the demand of the people of my Namakkal parliamentary constituency. Thank you. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please let the House be in order. All the Members are requested to let the House be in order.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र सीकर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके आस-पास चारों तरफ चार बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें खाटू श्याम जी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सालासर बालाजी, जीर्ण माता जी और लोहार्गल है। इसके अतिरिक्त मेरे लोक सभा क्षेत्र के शेखावटी में देश में सर्वाद्धिक सैनिक हैं। शिक्षा की दृष्टि से कोटा के बाद मेरा लोक सभा क्षेत्र एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दिल्ली से सीकर तक और वर्तमान में रींगस तक 14021 और 14022 ट्रेन चलती है जो सप्ताह में मात्र तीन दिन ही चलती है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आवश्यकता को देखते हुए इस ट्रेन को दैनिक किया जाए। यह ट्रेन रींगस तक है, इसको जयपुर तक किया जाए तािक मेरे क्षेत्र के व्यापारियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य सभी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Sumedhanand Saraswati.

Shri Rajendra Agrawal -- Not present.

Shrimati Supriya Sadanand Sule -- Not present.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, there are reports that the Cabinet has approved the National Medical Commission Bill, 2017 to replace the MCI. The NMC proposes to conduct National Exit Test (NEXT) for the final MBBS course. This is another national level exam, all-India

exam and a blow to social justice. A student, if he or she cannot pass the NEXT exam, will not be allowed to practice as a doctor.

In a country, which is as diverse as India, every State has a different health policy and the syllabus is based on that. How can you have one examination for the entire nation and decide the capability of the student? The Government is taking away education step by step from the State authority. This is what they are doing with the new education policy also. They are trying to take away education from the States completely. NEET has already claimed so many lives in Tamil Nadu. Yesterday, our leader MK Stalin had raised this issue in the Tamil Nadu Assembly and the Chief Minister had promised to take this matter to the court to repeal NEET in case of Tamil Nadu and also from those States which do not want NEET examination. Now, you are bringing in NEXT also.

So, I urge the Government to stop bringing these all-India exams and make sure that our students get a chance to become doctors.

Thank you.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): महोदय, मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि जब वह गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट गुजरात का पहला वॉटरवे घोघा-दहेज रो-रो फेरी सर्विस, जिसको उन्होंने शुरू करवाया और प्रधान मंत्री बनने के बाद उसका स्वयं इनोग्रेशन किया। लेकिन सूरत और मुम्बई दो ऐसे शहर हैं, जिनके साथ हम सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक तरीके से जुड़े हुए हैं। सूरत हमारे यहां से 300 किलोमीटर और मुम्बई हमारे यहां से 600 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक परिस्थित को देखें तो समुद्र के एक किनारे हमारा भावनगर यानी घोघा है और दूसरे किनारे मुम्बई और सूरत है। अगर घोघा से सूरत

और घोघा से मुंबई की रोरो फेरी और रोरो पैक्स सर्विस शुरू की जाए, तो न सिर्फ भावनगर बिलक पूरे सौराष्ट्र जोन के विकास के द्वार खुल जाएंगे। राजमार्ग पर हैवी ट्रैफिक जाम लगता है, वह भी बंद हो जाएगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब कन्कलूड कीजिए।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : माननीय सभापित जी, सचमुच में विकास के द्वार खुल जाएंगे। इसिलए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि घोघा-सूरत और घोघा-मुंबई के लिए रोरो फेरी शुरू करवाई जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Bharatiben Dhirubhai Shyal.

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली): माननीय सभापित जी, हमारे देश के हर गांव में छोटे-छोटे पोस्ट आफिसेज़ हैं। उन पोस्ट आफिसेज़ के डािकया अपने निकटतम हेड पोस्ट आफिस जाकर पत्र, मनी आर्डर, विधवा पेंशन और कई सारी सरकारी योजनाओं की सहायता गावं-गांव तक पहुंचाते हैं। आज डािकया एक चलता-फिरता बैंक बन चुका है। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सोच की वजह से जो अनपढ़ लोग हैं, अब उनके लिए भी अंगूठाछाप डिजिटल अकाउंट की व्यवस्था करवाई गई है, जिसके जिए से एक मैसेज से 5,000 रुपये तक की कैश डिलिवरी डािकया हर घर तक पहुंचाते हैं।

माननीय सभापति जी, ऐसे डाकियों की नियुक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है।...(व्यवधान) इसकी वजह से स्थानीय लोगों में नाराज़गी रहती है, भाषा की भी परेशानी होती है और विश्वास संपादन में भी शंका-कुशंका रहती है। इतने कम वेतन में डाकियों के जीवन-यापन में भी अत्यधिक परेशानी होती है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि डािकयों की नियुक्ति अपने राज्यों में ही की जाए, तािक स्थानीय लोगों को न्याय मिल सके।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Parbhubhai Nagarbhai Vasava.

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा): सभापित महोदय, मैं ऊर्जा धानी कोरबा छत्तीसगढ़, लोक सभा से निर्वाचित हुई हूं। आपने मुझे इस सदन में पहली बार बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।...(व्यवधान) संपूर्ण सदन व विशेषकर सभी महिला सांसदों को मेरा सादर नमन है। मेरे क्षेत्र कोरबा जिले में 1,43,000 शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें से 45,000 शौचालयों का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि वे आधे-अधूरे बने हैं। वहां पानी की कमी है, सेप्टिक टैंक और सेनीटेशन की सही सुविधा नहीं है और सिर्फ कागज़ी आंकड़ों से ही स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल किया गया है। महोदय, शौचालय का न होना बुरा है, किन्तु शौचालय आधा-अधूरा एवं असुरिक्षत हो, तो वह और भी खतरनाक साबित हो सकता है। वे वायरस और बैक्टीरिया के ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकते हैं, जो गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं, जिससे इस स्वच्छता योजना का प्रभाव उल्टा भी पड सकता है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि आज कितने शौचालय चालू हालत में नहीं हैं? क्या वर्ष 2014 से अभी तक बने शौचालयों की मानीटिएंग और सोशल आडिट की कोई व्यवस्था की गई है? यदि नहीं की गई है, तो ऐसी स्थित में स्वच्छ भारत की तस्वीर कैसे साकार होगी?

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): सभापित महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, यह मेरी खुशिकरमती है कि जब मैं बोलती हूं, तो इस पद पर आप ही आसीन होते हैं। Economic linkages between the regions of the world have historically thrived on the connectivity of infrastructure between them. In today's context, air connectivity takes precedence. Civil aviation is the fastest growing industry in the country and the Indian market is the third largest in the world. In recent years, air connectivity with the ASEAN region has been our focus as is evident from the

numerous policies of the Government, such as open sky agreements, bilateral treaties etc. Under these policies, the Government of India has allowed ASEAN countries to fly in 18 cities of India without any precincts. However, it is unfortunate that the Chandigarh international airport, which has an immense potential for international travel, has not been included in this list. My constituents are pressing and demanding vehemently about starting international flights, and a Public Interest Litigation has also been filed in the Punjab and Haryana High Court for increasing the number of flights from here. It is interesting to note that Chandigarh is the one airport which services large parts of Uttarakhand, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Chandigarh itself. I, therefore, urge the Government to kindly consider this request at the earliest in the interest of my constituents. This addition to the list will help a lot in bringing international flights to Chandigarh; we could be the 19th city. I am sure the Government would oblige. Thank you.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापित महोदय, मेरठ स्वर्ण आभूषणों के निर्माण का बड़ा प्रमुख केन्द्र है। वर्तमान में मेरठ में 18, 20 और 22 कैरेट के आभूषणों का हॉलमार्क पास है। इन श्रेणियों के मुख्य आभूषणों में 22 कैरेट के आभूषणों के मुकाबले सस्ते तथा मज़बूत होने के कारण 20 कैरेट के आभूषण विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में अधिकतम 20 कैरेट के आभूषण ही चलते हैं। गत कुछ महीनों से उपरोक्त 20 कैरेट के आभूषणों के हॉलमार्क में विभाग द्वारा बंद किए जाने की संभावना की चर्चा से क्षेत्र के आभूषण निर्माता, कारीगरी तथा छोटे-मोटे ज्वेलर्स अपने रोज़गार को ले कर आशंकित हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही 18, 20 तथा 22 कैरेट के आभूषणों का हॉलमार्क ही लागू रहने दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामान्यत: 14, 18 और 22 कैरेट की बात की जाती है। परंतु भारतीय संदर्भ में 20 कैरेट के आभूषणों का निर्माण बहुत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। कृपया इसको लागू रहने दिया जाए। श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): सभापित महोदय, पहले तो मैं 20 दिन से यह मुद्दा रखने के लिए बार-बार जीरो ऑवर में डाल रहा था। आज लग गया है तो मुझे पूरा मेरे क्षेत्र का इश्यु है, तो मुझे पूरा बोलने दीजिएगा। वर्ना मेरा पूरा क्षेत्र आज देख रहा है।

सभापित महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह मुद्दा उठाने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, यह मुद्दा न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, बल्कि राष्ट्र हित में है। जैसा कि भारतवर्ष पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है। यह बात एलपीजी पर विशेषकर लागू होती है। हम अपनी घरेलू मांग का लगभग आधा हिस्सा आयात करते हैं। हमारी एलपीजी की मांग करीब 24 मिलियन मीट्रिक टन है, तथा हमारा घरेलू उत्पादन केवल 12 मिलियन मीट्रिक टन के करीब है। अतः हमें 12 मिलियन मीट्रिक टन विदेश से आयात करना पड़ता है। यह आयातित एलपीजी देश के विभिन्न बंदरगाहों पर लाई जाती है, तथा देश की तीन सरकारी क्षेत्र की कंपनियां – आईओसी, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल इसका आयात करती है। भारत सरकार ने एक स्कीम - डेजिंग नेटेड पोर्ट स्कीम चलाई हुई है, जिसमें विभिन्न बंदरगाहों के प्रयोग पर सरकार इन कंपनियों को वित्तीय सहायता यानी सब्स्सडी प्रदान करती है।

महोदय, इस डेजिगनेटिड पोर्ट सब्सिडी स्कीम में बाकी सभी मुख्य पोर्ट्स जैसे कि जे.एन.पी.टी. कांडला, मैंगलोर इत्यादि पोर्ट शामिल हैं। लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली में स्थित पीपावाव पोर्ट शामिल नहीं है। यह पोर्ट मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में स्थित है।

महोदय, इस विसंगतता के कारण तेल कंपनियां अन्य पोर्ट का प्रयोग करती हैं, जिसमें उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता यानि सब्सिडी मिलती है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि 'सबका साथ, सबका विकास ' के अंतर्गत सभी पोर्ट्स के लिए एक समान व्यवस्था की जाए, तथा यह सब्सिडी पिपावाव पोर्ट स्थित आयात संस्थान पर भी लागू की जाए। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस विसंगती के कारण देश को तथा राज्य को राजस्व की हानि भी होती है। इसका कारण है कि जहाजों को अन्य बंदरगाहों पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ऑयल कंपनियों को डेमरेज के रूप में अतिरिक्त भारी नुकसान भुगतना पड़ता है।

महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र अमरेली एक कृषि आधारित जिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार के शासनकाल में हमारे जिला का पूर्ण विकास होगा महोदय, पूरे देश के कोस्टल एरिया का ज्यादातर भाग, करीब 1600 किलोमीटर गुजरात में है। हमारे राज्य के विभिन्न पोर्ट्स में से एक पीपावाव पोर्ट हैं, जो हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिला में स्थापित है।

महोदय, पिपावाव पोर्ट के डेज़िगनेटिड पोर्ट घोषित किए जाने से ओएमसी यानी तेल कंपनियों को भारी फायदा होगा और इसके साथ ही देश को एक बड़े राजस्व का लाभ होगा। उसके साथ-साथ हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली का विकास भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अत: आपके माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पिपावाव पोर्ट को डेज़िगनेटिड पोर्ट घोषित किया जाए।...(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापित महोदय, मुझे शून्य काल में बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने जो विषय दिया था, वह ऑलरेडी नियम-377 में आया है। इसलिए मैं विषय चेंज करने के लिए आपकी अनुमित चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

महोदय, दुनिया भर के मुसलमान उमराह और हज के लिए मक्का जाते हैं। साउदी अरब की सरकार उस सेवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देती है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका सब्जेक्ट अगला है न?

...(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवले : सभापति महोदय, मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवले : सभापित महोदय, उमराह और हज के लिए पूरे विश्व के मुस्लिम धार्मिक यात्रा के लिए मक्का जाते हैं । साउदी अरब की सरकार वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा देती है । लेनिक वर्ष 2018 से साउदी अरब की सरकार ने वीज़ा के नॉर्म्स चेंज किए हैं । उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस यात्रा के लिए दो साल का अंतराल देना चाहिए।

उसे दो साल की समयावधि के भीतर हज पर जाना है तो उसे सउदी अरब को 2000 रियाल का भुगतान करना होगा। उनको लगभग 38,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अन्य देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन्स से उनके यहाँ से जो हज के लिए जाते हैं, उनको राहत दी है। लेकिन भारत से जो हज के लिए जाते हैं, उनको वहाँ पर 2000 रियाल पे करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सउदी अरब गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन है। वहाँ पर डिप्लोमेटिक चर्चा करके, जो लोग हमारे यहाँ से हज को जाते हैं, उनको 2000 रियाल माफ करके राहत देनी चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Rekha Verma and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Ramesh Shewale.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापित महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । भारत-नेपाल सीमा पर पूरा का पूरा बिहार आज बाढ़ से कराह रहा है । इतनी भयंकर समस्या आ गई है कि इस पूरे एरिया में सभी लोगों को अपने घर, द्वार, गाँव छोड़ कर जाना पड़ रहा है । माननीय गृह राज्य मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं । भारत-नेपाल बॉर्डर पर बिहार की पूरी सीमा पर बाढ़ आई है । उन्होंने एनडीआरएफ की व्यवस्था तो की है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ । लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध रहेगा कि सभी को सूखा राशन भी उपलब्ध कराया जाए, उन्हें एक अच्छा कम्पनसेशन दिया जाए । जो घर गिर गए हैं, उनको भी शीघ्र मैनेज किया जाए कि उनके लिए भी

गृह की व्यवस्था हो सके। मैं चाहूँगा कि यह पूरे बिहार और पूरे असम की समस्या है। इस पर मंत्री जी को ज़रूर जवाब देना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Rekha Verma and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Sanjay Jaiswal. SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Thank you very much, Sir. The Hon. Prime Minister in his recent 'Mann Ki Baat', talked about *nasha*, the impact of drug abuse and its impact on the family system, how families are breaking down and getting destroyed.

I just want to bring to your notice that we are genuinely faced with a genuine crisis in which 271 million, as per UNODC report, are suffering, which makes it 5.5 per cent of global population. India is especially vulnerable for the simple reason that we fall in the area between Golden Crescent and Golden Triangle, so we are a route to smuggling of drugs, especially coming out of Pakistan, Afghanistan and other areas and we are a consumer country as well. Our youth, especially children, are getting impacted because of this vulnerability. So, we need to set-up a task force. That task force has to be of the lawmakers and law enforcers.

The methodology of selling drugs is also changing. Darknet is getting used. The biggest beneficiary of this system is the terrorists, non-State actors and others like Taliban and all.

In order to control this entire system, the amendment in the NIA Act has been very useful. But I especially call upon my fellow hon. Members of Parliament that we all must set-up a task force and be a part of this initiative to

remove drugs from our society and take this forward not just as a Government initiative, but as a social initiative. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Rekha Verma and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakashi Lekhi.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और विशेष तौर पर गृह मंत्रालय का ध्यान उन देशभक्त लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो भारत-पाक सीमा पर रहते हैं। ये लोग सांबा, जम्मू, अखनूर, राजौरी और पुंछ क्षेत्र के रहने वाले हैं और सीमा पर रहते हैं। पाकिस्तान की गोलियों का भी सामना करते हैं, मारे भी जाते हैं और जख्मी भी हो जाते हैं। भारत-पाक सीमा पर जो कांटेदार तार लगाए गए हैं, तार के उस पार किसानों की ज़मीन है। यह खेती योग्य ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर वे खेती नहीं कर सकते। विडम्बना की बात यह है कि कई बार यह मुद्दा सदन में उठाने के बावजूद भी उन्हें मुआवज़ा नहीं दिया जाता है। उन किसानों का क्या कसूर है, जो बिना हथियार के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वह भी देश भित्त का सबूत है। वे पािकस्तान की गोलियों का शिकार भी होते हैं। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द कांटेदार तार के उस पार जो उनकी ज़मीन है, उसका मुआवज़ा दिलाए। वहाँ से सूची मँगवाए तािक वे लोग चैन की नींद सो सकें। जो खेती-बाड़ी से गुज़ारा करते हैं, वे मुआवज़े से गुज़ारा कर सकें।

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Rekha Verma, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Sanjay Jaiswal, Shri Nihal Chand and Shri Ajay Kumar are permitted to associate with the issue raised by Shri Jugal Kishore Sharma. Those who have associated with the speeches made, please give slips at the Table so that your name can come on record.

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी (देवास): माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । अधिवक्तागण हमारे समाज में प्रबुद्ध वर्ग है । हमारे अधिवक्तागण ने देश की आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाई थी।

अधिवक्ता भारतीय न्याय व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण अंग है और न्यायपालिका को न्याय दान प्रदान करने में अधिवक्तागण सहयोग करते हैं। आजकल मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अधिवक्ताओं के विरुद्ध कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं और उन पर हमले हो रहे हैं। इससे अधिवक्तागण अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अपील करता हूँ कि अधिवक्तागण की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जिससे अधिवक्तागण अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। वे न्याय व्यवस्था में न्याय दान प्रदान करने में मदद करें और निर्भीकता से अपने कार्य को सम्पादित कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Mahendra Singh Solanky.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, according to a latest report of the Central Government, 10 per cent medicines in the Indian market are fake. In fact, the quantity of fake medicines in the market is larger than this.

There are medicines worth more than Rs.1 lakh crore in Indian market. The generic medicines are worth around Rs.10,000 crore. Most of these generic medicines are expensive branded medicines of huge corporate companies.

There are around 82000 branded medicines in our market. Only 15 per cent of medicines come under the price regulation law in India. If we calculate

18-07-2019 284

the total price of these medicines, common people get only 1.7 per cent benefit

of price regulation.

After the new Patent Act, the patented medicines in the market are sold

at a high price. Most of these medicines are cancer medicines.

HON. CHAIRPERSON: You come to your demand and conclude.

SHRI T. N. PRATHAPAN: To reduce the price of patent medicines, they

should be brought under the Price Regulatory Athority. If they do not obey

this, the Central Government should allow Indian companies to produce and

market these medicines under the compulsory licence under the Indian Patent

Act.

HON. CHAIRPERSON: Shri Prathapan, please conclude. You come to your

demand.

SHRI T. N. PRATHAPAN: Sir, I am concluding.

The medicine market is the largest sector where common people are

being cheated and looted. Pharmaceutical companies are exploiting the

ignorance and anxiety of people about the health sector. Huge corporate

companies are controlling all these lootings.

The Central Government should take necessary action to bring the

Pharmaceutical Department - which is now under the Ministry of Petroleum -

under the Ministry of Health. This will help the Government to control the

pharmaceutical sector.

HON. CHAIRPERSON: Shri Chattar Singh Darbar – not present.

Shri B.B. Patil

श्री बी. पाटील (जहीराबाद): महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा, जिस पर पहले ही संबंधित मंत्री और हमारे माननीय प्रधान मंत्री से कई बार बात हो चुकी है। हमारे सीएम केसीआर साहब ने पहले तेलंगाना राज्य में नए जिले बनाने का अपना वादा पूरा किया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कुछ अन्य वादे भी हैं, जिन्हें पूरा नहीं किया गया है।

यहाँ मैं तेलंगाना में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के बारे में बात करना चाहूँगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन दोनों प्रकार के स्कूलों को स्थापित करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में, जब से नए जिले बनाए गए हैं, केंद्र सरकार ने तेलंगाना में इन स्कूलों के लिए कोई मंजूरी नहीं दी है।

जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की नीति के अनुसार प्रत्येक जिला एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए पात्र है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में राज्य में गठित 21 नए जिलों में से किसी भी जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। इसी तरीके से तेलंगाना राज्य में केवल 31 केन्द्रीय विद्यालय हैं। केंद्र ने विभिन्न राज्यों में 50 नए केन्द्रीय विद्यालय दिए हैं, लेकिन इनमें से तेलंगाना के हिस्से में एक भी स्कूल नहीं आया है।

यह याद किया जा सकता है कि इन 3 वर्षों में हमारी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कई बैठकों में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाया था। वास्तव में मुख्य मंत्री केसीआर साहब ने प्रधान मंत्री जी के साथ भी अपनी बैठकों में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं हुआ है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि केवी का जो संचालन कर रहे हैं, कुछ केवी किराए के भवनों में चल रहे हैं। उन बच्चों को समायोजित करने के लिए वहाँ छात्रावासों की कोई सुविधा भी नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस मामले को देखें। वे तेलंगाना में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी देने के लिए तत्काल उपाय करें और इसके लिए कदम उठाएं। इससे न केवल साक्षरता के स्तर को बढ़ावा मिलेगा, बिल्क राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय सभापित महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। आपके माध्यम से मैं टूरिज्म मिनिस्टर का ध्यान मेरे स्टेट की तरफ दिलाना चाहती हूं क्योंकि त्रिपुरा स्टेट का नाम 51 पीठों में से एक 'त्रिपुर सुन्दरी' के नाम पर पड़ा है। हमारे यहां बहुत कुछ है। वहां उनाकोटि का मन्दिर है, डुम्बुर लेक है, जामपुई हिल्स है, छबीपुरा है। जैसे राजस्थान के उदयपुर में तालाब में राजमहल है, वैसा ही हमारे स्टेट में भी है। लेकिन, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है। वर्ष 2018 में हमारे यहां मोदी जी के आशीर्वाद से बी.जे.पी. की सरकार बनी तो उसके बाद इसे थोड़ा एक्सपोजर मिला है।

महोदय, इतने महत्वपूर्ण कल्चरल, आर्किलॉजिकल, धार्मिक और पर्यावरण स्थल हमारी स्टेट में हैं। हमारी स्टेट को प्रकृति ने पूरा सजाकर रखा है। इसलिए आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से मैं अनुरोध करती हूं कि त्रिपुरा के सभी पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक टूरिज्म सर्किट बनाकर त्रिपुरा के पर्यटन को विकसित किया जाए ताकि पर्यटन के क्षेत्र में त्रिपुरा को एक नई पहचान मिले।

महोदय, हमारे यहां करीब सात लाख बेरोजगार हैं। उन्हें भी रोजगार मिले, इसके लिए मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय से निवेदन करती हूं कि हमारे स्टेट को टूरिज्म सर्किट में लिया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Ganesh Singh and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Pratima Bhoumik.

Dr. M. K. Vishnu Prasad

--- Not present

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापित महोदय, मैं बिहार राज्य के मधेपुरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। उस इलाके में एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 है, जो खगड़िया जिला के महेशखूँट से शुरू होकर सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा, मधेपुरा से लेकर पूर्णिया तक जाता है। सरकार ने दो वर्ष पहले निर्णय लिया कि इसका हम निर्माण कराएंगे। यह काम एन.एच.ए.आई. को दिया गया। एन.एच. के विभाग ने उसे ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। आज की स्थिति यह है कि उस सड़क पर दो से तीन फीट, चार फीट तक के गड़ढ़े बने हुए हैं। इससे वहां गाड़ियां पलट जाती हैं, लोग मरते हैं, सड़क जाम होता है और कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। अब नेशनल हाईवे विभाग कहता है कि उसे एन.एच.ए.आई. करेगा। पर, एन.एच.ए.आई. उसका काम शुरू नहीं कर रहा है और स्थिति भयावह हो गयी है।

महोदय, सहरसा जिला मुख्यालय है और वहां से मधेपुरा जिला मुख्यालय की दूरी 18 किलोमीटर है। लेकिन, इस 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में डेढ़ घंटे से दो घंटे का समय लगता है। इस परिस्थिति में लोग जनप्रतिनिधि को देखते होंगे तो वे किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे, यह तो खुद आप भी समझते होंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर उस सड़क का निर्माण करने में कोई विलम्ब है तो तत्काल उसकी मरम्मत कराई जाए।

महोदय, उसी तरह से एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 है। इस पर तीन साल पहले काम हुआ, लेकिन वह काम 20 प्रतिशत भी नहीं हुआ। इसलिए हम यह भी मांग करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 का भी काम द्रुत गित से कराएं, जिससे जनता को परेशानी न हो। डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापित महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। स्कूल के बच्चों के बस्ते का बोझ बहुत बढ़ता चला जा रहा है। उसमें ढेर सारी किताबें, कापियां होती हैं। इसके साथ ही साथ उनके टिफिन और पानी की बोतल इस वजन को और भी बढ़ा देते हैं। बच्चे यही बोझ अपने कन्धों पर लेकर स्कूल जाते हैं। शुरू-शुरू में तो बच्चे इस काम को आराम से कर लेते हैं। लेकिन, चूंकि बच्चे इतने बड़े बोझ को लेकर स्कूल जाते हैं तो उनके कन्धों

पर जो बोझ होता है, उसके कारण बाद में पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द आदि बीमारियों सहित मानिसक और शारीरिक रूप से बच्चों के शरीर में शिथिलता आने लगती है। इससे बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है और बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय नियम भी यह कहते हैं कि बच्चे के बस्ते का वजन उसके कुल वजन के दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो बस्ते का वजन दो किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन, यह देखने में आता है कि आठवीं कक्षा तक का बच्चा जिस बैग को लेकर स्कूल जाता है, उसका वजन पाँच किलो होता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और केन्द्र सरकार ने भी इस दिशा में पहल की है। केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के वजन के हिसाब से बस्ते का वजन निर्धारित किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में एक नीति बनाई जाए। प्राइवेट तथा निजी विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में बच्चों के कंधे पर वजन कम करने के लिए और बस्ते का वजन कम करने की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहम्मद आज़म खां (रामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, संभल जिले की एक तहसील चंदौसी है। कल वहां कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय जेल वैन पर फायरिंग हुई, उसमें दो पुलिसकर्मी मारे गए और तीन कैदियों को छुड़ा लिया गया। इसी तरह सोनभद्र में 32 ट्रैक्टरों में आने वाले लोगों पर गोली चली, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 30 लोग जख्मी हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का दिल है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर वहां कानून-व्यवस्था ऐसी होगी, तो जाहिर है कि देश को पुर-सुकुन देश नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, शासन और प्रशासन गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं, अगर उनमें तालमेल न हो और जब सरकार या अधिकारी बदला लेने की भावना से काम करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप कन्क्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कन्क्लूड कीजिए। यह राज्य संबंधी मामला है। Just make a mention. That is all.

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Speaker has allowed you to make a mention. So, kindly make a mention and conclude.

श्री मोहम्मद आज़म खां: मान्यवर, जब कानून अपना काम नहीं करेगा, सरकार में बैठे हुए लोग इंतकाम की कार्रवाई करेंगे ।...(व्यवधान) जब किसी शैक्षणिक संस्था को नुकसान पहुंचाएंगे ।...(व्यवधान) मान्यवर, श्री मुलायम सिंह यादव जी बैठे हैं, जौहर विश्वविद्यालय की बुनियाद आपने रखी, आपने उसका उद्घाटन किया, लेकिन आज उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश हो रही है।...(व्यवधान)

جناب محمد اعظم خان (رام پور): محترم چیرمین صاحب، سنبهل ضلع کی ایک تحصیل چندوسی ہے۔ کل وہاں کورٹ میں پیشی کے لئے جاتے وقت جیل وین پر فائرنگ ہوئی، اس میں 2 پولس والے مارے گئے اور تین قیدیوں کو چھڑا لیا گیا۔ اسی طرح سون بھدر میں 32 ٹریکٹروں میں آنے والے لوگوں پر گولی چلی، جس میں 11 لوگوں کی جان چلی گئی اور 30 لوگ زخمی ہیں۔

محترم، اتر پردیش ہندوستان کا دل ہے، ملک کا سب سے بڑا پردیش ہے۔ اگر وہاں قانون ۔ویوستھا ایسی ہوگی تو ظاہر ہے ملک کو پُر سکون ملک نہیں کہا جا سکتا۔ جناب، شاسن اور پرشاسن گاڑی کے دو پہئے مانے جاتے ہیں، اگر اس میں تال میل نہ ہو، اور جب سرکار یا ادھِکاری بدلا لینے کی بھاؤنا سے کام کریں (مداخلت)۔۔۔

محترم، جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ انتقام کی کاروائی کریں گے (مداخلت)۔۔ جب کسی تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچائیں گے تو (مداخلت)۔۔ محترم، جناب ملائم سنگھیادو جی بیٹھے ہیں، جوہر یونیورسٹی کی بنیاد آپ نے رکھی، آپ نے اس کا اُدگھاٹن کیا، لیکن آج اسے برباد کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔۔ (مداخلت)۔۔

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापित महोदय, दिल्ली में बहुत ही सेन्सिटव एक समस्या है, वह समस्या पीने की पानी की है। दिल्ली में दो करोड़ लोग रहते हैं। यहां दिल्ली के बाहर से भी लोग रोजी-रोटी की तलाश में आते हैं।...(व्यवधान) दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए और यहां के दो करोड़ लोगों को पीने के लिए 1408 एमजीडी पानी चाहिए, लेकिन यहां केवल 900 एमजीडी पानी की व्यवस्था है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record except what Shri Ramesh Bidhuri says.

...(Interruptions) ...*

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, आर्टिकल 21 में एक आदमी का फंडामेंटल राइट है कि उसे पीने का साफ पानी मिले, लेकिन यहां की सरकार उसकी व्यवस्था नहीं करा पाती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक जल नीति बनाई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि दिल्ली के जो तालाब हैं, उनमें पिछले पांच सालों में ब्यूटीफिकेशन के लिए एक पैसे का काम नहीं हुआ है। अगर इस जल नीति के तहत काम हो जाएगा, तो उससे यहां का वाटर लैवल बढ़ेगा। दिल्ली के देवली इलाके में गरीब

-

^{*} Not recorded.

तथा मजदूर लोग रहते हैं। वह अनॉथराइज्ड कालोनी है। इन कॉलोनियों के अंदर जो ट्यूबवेल लगते हैं, ...(व्यवधान) महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सर, आप भी गरीबों के हितैषी हैं और उनकी सारी बातों को मानते हैं। आज गरीबों को पीने के लिए साफ पानी चाहिए। वहां पांच से सात लाख रुपये कॉलोनी के लोगों से उगाही करवाते हैं, तब वहां ट्यूबवेल लगता है, जब कि यह सरकार की ड्यूटी बनती है। सरकार ने वायदा किया था कि दिल्ली में 20 हजार लीटर पानी सबको फ्री में दिया जाएग। जो अनॉथराइज्ड झुग्गीवासी हैं, वहां पानी की पाइप लाइन ही नहीं है। वहां बेचारे गरीब आदमी रहते हैं। आज तक उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है।

सभापित महोदय, वजीराबाद में 200 एमजीडी का प्लांट लगना था, दिल्ली सरकार के पास 52,000 करोड़ रुपये का फंड है, लेकिन वह काम नहीं हो रहा है। वर्ष 2014 में ओखला में 100 एमजीडी का प्लांट बनना था, उस समय राष्ट्रपित शासन था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार जल नीति के माध्यम से उन प्लांट्स को चालू करवाए और वहां पानी की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, Kerala is one of the most famous tourist destinations in India. There are some historically important and high tourism potential places in my Constituency which are yet to be developed....(*Interruptions*)

Some such tourist attractions are Ponmudi hill station, Kilimanoor Palace....(Interruptions) Sir, how would I be able to speak like this?...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You please continue. Nothing will go on record except that of Adv. Adoor Prakash.

...(Interruptions) ...*

ADV. ADOOR PRAKASH: Some such tourist attractions are Ponmudi hill station, Kilimanoor Palace, the birth place of a renowned painter Raja Ravi Varma, and the coastal town Varkala....(Interruptions) The main tourist attraction of Varkala is the Papanasam beach, renowned for a natural spring which is considered to have medicinal and curative properties....(Interruptions) A two thousand-year-old Shrine, Janardanaswamy Temple, and the Sivagiri Mutt, founded by the great religious reformer and philosopher Sree Narayan Guru is also close by....(Interruptions) The Samadhi of the Guru here attracts thousands of devotees....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please maintain order.

... (Interruptions)

ADV. ADOOR PRAKASH: A century old tunnel built on TS canal, which flows in the eastern part of Varkala, is also a tourist attraction....(*Interruptions*) The Geological Survey of India is in a process to declare Varkala as the first national geopark....(*Interruptions*) The Varkala beach is a unique sedimentary geo-morphological structure and one of the most popular tourism destinations in Kerala....(*Interruptions*)

-

^{*} Not recorded.

I urge upon the Government to support the Government of Kerala to develop these places as tourism circuit projects. Thank you....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Sudhakar Tukaram Shrangare.

... (Interruptions)

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय, मेरे लातूर निर्वाचन क्षेत्र में आष्टा मोड़ से उदिगर और नेशनल हाईवे 63, करीब 160 किलोमीटर पर है। टेंबूरनी से लातूर सैक्शन तक नेशनल हाईवे की हालत बहुत खराब है। सबसे छोटा रूट होने के कारण उदिगर, लातूर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से मुंबई और पुणे जाने वाले सभी वाहन जिसमें सरकारी बस व प्राइवेट वाहन शामिल हैं, यह सारा हैवी ट्रैफिक इस मार्ग से गुजरता है। सड़क खराब होने के कारण सभी लोगों को भारी दिक्कत व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर जगह-जगह गड़ढे हो गए हैं। इनके कारण आये दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बरसात के दिनों में हालत और भी दयनीय हो जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा आष्टा मोड़ से उदिगर और इस नेशनल हाईवे के नवीनीकरण का अनुमोदन काफी समय पहले किए जाने के बावजूद इस पर काम शुरू होने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। इसी के साथ टेंबूरनी से लातूर सैक्शन की हालत बहुत ही खराब है। इस मार्ग का जल्द से जल्द नवीनीकरण एवं फोर लेन में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि आम जनता की दिक्कतों को देखते हुए आष्टा मोड़ से उदिगर का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए और नेशनल हाईवे 63 पर टेंबूरनी से लातूर सैक्शन तक के हाईवे का नवीनीकरण व इसे फोर लेन किया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the approved list is already over. The hon. Speaker has already directed all the Members to submit their cases, especially, particular to their Constituencies. So, please confine your

submission to your demands so that we can accommodate almost all the Members.

Now, Dr. Alok Kumar Suman.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापित महोदय, पहली बार मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, बिहार में भयंकर बाढ़ की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, बिहार में एक बार फिर भयंकर बाढ़ आ गई है। जब नेपाल में लगातार बारिश होने लगती है, तब गण्डक नदी का जल स्तर भी तेजी से बढ़ता है। वाल्मीिक नगर बराज से कई लाख क्यूसेक जल छोड़ दिया जाता है। हमारे यहां गण्डक नदी के लगातार घटते-बढ़ते जल स्तर की वजह से बांध में कटाव तेज है। कटाव तेज होने की वजह से बांध की मिट्टी लगातार हर साल कटती रहती है। जब यह बांध टूट जाता है, तो करीब डेढ़ सौ गांवों के लाखों लोग प्रभावित होते हैं तथा हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हो रहे हैं। पिछले कई सालों में लाखों लोगों के घर नदी में कटाव के कारण समाप्त हो गए। कल तक जहां गांव हुआ करता था,आज कई किलोमीटर में नदी की धारा बह रही है।

इस संबंध में मेरा विनम्र आग्रह है कि उचित समय पर यदि बांध में बोल्डर लगा दिया जाए एवं किनारों को सीमेंटेड कर दिया जाए तो कटाव को रोका जा सकता है। ऐसा करने से करोड़ों रुपये सरकार का जो हर साल खर्च होता है, उस वित्तीय नुकसान से भी बचा जा सकता है।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): I wish to draw the attention of the Government towards a serious medical condition that has affected the Democratic Republic of Congo, in which more than 1,600 people have already died till yesterday and the World Health Organization has declared a public health emergency of international concern, which is a very serious issue. This Ebola virus has no particular treatment and in this modern age, where

travelling is so frequent between nations by air and sea, our Government should start vigilance at the seaports and the airports, for people particularly coming from the African Continent, so that this Ebola virus does not spread in our country and cause public health hazard.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Sanjay Jaiswal is permitted to associate with the issue raised by Dr. Kakoli Ghosh Dastidar.

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): I am going to draw the kind attention of the Government to an issue of interest for the State of Odisha. You might have heard about the history of Odisha. I urge upon the Government of India, through you, to establish a Kalinga Regiment in Indian Army on the lines of Punjab, Sikh and Jat Regiments. You might have heard about the bravery of soldiers from Odisha who fought in different wars and agitations like the Kargil War, Paika movement and Garhjat movement and laid down their lives. So, I urge upon the Government to set up and establish the Kalinga Regiment like other Regiments in India.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापित महोदय, 5 जुलाई दिल्ली के द्वारका में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 7 जुलाई को सत्रह साल की मिहला के साथ बलात्कार किया गया, कल दिल्ली में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। ये घटनाएं कहां हो रही हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्रधान मंत्री हैं और राष्ट्रपित भवन है। हर रोज दिल्ली में इस तरीके से बलात्कार हो रहा है। ...(व्यवधान) जब-जब नारी को नारायणी कहा जाता है तब हमारे हिन्दुस्तान में हर रोज 92 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जिस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस said that between 1st January and 30th June this year, a total of 24,202 FIRs related to child death

were filed across the country. Out of this, 11,981 are still being probed and in 12,231 cases, charge-sheets have been filed. So, this is the situation. हर रोज देश में 92 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो हम किस हिन्दुस्तान में रहते हैं, यह सभी को सोचना चाहिए। इससे निपटने का क्या उपाय है, इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।

DR. SATYAPAL SINGH (BAGHPAT): Sir, I am grateful to you for giving me the time and I need your protection to raise a very important issue of my constituency. मैं बागपत से आता हूं। बागपत पिछले 22 सालों से एनसीआर का पार्ट है। यहां से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रोजाना लगभग पचास से साठ हजार लोग ट्रेन से सफर करते हैं। दिल्ली को दूध, फल, सब्जी और सब कुछ लाकर देते हैं। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी शहर हैं, चाहे गुरूग्राम हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे नोएडा हो या गाजियाबाद हो, अलवर तक मैट्रो ट्रेन गई है, केवल यही क्षेत्र मैट्रो से अछूता है।

मैं माननीय शहरी विकास मंत्री और रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बागपत को जल्दी से जल्दी कासिमपुर खेडी तक मैट्रो ट्रेन से जोड़ा जाए, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि पचास-साठ हजार रोजाना आने वाले लोगों को मदद मिल सके।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Satyapal Singh.

इसे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि 50,000-60,000 रोजाना आने-जाने लोगों को मदद मिल सके।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Satyapal Singh.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): माननीय सभापित जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान गैजट नोटिफिकेशन संख्या 141 दिनांक 25.02.2019 की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार 18-07-2019

ने लाल ईंट के भट्टों को पूर्णतया समाप्त करने का निर्णय लिया है। कई वर्षों से चलता आ रहा कुटीर उद्योग करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। राजस्थान में कृषि अपशिष्ट पर आधारित लगभग 3000 ईंट भट्टे हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए इन भट्टों पर एसपीएम 174 से कम ही आता है।

केंद्र सरकार द्वारा जिग-जैग प्रणाली का प्रयोग करके प्रदूषण को कम करना बताया गया है, जबिक राजस्थान में लगभग 3000 ईटं भट्टे कृषि अपिशष्ट पर चलते हैं। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में पानी और बिजली की कमी है। लाल ईटं भट्टे बनाने में केवल एक लीटर पानी लगता है जबिक फ्लाई ऐश की ईटं बनाने में लगभग 15 लीटर पानी लगता है। जिग-जैग प्रणाली में कोयला प्रयोग करके ईटं बिक्री का भाव 6 से 8 हजार रुपये रहता है लेकिन हमें ईटं 3500 रुपये के भाव से मिलती है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि लाल ईंट भट्टे बंद न किए जाएं, इन्हें चालू रखा जाए। जहां तक ईंट के भट्टों में पीपीएम की रिपोर्ट की बात है, पीपीएम लैवल 182 था जबकि जिग-जैग लैवल 367 पाया गया। पीएम वैल्यु कृषि अपशिष्ट की 103 थी और जिग-जैग प्रणाली में 444 थी।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि लाल ईंट भट्टे, जो राजस्थान में चल रहे हैं, इन्हें बंद न किया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Nihal Chand.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I am raising a matter of urgent pubic importance. Kerala State Inland Waterways consists of navigable coastal and cross canals, having a length of approximately 1,680 kilometres. It includes 590 kilometres of main arterial inland waterways in Kerala with West Coast Canal stretching from Kasaragod in the North to Kovalam in the South.

Further development of West Coast Canal to Kollam – which is your Constituency, Mr Chairman, Sir — in the South, and from Kozhikode to Kasaragod in the North by linking the two ends of the West Coast Canal to the existing National Waterways-III, has the potential to bring transformational development in the State both in economic terms and in providing connectivity to cheaper modes of transportation.

In Kerala, the rail utility and road utility is more than 100 per cent but land acquisition is nearly impossible. In that situation, waterways is the only possible way of easy connectivity. It is also the cheapest mode of transport. For example, the transport charge for goods movement for one tonne per kilometre by road is Rs. 2.50. By road, it is Rupee one; and by waterways, it is only 45 paisa. So, mode of transportation by waterways is economically and environmentally a viable proposition.

So, I would request the Government to please consider further development of the West Coast Canal as early as possible, and allot adequate funds for this. Thank you.

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise a very important matter.

While inaugurating the International Airport at Tirupati, the Airport Authorities had promised to ensure direct flight from national Capital, New Delhi to Tirupati. The Airport Authorities also promised flights for international

destinations like USA, Dubai, Singapore, Malaysia and the Middle- East countries.

We are all aware of the importance of Lord Venkateswara Swamy. A large number of pilgrims from all over the world visit the sacred place of Seven Hills of Tirupati /Tirumala. Also, VVIPs, VIPs use to come for *darshan* of Shri Lord Venkateswara / Balaji in Tirumala, at least, once a year.

Moreover many students, business persons, professional workers from places like Prakasam District, Kadapa District, Nellore District and Chittoor District are frequently flying to America, Malaysia and Dubai. But due to non-operation of international flights at Tirupati, these skilled workers have to go to Mumbai for international destinations.

Since Air India is running in losses, I would demand that the private airlines may be instructed to operate on these routes. The space has already been allocated for them.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO: Sir, there was an assurance given by the Government. But so far, no international flight has started on these routes.

HON. CHAIRPRESON: Your demand has already come.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापित महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपने लोक सभा क्षेत्र सतना की जीवन रेखा बरगी बांध की दायीं तट नहर जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना की 1,59,355 हेक्टेयर में यानी दो-तिहाई भूभाग में सिंचाई प्रस्तावित है, का मुद्दा उठाना चाहता हूं । अब तक 263 कि.मी. 1471 करोड़ रुपये की लागत से नहर बन गई है, लेकिन सतना जिले में

18-07-2019

प्रवेश के पहले कटनी जिले की स्लीमनाबाद के पास 11.953 कि.मी. में सुरंग बनाने का निर्णय 2008 में लिया गया था। सुरंग का कार्य अभी तक मात्र 4400 मीटर हो पाया है। सुरंग ऊपरी सतह से 71 फीट नीचे है। उसमें कहीं गैस निकलती है, कहीं पानी निकलता है, कहीं मिट्टी धंसती है। इन कारणों से सुरंग बनाने के कार्य में लगातार व्यवधान आ रहे हैं। हालांकि इसमें कहीं पहाड़ नहीं है, समतल भूमि है। सुरंग न बन पाने से पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। बनी हुई नहरें खंडहर हो रही हैं, जो भारत सरकार की एक राष्ट्रीय क्षति है। जलशक्ति मंत्रालय को मेरा एक सुझाव है कि यह एक बहुद्देशीय परियोजना है तथा प्रधान मंत्री फास्ट ट्रैक योजना में शामिल है। मैंने कई बार इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया था लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे उपयोगी नहीं माना।

<u>18.56 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में जल संरचनाओं तथा सिंचाई नहरों के निर्माण में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। मेरा सुझाव है कि सुरंग के शेष कार्य को ओपन कास्ट मॉडल पर बनाया जाए, जिसमें सुरंग की लागत खर्च से कम 799 करोड़ रुपये के स्थान पर 450 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हो जाएगी। मैं जलशक्ति मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस कार्य को पूरा कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से बात करके इस मामले को अंतिम रूप दिलाएं ताकि वहां पर सिंचाई की सुविधा दी जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर बैठे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जो माननीय सदस्य देर तक बैठते हैं, उनको समय पर मौका भी मिलता है। इसलिए, मेरा आग्रह है कि जो माननीय सदस्य बोल लें, वे घर न जाएं। यह संविधान की नियम प्रक्रिया में भी लिखा है। माननीय सदस्य, जो अलग-अलग राज्यों के विषय रख रहे हैं, उनसे सबको बड़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अधिकतम माननीय सदस्य रहें, जिससे इस सभा के अंदर उपस्थिति पूरी रहे। मैंने सदन में देखा कि आज बहुत अच्छी उपस्थिति है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती क्वीन ओझा। माननीय सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। माननीय सदस्य को इसी सत्र में कम-से-कम पांच बार बोलने का मौका मिल गया है।

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। गुवाहाटी के सभी लोगों ने कहा कि आपको इतना बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए सभी लोग खुश हैं और गुवाहाटी के सभी लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है।

महोदय, आज मैं एक संवदेनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रही हूं। आज असम में बाढ़ की स्थिति के विषय पर बोलना चाहती हूं। आज सारा असम बाढ़ में डूबा हुआ है। असम में

हुए हैवी रेनफॉल और भूटान और अरुणाचल प्रदेश से जो पानी आ रहा है, उससे बाढ़ की स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। इस बाढ़ में 5 हजार 170 गांव, 32 जिले और 56 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा। इसके साथ ही 19 लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजिल अर्पित करती हूं।

महोदय, दु:ख की बात यह है कि इस विपत्ति के समय में भी कांग्रेस के सांसद डर्टी पोलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में आई बाढ़ में 826 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने कोई भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। इसलिए सरकार विफल भी हुई थी। लेकिन, हमारे माननीय मुख्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को मैं धन्यवाद देती हूं।

19.00 hrs

उन्होंने भी माननीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी को वहां की परिस्थित का सम्पूर्ण जायजा लेने के लिए भेजा था। उन्होंने अपने सभी आफिसर्स के साथ मीटिंग की और राहत के लिए भी बंदोबस्त किया। एक बात और है, वहां कांजीरंगा नेशनल सेंचुरी का 90 प्रतिशत भाग पानी में डूब जाता है, उसके लिए हमारी सरकार ने इस बार 33 हाई लेन बनाई है। इसमें सभी पशुओं को सुरक्षित रखने का प्रबंध किया गया है। मैं इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देती हूं। बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, मैं आपसे उनके लिए अधिक धनराशि का आंवटन करने का आग्रह करती हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती क्वीन ओझा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. I would like to speak on the situation prevailing in the North East, specially Assam, which is affected by flood. It is all coming in the national news. Assam, as we all know, is a State of two rivers, Barak River and Brahmaputra River which is the mighty Brahmaputra and also there are a lot of hills and valleys. Today the situation is that almost 5200 villages have inundated; 30 out of 33 districts are affected and 60 lakh people are affected including 19 lives lost.

I must mention that we have heard a little bit of discussion from the Opposition Benches yesterday saying what our State Government and other Governments are doing. I would like to remind them that during the 15 years of their rule, in the first 10 years only, almost 800 plus deaths took place and there was no relief for those families from their Party. It must be mentioned

here that within 48 hours, our hon. Prime Minister and our hon. Home Minister, both of them, had sanctioned Rs. 251.55 crore for immediate relief measures.

I must mention that 1.73 lakh hectare of cultivable land has been lost and the State Government has opened up 1122 relief camps in past five to six days. They are taking care of food, medicine and even baby food. People who have maternity problems, they are also being taken care of.

I would like to bring to your notice that in 2017, under the Chairmanship of Vice-Chairman of NITI Aayog, there has been a committee which has been formed called the North East Water Management Authority. I would like to urge upon you to request the appropriate Ministers to take cognisance of this Authority and implement the report given by this Authority.

Thank you, Sir.

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Thank you, Speaker, Sir. I would like to raise the issue of the Jhodia Tribe which is a prominent tribe in Kashipur block of Rayagada district with more than one lakh people. Previously, they had ST status and were getting all Government benefits till 1997 after which they have been deprived of ST status.

Socially and culturally, the Jhodias are members of endogamous community of Jhodia Paroja and are very much a part of the Paroja clan. The same community members of adjacent blocks of Rayagada and Kalahandi districts are recognised as ST, but the Jhodia people are not getting ST status. Jhodia needs to be included as a synonym of Paroja which is notified as a Scheduled Tribe at Serial No. 55 in ST List of India. Though the Government of Odisha has written to the Government of India, but nothing much has been done. The Jhodia Tribe resembles the Tribal community.

I would urge upon the Minister of Tribal Affairs to urgently look into the issue and include Jhodia community from Kashipur in the list of Scheduled Tribes.

Thank you.

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की विभीषिका के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार के लगभग एक दर्जन से ज्यादा जिले पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा, किशनगंज, किटहार, अरिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी ये सारे जिले बाढ़ से अति प्रभावित हैं। यह बाढ़ मुख्य तौर से नेपाल में जो अत्यधिक बारिश हुई है, उसके कारण आई है। बिहार-नेपाल से होकर जो निदयां निकलती हैं उनका जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पूरे उत्तर बिहार में भयावह स्थिति हो गई है। राज्य सरकार अपने स्तर पर जो काम करना है, कर रही है, राज्य सरकार वहां राहत शिविर चला रही है। राज्य सरकार ने एसओपी बनाया है, वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि राज्य कोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है, इसलिए राज्य कोष की कोई समस्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इसका स्थायी समाधान ढूंढा जा सके। स्थायी समाधान के लिए नेपाल परिक्षेत्र में उनकी नदियों के ऊपर हाई डैम बनाए जाएं और उसके बाद बाढ़ पर भी नियंत्रण हो सकेगा और पनिबजली की योजनाओं पर भी काम हो सकेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि नेपाल सरकार के साथ मध्यस्थता करके, बातचीत करके नेपाल मे हाई डैम बनाने की दिशा में सरकार तत्काल सकारात्मक पहल करे ताकि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके और स्थायी समाधान हो सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वर्मा, श्री दिनेश चन्द्र यादव, श्री संतोष कुमार, श्री विजय कुमार, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री सुनील कुमार पिंटू, डॉ. आलोक कुमार सुमन, श्री गिरिधारी यादव, श्री दिलेश्वर कामैत, श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री राम कृपाल यादव को श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

माननीय मंत्री जी, क्या आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

18-07-2019

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य पिंटू जी, आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी आपके राज्य बिहार से ही आते हैं । आपको माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन सिंह जी के साथ एसोसिएट कर दिया है।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, जैसे ही देश के विभिन्न भागों से बारिश की सूचना प्राप्त होने लगी और बाढ़ की आशंका बढ़ी, ठीक उसी समय पर माननीय गृह मंत्री जी ने 12 जुलाई को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उसकी समीक्षा की गई। गृह मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को माननीय गृह मंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सभी राज्यों से सम्पर्क में रहें और जितनी आवश्यकता हो, सहायता पहुंचाने की जो अपेक्षा हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। बिहार, असम, निश्चित रूप से जिनकी ज्यादा चर्चा हो रही है, और कुछ अन्य राज्यों में भी आंशिक रूप से बाढ़ का प्रभाव है। ...(व्यवधान) पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उनमें शामिल है। अन्य राज्यों में भी आंशिक प्रभाव पड़ा है। अपने यहां इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार ने बड़ी तत्परता से पहल की है। असम सरकार, बिहार सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ यह प्रयास किया है कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की जान-माल की रक्षा हो, कम से कम क्षति हो और बाढ़ के समय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से जो भी अपेक्षा रखी, बडी तत्परता के साथ उसे पूरा भी किया गया है। बिहार में पहले से ही एनडीआरएफ की 12 टीम्स काम कर रही हैं। वहां से एनडीआरएफ की पांच टीम्स और भेजने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही, बिना किसी दूसरी प्रक्रिया का इंतजार किए हुए, तत्क्षण ही पांच की जगह पर सात एनडीआरएफ की टीम्स को बिहार के लिए खाना किया गया और यह सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को दी गई। ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए। मैं भी कह ही रहा हूं कि राज्य सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं।...(व्यवधान) मैंने अभी एनडीआरएफ के बारे में बताना शुरू ही किया है, उसके बाद मैं एसडीआरएफ पर भी आ

रहा हूं। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं उस विषय पर भी आ रहा हूं। थोड़ा धैर्य रखिए।...(व्यवधान)

वहां से लगभग 11 बजे सूचना मिली और शाम को छ: बजे बनारस से सात टीमें पहुंच गईं। इस प्रकार से बिहार में 19 एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। यदि वहां उनकी और जरूरत होती तो और भेजी जातीं, इसलिए अधिकारियों ने रिजर्व में भी एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात करके रखी थीं। असम में भी 18 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गईं। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि इस वक्त आप एसडीआरएफ की चिंता कर रहे हैं। एसडीआरएफ को पांच राज्यों के लिए 3.569 करोड रुपये का आबंटन किया गया । एनडीआरएफ और एसडीआरएफ डिजास्टर मैनेजमेंट देखता है, उसका एक बड़ा पार्ट है। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों और एसडीआरएफ से 15 राज्यों को 41,022 करोड़ रुपये की धन राशि दी है। बिहार राज्य को 417 करोड़ रुपये और असम राज्य को 251 करोड़ रुपये अतिरिक्त धन राशि का प्रावधान किया गया है। अन्य राज्यों में भी बाढ़ की संभावना बनी रहती है। अभी खास कर बिहार और असम बाढ़ प्रभावित राज्य हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की 121 टीमें इस मॉनसून के दौरान तैनात की गई हैं। असम की माननीय सदस्या बोल रही थीं कि पहले बाढ़ में भयावह स्थिति होती थी, भारी मात्रा में जान-माल की क्षति होती थी, संपत्ति की क्षति होती थी। अब क्षति हुई है, यह दु:ख का विषय है, लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन कम मात्रा में गई हैं, यह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यह हुई है, लेकिन कम हुई है, यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की तत्परता की देन है।

अध्यक्ष महोदय, अब तक मॉनसून में कुल 11,465 प्रभावित लोगों की जान पर खतरा था। अगर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की तत्परता नहीं रहती तो बिहार और असम में दो हजार लोगों की जानें चली जातीं और अपना देश दु:ख के माहौल में होता। दु:ख का माहौल तो है ही, लेकिन क्षति को बहुत कम किया गया है। एक हजार जरूरतमंद लोगों को एनडीआरएफ द्वारा चिक्तिसीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। माननीय सांसद ललन बाबू

चर्चा कर रहे थे, जो बिहार में सिंचाई विभाग के मंत्री रहे हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है और स्थायी समाधान भी यही है कि नेपाल में एक ऊंची बांध बनाई जाए, तािक दोनों काम हो सके, पानी को नियंत्रित भी किया जा सके और किसानों को सिंचाई के लिए पानी जरूरत पड़ने पर दिया जा सके।...(व्यवधान) उससे पनबिजली, सिंचाई और बाढ़ पर नियंत्रण, तीनों काम होंगे।...(व्यवधान)

सुबोध जी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी नेपाल के कुछ माननीय सांसद आए थे और जब उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि यह काम भारत और नेपाल मिल कर लेते हैं तो जो बिहार, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड से लगे हुए नेपाल के इलाके हैं, उनमें भी किसानों को बहुत फायदा होगा। वहां से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। वहां अच्छे रूप से पनबिजली का उत्पादन भी हो सकता है। वहां बिजली का उत्पादन सुगमता से हो सकता है। नेपाल में हाई डैम बनाना एक अंतराष्ट्रीय मामला है। इसके लिए भारत का प्रयास है, माननीय मोदी जी का प्रयास है, केन्द्र की सरकार का प्रयास है और इस पर पहल करने का प्रयास हो रहा है। ...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): These matters can be raised by way of a discussion under Rule 193. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): He is already responding. Then, why do you need a discussion under Rule 193?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण कई पहलुओं पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी सफलता नहीं मिल रही है।...(व्यवधान) माननीय सांसद सुनील जी, आप भरोसा रखिए, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार पर

देश और दुनिया ने भरोसा किया है। माननीय सांसद आप भी भरोसा रखिए और अच्छे दिन आए हैं, आगे भी आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धि है। आप चिंता मत कीजिए।

महोदय, प्रयास जारी है और सफलता भी मिलने की आशा है। माननीय सदस्यों की जो चिंता है या केंद्र की जो चिंता है, माननीय प्रधान मंत्री जी की चिंता है, माननीय गृह मंत्री जी की चिंता है, सबकी चिंता है, उसके लिए बाढ़ का स्थायी समाधान खोजा जा सके, इसके लिए प्रयास भी जारी है और विचार भी हो रहा है।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity. The Lower Suktel Irrigation Project in my Parliamentary Constituency, Bolangir was sanctioned in the year 1999-2000 with an estimated cost of Rs.217.13 crore. It was put under the Accelerated Irrigation Programme to be completed in 2014-15.

Sir, it is a matter of grave concern that even after 20 years, this priority project has been languishing incomplete despite several agitations by the public. The abnormal delay can only be attributed to the utter negligence, the gross mismanagement and the lack of will on the part of the State Government. This project once completed has the potential to irrigate 778,620 acres in the severely drought-prone Bolangir and Sonepur districts, not to talk about the employment it would have generated and the addition to the GDP growth of the nation it would have made. Instead the delay in its completion has resulted in irreversible crop loss, loss of livelihood, accelerated mass migration, farmers' suicide, starvation deaths and the project cost escalation to Rs.2448.09 crore till 2016.

Sir, there is another project, the Upper Lanth Irrigation Project, which was also sanctioned during Vajpayeeji's regime in the year 1998-99. But the State Government has only sent the report for forest clearance in 2018 to the Government of India after a period of 20 long years. The Centre in its turn promptly gave the forest clearance within a few months. Thereafter, there is silence as far as this project is concerned. Nothing has proceeded further.

Hon. Speaker, Sir, through you, I request the Government of India to set up a monitoring committee to supervise the progress of the project and fix a time frame for its early completion. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री जी भी सदन में हैं। यदि सभा की सहमति हो, तो प्रत्येक सदस्य के बोलने के लिए दो मिनट का समय काफी है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, वैसे तो एक मिनट में ही विषय सामने आ जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : अभी 103 माननीय सदस्यों का बोलने के लिए नाम हैं और आप सब को 5 घंटे सदन में बैठना पड़ेगा। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट ही काफी है।

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, I thank you very much. This is the first time that I am getting a chance to speak in 'Zero Hour'. Kindly allow me to finish it without time restriction.

I rise to express my deep concern about the critical issues affecting the Non-Resident Indians who have lost their jobs due to the nationalisation policies in the Gulf Coordination Countries. With declining NRI remittances, the

crisis has begun to severely affect the State economies, especially that of Kerala.

At present, the schemes announced for Non-Resident Indians are, unfortunately, not effective at all for the families of Gulf returnees who have lost their jobs. I allege that the Centre, in this regard, has been consistently neglecting the crisis of the Gulf returnees.

As per Kerala Migration Survey, 2018, the number of Non-Resident Keralites living outside India has been estimated at 34.17 lakhs. In other words, one in every three houses in Kerala has a man or a woman working in Gulf countries like Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Oman and Bahrain.

Over the years, they have sent to their homes more than one trillion Indian rupees according to data obtained from banks in Kerala. However, the crisis of Gulf returnees has adversely hit the economy of Kerala. In 2012, Kerala received Rs. 66,000 crore as deposits from abroad and most of it came from Gulf nations. In 2013, it rose by 40 per cent to around Rs. 90,000 crore, but in 2014, unfortunately the deposits grew only by 15 per cent to just Rs. 1.04 trillion. What does this mean?

The number of land transactions has come down. The purchasing power of people has come down. The prices of stand-alone properties and apartments have come down by 30 per cent to 40 per cent. With lowered income of blue collared workers in the Gulf, purchase of gold, which is considered one of the favourite acquisitions of Malayalees, has been on a

decline. My fear is that in the very near future, State economies, like that of Kerala, will face a panic situation.

It is high time for the Central Government to develop a long-term vision and a policy framework for rehabilitating and effectively absorbing the skilled and unskilled Gulf returnees back into our workforce.

I request the Centre to look into this crisis with utmost priority and to further develop measures to counter the loss of NRI remittances.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन एवं श्री राजमोहन उन्नीथन को श्री के. सुधाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बंगाल के दार्जीलिंग क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे एक मिनट ज्यादा बोलने का मौका दे दीजिएगा क्योंकि मेरा विषय बहुत ही गंभीर है। बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हर चीज के लिए हमें आपके पास आना पडता है।

मेरे पूरे क्षेत्र में गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, मेचे और टोटो बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। इन लोगों में से करीब 80 फीसदी के पास अपनी जमीन का पर्जा-पट्टा आज तक नहीं है। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इन लोगों को इनकी जमीनों के अधिकार से वंचित रखा और जो अत्याचार अंग्रेजों ने किये, आज की बंगाल सरकार एकदम वही काम इनके साथ कर रही है।

इनमें से ज्यादातर लोग चाय बागानों में काम करते हैं। दूसरे लोग वन-बस्ती में काम करते हैं और कुछ तीसरे प्रकार के लोग हैं, जो डीआई फंड में रहते हैं। अंग्रेजों ने डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट फंड लगाया था, आज बंगाल में वही अत्याचार टीएमसी की सरकार कर रही है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन लोगों की अपनी जमीनें हैं, उनका यह अधिकार बनता है कि उन लोगों को उनकी जमीनों के पर्जे-पट्टे दिए जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह काम जल्द-से-जल्द हो और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको इसका लाभ मिले।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बदायूँ से दातागंज वाया तिलहर मार्ग के फोर-लेन निर्माण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

बदायूँ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने के लिए ट्रेन के साथ-साथ सड़क मार्ग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इससे लोगों को व्यक्तिगत आवागमन में बहुत-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि लोग बदायूँ से बरेली होकर लखनऊ जाते हैं, तो वह रूट काफी लम्बा पड़ता है। बदायूँ से दातागंज वाया तिलहर मार्ग लेते हैं, तो यह मार्ग टू-लेन और वन-लेन है। तिलहर से होते हुए शाहजहांपुर-लखनऊ पहले से ही फोर लेन है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि बदायूं से तिलहर तक फोर लेन रोड के निर्माण पर वे ध्यान दें। इसके लिए बदायूं की सम्मानित जनता उनका आभार व्यक्त करेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. संघमित्रा मौर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी. वेलुसामी - माननीय सदस्य भी सदन में पहली बार बोल रहे हैं।

*SHRI P.VELUSAMY (DINDIGUL): Hon. Speaker Sir, Thank you for this opportunity to deliver my maiden speech in Lok Sabha. I am happy to stand here with the blessings of Muthamizh Arignar Dr. Kalaingar I thank DMK leader *Thalapathi* Thiru M.K. Stalin for making me a Member of Parliament

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

and the Deputy General Secretary Shri I. Periyasamy under whose recommendation I contested the Lok Sabha elections. I wholeheartedly thank the voters of my Dindigul parliamentary constituency for electing me with a highest margin from Tamil Nadu. The people of Dindigul constituency need to go to adjoining or neighbouring districts for getting better health care facilities. I therefore urge upon the Union Government to set up a Government Medical Cum Hospital with allocation of sufficient funds.

Tejas Express train which passes from Chennai to Madurai via Dindigul should have a stoppage at Dindigul which is an industrial centre. I also urge that Amirtha Express train between Thiruvananthapuram and Madurai should have a stoppage at Ottanchaththiram. The construction work of Railway Over Bridge at Balakrishnapuram in Dindugul Municipality which has been pending for last 4 years. I urge upon the Railway Minister to compete the pending work without any further delay. Naththam, Athur, Nilakkottai Assembly constituencies are in my Dindigul constituency.

Fragrant flowers are grown in large scale in my constituency. I urge upon the Minister concerned to ensure that such fragrant flowers should be exported to foreign countries beside setting up of a perfume factory in that area.

In the Palani Assembly Constituency, Tribals live in large number in Kodaikkanal area. They do not have housing facility to live. I urge upon the Union Government to allocate funds for Group Housing Schemes. Palani Dhandayuthapaani temple is situated in my Palani Assembly constituency.

famous in Tamil Nadu and more than 2 lakh persons visit this place every year.

I request that those tribals should get health accommodation and drinking water facilities. Thank you.

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, I would like to raise a serious matter that is going on in Kerala now.

There are several allegations about the university and PSC examinations. In Thiruvananthapuram University College, Kerala Police, as part of a case, has conducted a ride, in a Student's Union Office, named SFI. The people of Kerela were really shocked when the Police found the answer sheets of the university examination from the Union Office. The terrible fact is that an accused in a murder attempt case has been enlisted in the Kerala PSC list for Police Department.

People of Kerala and several students unions except the SFI have demanded CBI investigation. But the State Government has denied it. The Kerala Students Union President Shri K.M. Abhijit and his colleagues are sitting on a *nirahar satyagraha* demanding the same. But the Government has totally neglected this demand. So, I request the Government to interfere in this matter immediately. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु दत्त शर्मा जी।

विष्णु दत्त शर्मा जी खजुराहो लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र खजुराहो के पन्ना जिले में वर्ष 1956 से लेकर वर्ष 1984 तक भारत सरकार द्वारा बांग्लादेशी विस्थापितों का पुनर्वास किया गया था। लगभग 10-12 गांवों में उन हज़ारों लोगों को उनके पुनर्वास के लिए स्थान दिया

गया था। उनको कृषि कार्य हेतु ज़मीन दी गई थी और रहने के लिए आवास की व्यवस्था के भूखंड भी दिए गए थे।

50-60 वर्षों के बाद इन सभी बांग्लाभाषी लोगों को ज़मीन के लिए जो स्थायी पट्टे मिलने चाहिए थे, वे वन भूमि में जुड़ने के कारण उनको नहीं मिले हैं, जिससे उनको कई प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं। जो बांग्लादेशी विस्थापित वहां आए थे, वे विभिन्न अलग-अलग प्रकार की जातियों, समुदायों के लोग हैं। उनको आज तक किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, जिस कारण उनको केवल जनरल कैटिगरी में माना जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार उनके बारे में तत्काल चिंता कर के उनको कास्ट सर्टिफिकेट दे और उनके आवास को स्थायी करने की मैं सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

*SHRI V.K.SREEKANDAN (PALAKKAD): Speaker Sir, Thank you. I would like to highlight some of the issues concerning Instrumentation Ltd. Palakkad, and I would like to speak in Malayalam.

Sir, Instrumentation Ltd. Palakkad, was established in 1974. A similar unit was established earlier in 1964, at Kota, Rajasthan. This Kota unit was closed down in 2016 due to losses incurred. There were about 200 employees who worked in the Kota unit. When it closed, the pension benefits for the employees were fixed as per the 2007 pay scales.

At that time, the Palakkad unit, situated at Kanikode, had proposed to the Central Government that the State Government is willing to take over the

_

 $[^]st$ English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

functioning of the Palakkad unit. But no MoU could be signed, and other formalities could not be worked out.

Now, the Instrumentation Limited in Palakkad, is neither with the Central Government nor with the State Government. It has been left in limbo.

About 230 employees, of Instrumentation Ltd. Palakkad, are drawing salaries as per the 1997 pay scale, which means they have not got the benefits of the pay revisions made during the last 22 years. They have not received any retirement benefits, nor promotional avenues.

During the last financial year, the unit had earned 6 crores profit and during the last twenty years the unit has earned upto 163 crores of profit.

The Instrumentation Ltd., is the only PSU that manufactures valves and other spare parts for oil refineries and petro chemical industries in India.

I suggest three proposals, for the better functioning of the Instrumentation Ltd. Palakkad. This company should function fully as a Central Government agency. Or else, a MoU should be signed and the Palakkad unit should be handed over to the State Government. A third viable option would be to place the Palakkad unit of Instrumentation Ltd. under any profit making PSU and function as their subsidiary unit.

Sir, the Palakkad unit has 223 acres of land and assets worth 600 crores rupees. I demand that this profit making company should be maintained and the employees should be given pay rise and other incentives which they truly deserve.

With these words I conclude I thank you once again.

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for this opportunity to speak for the first time. Sir, I bow down to my Supreme God, Nongda Lairen Pakhangba, and, I also salute the people of Manipur for empowering me to say a few words here.

Sir, Manipur was a princely State and it was merged with Indian Union on 15th October, 1949 with an intention that the territorial boundary of erstwhile Manipur will be protected by the Union Government. But we lost 20,201 square kilometres of Manipur's land which was Indian territorial land as it was given to the present Myanmar. On 10th March, 1967 again, our boundary was further receded towards the valley area by Indo-Burma Commission.

So, there is an unsettled Indo-Myanmar international boundary till today. I want to know whether there is any means to review the work of Indo-Myanmar Boundary Commission and also the demarcation done in 1975 so that the people's aspiration may be fulfilled as the anti-Indian feeling among the local people is rising because of the loss of the territorial boundary. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. आर. के. रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य भी पहली बार गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आए हैं।
श्री कृष्ण पाल सिंह (गुना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने
पहली बार मुझे 'शून्य काल' में अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका दिया। मैं

माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और अपने क्षेत्र की देवतुल्य महान जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में आने का मौका दिया।

महोदय, मैं एक ऐसे संसदीय क्षेत्र से आता हूं, जहां से दशकों से वीवीआईपी जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे, किन्तु इसके बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं का मकड़जाल उलझा हुआ है। मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का पूर्णत: अभाव है। इतने सालों से यहां का प्रतिनिधित्व करने वाले, देश विरोधी नारा लगाने वालों के साथ नजर आने वाले वहां की जनता का दुख-दर्द नहीं समझ सके। दशकों से शासन करने के बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं है। वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए अन्य जगह पलायन करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां पर कृषि आधारित कोई उद्योग लाने का कष्ट करें।

महोदय, सिंचाई को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ डेमो का करीब-करीब 20-25 साल पहले सर्वे हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। अगर इन परियोजनाओं को शुरू कर दिया जाए, तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी तो मिलेगा ही, अशोक नगर और गुना जिले के लिए पीने की व्यवस्था भी हो सकेगी। शिवपुरी शहर के लिए एक पेयजल योजना बारह साल पहले चालू हुई थी, पर आज भी शिवपुरी शहर प्यासा है। वह योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। मेरा संसदीय क्षेत्र मूलत: कृषि पर आधारित है। यहां अभी तक एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और भी सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए कम समय में सारे सवाल न कहें।

श्री कृष्ण पाल सिंह: महोदय, 70 सालों बाद, जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार किसी क्षेत्रीय व्यक्ति को उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया एक बार में एक सवाल पूछें । अगली बार फिर मौका देंगे । श्री प्रसून बनर्जी ।

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Sir, I thank you for giving me a chance to say something about my Constituency.

I am elected from the Howrah Parliamentary Constituency in West Bengal. I would like to draw the kind attention of the Minister, through you, to the century-old Acharya Jagadish Chandra Bose Botanical Garden, which is situated within my Constituency.

It is a unique organization among its kind not only within the country, but also in the world. Hundreds of research scholars from all over the globe come here to study along with thousands of spectators who daily visit the garden not only from different corners of the country, but also from overseas.

It is the pride of our country, but nowadays it is suffering from infirmity due to lack of proper maintenance. The health of the garden is rapidly deteriorating. It was noticed that the boundary wall of the garden lay broken months ago. Further, lots of valuable and rare plants are kept unprotected, which shows how much care and nursing it got from the authority.

Sir, through you, I am demanding from the Ministry to look into the matter seriously, and pay proper attention to revive the health of the century-old garden. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रमाकांत भार्गव जी भी पहली बार सदन में चुनकर आए हैं।

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर प्रधान मंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमारी विदिशा की जनता का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बुधनी शहर में रेलवे अन्डर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वहां दो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन आना-जाना पड़ता है। ये शहर से लम्बी दूरी तय करके आते-जाते हैं। शहर की जनता परेशान है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी से अनुरोध है कि बुधनी में शीघ्र ही अन्डर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। साथ ही विदिशा संसदीय क्षेत्र के बासौदा शहर में भोपाल-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस का स्टॉप दिया जाए तािक बासौदा से भोपाल प्रतिदिन आने-जाने वाली जनता को सुविधा हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना' का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सूची केन्द्र सरकार को नहीं भेज रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है कि मध्य प्रदेश सरकार से शीघ्र सूची मंगायी जाए। जिससे इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को शीघ्र मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द सिंह चन्देल को श्री रमाकान्त भार्गव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

* SHRI DHANUSH M KUMAR (TENKASI): Thank you Hon. Speaker Sir, for allowing me to deliver my maiden speech in this august House. I thank the DMK leader Thalapathi Thiru M.K Stalin for making me a Member of this House which guides the Government of our country. I thank the State Youth Wing Secretary of DMK Thiru Udhayanidhi Stalin, Thiru Anbagam Kalai, Thiru KKSSR, and the voters of my Tenkasi parliamentary constituency. I want to register in this House the plight of farmers of this country. Thirukkural says "They alone live who live by Agriculture, all others lead a dependant life." Thirukkural couplets were written 2000 years ago. All our farmers are running behind the Ministers of this country seeking relief from them. This is the pathetic situation created by this Government. Farmers do not expect what is called as financial support of Rs 6000 per annum from the Government or subsidy for fertilizers and raw material for agricultural activities. They expect only a remunerative price for their agricultural produce. The manufacturers of all pin and other products have the right to fix the price for their products. But the farmers are left with no option but to look up to the Government with open hands requesting to give a remunerative price for their produce.

Sir, please give me a minute. If the farmers are able to fix the price for the produce, they will not be forced to commit suicides. In such a scenario, farmers will not even expect subsidies or loan waivers from the Government. I wish to register my views about farmers in this august House as myself a

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

farmer. I thank Hon. Speaker once again for this opportunity given to me. Thank you, Sir. Thank you very much.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, due to lack of time, I am dropping my introduction, and straight away coming to the point.

People who are travelling from Delhi to Kannur-Mangalore sector they do not have any direct flight to travel. I represent Kasaragod Parliamentary Constituency, which is in the northern part of Kerala in which five Assembly constituencies belong to the Kasaragod district. The nearest airport is in Mangalore. Rest of the two constituencies belong to Kannur. The nearest airport is located in Kannanur.

I am sorry to say here that there is no direct flight operating from Delhi to Mangalore and Delhi to Kannur and *vice versa*. At the time of Parliament Session, I could not attend throughout the Session due to untimely schedule of the flight from Delhi to Bengaluru. I had to wait at Bangalore airport for three hours to catch connecting flight to Mangalore or Kannur. Air India and some other private operators are ready to operate flights in this sector if the Government takes the initiative. So, I put forward a polite request to the hon. Minister, through you, Sir, to the Government to take initiative to operate direct flights to Mangalore and Kannur from Delhi and *vice versa*.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय अध्यक्ष जी, एनएचएआई द्वारा निर्मित किरतपुर-नागचला फोरलेन का काम बहुत ही धीमी गित से चल रहा है। इसका मुख्य कारण फोरलेन निर्माण में लगी कम्पनियां, जो अपना कार्य दूसरी छोटी कम्पनियों को सबलेट कर रही हैं। फोरलेन निर्माण की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इस कारण से कई जगहों पर सड़क के किनारे लगी सुरक्षा दीवारें एवं सड़कें कई स्थानों पर धंस रही हैं और भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस वजह से इन स्थानों पर पुनः सड़क का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है, ताकि यातायात बाधित न हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, किरतपुर-नागचला फोरलेन का काम किरतपुर नेर चौक एक्सप्रेस हाइवे लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। यह कंपनी सड़क का आधा काम छोड़कर जून, 2017 में भाग चुकी है, जिस वजह से यह सड़क मात्र 24 किलोमीटर तक ही बन पाई है और अभी 60 किलोमीटर तक के सड़क का निर्माण होना बाकी है।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा कारण यह है कि अधिग्रहण के उपरांत भी बहुत से लोगों को पैसों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिस कारण से लोग अपने घरों को नहीं खाली कर रहे हैं और बहुत से लोग संघर्ष, धरना इत्यादि भी कर रहे हैं। इस निर्माण कार्य में हो रही देरी से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को भी काफी हानि उठानी पड़ रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि किरतपुर-नागचला फोरलेन का निर्माण शीघ्र-अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें, ताकि लोगों को इस समस्या का सामना न करना पडे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि कई माननीय सदस्य बोलने के बाद सदन छोड़ रहे हैं। हमारी नियम प्रक्रिया में भी है कि माननीय सदस्य बोलने के तुरंत बाद ही सदन को न छोड़ें। टेबल आफिस और हम सब इस बात को देख रहे हैं कि माननीय सदस्य बोलने के बाद सदन को छोड़ देते हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, आपने जीरो ऑवर में जो एक व्यवस्था दी है, अगर वह सदस्यों की जानकारी में आ जाएगा, तो ठीक रहेगा। पहले जीरो ऑवर में कोई विषय उठता था, तो उस पर भारत सरकार रिस्पांड करे या जवाब दे, यह जरूरी नहीं था, लेकिन अभी आपने व्यवस्था दी है कि राज्य सरकारों से संबंधित जो विषय हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सरकार में हैं, आप व्यवस्था को बता दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, आपने डिस्कशन के दौरान बताया है और आपने जो कहा है, मैं उसे सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार से संबंधित विषय हैं, उन विषयों को छोड़कर, जो विषय केन्द्र सरकार से संबंधित हैं, आपके वे सारे विषय मंत्रालयों को जाएंगे और मंत्रालय आपको रिस्पांड करने का प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही अपनी लोक सभा क्षेत्र के मछलीशहर की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझको चुनकर देश के सबसे उच्च सदन में भेजा है। इसके साथ ही साथ अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और माननीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मछलीशहर के केराकत रेलवे स्टेशन को पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा देने एवं निम्न वर्णित रेलगाड़ियों के ठहराव के संबंध में, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि किराकत तहसील, जौनपुर जिला मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर वर्ष 1903 से स्टेशन क्रियाशील है। पूर्व में किराकत स्टेशन पर लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन वर्तमान में वे सभी सुविधाएं बंद पड़ी हैं। जैसे ट्रेन में पानी भरने की टंकी, टिकट घर, पीने का पानी, शौचालय और ट्रेनों का ठहराव इत्यादि। इन सभी सुविधाओं को पुनः प्रारंभ करने के साथ ही साथ गाजीपुर-कटरा, गाजीपुर-

आनंदविहार, सलायदह, छपरा-दिल्ली और मऊ-लखनऊ रेलगाड़ियों का किराकत रेलवे स्टेशन पर ठहराव कराने की नितांत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकहित के मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए उपरोक्त विषय पर सकारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को आदेश देने की कृपा करें।

*SHRI K NAVAS KANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. During Emergency, the Union Government imposed MISA with draconian powers. The Union Government has accorded certain extraordinary powers to the National Investigation Agency, NIA in a similar way. Through this Act, the minority Muslims and innocent Muslims are being wrongly targeted and cornered in the name of investigation. This should be stopped at any cost.

We are afraid that this Act will be misused against those who are to be suppressed and oppressed, who agitate democratically and the opposition members due to political vengeance. We do not have any second opinion in bringing stringent Acts with a view to punish the culprits and to protect the country. We are of the opinion that innocent youth particularly Muslim youth should not be affected.

This Government is of the opinion that it can do anything as it has the absolute majority in Lok Sabha. The Government should not think that it can do anything of its choice. The Government should not use this Act in any way against those who protest democratically or to arrest the innocent Muslim youths. Thank you.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

*SHRI D. RAVIKUMAR (VILLUPPURAM): Hon. Speaker Sir Vanakkam. Thank you for allowing me to speak for the first time during Zero Hour. I represent Villuppuram parliamentary constituency which is a backward area. The educational status of women is worse in Villuppuram district. If we compare the literacy rates of men and women of this area, there is a gap of 17 per cent in the literacy rate. In order to improve the status of education of women in Villuppuram area, I urge that special schools should be set by the Union Government. Villuppuram area is a tribal populated area.

Irular is a tribal community who live in large numbers in my Villuppuram constituency They have a literacy rate of only 34 per cent, and particularly Irular women particularly have a literacy rate of just 27 per cent श्री जगदिनका पाल (डुमिरयागंज): यह आतंकवादियों के खिलाफ है। ये एक जाति को लेकर

माननीय अध्यक्ष : कोई विशेष आपत्तिजनक बात हो तो एक बार मुझे दिखा लेना । माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है।

जिस तरह से कह रहे हैं। यह सदन की परम्परा नहीं है।...(व्यवधान)

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

_

*SHRI D. RAVIKUMAR: An Ekalavya Special School is operational in this Villuppuram district. I request that another Ekalavya Special School should be set up in my Villuppuram constituency with the financial support from the Union Government. In order to improve the status of youth in rural areas and to generate employment opportunities for them, I urge upon the Union Government through you that agro based industries should be set up in my constituency besides allocation of sufficient funds.

माननीय अध्यक्ष : श्री मारगनी भरत । माननीय सदस्य फिल्म कलाकार भी है । इन्होंने कई फिल्में कर रखी हैं ।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak. I wanted to speak on the subject of youth affairs and sports yesterday. Today, you have given me the opportunity but, unfortunately, the Sports Minister is not here. If he had been here, really it would have been better.

Sir, I want to speak on Tokyo Olympics 2020. As we all know, our country is the second-most populous country in the world. But it is a matter of shame for our country that in Olympics 2016 we won only two medals. Developed countries like USA, China and the United Kingdom take away most of the medals. The United States of America won almost 129 medals in the last Olympics. We have to do some introspection and find out what exactly is going wrong with our country in this regard. Winning two medals for a country of 1.25

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

billion people is a matter of crying shame, Sir. There is tremendous untapped

potential for growth in sports performance in our country. Our hon. Prime

Minister spoke about 'Young India and New India'. Is it not our priority to be

number one in the world of sports also?

I would like to give a few suggestions in this regard. We have to link

sports with our education system. Sports budget for this financial year is just

Rs.2.000 crore. When it comes to developed countries like the USA it is almost

twenty times more than that. I would request the hon. Prime Minister and the

Government of India to sanction at least Rs.10,000 crore for sports so that

India can come into the top ten positions in the coming Olympics.

But I would like to say that we have to encourage sports from the village

level as there is abundant talent. ... (Interruptions) Sir, I have to mention one

final point. I am concluding. The indoor sports stadium should be there in every

district of the country and there should be a qualified trainer.

I would like to urge upon the Government of India to plan strategically as

there is nearly 28 to 30 sports which are of 40 to 50 disciplines. There are

around 300 events. There are around 300 medals for the Olympics. We should

aim to achieve at least 50 medals in the upcoming Olympics.

Thank you so much.

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश पुजारी।

माननीय सदस्य, पहली बार सदन में बोल रहे हैं।

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Thank you hon. Speaker, Sir. In fact, this is my first mention in Zero Hour. The day before yesterday, I got an opportunity to speak for only two minutes.

Today, I am mentioning a burning problem, not only of my parliamentary constituency but of the entire western part of Odisha, comprising five Lok Sabha seats. All the five Lok Sabha seats went in favour of BJP this time. The lawyers in the entire western Odisha are on strike. I am also a lawyer. This strike is for establishment of a permanent Bench of High Court in western part of Odisha. The State Government is interested and the Chief Minister has written to the Union Law Minister for establishment of a permanent Bench. The Union Minister has asked for a composite report, including the location where it will be established. The High Court has also a role to play. The High Court has to give an opinion, positively or negatively. But the opinion is not coming.

So, I request the Union Law Minister to write to the Chief Minister again and take action for establishment of a permanent Bench of High Court in western part of Odisha as quickly as possible. Thank you.

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। 14 जुलाई को लगभग 4 बजे जिला सोलन, कुमारहट्टी में एक चार मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें ऊपर एक मंजिल पर ढाबा चलता था। उस इमारत में होम स्टे था और ढाबा मालिक का परिवार भी वहाँ रहता था। इसमें 42 लोग दब गए थे। इस दुर्घटना में 30 जवान असम रेजिमेंट के और 12 सिविलियंस दब गए थे। एनडीआरएफ, सेना और सिविल प्रशासन की मदद से 17 जवान और 11 सिविलियंस को निकाल लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 13 जवान और 1 सिविलियन की इसमें मृत्यु हो गई थी।

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में, विशेष रूप से शिमला क्षेत्र में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। ऐसी कई पुरानी इमारतों में स्कूल और अन्य संस्थान चल रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इन इमारतों का सर्वे, सर्वेक्षण किया जाए। शिमला एक ऐतिहासिक शहर रहा है, यह शहर ब्रिटिशर्स की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है। यहाँ बहुत पुरानी-पुरानी इमारतें हैं। मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी इमारतों का सर्वेक्षण किया जाए, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 8 बज गए हैं। अगर सभा की सहमति हो, तो कार्यवाही 2 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, ठीक है।

20.00 hrs

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय स्पीकर सर, अरुणाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का एक अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश के वासी हिन्दुस्तान के सच्चे नागरिक हैं।

सर, मैं आपका अटेंशन इस ओर ड्रॉ करना चाहता हूं कि जब भी अरुणाचल प्रदेश से कोई पार्लियामेंटरी डेलिगेशन को चीन जाना होता है या खेल-कूद में अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को चीन जाना होता है तो अरुणाचल के वासियों को चीन सरकार द्वारा स्टेपल वीज़ा दिया जाता है। चीन इससे मना नहीं करता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर यह कह कर मना किया जाता है कि आप स्टेपल वीज़ा पर नहीं जा सकते।

अध्यक्ष जी, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बने 32 वर्ष हो गए हैं। लेकिन, आज तक अरुणाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को चीन में एजुकेशन के लिए, खेल-कूद के लिए या पार्लियामेंटरी डेलिगेशन के लिए जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर मना किया जाता है। यह सुनने में आ रहा है कि अभी चीन के राष्ट्रपति भी हिन्दुस्तान आ रहे हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके साथ अच्छे-से सलाह-मशविरा करके हमेशा-हमेशा के लिए

अरुणाचल के वासियों के लिए कोई हल निकालें, तािक अरुणाचल प्रदेश के लोग सेकिन्ड क्लास सिटीजेन की जिन्दगी जीना महसूस न करें। अरुणाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का एक अभिन्न अंग है और वहां के नागरिक सच्चे नागरिक हैं। मैं अपनी सरकार से यही मांग करता हूं कि वहां के नागरिकों के लिए एक समाधान ढूँढ़ें।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. (प्रो.) किरिट पी. सोलंकी को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, 'नभः स्पृशं दीप्तम्' - यह हमारी भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य है। हमारे दिन्डोरी क्षेत्र में ओज़र के पास हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का हवाई जहाज निर्माण उद्योग है। पिछले लगभग 70 सालों से एच.ए.एल. वहां से लड़ाकू विमानों को बना कर दे रहा है। अभी हाल ही में सर्जिकल एयर स्ट्राइक को सफल करने में इस्तेमाल हुए मिग-21 को एच.ए.एल., औज़र ने बनाया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इसने मिग विमान और सुखोई 30 एम.के.आई. का उत्पादन समय के भीतर और गुणवत्तापूर्ण रूप से दिया है। एच.ए.एल. नासिक जिले की शान है, अर्थवाहिनी है। मेक-इन-इंडिया के तहत अनेक लघु उद्योग और एम.आई.डी.सी. इस एच.ए.एल. उद्योग समूहों पर निर्भर हैं। इसमें लगभग 8,000 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस पर हजारों परिवार निर्भर हैं। पर, यह चिंता की बात है कि सन् 2020 के बाद एच.ए.एल., औज़र के पास वर्क लोड नहीं है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि कोई अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट जल्द ही एच.ए.एल., औज़र को दिया जाए। उस काम को उसके द्वारा गुणवत्तापूर्वक किया जाएगा, यह हमें विश्वास है। वहां के कर्मचारियों का वेतन-वृद्धि करार भी दो सालों से प्रलम्बित है। मेरा अनुरोध है कि सरकार समय पर प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच समन्वय करे।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला के बेलसंड नगर पंचायत में स्लम विकास हेतु

केन्द्र की आवास योजना में हो रही अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। उक्त बेलसंड नगर पंचायत में केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आई.एच.एस.डी.पी. योजना के तहत 1430 आवासों एवं शौचालयों के निर्माण का कार्यादेश मिला था। सभी आवासों एवं शौचालयों का निर्माण तो हो गया, किन्तु अभी तक उनमें से 150 लाभुकों के आवासों एवं 450 लाभुकों के शौचालयों का भुगतान अधिकारियों द्वारा नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण नगर पंचायत बेलसंड में व्याप्त भ्रष्टाचार है जहां के अधिकारी लाभुकों को भुगतान, बिना बिचौलिए की सहमति से नहीं करते हैं जिससे गरीब लोगों का शोषण हो रहा है तथा सरकार के द्वारा गरीबों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक शत प्रतिशत नहीं पहुंच रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सीतामढ़ी जिले के नगर पंचायत बेलसंड में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तथा आई.एच.एस.डी.पी. योजना के तहत वंचित लाभुकों की शेष बकाया राशि का भुगतान कराया जाए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक पर्यटन की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

महोदय, वहां मेंहदीपुर बालाजी है, जहां हरियाणा, दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों से बहुत यात्री आते हैं। इसी तरह से, पिप्पलाज माता का मन्दिर है। इसके साथ ही करोली जिले में श्री महावीर और कैला देवी का मन्दिर जुड़ा हुआ है।

वहां पर नई का नाथ और आवानेरी बावड़ी जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं। यहां हजारों यात्री आते हैं, लेकिन बाँदीकुई और दौसा स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12985 और 12986 डबल डेकर ट्रेन का ठहराव नहीं है। यदि इस गाड़ी का ठहराव इन दोनों स्टेशनों पर कर दिया जाए, तो रेलवे को भारी राजस्व प्राप्त होगा और साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री रामचरण बोहरा को श्रीमती जसकौर मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you very much, Speaker, Sir. 'विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छलजलधितरंग' ऐसी सुंदर भारत भूमि में, we have a historical natural water body, Kondakarla Ava Lake. It is the second biggest lake in Andhra Pradesh. It has a bed area of 2,654 acres. It is a very good bird sanctuary also. Every year, one species of Ciberian bird comes to Ava, lays eggs, hatches them and goes back along with the baby birds. It is a very beautiful place, but it is facing a lot of problems.

I would like to bring to the kind notice of the Minister of Jal Shakti and the Minister of Tourism that the present capacity of the lake is not sufficient to cater to the needs of ayacut to the full extent. There is overflow of water, which is destroying all the surrounding villages. So, my request to the hon. Minister of Jal Shakti and the Minister of Tourism is to desilt the bed of the lake, strengthen the banks of the river, provide mechanised boats, construct guest houses, and also deepen the bed so that the storage capacity of ayacut is increased.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्य अब जीरो ऑवर में पढ़कर बोलना बंद करें। आप घर से ही दो-तीन बार पढ़कर आए, फिर बोलें। आप सभी माननीय सदस्य बिना पढ़े बोलने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आज इसकी इजाजत दी जाती है।

श्रीमती रंजीता कोली: अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में भरतपुर से पलवल, वाया कुम्हेर, डीग, कामा राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वे हो चुका है। उक्त प्रस्तावित मार्ग पर मेरे लोक सभा क्षेत्र के कस्बा कुम्हेर में आये दिन जाम की समस्या उत्पन्न रहती है। इससे कस्बेवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कस्बा कुम्हेर में जाम की समस्या से निजात पाने हेतु बाईपास का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। मैं आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगी कि उक्त प्रस्तावित राजमार्ग में मेवात का काफी हिस्सा पड़ता है, जो विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मंजूरी से मेवात में भी विकास के द्वार खुलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर-मथुरा सड़क पर ग्राम रारह स्थित राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा निर्मित रेलवे ओवरिब्रज वर्तमान स्थिति में पूर्णत: क्षितिग्रस्त हो गया है। उक्त ओवरिब्रज के क्षितिग्रस्त होने की स्थिति में आये दिन दुर्घटना होने का भय बना रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि रारह रेलवे ओवरिब्रज की जांच करवायी जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you Speaker, Sir, for allowing me to speak during 'Zero hour'. In my parliamentary constituency, Arambagh, there is a place called Tarkeshwar, which is a renowned Lord Shiva pilgrimage centre. There is a Kendriya Vidyalaya in Tarkeshwar. For the last five years this school has been running in a guest house. The State Government of West Bengal has already allotted land for the Kendriya Vidyalaya but till now the school has been running in a guest house.

Sir, through you, I would urge the HRD Minister to construct the Kendriya Vidyalaya building, for which the land has already been allotted by the State, so that the students studying in Tarkeshwar Kendriya Vidyalaya get quality education. The students are the future of India.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के गिरिडीह स्थित बरगण्डा में सर जगदीश चन्द्र बोस स्मारक भवन को राज्य सरकार ने राज्य धरोहर घोषित करने हेतु पहल की है। सर जगदीश चन्द्र बोस विज्ञान के क्षेत्र में कई शोध एवं खोज के लिए विश्व प्रख्यात व्यक्तित्व रहे हैं। झारखंड राज्य के गिरिडीह के बरगण्डा स्थिति स्मारक स्थल पर उनके जीवन के अंतिम दिन रहे हैं। वर्ष 1937 में इसी स्मारक भवन में उनका देहान्त भी हुआ था। इसके उपरांत सरकार ने इस भवन को स्मारक के रूप में सुरक्षित कर दिया। झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा इसे राज्य धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। भवन का मरम्मतीकरण, सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य किए जाने हेतु राज्य सरकार लगातार प्रयत्नशील है। वर्तमान में यह भवन, सर जगदीश चन्द्र बोस के स्मारक भवन के रूप में स्थापित है।

मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि सर जगदीश चन्द्र बोस के असाधारण व्यक्तित्व को देखते हुए वर्तमान स्मारक भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसे संरक्षित करने का कार्य करे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Thank you, Sir. I would like to raise the matter of urgent importance for the public. Recently, the NIA submitted a report regarding the breeding of anti-national and terrorist activities of Madrasas present in Indo-Bangla border area, especially in the districts of Malda, Murshidabad and Nadia in West Bengal.

The Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, the terrorist organisation, is using these ill-famed Madrasas for their notorious terrorist activities.

*In West Bengal, the madrasas have become the factories of terror and we all know who the owner of this factory is. Few days back, we have seen that Trinamool supremo was asking for proof of the Balakot air strike. She also blamed intelligence failure. I want to clearly point out that the TMC Government has adopted the dangerous policy of minority appeasement.

We cannot let this happen. Late Shri Atal Bihari Vajpayee Ji said that "Terrorism has become a festering wound. It is an enemy of humanity." Most of the Madrasas in West Bengal is illegal, which is funded by Bangladeshi and supported by ...** We cannot even allow the Syama Prasad Mukherjee's Bengal to be the breeding ground of anti-national activities.

I wish to say, "my mother earth, I bow down before you, in you rests the universe, on you is spread the love of the universal mother"*.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रेखा वर्मा (धोरहरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विषय रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा में मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र है। यहां बलिमयां, बड़खर में राजा विराट की एक नगरी थी। उसका तीन एकड़ में एक भव्य महल बना हुआ था, जो कि खण्डहर में तब्दील हो चुका है। यहीं पर महाभारत काल में पाण्डवों ने अज्ञातकाल का एक वर्ष बिताया था। इसी किले के पड़ोस में पाण्डवों द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जिसका बहुत महत्व है।

-

^{**} English translation of this part of Speech was originally delivered in Bengali.

^{**} Not recorded.

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि राजा विराट के किले की खुदाई करवाकर महल का जीर्णोद्धार कराते हुए उसे पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI NAVNEET RAVI RANA (AMRAVATI): Hon. Speaker, today I will speak about the local issue in Amravati. It is required to speak in this House. राजापेट नाम से एक जगह है। यहां रेलवे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया था कि डेढ़ साल में वहां बाई पास और अंडर पास अप्रूव करके, बना करके दे देंगे, पर आज चार साल हो चुके हैं, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ है। अगर वहां एंबुलेंस को जाना है, तो वह दस किलोमीटर घूम जाती है। अगर एंबुलेंस को सिर्फ क्रॉस करना है, तो उसे दस किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। बच्चों के स्कूल्स के लिए प्रॉब्लम है। वहां पर रहने वाले एक लाख लोगों को रोज समस्या होती है।

दूसरा मुद्दा है, हमारे यहां एक वैगन रेलवे कंपनी है, जिसका पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल जी के हाथ से सात साल पहले उद्घाटन हुआ था। आज सात साल बाद भी उसकी कमप्लीशन नहीं हुई है। मैं आपसे विनती करूंगी कि रेलवे डिपार्टमेंट को आदेश देकर वह अंडरपास ब्रिज, जो हमारे यहां राजापेट उड़ानपुल का बन रहा है, उसका जल्दी से जल्दी काम पूरा करे। वैगन रेलवे कंपनी का काम, जो पिछले सात सालों से बहुत धीमी गति से हो रहा है। उसके लिए फंड है, सब चीजें एवलेबल हैं, पर उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे विनती करूंगी कि रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर आने वाले इस प्रोजेक्ट में फंड होने के बाद भी लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे रोज एक लाख लोगों को समस्या हो रही है? मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगी।

श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई): अध्यक्ष महोदय, असम में बाढ़ की चर्चा हो गई है। 251 करोड़ रुपये एसडीआरएफ के तहत सैंक्शन हुआ है। इस बाढ़ से निपटने के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए जाएं, यह मेरी मांग है।

दूसरी बात, वाजपेयी जी के समय इंटर लिंकिंग की एक अच्छी पहल की गई थी। अगर इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स होता है, जहां एक तरफ ड्रॉउट हो रहा है और दूसरी तरफ फ्लड हो रहा है। एक तरफ पानी की प्रोबल्म है तो दूसरी तरफ पीने के पानी की प्रोबल्म है, यह दोनों सोल्व हो सकती हैं। इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाए।

हमारी कंस्टीट्यूएंसी में कुरवा एक जगह है, वहां ब्रह्मपुत्र नदी ने इम्बैंकमेंट तोड़ दिया है। वहां एक बड़ा ब्रिज बनाने की स्कीम थी। कुरवा नारंगी ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाने का काम जल्द शुरू की जाए, यही मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दिलीप साईकिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरूक्षेत्र): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुरूक्षेत्र की एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । कुरूक्षेत्र विश्व की एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है । वहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं । कुरूक्षेत्र जाने के लिए एक ही सड़क है जो शहर के बीच से निकल कर कैथल-पेहवा-पुनरी की तरफ निकलती है और राजस्थान को टच करती है । उसके ऊपर बहुत भीड़ रहती है । मेरा आपसे निवेदन है कि कुरूक्षेत्र के अंदर एक रिंग रोड बनाई जाए । वैसे राज्य सरकार ने भी उसको टेकओवर किया है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। 134 धार्मिक स्थल हैं क्योंकि वहां पर महाभारतकालीन नगरी है और वहां बाहर से श्रद्धालु आते हैं। 134 धार्मिक स्थलों का सुदृढ़ीकरण किया जाए, यह मेरी प्रार्थना है।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, seven fishermen from my constituency of Chennai North went on deep sea fishing on 4th of June, 2019. They have been missing for the past one and a half month now. I have given a representation already to the Ministry of Defence for organising a search programme for them. I would like to know if the Department of Fisheries, Ministry of Defence and the Ministry of External Affairs can coordinate to make sure that these fishermen are brought back.

I would also like to know if the Government can prepare a proposal where fishermen can be given a wearable and durable GPS positioning system so that if they are lost in the sea, they can be found out.

श्री किपल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में शाहपुर तहसील में कलमगांव है। वहां पर रेलवे का एक अंडरपास है। नेशनल हाईवे से गांव की दूरी महज 500 मीटर है लेकिन अंडरपास कमजोर होने के कारण उसको अंदर से जैकेटिंग की वजह से उसमें छोटी फोर व्हीलर गाड़ी भी अंदर से नहीं जा जाती है। हम लोग अंडरपास से कलमगांव जाते हैं तो आसपास के 25 गांवों को 22 किलोमीटर गोल चक्कर काट कर गांव में जाना पड़ता है।

मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय और सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द कलमगांव के पास दूसरा अंडरपास बनाया जाए। इन 25 गांवों को जो दिक्कत सहनी पड़ती है, उससे छुटकारा मिले। वहां पर एक नया अंडरपास जल्द से जल्द बनाया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री अच्युतानंद सामंत । माननीय सदस्य तीस हजार से ज्यादा ट्राइबल बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं । ये बहुत पूअर बैकग्राऊंड से हैं । इनके सामाजिक सेवा के काम के संबंध में आप सभी माननीय सदस्यों को इनसे मिलना चाहिए ताकि आप भी अपने-अपने इलाके में काम कर सकें ।

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधामल): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपको मेरे काम के बारे में पता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जीरो आवर में ओडिशा के बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दस दिन से जीरो आवर का नोटिस डाल रहा हूं, लेकिन मेरा भाग्य खराब है कि लॉटरी नहीं निकली। अगर आप आज स्पेशल जीरो आवर नहीं करते तो मुझे आज भी बोलने का मौका नहीं मिलता। अभी भारत सरकार की तरफ से यूनियन बजट 2019-20 में घोषणा की गई है, 17 sites have beenidentified and selected as iconic tourist destinations from among 11 States and one Union Territory. We all know that the State of Odisha is home to a number of incredible tourist destinations, including a World Heritage site, the Sun Temple at Konark. There are other places like the Chilka Lake, and also a tourist circuit including Lalitgiri, Ratnagiri and Udaigiri. We also have the Lord Jagannath mandir and many such other places. But surprisingly, not a single tourist spot in Odisha has been included in the 17 sites that have been selected by Government of India as iconic tourist destinations. 4 करोड़ 50 लाख ओडिशावासी पूरी तरह से दुख में टूट गए हैं। वे इतने दुखी हैं, they cannot understand how this has happened.

यहां जितने मान्यवर सांसद बैठे हैं, सब इन साइट्स पर घूमे होंगे। सारे वर्ल्ड में लोग चिकत हो गए हैं कि कैसे इसमें साइट नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इनमें से दो-तीन साइट्स जल्दी से जल्दी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आनी चाहिए। ओडिशा वासी इससे दुखी हैं। सारी दुनिया में जो इन टूरिस्ट स्पॉट्स को जानते हैं, वे भी

दुखी हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए भारत सरकार से, पर्टीकुलरली पर्यटन विभाग से अनुरोध करूंगा चाहे जैसे भी हो, दो-तीन टूरिस्ट स्पॉट्स को एड करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और सप्तगिरी उलाका को श्री अच्युतानंद सामंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Hon. Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of this august House that in the Re-organisation Act of Punjab, when the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh were formed, the main Administrative post of Chandigarh was to be shared between Punjab and Haryana. But without the approval of this august House, the Union Territory of Chandigarh has formed a UT cadre which is totally illegal.

The UT cadre which has been formed by the Chandigarh Administration should be done away with. There is the Central Vigilance Commission and they have given recommendation that only the officers dealing with public will be posted there for three years. But there are a few officers holding the posts of Chief Engineer, the Chief Architect who have been there for a period of five years and they are neck-deep into corruption.

Sir, I would like to urge upon the Central Government to do away with this illegal UT cadre.

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र युनियन टेरिटरी दादरा और नागर हवेली के बारे में बताना चाहता हूं। यह बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। दादरा और नागर हवेली में अनुसूचित जनजाति की संख्या 60 परसेंट है। वहां ग्रुप बी और ए के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन सिर्फ सात परसेंट है। यह बहुत ही गंभीर बात है। यहां के लोगों और अनुसूचित जनजाति के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अनुसूचित

जाति की संख्या सिर्फ एक परसेंट है, उनके लिए रिजर्वेशन 15 परसेंट है। ओबीसी की संख्या 10 परसेंट है और उनके लिए आरक्षण 15 परसेंट है। एक तरफ अनुसूचित जनजाति की संख्या 60 परसेंट है और उनके लिए रिजर्वेशन सिर्फ 7 परसेंट है। सरकारी नौकरियों में इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अन्य राज्यों में भी इनको नौकरी नहीं मिलती है। यदि उनको अपने क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलेगी तो वे लोग कहां जाएंगे?

यह केन्द्र शासित प्रदेश हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस मामले में तुरंत इंटरवीन करे। जो नोटिफिकेशन सिर्फ 7 परसेंट का निकला गया है, उसको रद्द किया जाए। नया नोटिफिकेशन निकाला जाए और जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या के मुताबिक वहां पर आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिले, यह मैं भारत सरकार से चाहता हूं। खासकर गृह मंत्रालय इसमें इंटरवीन करे और नया नोटिफिकेशन निकाले यह मैं गुजिरश करूंगा। ...(व्यवधान) हम लोग जीरो ऑवर में अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं को रेज करते हैं, उसमें क्या कार्रवाई होती हैं, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन आज आपने यह व्यवस्था दी है और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल जी ने दो बातें यहां रखी हैं। ...(व्यवधान) हम कार्यवाही के लिए भारत सरकार का और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: व्यवस्था सरकार ने दी है। मैंने नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, फिर एक बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में केंद्र सरकार से संबंधित सवाल उठाये हैं, उनको हम डिपार्टमेंट को रेफर करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, अगर डिपार्टमेंट आवश्यक समझता है, तो वह उत्तर देता है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, in my parliamentary constituency, Krishnagiri, Hosur is the major cosmo municipality with more than two lakhs of voters from all over India. The Government of Tamil Nadu,

in principle, has announced it as a City Corporation. It is a well known industrial hub. It is known as the gateway of Tamil Nadu for Karnataka, particularly for the city of Bengaluru. Traffic is the biggest menace in the day-to-day life of the people. The electronic city of Bengaluru is hardly 20 kilometres away from Hosur. Bengaluru city has a metro rail service upto the electronic city, Bommasandra. It is hardly 20 kilometres away from Hosur town.

If Bangalore Metro Railway Corporation Limited extends the connection from Bommasandra to Hosur via Athipalli, it will be a great boon to the people of both Karnataka and Tamil Nadu. The BMRCL will also get benefited.

Connection by metro rail between two States is not a new thing. By connecting Ghaziabad, Greater Noida, UP and Faridabad, Gurgaon of Haryana and Delhi, DMRCL has paved the way for it.

So, I would request the hon. Minister to take positive steps to extend BMRCL's metro rail service to Hosur at the earliest.

श्री सौमित्र खान (विशनुपुर): सर, मैं झगड़ा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरे बांकुरा जिले के अंदर दो लोक सभा क्षेत्र हैं - एक बांकुरा और बिशनुपुर। मेरा आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर से अनुरोध है कि मेरे जिले में जंगल के एस.सी/एस.टी. के लोग ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे केंद्रीय नौकरी करने वाली फैमिली भी रहती हैं। इनके लिए मैं एक केन्द्रीय विद्यालय की मांग करना चाहता हूं। बांकुरा एवं बिशनुपुर लोक सभा क्षेत्र के अंदर एक केन्द्रीय विद्यालय की आवश्यकता है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में यही एक जिला है जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, उनको बहुत प्रोब्लेम होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण । मेरा आपसे आग्रह है कि हम स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्र की जो भी मांग रखनी है, यदि वह मांग केंद्र से संबंधित हो तो ज्यादा उचित रहेगा । राज्य का भी ऐसा विषय हो जो राज्य और केंद्र से संबंधित हो तो सदन की गरिमा रहेगी ।

श्री तपन कुमार गगोई (जोरहाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी कंस्टिट्यूएंसी असम का जोरहट है। मेरे कंस्टिट्यूएंसी में एक जोरहट एयरपोर्ट है। दिल्ली से जोरहट तक एयरपोर्ट की डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली से जोरहट तक एक डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी देन की कृपा करें। हमारे यहां टी गार्डेन है, ओएनजीसी है, स्टूडेंट हैं, जो दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए मैं दिल्ली से जोरहट तक डायरेक्ट एयर फ्लाइट देने की मांग करता हूं।

हमारे जिले में तीन क्षेत्र हैं - जोरहाट, शिवासागर और चिराईदेव । चिराईदेव जिले में एक भी केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है इसलिए वहां एक केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: मणिक्कम टैगोर जी। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यह सदन और यह आसन आपका है, जितनी इसकी प्रतिष्ठा बनाकर रहेंगे उतनी ही सदन की प्रतिष्ठा बनेगी। हम आपको जो भी व्यवस्था देते है इसलिए सदन में सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण रहे। हमारे लिए सभी माननीय सदस्य न पक्ष हैं, न विपक्ष हैं। हम सभी एक साथ देश के हित में काम करने के लिए आए हैं। मुझे कुछ सूचनाएं मिली थीं इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Respected Sir, if my behaviour has hurt the Chair, I would like to apologize for it. It was not meant to hurt you.

माननीय अध्यक्ष: मैं खेद व्यक्त करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सामान्य रूप से कह रहा हूं।

SHRI B. MANICKAM TAGORE: As a Member, I represent certain people as their representative. The way it was told to me, it was not individual. ... I represent certain people, therefore, I just reacted in a little different way. I should not have done it. I assure you, from next time, it will not happen.

I would like to thank you because you are making new milestones in the working of Lok Sabha, and also allowing each and every Member to place his or her matters. During my first term, in 15th Lok Sabha, it took one year for me to speak for the first time. But this time, you have given me a third opportunity to speak during Zero Hour. I would like to thank you for that.

Now, I come to the main topic about South Tamil Nadu's industrial backwardness. South Tamil Nadu has nine districts among which two districts are aspirational districts. The Madurai-Thoothukudi industrial corridor, which was announced in 2013, is still at announcement stage. Till now, no construction work has been started. Therefore, I would request the Minister of Commerce and Industry as well as the Government to look into this matter. Even after six years of announcement, nothing has happened. Justice has to be done for the people of South Tamil Nadu. I hope that the Government would start some kind of work on Madurai-Thoothukudi industrial corridor. Thank you so much.

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अटल जी को याद करता हूं। अटल जी ने उत्तराखण्ड का निर्माण किया साथ ही आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने चहुँमुखी विकास करने का काम किया है। उत्तराखण्ड में आल वेदर रोड, नेशनल हाईवे व चारधाम सड़क योजना

है। वहां तेजी से काम हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन विकास के बाद पलायन भी तेजी से हो रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि वहां विषम परिस्थितियां है, मैदानी क्षेत्र है, भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आज भी वहां रोजगार का अभाव है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन मुख्य मुद्धा है। शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं और स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है और मैं कह सकता हूं कि आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन कैसे रुके? मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहूंगा कि विकास तो तेजी से हो रहा है और माननीय प्रधान मंत्री जी चहुँमुखी विकास भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लघु उद्योग लगें, जिससे रोजगार मिले, क्योंकि सीमांत क्षेत्र चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी भी है, जो हिमालय बेल्ट है तो वहां तिब्बत सामने है, चाइना सामने है, नेपाल सामने है तो वहां माओवाद कभी भी फन फैलाता है तो जो नौजवान वहां रहता है, वह सेना का भी साथ देगा और उनके साथ वहां खड़ा भी रहेगा।

इसके लिए वहां रोजगार के लिए अलग से पर्वतीय क्षेत्र के लिए पॉलिसी बने, जिससे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि लगें। साथ ही, शिक्षा को देखते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि हर ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय खुलें तो शायद पलायन रुकेगा। इसलिए उद्यम और उद्योग के लिए अलग से पॉलिसी बने। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Respected Speaker Sir, I am very much thankful to you for giving me the permission to speak in this temple of democracy.

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं दिया, आपको चार-पांच बार मौका दे दिया।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV: I would like to bring to the notice of the Railway Minister an issue with regard to Venkatadri Express, which runs between Kacheguda and Chittoor. It needs immediate action. The line goes

from Kacheguda to Kurnool, Gooty, Dharmavaram, Kadiri, Pakala, Tirupati and Chittoor, covering a major part of Anantapur district on metre-gauge. When metre-gauge was to be converted to broad-gauge line, the route of the train was diverted to Kadapa only to facilitate the gauge conversion works in Dharmavaram-Kadiri line. But now, despite the successful completion of conversion into broad-gauge line, the route of Venkatadri Express has not been resumed to the earlier one. The line had been started during the British period intending to facilitate the commuters to Tirupati from the most backward areas like Dharmavaram and Kadiri. In this regard, I request the Railway Minister to act at the earliest to resume the service via Dharmavaram and Kadiri.

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Speaker Sir, I would like to draw your kind attention to several crores of daily labourers who are engaged in 100 days job programme under the MGNREGA all over the country. The unskilled labourers get only Rs. 191. The semi-skilled get Rs. 286 and skilled labourers get only Rs. 382 as daily wages for labour.

At this time of high market price, I think it is quite impossible to make both ends meet with this minimal wages. It is not possible to satisfy their hunger thrice a day fully. How will they get proper treatment and medicine for family members. How will they buy dresses for their children? How will they send their children to schools and colleges?

So, I would like to place a proposal for increasing their daily wages from Rs. 191 to 300 for unskilled workers, from Rs. 286 to 500 for semi-skilled

workers and from Rs. 382 to 600 for skilled workers per day. I also request you to increase the number of working days from 100 to at least 200 days for maintaining their family affairs.

I hope the hon. Prime Minister will consider my proposal sympathetically.

I invite all the Members of the House to support my proposal by thumping the tables cheerfully.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you, Speaker Sir, for giving me this opportunity. I would like to draw the kind attention of hon. Youth Affairs and Sports Minister, through you, to the suggestions and one demand for development of our sports sector. We are adopting Khelo India programme giving the maximum support for the athletic-oriented sports policy. The main objective of Khelo India programme is identification of talents. Talent identification is not going on, but the talent selection is going on there. Secondly, if you introduce a unique identification number for each athlete and sports person, it will help to avoid age fraud and in identifying deserving candidates for different welfare schemes and pensions. Thirdly, we have to consider our qualified domestic coaches at par with foreign coaches. I have one demand for Kerala.

We have three 'Khelo India' Centes there. We want a High Altitude Sports Training Centre to be set up at Munnar in my Constituency. I do not want to explain the importance of High Altitude Sports Training Centres. It will be helpful in improving the competency and capacity of athletes and sports persons in rural areas.

We have the National Adventure Sports Academy there. I would request the Government to provide some financial assistance to this Academy through the National Sports Development Fund. So, combinedly, we can gradually make it as a world's sports city.

Sir, I would also say a few lines about the Ministry of Youth Affairs. I also agree that employment is not a subject of Ministry of Youth Affairs. But we have to make sure that Ministry of Youth Affairs plays a pivotal role in the policy-making of different Departments, on different subjects because joborientation is also there.

Before making policies and schemes for developing our nation, we have to deliberate amongst ourselves as to what we are going to do for our younger generation and how we are going to include them in the nation-building process. We cannot ask our younger generation people to join hands in the nation-building process without making them able and competent for this purpose.

With these words, I conclude. Thank you very much.

इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडू (मयूरभंज): अध्यक्ष जी, मैं ओडिशा राज्य के मयूरभंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। Earlier, one Express Train was running from my District, from Baripada to Shalimar five days a week; and from Baripada to Puri, two days a week. बड़े दु:ख की बात है कि छ: महीने से ज्यादा हो गए, यह ट्रेन बंद हो गई है। इसलिए मेरी मांग है कि इसको तुरंत चालू किया जाए।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्णिया के बीचोंबीच सौरा नदी है। इसमें नेपाल से चलने वाली नदियों का पानी आता है। सौरा नदी के तट के संबंध में

धार्मिक मान्यताएं हैं। वहां सिटी घाट पर काली मंदिर भी है। घाट से कप्तान पुल होते हुए बाइपास तक, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उसकी सफाई हो, उसकी गाद को हटाया जाए और तटबंध को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाए। यह शहर के बीचोंबीच है, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा शहर सुंदर होगा और शहरवासियों को उस रिवर फ्रंट का फायदा मिलेगा। हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं, माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मांग करते हैं। नगर विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, दोनों मंत्रालय में से जिसमें से यह काम होता है, आपके माध्यम से इसको कराने की मांग करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद, माननीय सदस्य शून्य काल में पहली बार बोल रहे हैं। श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): अध्यक्ष जी, आज हमें इस अवसर पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता और अपनी ओर से आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जहानाबाद एक पिछड़ा जिला है और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहां रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है। कारगिल चौक के कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट के पास ही रेलवे गुमटी क्रॉस करती है। एनएच-83 उसी रास्ते से गुजरती है। उसमें नित्य दिन जाम लगा रहता है, उसके कारण जहानाबाद जिला के ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि उस पर फ्लाईओवर बनाया जाए। वहां रेलवे के द्वारा एक अंडरपास बन रहा है, वह कई साल से लंबित है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का निर्देश देने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष : आज राजस्थान के सांसदों की बारी सबसे अंत में आएगी।

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you, Sir. It is well-known to the nation that the Gaja Cylone hit my Constituency, Nagapattinam, on 15th

October, 2018. It had affected 12 districts. The poor people had lost their houses as well as their livelihood. They are temporarily living on the roadside till now. They are not moving into their own houses. They are unable to build their houses.

As far as agriculture is concerned, the paddy crop has been completely destroyed. The coconut, mango, teak and other valuable trees had fallen and remained unused.

Therefore, I request the Government of India to provide more funds as well as houses from PMAY. The Government of India is also requested to allocate more funds to the affected people of these districts.

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर ओडिशा में है। नबरंगपुर और जयपुर के बीच तथा जयपुर और मलकानगिरी के बीच दो रेल लाइनों के लिए वर्ष 2016 में ओडिशा सरकार और रेलवे के बीच एमओयू साइन हुआ था लेकिन आज तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। जयपुर और नबरंगपुर के लिए ओडिशा सरकार 50 परसेंट दे रही है और फ्री में लैंड दे रही है। जयपुर और मलकानगिरी प्रोजेक्ट में 75 परसेंट भारत सरकार दे रही है और 25 परसेंट राज्य सरकार दे रही है। मेरी मांग है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका को श्री रमेश चन्द्र माझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभी माननीय सदस्य संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this House towards the poor state of palm oil farmers. The palm oil contributes to majority of the world's edible oil consumption. In India,

it was introduced about 30 years ago. We are growing almost 3 lakh metric tonnes at the current level. The current price per tonne given to the farmer is about Rs. 7,500 which is, actually, way below sustainable levels. The palm oil crop is almost 25 years long. So, farmers in the middle of the crop cycle are, really, struggling for survival and looking for options like cashew and other crops.

The hon. Prime Minister in his address to the House had spoken about promoting edible oil within the country in the name of cutting down imports and saving foreign exchange. This was also repeated by our hon. Finance Minister as a matter of priority.

I request the Government to announce a minimum support price of, at least, Rs. 10,000 per tonne to the farmer for his survival. The palm oil production has a potential to grow to almost 60 lakh metric tonnes and save us almost one-third of the country's oil import bill which is currently Rs. 70,000 crore. The Ministry of Agriculture has done a study, CACP, and you can ascertain the facts. The farmers are looking for our support. I hope and pray through you, Sir, that the Government would act in the right away to save our palm oil farmers and the palm oil crop in the interest of the nation. Thank you. श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश में सीतामढ़ी के अंदर बाढ़ का भयंकर प्रकोप है। सीतामढ़ी, अरिया, मधुबनी, शिवहर, पूर्णिया, दरभंगा आदि कई जगहों के सांसद यहां बैठे हैं। ये इलाके बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और राहत शिविर लगा

हुआ है। अभी 15 दिन पहले राज्य सरकार अकाल से बचाव के लिए तैयारी कर रही थी और कई जिले सूखाड़ के प्रभाव में भी हैं, लेकिन बाढ़ आ गई।

महोदय, मैं इस विषय को इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि बिहार में हर वर्ष और उत्तर प्रदेश में भी यही स्थित उत्पन्न होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यह स्थित इसलिए आती है क्योंकि नेपाल की स्थित बहुत खराब है। नेपाल में पिछले बीस वर्षों में जितने बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो रही है, इसके परिणामस्वरूप पहाड़ों में कैचमेंट एरिया से रेत के साथ पानी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। जितने हमारे केनाल्स हैं, उनमें रेत भर गई है। हमें इस विषय को नेपाल की सरकार के साथ लेकर बात करनी चाहिए। आज की तारीख में भारत सरकार नेपाल की सरकार को बाध्य करके या आग्रह करके वृक्षरोपण का कार्य यदि इन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं करेगी, तो आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। यदि यह काम आज करेंगे तो इसका लाभ आगे 15 वर्षों के बाद होगा। बिहार की त्रासदी तब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक पेड़ों के काटने का सिलसिला जो नेपाल में चल रहा है, उसे हम नहीं रोकेंगे। मेरा आपके माध्यम सदन से, विदेश मंत्रालय से और सरकार से आग्रह है कि एक नीति बनाई जाए, ताकि नेपाल में अधिक से अधिक वृक्षों को फिर से लगाया जाए और वृक्ष काटने पर रोक लगाई जाए और बिहार तथा उत्तर प्रदेश को इस त्रासदी से बचाया जाए। मैं अपनी मांग को आपके माध्यम से सभा के सामने रखना चाहंगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुब्रत पाठक - उपस्थित नहीं।

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): Hon. Speaker, Sir, I would like to bring to your notice the problems faced by the coconut farmers in my Parliamentary constituency.

Tamil Nadu is the leading State in coconut cultivation in India with the crops grown on more than 3.09 lakh hectares. The State is producing approximately 5,365 million coconuts in a year. Pollachi Parliamentary

constituency is the largest coconut growing place in India and it is also called 'Coconut Capital' of Tamil Nadu. But despite being the largest producer of coconut and its allied products, it is deprived of a Coconut Welfare Board and a Coconut Research Centre nearby. Due to shortage of rainfall, coconut yield has dropped to 50 per cent. Also, because of natural calamities, most of the farmers are switching over from coconut cultivation to other jobs.

Due to the above reasons, it is essential to increase the Minimum Support Price of milling copra to Rs. 150 per kilogram. This is the main demand of our coconut farmers in Tamil Nadu. To keep the coconut farmers alive, it is essential for the Government to consider increasing the Minimum Support Price of milling copra to Rs. 150 per kilogram. Thank you, Sir.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, यह मेरा पाचवां कार्यकाल है, लेकिन ऐसा सदन चलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। सबसे अच्छा भाषण वह होता है, जो अपने क्षेत्र के बारे में हो। इसका हमें ज़ीरो आवर के अलावा कभी मौका नहीं मिलता है। हर हफ्ते ऐसा होना चाहिए। इससे जो लोग यहां बैठते हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलता है, चाहे हम रात 12 बजे तक बैठें। इसलिए सप्ताह में एक दिन आप स्पेशल ज़ीरो आवर ज़रूर रखें।

मैं पहले यह सोचता था कि यह ब्रह्मा की लकीर है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। आपने इसमें परिवर्तन किए हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान) मैं आगरा से चुनकर आया हूं। वहां एसएन मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल है। मैं आज आपका दूसरा रूल भी मानूंगा, मैं आज बिना पढ़े बोलूंगा। एसएन मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हिन्दुस्तान के सर्वाधिक प्राचीनतम तीन स्कूलों में से है। It was a school. यह ब्रिटिश काल में, वर्ष 1854 में बना था। इसको थॉमसन हॉस्पिटल कहते थे। वर्ष 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने जो गोरे मारे-ठोके होंगे, उनका इलाज आगरा में हुआ होगा, क्योंकि वह वर्ष 1854 की बात है।

इसके बाद इसका नाम थॉमसन हॉस्पिटल हुआ और उसके बाद यह मेडिकल कॉलेज बना। वर्ष 1944 में यहां से पहला एमबीबीएस का बैच निकला। मैं इसको एम्स का दर्जा देने के लिए बात कर रहा हूं। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, इसको एम्स का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, यह मैं सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। यह एम्स क्यों न बने, इस पर मुझे माननीय मंत्री जी का जवाब ज़रूर चाहिए। वर्ष 1944 में यहां से पहला एमबीबीएस का बैच निकला, यह 24.5 एकड़ भूमि में है, यह भारतीय मानव परिषद की सारी मान्यताओं को पूरा करता है, यह डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ऐफिलेटेड है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर के सब लोग वहीं आते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड, मोरेना, ग्वालियर, शिवपुरी, दितया, आगरा, एटा, फिरोज़ाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, इटावा और औरेया के मरीज़ यहां आते हैं। उत्तर प्रदेश के दो मुख्य मंत्री लखनऊ में ऐसे बीमार हुए कि उनका इलाज आगरा में हुआ है। यहां एक हज़ार बच्चे प्रशिक्षित और शिक्षित होते हैं। यहां पैरामेडिकल भी है और नर्सिंग की भी व्यवस्था है। यह 24.5 एकड़ भूमि में है, इसलिए एम्स का दर्जा इसको ज़रूर मिलना चाहिए। हमारी यूपी सरकार ने इसको 978 बेड्स दे दिए हैं। यहां 600 से 700 मरीज़ हर साल रहते हैं।

सर, अब हमारे यहां के मरीज आपके यहां सवाई मानसिंह हॉस्पीटल तथा एम्स में जा रहे हैं। वहां ताजमहल है। वहां अभी तक के सभी स्पीकर आ चुके हैं। वहां पर सारे मंत्री आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वहां जनता आती है। ऐसे में वहां कोई दुर्घटना हो जाती है और यदि उसे एम्स का दर्जा मिल जाए तो वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज रहेंगी। मैं आपके माध्यम से जो सन् 1854 से मेडिकल स्कूल है, उसको एम्स का दर्जा देने की मांग और अनुरोध करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार । मैं राजस्थान के शेखावटी के झुन्झुनू जिले से आता हूं। झुन्झुनू जिला शेखावटी में एक तरह से प्रसिद्ध जिला है। मैं झुन्झुनू जिले में हवाई अड्डा बनवाना चाहता हूं। मैं यहां इसलिए हवाई अड्डा बनवाना चाहता हूं, क्योंकि इस झुन्झुनू जिले की

बहुत सी विशेषताएं हैं। झुन्झुनू जिले की हवाई पट्टी सबसे बडी है। झुन्झुनू एक ऐसा जिला है, जिसने देश को सबसे ज्यादा शहीद और सैनिक दिए हैं। झुन्झुनू जिले में सबसे ज्यादा उद्योगपित हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि यदि अन्य जिलों और राज्यों के उद्योगपितयों को झुन्झुनू भेज दिया जाए तो वे राज्य खाली भी हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सैनिकों की दृष्टि से देखते हुए, उद्योगपितयों की दृष्टि से देखते हुए और शिक्षा की दृष्टि से देखते हुए ,यहां पर हवाई अड्डा बनाया जाए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो (पुरूलिया): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं पश्चिम बंगाल के पुरूलिया संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र पुरूलिया तथा जंगलमहल की लगभग 85 प्रतिशत आबादी पशुपालन तथा कृषि पर निर्भर है । वहां की ज्यादातर कृषि भूमि ऊबड़-खाबड़ होने के कारण, वहां बारिश का पानी नहीं रुक पाता है । जो वहां पहले से डैम है, उसमें मिट्टी जम जाने के कारण वहां पानी रुकने की क्षमता घट गई है, जिसका सीधा असर कृषि व्यवस्था पर पड़ रहा है । महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वहां की सिंचाई तथा पेयजल की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और वहां पहले से स्थापित डैम और जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाए तथा साथ ही नए जलाशयों के निर्माण की व्यवस्था की जाए । महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Hon. Speaker Sir, I want to mention about a terrible accident that has occurred in my Kallakurichi Constituency today. Nine people have died and several others have been grievously injured. This is not an unusual happening there. There have been 712 deaths in the last seven years.

The cause of this tragedy is due to incomplete four-laned National Highway No. 79 between Ulundurpetta and Salem. This highway project was started in July, 2008 and was completed in September, 2013. But the work

was thoroughly incomplete on eight bye-pass roads at congested towns like Aathoor, Vazhapadi, Udaiyarpatti, Chinna Salem, Kallakurichi, Thiaga Durgam, Elavarasanoor and Ulundurpetta. These roads were left as two laned roads. This was protested by the people, but even then no action had been initiated to widen the road to make it four lanes right from Ulundurpetta to Salem.

While the proposal and estimates were for a four lane between Ulundurpetta and Salem, the contractors gained undue money through this intermittent two laned roads. The heavy traffic points where the road shrinks into two ways become the cause of these terrible accidents and loss of valuable lives.

Sir, at this moment of great tragedy, I want to press for an early completion of the four laned National Highway lying incomplete for more than ten years and to prevent the loss of unfortunate lives in such accidents.

18-07-2019

21.00 hrs

श्री खलीलुर रहमान (जंगीपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारा जंगीपुर सब डिवीजन मूलरूप से बीड़ी का क्षेत्र है। यह पूरे हिंदुस्तान में बीड़ी के लिए मशहूर है। यहां खेती के अलावा दूसरी कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। गंगा रिवर इरोजन के कारण यहां की खेती धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। सर, जीएसटी लागू होने से पहले बीड़ी मजदूर से, एक्साइज ड्यूटी के साथ प्रति हजार में 5 रुपया लिया जाता था। वर्ष 2000 में हमारे लेबर मिनिस्टर ने वेलफेयर डिपार्टमेंट के सहयोग से 20 एकड़ जमीन पर बीड़ी मजदूरों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया था, जो तारापुर सेंटर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। उस समय 7 डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन्स और विभिन्न इक्विप्मेंट्स के साथ मेडिसिन फामेंसी शुरू की गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पिछले 6-7 सालों से इनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। डॉक्टर्स ट्रांसफर लेकर जा रहे हैं और कोई नया डॉक्टर नहीं आ रहा है। अभी 2 डॉक्टर्स परमानेंट हैं और 3 डॉक्टर्स काँट्रेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। सारी मशीनें बिगड़ चुकी हैं। उनको दोबारा ठीक करने के लिए न कोई प्रावधान किया गया न कोई चेष्टा की गई। सिस्टर्स, नर्सेज़ की संख्या भी कम हो गई। जहां ऑपरेशन होता था, वह भी बंद हो गया। एक्स-रे, ईसीजी, लैब सब कुछ बन्द हो गया है।

महोदय, एक बीड़ी मजदूर को बाहर से सब टेस्ट करवाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। केन्द्र सरकार की दो बातें ग्रामीण विकास और सबका साथ, सबका विकास बहुत अच्छी लगती हैं। अत: इस हॉस्पिटल को मेनटेन करने के लिए, जिसमें लाखों बीड़ी श्रमिकों को सुविधाएं मिल रही थीं, उसे मॉर्डनाइज़ किया जाए जिससे लाखों बीड़ी श्रमिकों को चिकित्सा की सुविधा मिले। धन्यवाद।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बिहार के महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने का मुझे मौका दिया है। मैं समझता हूं कि कम से कम 50 साल से जब-जब बिहार में बाढ़ आई है, सभी माननीय सदस्य आंकर चिल्लाते हैं कि सर बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। इसका कोई उपाय निकाला जाए। वही स्थिति इस साल फिर हो

गई। बाढ़ फिर आ गई और 12 जिले पानी में एकदम जलमग्न हो गए हैं। कम से कम हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। हमारी बिहार सरकार राहत कार्य चला रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अब बिहार की जनता चाहती है कि हम लोगों को राहत नहीं चाहिए, बल्कि आप लोग स्थाई समाधान निकालिए। हमारे रामप्रीत मंडल, मधुबनी जिला से हैं। ये राहत कार्य चलाने गए थे। जनता ने डण्डा लेकर इनको घेर लिया और बोला कि हम लोगों को राहत नहीं चाहिए। हमने आपको सदन में भेजा है, आप सरकार से बोलिए कि नेपाल में हाई टैंक बनें और बाढ़ का स्थाई समाधान निकाले। हम वहां जाते हैं, तो वहां के लोग कुछ नहीं सुनते। हुजूर, आप आसन पर बैठे हैं। आप हम लोगों की बात सुनिए और आपके माध्यम से हम सरकार से विनती करते हैं कि वह इसका कोई स्थाई समाधान निकाले।

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तिगरी उलाका को श्री महाबली सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): My request is, through you, Sir, to the hon. Minister of Highways. This is mainly to bridge the gap, by way of building a bridge, between two districts which got separated by a major tributary of River Godavari, called River Vasishta. There has been a proposal to build a bridge at that place which is at the headquarters of my constituency, Narsapuram. Since the last 40 years, four people have laid the foundation but unfortunately, they could not start the project.

It is not only going to bridge the gap between two districts but also connect two highways which are on each side of the river Vasishta. This has been a dream of the people living on the Godavari coast. In this regard, we would submit a detailed proposal to the hon. Minister of Road Transport and Highways.

Hon. Speaker, Sir, through you, I request the hon. Minister to take my request into consideration. It has been a dream of the people of my constituency for the last 40 years. Thank you.

श्री सुनील सोरेन (दुमका): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं झारखंड से आता हूं और मेरा लोक सभा क्षेत्र दुमका है। महोदय, झारखंड राज्य का संथाल परगना मंडल अति पिछड़ा हुआ एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र की 60 से 70 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है एवं वह आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर भी है। यहं से रांची की दूरी लगभग 400 से 500 किलोमीटर है। यहां पर रेल एवं बस की सुविधाओं में भी कमी है। इन्हीं कारणों से बहुत-से लोग झारखंड उच्च न्यायालय की शरण में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वे उचित न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। संथाल परगना में 6 जिले हैं और दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि संथाल परगना के मुख्यालय दुमका में एक हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए, ताकि कमजोर लोगों को न्याय मिल सके।

श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके (बैतूल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश की बैतूल हरदा लोक सभा जनजातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे हरदा जिले में रेलवे ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। वहां पर घंटों आवागमन बाधित होता है, जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र के हरदा जिले के लोगों को भारी परेशानियों का सामना पड़ता है।

महोदय, मैं अंडमान एक्सप्रेस के बरबटपुर स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग करता हूं। यह मांग अनेक वर्षों से लंबित है। 12159-12160 अमरावती-जबलपुर एक्सप्रेस के स्टॉप के लिए मेरे क्षेत्र की जनता अनेक वर्षों से संघर्ष कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 12539-12540 यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, 12687-12688 चेन्नई-देहरादून एक्सप्रेस, 16317-16318 कन्याकुमारी-जम्मूतवी हिमसागर एक्सप्रेस, 18245-18246

बिलासपुर-बिकानेर एक्सप्रेस, 18243-18244 बिलासपुर-भगतकोठी एक्सप्रेस, यह जानजातीय लोक सभा क्षेत्र है और मेरे लोक सभा क्षेत्र के भाई-बहन लंबे समय से इनकी मांग करते रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष, बैतूल रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे के नागपुर मंडल का महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां पर दो लाख से अधिक की आबादी रेल सेवाओं का उपयोग करती है। उक्त ट्रेनों के स्टॉपेज से नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध मिलेगी। मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री पकौड़ी लाल कोल (राबर्ट्सगंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हूं। मैं आपको, हमारे प्रधान मंत्री जी और सभी माननीय संसद सदस्यों को प्रणाम करता हूं। मैं जुबानी तौर पर कह रहा हूं और जो लिखा है, वह लिखा है। मैं सोनभद्र जनपद के संसदीय क्षेत्र के राबर्ट्सगंज से आता हूं। वह आदिवासी, अनुसूचित जाित और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है। बहुत-से बाहरी लोग आए हुए हैं, जो यहां पर फर्जी पट्टा, फर्जी बेनामा और इन्द्राज करके जमीनों की लूट कर रहे हैं। जब धर-पकड़ होती है, तो वे बाहर भाग जाते हैं।

अभी उन्हीं का परिणाम है कि कल हमारे क्षेत्र में रॉबर्टगंज के टोला, ग्राम सभा मुर्तिया में बाहर से आए जमींदार जमीन पर कब्जा कर रहे थे। आदिवासी लोगों ने जब उन्हें रोकने का काम किया, तब तक इन्होंने 15-20 बंदूकों से उन आदिवासियों को मार दिया, जिसमें 11 लोग मर गए और 20-25 लोग घायल हैं। महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े युद्ध स्तर पर उनको सांत्वना दे रही है। यह कहना मैंने ज़रूरी समझा, तािक क्षेत्र के लोग यह जान जाए कि हमारे दु:ख को पार्लियामेंट में अवगत करा दिया गया है। इसिलए मैं चाहूँगा कि उन आततायी को खोज कर कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बार-बार बोलने के लिए मौका मिल जाता है। मैं दो ऐस्पिरेशनल जिले से आता हूँ। एक लोक सभा क्षेत्र है, जहाँ से लाखों की संख्या में लोग काम-धंधे के अभाव के कारण

पलायन करते हैं। निदयाँ का जाल बिछा हुआ हैं। अपर जोंक इरीगेशन प्रोजेक्ट 25 साल से डैम बन चुका है, पानी भी कुछ इरीगेटेड हो रहा है और कुछ इरीगेटेड हो सकता है। डैम उसी तरीके से बना है, फोरेस्ट क्लीयरेंस बाकी है। वह जल्दी क्लियर हो, मैं उसके लिए ध्यान आकर्षण करता हूँ। लोअर इन्द्रा इरीगेशन प्रोजेक्ट, जो वर्जित इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है, उसका त्वरित निर्माण कार्य कैसे पूरा होगा और किसान को कैसे पानी मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना ज़रूरी है। इन्द्रावती राइट कैनाल तीन साल से रिपेयर नहीं होने के कारण ठेकेदारों की लड़ाई और प्रशासन की लड़ाई में फंसा हुआ है। तीन साल से 27 हजार हेक्टेयर के किसान रबी की फसल में पानी के लिए वंचित हैं। राइट कैनाल आने वाले दिनों में कैसे रिपेयर हो, इन्द्रावती लेफ्ट कैनाल सिनापाली तक एक्सटेंशन हो सकता है। वह कैसे एक्सटेंशन हो यह देखना चाहिए। उसके साथ तेल नदी में इन्द्रावती का एक्सट्रा पानी, पूरा दस फुट पानी समुद्र में बह जाता है। तेल नदी में तीन ब्रिज के निर्माण करने का आदेश-निर्देश ओडिशा सरकार को दिया जाए। टैक्सटाइल इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेरे क्षेत्र में की जाए, क्योंकि यह कृषि प्रधान जिला है, ड्रॉउट प्रोन जिला है, लोग पलायन करते हैं और सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। कालाहांडी का नाम सुनने से सब को मालूम है कि कालाहांडी क्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए इसका समाधान चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री सुब्रत पाठक (कन्नोज): अध्यक्ष जी, मैं कन्नौज संसदीय क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ के एक प्रमुख मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कन्नौज में परम्परागत इत्र का उद्योग है और बड़ा ही प्राचीन उद्योग है, लेकिन जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत होने के कारण इस उद्योग में मंदी आई है। किसान भी इस उद्योग से जुड़ा हुआ है। फूलों की खेती होती है, इस कारण से गुलाब जल, एरोमा ऑयल इत्यादि का उत्पादन होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इत्र उत्पाद पर जीएसटी की दरें कम की जाएं, ताकि इस प्राचीन उद्योग को बढ़ावा मिले।

दूसरा, आलू की फसल अधिक होने के कारण से, कन्नौज चूँकि प्रमुख आलू का केन्द्र है और 100 से भी अधिक कोल्ड स्टोरेजों में आलू का भंडारण है। इस बार मंदी के कारण आलू को 18-07-2019 366

फेंकने की स्थिति आ सकती है। अत: इस ओर भी सरकार ध्यान दे ताकि आलू को फेंकने की

नौबत न आए। धन्यवाद।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Mr. Speaker, Sir, thank

you. I am speaking for the first time during 'Zero Hour'.

Thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House

today. This is a very serious issue in my constituency.

The Union Government has proposed to conduct a survey and digging

of uranium mining in Nallamalla forest tiger reserve areas of Amrabad Mandal

in Achampeta Assembly segment in my Nagarkurnool District, which is also in

my Nagarkurnool Parliamentary Constituency in Telangana State.

About 60,000 people are living in this area, including the Chenchu

population which is about 10,000 in number and now they live in fear. Ancient

temples and dams in and around the Nallamalla area will be most affected.

Flora and fauna will be lost due to such mining. Environment and forest green

cover will also be affected. The local people are agitating and observing strikes

and dharnas irrespective of political affiliations for their rights and livelihood.

Only a few tigers are living in Nallamalla forest area and we may lose all the

tigers in the area in future due to mining of uranium.

Hence, I request the hon. Minister of Environment and Forest not to give

any permission for the survey and for digging of uranium mining in Nallamalla

forest area of Amrabad Mandal in my Nagarkurnool Parliamentary

Constituency to protect the interests of the local people.

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय भट्ट।

माननीय सदस्य, देर समय तक सदन में बैठते हैं।

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमिसंह नगर): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उत्तराखंड की एक गंभीर समस्या को उठाने का मौका दिया।

मान्यवर, कुछ गलतफहिमयों के कारण उत्तराखंड की 44 जल विद्युत योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया है। हमारे वहाँ गंगा, यमुना, टोंस, भागीरथी आदि सारी नदियों पर जल प्रोजेक्ट बने हुए हैं। पानी से जो बिजली पैदा होती है, उससे ही हम अपना राजस्व कमाते हैं। हमारी सरकार के पास राजस्व के अन्य कोई साधन नहीं हैं। हमारा बहुत छोटा सा राज्य है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवदेन है कि 44 जल विद्युत योजनाओं पर जो रोक लगी है, उसे तत्काल हटाया जाए। 3,062 करोड़ रुपये का निवेश अभी तक हो चुका है, 48 हजार करोड़ रुपये का निवेश अभी संभावित है। हमें 8,960 मिलियन यूनिट की हानि हो रही है। हमें 3,540 करोड़ रुपये सालाना राजस्व की हानि हो रही है। इसके अलावा 52 हजार रोजगार, जो हम लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, उस रोजगार की भी हानि हो रही है। संभवत: सरकार को ऐसा कोई संदेशा आया है कि गंगा में पानी नहीं छोडा जाएगा। वर्ष 1917 में हरिद्वार में जो गंगा महासभा के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसके आधार पर, वह एग्रीमेंट अंग्रेजों के साथ हुआ था, उसके आधार पर 1 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जाना अति आवश्यक था, परन्तु जो स्पेशल कमेटी अभी गई थी, उसके आधार पर 5 हजार क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जो देश के लिए भी पर्याप्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जल विद्युत परियोजनाओं पर जो रोक लगी हुई है, उस रोक को तुरन्त हटाकर निर्माण प्रारम्भ कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदिम्बका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, आज यह नहीं लग रहा है कि यह शाम का शून्य प्रहर है। ऐसा लग रहा है कि यह सुबह का शून्य प्रहर है। शायद इतनी संख्या पहली बार यहां है। आप ने एक बात यह कह दी कि माननीय सदस्य शून्य काल में बिना पढ़े बोलें। शायद किसी को यह लग रहा होगा कि आप टोक

रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह इतिहास बनेगा कि बिना पढ़े बोलने में, जिसमें कुछ लोगों का आत्मविश्वास नहीं होता है, इससे वे पार्लियामेंटैरिएन्स हो जाएंगे। यह सत्रहवीं लोक सभा इस बात की गवाह होगी।

महोदय, मेरा विषय केन्द्र सरकार से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा भी है कि आज हम रिस्पॉण्ड करेंगे। पूरे देश में जो संसदीय लोकतंत्र है, वह त्रिस्तरीय सिस्टम पर आधारित है - जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक, विधान सभा और लोक सभा । उसमें क्षेत्र पंचायत, जिसे बी.डी.सी. कहते हैं। वह आपके राज्य में है और हमारे भी राज्य में है। वे दो हजार मतदाताओं पर चुने जाते हैं। जैसे ग्राम सभा में प्रधान चुने जाते हैं, वैसे ही बी.डी.सी. का भी चुनाव होता है। लेकिन, बी.डी.सी. के चुनाव के बाद उसका दायित्व केवल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वोट देना है। उसके बाद उसकी न तो किसी विकास कार्य में सहभागिता है और न ही उसकी कोई हिस्सेदारी है कि वह कम से कम कोई प्रस्ताव दे सके। कोई भी चुना हुआ व्यक्ति, जन प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है। मैं चाहता हूं कि जो मनरेगा का फण्ड जा रहा है, वह लैंड विभाग, सिंचाई विभाग, ड्रेनेज विभाग को जाता है। ग्राम सभाओं में क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के प्रस्तावों का समावेश हो, जिससे कि प्रजातांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी और चुने हुए जन प्रतिनिधियों का सम्मान होगा। साथ ही साथ उस जनता का भी सम्मान होगा, जिस जनता ने उन्हें चुना है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। सभी राज्यों में बी.डी.सी. और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है और पाँच सालों तक वे अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। उन्हें रोज उनसे सुनना पड़ता है। हम लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारा घेराव होता है कि उनकी सहभागिता क्यों नहीं होती है?

माननीय अध्यक्ष: श्री रिवन्दर कुशवाहा को श्री जगदिम्बका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री बंदी संजय कुमार। ये माननीय सदस्य तेलंगाना से आए हैं। ये नए माननीय सदस्य हैं।

श्री बंदी संजय कुमार (करीमनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं तेल्गू में बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

*SHRI BANDI SANJAY KUMAR: Hon. Speaker Sir, after formation of BJP led Government under the leadership of Shri Narendra Modi, many welfare schemes were introduced for the welfare of SCs, STs and OBCs. Whole country is aware the funds are being provided for the upliftment of these sections. Central Government has also provided 10% reservation for economically backward sections of upper castes. This reservation is being implemented throughout the country, but Telangana Government is not implementing this provision and neglecting the economically backward classes. I request Hon. Minister to take cognizance of this matter. As the Central Government opposed unconstitutional and unlawful proposal of Telangana Government to provide 10% reservation for Muslims, now, Telangana Government is not implementing 10% reservation for economically backward classes of upper castes.

Earlier, Congress tried to provide 4% reservation for Muslims and tried to include Muslims under BC category. Now, TRS Government is making unconstitutional and impractical promises to provide 10 to 12% reservation to minorities and on the other hand they are depriving economically backward classes of upper castes of 10% reservation. Telangana Government is behaving in an adamant and high handed manner by not implementing 10%

 $^{^*}$ English translation of the speech originally delivered in Telugu.

reservation to economically backward classes of upper castes. I request that Central Government should take immediate action to see that economically backward classes of upper castes get benefit of 10% reservation in the State of Telangana. Telangana Government is not implementing Central Government's welfare schemes for poor like Ayushman Bharat Yojana, Fasal Bhima Yojana, or Pradhan Mantri Awas Yojana, as implementation of these schemes would give credit and fame to the Central Government. I request the Union Government to take action and see that 10% reservation for economically backward classes is implemented in the state of Telangana.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार में आए प्रलयकारी बाढ़ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, मैं सुपौल संसदीय क्षेत्र से आया हूं। यह कोसी प्रभावित क्षेत्र है। नेपाल इस क्षेत्र से सटा देश है, जहां पहाड़ों पर वर्षा होने से कोसी एवं अन्य निदयों में बाढ़ आ जाती है। इस समय बिहार के सुपौल जिले के साथ-साथ अन्य बारह जिलों में भी प्रलयकारी बाढ़ आ गई है। इससे वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है। इससे जन-धन की काफी क्षिति हो गयी है। कई जगहों पर सड़कों और पुलों के टूट जाने से आवागमन ठप है।

मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करके राहत का काम प्रारंभ कर दिया है। इस प्रलंयकारी बाढ़ में केन्द्र की मदद बहुत ही जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस दुख की घड़ी में बिहार में बाढ़ का आंकलन करके अधिक से अधिक सहायता राशि प्रदान करने की कृपा की जाए।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I thank you for giving me this opportunity. I also thank you for running this august House for these many hours. Today, I was reading in the newspapers that this House has worked the longest ever in the last 20 years. So, I thank you for making us work very hard.

The issue that I would like to mention here is about Andhra Pradesh and my District Guntur. In Andhra Pradesh, red chilli is grown in around 1.2 lakh hectares every year. In my District, there are almost 42 *Mandals* out of 57 *Mandals* where chilli is grown, but the productivity per acre is pretty low when compared to countries like China.

21.26 hrs (Dr. Kirit P. Solanki *in the Chair*)

We get less than 5,000 kg. per hectare. The low productivity is due to use of obsolete and outdated technology, and use of poor seeds by chilli farmers coupled with little help that they are getting either from the Spice Board or the Ministry of Agriculture. On an average, the farmers are getting around Rs. 6,000 to Rs. 7,000 as the market price for 100 kg. This price hardly gets them the input cost.

Secondly, chilli is a highly labour-intensive crop providing employment opportunities for a period of about eight months, and nearly, 410 people are required per acre for weeding, harvesting, grading, packaging, processing, etc.

There is an urgent need to improve productivity and quality in order to maintain

leadership in chilli production. This can only be done by having a separate Chilli Board, which can focus mainly on chilli related areas like improvisation of seeds, use of better technology and marketing, guiding farmers on techniques, etc.

This has been a long-standing demand, namely, to have a Chilli Board in Guntur. I hope that the Ministry will look into this issue, and establish a Chilli Board in Guntur. Thank you very much, Sir.

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): सभापित महोदय, मैं कर्नाटक के गुलबर्गा जिले से आता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सूखा पड़ा हुआ है। मैं मनरेगा स्कीम में एक स्पेशल पैकेज देने की मांग करता हूं। आज हजारों लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। हमारे यहां चारे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां लोग एक चारे के ट्रक पर चढ़ गए और चारे के लिए झगड़ा करने लगे, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया और उसमें बहुत से लोग जख्मी हो गए। ऐसी ही एक घटना लातूर में पानी के लिए हुई थी, जिसमें दस मिनट में ही टैंकर का पानी खत्म हो गया था। उसी तरह से हमारे गुलबर्गा (कर्नाटक) में सूखा पड़ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पेशल पैकेज देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। वहां मनरेगा में भी स्पेशल पैकेज दिया जाए। धन्यवाद।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Thank you, Sir, for this opportunity. I would want to bring to the attention of this Government and the hon. House a very sad and disturbing event that has taken place in my State just yesterday.

There is a 15th Century holy place, the *Moola Brindavana* of a great saint by the name Shri Vyasaraja Tirtha. He was a 15th Century saint and the fountainhead of the Bhakti movement in Karnataka. He was also the Rajaguru of the Vijayanagara Dynasty for Krishnadevaraya. He was also the Guru of

Purandara Dasa and Kanaka Dasa. This place has been vandalised, destroyed and desecrated in Hampi.

Hampi is a UNESCO world heritage site.

It pains to see that a site as important and holy as the *Moola Brindavan* of such a great saint, where he left his mortal body, has been desecrated by miscreants and anti-social elements yesterday. Just in the last six or seven months, this is the second incident in Hampi where such miscreants and anti-social elements are destroying the world heritage sites.

Therefore, I urge the hon. Government to take immediate measures to not only arrest, take punitive action against these miscreants but also to ensure that technological solutions like installation of CCTV cameras and such other measures are immediately taken to ensure that such activities will not be indulged in, in the coming days.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): The matter which Shri Tejasvi Surya raised is a matter of very serious concern. Lakhs and lakhs of peoples' feelings have been hurt. From the Government side, I would like to say that I would bring the matter to the notice of the concerned Minister and also to see that action is taken by the concerned authorities.

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Sir, I want to raise the issue concerning Mettur dam located in my Salem Parliamentary constituency. Mettur Dam, the largest dam in Tamil Nadu, is located in Salem district. It has a capacity of 93.4 TMC. Mettur dam provides drinking water and irrigation facilities for people of

Tamil Nadu. River Cauvery is called as the *Jeeva Nadhi* of Tamil Nadu. In monsoon and flood season, surplus water is discharged from the dam through river Cauvery and let into sea in vain. The Tamil Nadu Government led by AIADMK has failed to protect the surplus water of Cauvery. Tamil Nadu farmers and public have been protesting by indulging in *Dharnas* against this but everything resulted in vain.

It is high time to use the surplus Cauvery water which is discharged from the Mettur dam by using lift irrigation. If this surplus water reaches the water bodies in the Salem district properly, it would result in cultivation of more than 15 lakhs acres and more than 80 lakhs people from Salem, Namakkal and Viluppuram districts will get benefits. The livelihood and standard of the people will also get stabilized.

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): महोदय, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि यह वह धरती है, जो हमारे दशम पांतशाह, उनके परिवार और उनके साहेबज़ादों की शहीदी जगह है। उसी पार्लियामेंट्री कांस्टीट्युएंसी में एक जगह रायकोट है। दशम पांतशाह खुद रायकोट आए थे और उन्होंने वहीं प्रिडक्शन की थी कि मुगल राज का अंत होगा, औरंगजेब के राज का अंत होगा। वहां बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वह इलाका कभी भी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि इसके दोनों ओर रेल लाइन हैं, लेकिन उसके अंदर से नहीं जाती हैं।

मैं रेलवे मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनती करना चाहता हूं कि यह बहुत ऐतिहासिक जगह है, लेकिन यह बैकवर्ड रह गई। यहां कोई इंडस्ट्री आने के लिए तैयार नहीं है। इसे रेल लिंक मुल्लांपुर और बरनाला जोड़ा जाए, तो रायकोट बीच में से निकल जाएगा। उस जगह की बहुत तरक्की हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जिले से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरे जिले में 14 विकास खंड हैं। यह डार्क जोन घोषित हो गया है। अगर किसान चाहे तो भी वहां शासकीय सहायता से बोरिंग नहीं करा सकता है।

महोदय, सई नदी, बकुलाही और चमरौधा नदी के किनारों की हालत इतनी खराब है कि अधिकांश पुराने हैण्ड पंप खारे पानी से जंग खाकर गल गए हैं। कुछ अवशेष भी हैं, जिनमें नमक सरीखा पानी आता है। इसे अगर जहर कहा जाए, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यहां गरीब आदमी चार किलोमीटर दूरी से पानी लाकर अपना जीवनयापन कर रहा है।

महोदय, कई गांवों में फ्लोराइड की अधिकता से वहां के लोग विकलांग होते जा रहे हैं। इस हालत में मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हर घर नल का जल योजना के माध्यम से इस वेदना को समझकर प्रथम चरण में सम्मिलत किया है। बड़ी योजना के लागू होने में थोड़ा समय लगता है, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि प्रतापगढ़ की क्रिटिकल समस्या के तत्कालीन निदान हेतु केन्द्र सरकार सोलर लाइट से चलने वाली पानी की टंकी और पम्प स्थापित कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार (गया): सभापित महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। गया संसदीय क्षेत्र में बाराचट्टी प्रखंड में बरंडी बैराज का निर्माण कराया जाए। चूंकि वहां पानी का बहुत संकट है और पानी नदी में बह जाता है, पानी टिकता नहीं है, इसलिए बरंडी बैराज का निर्माण कराया जाए, इसका डीपीआर बन कर भी तैयार है।

हम आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई करने की कृपा करें।

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Sir. First, we the people of Tamil Nadu, through this House, would like to register and

convey our deepest sympathies to the people of Assam who have been affected in the recent flood.

Sir, this House must be knowing that the demand for the release of seven persons related to late Thiru Rajiv Gandhi's case is pending for a very, very long time. The judiciary has directed the State Government to take a decision on the release of seven persons – Nalini, Murugan, Perarivalan, Robert, Santhan, Jaikumar and Ravichandran. Accordingly, the State Cabinet has recommended the release of the seven persons and directed the State Governor to exercise his power under article 161 to release the seven persons. It has been pending from 9th September, 2018. So, the demand for release of these seven persons has been pending for the last nine months and nine days.

I would like to know from the Ministry, what inhibits the Governor from taking this decision? This is a mental agony to those seven persons including that woman. We would like to know when the Governor would be able to take a decision to release them.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, in my constituency of Theni, in and around Periyakulam and Bodi, cultivation of mango, our national fruit, is undertaken in about 10,500 hectare which yields more than 125 tonnes every day from the month of March to June. Approximately, every day, two tonnes of mangoes are sent to the market, especially to the nearby State of Kerala where our mangoes are famous. The farmers are giving sweet to others but their own life is not sweet. So, I request the Government to take necessary action for setting up of cold storage and mango processing unit.

18-07-2019

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापित महोदय, राजस्थान में टिड्डी का बहुत प्रकोप हो गया है। राजस्थान के दस जिले हैं, जहां अभी फसल बोई गई है - बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, नागौर, जोधपुर, सूरतगढ़ और चुरू। पहले बारिश की कमी और उसके ऊपर पाकिस्तान की ओर से टिड्डी दल आया है। टिड्डियों के लिए बने सेंटर के अनुसार बलुचिस्तान के तटीय इलाके में टिडियां दिखाई दीं। वे टिड्डी दल भारत के बार्डर की तरफ बढ़ रहे थे। इसका एलर्ट मई महीने में ही हो गया था। वर्ष 1993 के बाद सबसे बड़े स्तर पर टिड्डी दल की प्रबल संभावना पैदा हुई।

मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि टिड्डी दस दिन में एक साथ सौ अंडे देती है और टिड्डी दल कुछ ही दिनों में हजारों की संख्या में बदल जाते हैं। यह दल इतना खतरनाक है कि एक मिनट में पूरे खेत की फसल को चौपट कर देता है। राज्य सरकार ने अब तक दो टीमें बनाई हैं, जो केवल खानापूर्ति कर रही है। चूंकि टिड्डी दल विभाग भारत सरकार के अधीन आता है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि अगर यह टिड्डी दल आगे बढ़ता है, आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से पोखरन जैसलमेर में फायरिंग रेंज का इलाका है, गोंडवान वहां का राज्य पक्षी है, वह फायरिंग रेंज का इलाका है, इसलिए कार्रवाई से रोका गया।

मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके टिड्डी से किसानों को बचाए, नहीं तो राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी को श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पशुपित नाथ सिंह (धनबाद): सभापित महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद में आधुनिकतम हवाई अड्डा और हवाई सेवा हो, इसकी मांग के लिए शून्यकाल में अपनी बात को रख रहा हूं। धनबाद देश के कोयला की राजधानी के रूप में गिनी जाती है। वहां सैंकड़ों कोलिरयां हैं, डीवीसी के दो बड़े-बड़े पॉवर प्रोजेक्ट्स हैं। 1000 मेगावाट का मैथन पॉवर प्रोजेक्ट है, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स है, जिसे आई.आई.टी. का दर्जा प्राप्त है, डायरेक्टर जनरल माइन्स सेफ्टी,

भारत का मुख्यालय धनबाद में है, कोल माइन्स प्रोविडेंड फंड का मुख्यालय धनबाद में है, सेंटर फ्यूल रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, सिन्दरी का खाद कारखाना और वहां से 50-60 कि.मी. पर जैन भाइयों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल पारसनाथ धनबाद के इर्द-गिर्द है। ऐसे स्थान पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि से लाखों लोग आकर वहां व्यापार करते हैं। वहां उनका आना-जाना लगा रहता है। जहां सरकारी प्रतिष्ठान हैं, वहीं व्यापारियों का एक समूह है। वहां पर हवाई अड्डा एवं हवाई सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): माननीय सभापित महोदय, मैं आपका अति आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सदन में बोलने के योग्य बनाया।

मैं फिरोजाबाद लोक सभा से संबंध रखता हूं। मेरी लोक सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में कांच के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के रूप मे चुना गया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि महानगर फिरोजाबाद के उद्योगपितयों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण कांच का उद्योग अपनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा लोक सभा क्षेत्र फिरोजाबाद से प्रति महीने सैंकड़ों उद्योगपित अपने व्यापार हेतु विदेश जाते हैं किन्तु उनके लिए पासपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उद्योगपितयों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली जाना पड़ता है।

अत: आपके माध्यम से निवेदन है कि पासपोर्ट की सुविधा आगरा सेंटर में बनाई जाए, जिससे उद्योगपतियों को बरेली न जाना पड़े।

श्री रिवन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय सभापित जी, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र सलेमपुर जो पूर्वी उत्तर में बिहार बार्डर के अंतर्गत आता है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में भारत सरकार की एनटीपीसी ने अपना पॉवर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन मांगी थी और हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत लार ब्लॉक में महल मंझिरया गांव में 1500 एकड़ जमीन चिह्नित करके जिला प्रशासन ने एनटीपीसी को भेजा था, वहां एनटीपीसी की कई टीमें गई, जांच हुई और पाया गया कि परियोजना को लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक यह परियोजना नहीं

लग पायी है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि वहां एनटीपीसी का पॉवर प्रोजेक्ट, सोलर प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, लगाकर उस क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय सभापित जी, मैं आपके माध्यम से अपने बिहार के मगध क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं। आज सदन में बिहार की बाढ़ की चर्चा काफी प्रमुखता से हुई। बिहार में आई बाढ़ से दर्जनों जिले व लाखों लोग प्रभावित हैं। इस विषय पर आज कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। सचमुच स्थित बड़ी भयावह है, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं उससे आपको आश्रर्य होगा। एक तरफ बिहार बाढ़ की चपेट में है तो वहीं दक्षिण के कई जिले सूखे की चपेट में है। मगध क्षेत्र के औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जमुई, और मुंगेर ऐसे जिले है, जहां सिंचाई के लिए पानी की बात तो छोड़ दीजिए, पीने के लिए भी पानी का अभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक सप्ताह पहले थोड़ी बारिश हुई, किसान खुश हुए और लोग खेती के काम के लिए खेतों में उतर गए, लेकिन उसके बाद बारिश बंद हो गई। जिन लोगों ने खेतों में जुताई का काम कर दिया, उनके खेत सूख रहे हैं और उनका पैसा भी बर्बाद जा रहा है। मैं स्थायी निदान के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वाजपेयी जी के समय में निदयों को जोड़ने की योजना शुरू हुई थी, जिसे बाद के शासन काल में रोक दिया गया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब बाढ़ आती है, तो लाखों किसानों का घर और फसल बर्बाद करके चली जाती है। वह पानी समुद्र में चला जाता है, इसलिए निदयों को जोड़ने की आवश्यकता है, तािक इसका स्थायी निदान हो सके।

श्री अरिवन्द कुमार शर्मा (रोहतक): सभापित जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहतक क्षेत्र एन.सी.आर. का हिस्सा है। झज्जर, बादली और बहादुरगढ़ तो बिलकुल राजधानी से सटे हुए हैं। मैं रोहतक शहर की बात रखूंगा। रोहतक में सी.एन.जी. और एल.पी.जी. पाइप लाइन, जिनमें सी.एन.जी. स्टेशन नाम मात्र के हैं और वहां लगभग 20 हजार के करीब

डीजल ऑटो रिक्शा चलते हैं। मेरा आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री से प्रार्थना है कि सी.एन.जी. आउटलेट्स और एल.पी.जी. पाइप लाइन रोहतक में जल्दी से जल्दी लगाएं। धन्यवाद।

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति : आपको एक मिनट में समाप्त करना है।

श्री हेमन्त पाटिल: मुझे दो मिनट दीजिए। मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का आपने मौका दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हिन्दू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी को अभिनन्दन करता हूं, जिनकी वजह से मेरा जैसा सड़क पर काम करने वाला कार्यकर्ता आज इस देश की सर्वोच्च सभाग्रह में बात कर रहा है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण आबादी के अधिकतम लोग कृषि पर आश्रित हैं। सरकार ने फसल के नुकसान और किसानों की रक्षा करने के लिए पंत प्रधान फसल बीमा योजना शुरू की है, लेकिन इसके नाम पर किसानों का शोषण निजी बीमा कंपनियों की तरफ से किया जा रहा है। इन कंपनियों का एक भी कार्यालय जिला स्तर पर नहीं है, जब प्रीमियम भरा जाता है तो सरकारी बैंको में भरा जाता है और जो राज्य शासन के कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके माध्यम से प्रीमियम भरा जाता है। उन अधिकारियों को मुफ्त में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। किसान जब शिकायत करने जाते हैं तो इन कंपनियों के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, न ही जिला स्तर पर कोई कार्यालय ही है। मैं मांग करता हूं कि जिला स्तर पर एक कार्यालय इनका होना चाहिए।

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री हेमन्त पाटिल: सभापित महोदय, एक मिनट लेना चाहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल यूनिट ब्लाक स्तर पर जो योजना है, उसके अंतर्गत 25 गांवों का एक ही जगह यूनिट ब्लॉक है। गांव में अगर बारिश होती है तो हर गांव में इस योजना के स्तर पर कार्य किया जाए। राज्य शासन के जो सूखा ग्रसित क्षेत्र हैं एवं अकाल के निकट जो क्षेत्र हैं उनके लिए कृषि फसल बीमा समान होनी जरूरी है।

18-07-2019

श्री रमेश बिन्द (भदोही): माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापित जी, आपका ध्यान 17 अति पिछड़ी जातियां बिंद, निषाद, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, कुम्हार, प्रजापित, भर, राजभर जातियां 1950 से संविधान में अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं।

मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सेंशस ऑफ इंडिया, 1961 अपेंडिक्स मैनुअल पार्ट-1, उत्तर प्रदेश में 66 समुदायों को अनुसूचित जातियों की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें क्रमांक-24, 27 और 30 पर दर्ज सभी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है।...(व्यवधान) इसी सूची के क्रमांक-51 पर 'मझवार' भी दर्ज है, जिसकी उपजातियां – केवट, माझी, मुजाबिर, राजगोंड, मल्लाह, गोंड को 70 साल से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। यह समाज शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मुख्यधारा से अलग है।...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से, अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के बिक्रम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो ट्रामा सेंटर बन्द पड़ा हुआ है, उसकी तरफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

सर, वर्ष 2002 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय एक ट्रामा सेंटर हमारे यहां बिक्रम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित हुआ था। उसके अपने भवन हैं, करोड़ों रुपये की अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बाद भी अभी तक वह ट्रामा सेंटर चालू नहीं है। उस इलाके में दो बड़े नेशनल हाइवेज हैं, राज्य सरकार की भी सड़कें हैं। अच्छी सड़कें होने की वजह से वहां दुघटनाएं लगातार घटती रहती हैं। उसके अगल-बगल में कोई भी चिकित्सा केन्द्र नहीं है, इस तरह का ट्रामा सेंटर नहीं है।

21.51 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हम पास में ही स्थित एम्स से जोड़ेंगे और जो वहां आईजीएमएस हॉस्पिटल है, जो बिहार सरकार द्वारा संचालित है, उससे उसे जोड़ने का काम करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थित है कि अभी तक उसे जोड़ा नहीं गया है और उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। उस इलाके में बड़ी संख्या में आबादी है, लोगों ने घर बना रखे हैं, वहां लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं और वहां से पटना हॉस्पिटल आने में कई लोगों की जान चली जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब बिक्रम के उस ट्रामा सेंटर को चालू करवा दिया जाए, ताकि लोगां की जान बच सके और वहां के लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके।

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak for the first time in this august House. I am from a very backward area of West Bengal. My Parliamentary constituency Jhargram is a ST-reserved constituency. There are problems in every aspect-drinking water, health, education and so on. But today I would like to draw your attention towards one of the most important problems that the people of Jhargram are facing. Jhargram is a two-year old district. A large number of people have to go to Delhi, Mumbai, Ahmedabad and other metro cities to earn their livelihood. The South-eastern route is there and a large number of trains pass through this station, but they don't have stoppage at this station. So, people have to go to Kharagpur or Howrah which is far away. I would request the hon. Minister to provide stoppage of trains at this station so that a large number of people may be benefitted.

माननीय अध्यक्ष: अब सभी माननीय सदस्यगण एक-एक मिनट में अपनी बात कहें तािक सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, आज देश में डाक्टरों पर जो हमले हो रहे हैं, वह विषय उठाने की आपने मुझे अनुमित दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

अध्यक्ष जी, देश में कई जगहों पर, कई राज्यों में चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो या हिरयाणा हो, सभी जगहों पर डाक्टरों पर हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही में करनाल में एक डाक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि डाक्टर भगवान का स्वरूप होता है और डाक्टर राउण्ड द क्लॉक ड्यूटी भी करता है।

डॉक्टर्स दिवाली जैसे त्योहार में भी ड्यूटी पर आते हैं। मैं सरकार से गुज़ारिश करता हूं कि डॉक्टरों को संरक्षण दिया जाए और ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि डॉक्टरों पर कोई हमला न करे। मैं डॉक्टरों से भी कहना चाहता हूं कि जो क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, उनसे तालमेल करके बात करें, तािक लोगों को भी समझ में आए।

श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय रेल मंत्रालय से संबंधित है। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत के जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, चांपा यार्ड पर ओवरब्रिज निर्माण, एलसी नम्बर – 337, प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.03.2013, दूसरा चांपा यार्ड पर ओवरब्रिज निर्माण, एलसी नम्बर- 342, प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25.07.2012, उक्त दोनों ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे विभाग द्वारा सम्पार बंद करने हेतु सहमित पत्र दिनांक 03.07.2013 और दिनांक 04.07.2013 को जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के लोकनिर्माण विभाग ने अपना कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। जब कि केन्द्र सरकार के रेलवे विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

माननीय रेल मंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन है कि क्षेत्रीय आमजन की परेशानी और जन आक्रोश को देखते हुए, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए आवश्यक आदेश-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

*SHRI ABU TAHER KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Speaker Sir, thank you for running the House so long. Hon. Minister of Parliamentary Affairs is also present in the House today. I thank him for being present here at this unearthly hour. My constituency is Murshidabad district of West Bengal. It is a border area. Barbed wire fencing is required through the 240 km stretch but only 100 km fencing has been done. Rest of the area is unprotected. 250 km stretch is under BADP (Border Area Development Project) but the condition of road is utterly pathetic. Cattle smuggling is rampant there. Today, it has been mentioned that the madrasas are the breeding ground of anti-national activities. This is very unfortunate. But our Government of West Bengal and Hon. Chief Minister Mamata Banerjee are very much concerned about these sensitive issues. She is trying her best to deal with this menace. However, it is the responsibility of BSF to check cattle smuggling in the border area. Strangely enough, BSF remains a silent spectator. The Central Government is absolutely inactive. Infact, it is the duty of the Central Government to look into these problems. It is a sorry state of affairs. BSF is not performing its duties properly. Therefore I request the Union Government to focus on the bordering areas and instruct the BSF personnel to pull up their socks. Thank you for giving me this opportunity to speak.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Bengali.

SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK (RAICHUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Today, I wish to speak about Munirabad-Mahaboobnagar railway line which falls in my constituency. Work on this line was started in the year 1997-98. For this project, the Raichur district required 131 acres of land, out of which only 235 acres of land has been acquired. No permanent Special Land Acquisition Officer has been posted at the SLAO office. Hence, 1090 acres of land is still to be acquired. I would request the hon. Speaker, to give directions to the concerned State Government to post a permanent SLAO and other required vacant posts may also be filled so that the work on this line may be expedited.

22.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, यदि अभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात सदन में रखनी है, तो आधे घंटे के लिए सदन का समय बढ़ाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय आधे घंटे बढाने की सहमति बन रही है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

माननीय अध्यक्ष : सदन का समय आधा घंटा बढाया जाता है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय सदस्यों को एक-एक मिनट में अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष जी, आप एनाउंस कर दीजिए कि माननीय सदस्य अपनी बात कहने के बाद सदन में ही बैठें, जाएं नहीं। माननीय अध्यक्ष: यदि सदस्य जा रहे हैं, तो उन्हें अगली बार मौका नहीं दूंगा। मैं सब देख रहा हूं। SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM):

Iyatralum Eettalum Kaathalum Kaatha

Vaguthalum Vallathu Arasu

Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak. This is my maiden speech. I am very much grateful to Thanthai Periyar, Perarignar Anna and former DMK President, Dr. Kalaignar and my leader Shri M.K. Stalin, Shri T.R. Baalu and youth leader, Shri Udhayanidhi Stalin and District Secretary and friends for giving me the opportunity to express my gratitude to the people of Kancheepuram constituency.

Sir, today, I would like to draw the attention of the House towards an ancient trade in my constituency, that is, the handloom sector. As we all know

that India is the largest consumer of silk and silk products and also the second largest producer and importer of silk in the world.

Considering that, in 2009, the then hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar had suggested a Silk Park Scheme for the welfare of the weavers and the Central Government had accepted and announced a project for weavers welfare called Perarignar Anna Handloom Silk Park to honour former hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri C.N. Annadurai at his home town of Kancheepuram.

This project is still under progress. Hence, I request you to urge them to expedite the work on this project.

For the welfare of the weavers in my constituency through you, I would like to request the hon. Textile Minister to take immediate action on the implementation of the Perarignar Anna Silk Park Scheme and establishing a college for handloom in Kancheepuram.

Velga Thamizh Nanri Vanakkam

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): अध्यक्ष जी, मैं शुक्रिया के साथ आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 17वीं लोक सभा में आप नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका ध्यान एक जटिल समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लर्नेड प्राइम मिनिस्टर यह चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के एक हाथ में कुरानशरीफ हो और दूसरे हाथ में कम्प्यूटर हो। इस दिशा में वर्ष 1993-94 में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव आया था और मदरसों के लिए तकरीबन 50 हजार मदरसा शिक्षकों को रखा गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसों के लिए जो बजट दिया जाता है, वह मुसलसल कम होता चला गया। वर्ष 2016-17 में 370 करोड़ रुपये से लेकर आज 120 करोड़ रुपये का बजट है। इसका नतीजा यह

हुआ कि तकरीबन 40 महीने से इन गरीब लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। जो लोग 30-35 हजार रुपये कमाते हैं, आप सोचिए कि साढ़े तीन साल उन्होंने अपनी जीविका किस तरह से चलाई होगी। इनमें से 13 लोग अननेचुरल डेथ से मरे हैं, जिनमें से पांच-छ: लोगों ने खुदकुशी की है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इन मदरसा टीचर्स के ऊपर रहम करते हुए इनकी तनख्वाह का इंतजाम किया जाए और हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, जो प्रधान मंत्री जी का सपना है कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।'

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): महोदय, मैं आपका ध्यान ज्यादा मात्रा में खाद्य तेल के आयात के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं। इस कारण हमारी तेल की लोकल इंडस्ट्री पर संकट आ गया है और यही नहीं, जब तेल की इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो काम करने वाले कर्मचारियों पर भी संकट पैदा हो गया है। अल्टीमेटली किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो तेल इम्पोर्ट किया जा रहा है, उस पर विचार करे।

महोदय, कल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इंदौर सांस्कृतिक और व्यावसायिक राजधानी है। मैं चाहता हूं कि वहां खेल का विश्वविद्यालय बने और 'साई' का स्थायी कार्यालय भी खुले। वहां इनडोर स्टेडियम की भी आवश्यकता है और पारम्परिक खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाएं। श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने सदन में मुझे बोलने का समय देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बाढ़ पर सारे बिहार के लोगों ने बोल लिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र बाढ़ का केन्द्र है। मुझे लग रहा था कि अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो अनर्थ हो जाता।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में भीषण बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अरिया, किशनगंज, खगड़िया, शिवहर और पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार, जो मिथिला का

क्षेत्र है, उसमें जबरदस्त रूप से आज कोसी, गंडक, कमला बलान, बागमती, जीवछ, खिरोई एवं करेह जैसी नदियां बहती हैं।

महोदय, पिछले एक सप्ताह में पश्चिमी तटबंध टूटने से सात जगहों पर भारी पानी का बहाव आ गया है। दरभंगा जिले के तारडीह, मनीगाच्छी, अलीनगर, घनश्यामपुर, कीरतपुर, गौरा बौराम, हनुमान नगर, दरभंगा ग्रामीण के बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं पश्चिमी प्रखंडों में बाढ़ की विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लाखों लोग बेघर व विस्थापित हो चुके हैं। वे लोग विभिन्न बांधों पर एवं पक्के मकानों पर रात गुज़ारने को मजबूर हो गए हैं। किसानों के मवेशियों के लिए चारा नहीं मिल रहा है। सभी फसलें नष्ट हो गई हैं। सभी सड़कें क्षत-विक्षत हो चुके हैं। गरीबों के मकान ध्वस्त हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद सादिक।

माननीय सदस्य सूफी गायक हैं।

श्री मोहम्मद सादिक (फरीदकोट): स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

*Sir, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on an important issue. As the poet says – आप जिनके करीब होते हैं, वे बड़े खुशनसीब होते हैं।

Sir, Punjab is a small state. However, Punjab Government purchases medicines worth Rs.200 crores from outside India. So, I urge upon the Government to open a medicine factory in my Lok Sabha constituency Faridkot and it should belong to the Central Government, so that the poor people can get these medicines at economical rates. A Government medical college should also be opened in my constituency. Sir, Punjab is a border state. It should not be left high and dry. You have sanctioned so many schemes and

-

^{*} English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

programmes for other states. You are doing the right thing. Kindly do not neglect Punjab.

"उल्फत की नई मंजिल पर चला डालकर बाहें बाहों में, चलने वाला ज़रा संभलकर चलना, हम भी तो खड़े राहों में।"

DR. MAHENDRABHAI KALUBHAI MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Sir, at present there is a railway passenger train between Bhavnagar Station and Dhrangadhra Station. In my parliamentary constituency, there are more than 3000 working industries at present. The owners of these industries regularly visit Gandhidam, Bhuj, Kandla Port and Mundra Port in connection with their business.

In Kutchh district, there are many pilgrim places. People from my constituency regularly visit these holy places.

So, I would like to request the Railway Minister to extend this passenger train service from Bhavnagar- Dhrangadhra to Kutchh-Bhuj. This will help both the businessmen as also people of three constituencies, namely, Surendranagar, Bhavnagar and Kutchh district.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी को डॉ. महेन्द्रभाई कालूभाई मुंजपरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अरिया): महोदय, मैं अरिया लोक सभा, नेपाल के किनारे से आता हूं। शुक्रवार को इसी सदन में खबर आई कि मेरे यहां बाढ़ आ गई है। मैं शुक्रवार को वहां गया और किसी तरह वहां पहुंच पाया। मैंने चार दिनों तक लगातार दौरा किया। मैं बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

18-07-2019

बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, परंतु मेरे यहां 15 आदिमयों की मृत्यु हो गई है। वे बाढ़ में फंस गए थे। यह बाढ़ हर साल आती है, कभी कम, कभी ज़्यादा। मेरा यह कहना है कि बिहार में सरकार रिलीफ बांट रही है, अच्छा काम कर रही है। केन्द्र से भी मदद मिल जाएगी, लेकिन इसका परमानेन्ट उपाय किया जाए। नेपाल सरकार से बात कर के वहां डैम बनाया जाए।

महोदय, हमारे यहां एक अन्य महत्वपूर्ण विषय भी है। महानन्दा एक बड़ी नदी है और कोसी नदी है। महानन्दा और कोसी नदी के बीच परिबान, बकरा, सुरसर, नूना, कनकई ऐसी अनेक नदियां हैं, जो इन नदियों की सहायक नदियां हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण इन नदियों में इतना पानी आता है, जिससे किसानों की फसल तो बर्बाद होती ही है, साथ ही जान-माल का भी नुकसान होता है। वर्ष 2017 में भी वहां भारी बाढ़ आई थी। वर्ष 2008 में भी बाढ़ आई थी। यह गंभीर मसला है। धन्यवाद।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): अध्यक्ष महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र इटावा है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कानपुर से एक इण्टरिसटी चलती है, जो रात में फफूंद में आकर रुक जाती है और सुबह वापस कानुपर चली जाती है। एक इण्टरिसटी आगरा से इटावा रुकती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो इण्टरिसटी आगरा से जाकर इटावा रुकती है, वह आगे बढ़कर फफूंद में रुके और जो कानपुर से इण्टरिसटी चलती है, वह फफूंद की जगह इटावा रुके और सुबह इटावा से कानुपर जाए और फफूंद से आगरा जाए। इन्हीं दो ट्रेनों का विस्तार करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है। श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मुद्दे पर मुझे बोलना है। जिस तरह से कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तान है, उसी तरह वैस्ट बंगाल के बॉर्डर पर बांग्लादेश है। आज बंगाल दूसरा कश्मीर होने की स्थिति में जा रहा है। रोहिंग्या आतंकवादियों को बांग्लादेश से लाया जा रहा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 23 तारीख, जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है, उस दिन से अभी तक आर.डी.एक्स. से लेकर तमाम एक्सप्लोसिव यूज किए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक वीपन से करीब 10 लोग मारे जा चुके हैं। बैरकपुर के जो किमश्नर और डिप्टी

किमिश्नर हैं, उनके नेतृत्व में लोग इलाके से पलायन कर रहे हैं। आपको सुनकर खेद होगा कि एक व्यक्ति बिरजू चौधरी, जिसकी उम्र 19 साल है, उसकी गर्दन काटकर फेंक दी गयी और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था। 15 जुलाई को मैटरिनटी हॉस्पीटल को लूट लिया गया। मालदा में कालियागंज थाना लूट लिया गया। इसी तरह से वहां डॉक्टरों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया। आज स्थित यह है कि यदि वहां के रोहिंग्या आतंकवादी को पिश्चम बंगाल के तमाम क्षेत्रों में रोकना है, हम भारत सरकार से यह निवेदन करेंगे कि एन.आई.ए. के द्वारा इस रोहिंग्या आतंकवादी को रोकने की कोशिश की जाए। पिश्चम बंगाल सरकार का जो मंसूबा है कि पिश्चम बंगाल से हिन्दुओं का पलायन हो, इसको रोका जाए। धन्यवादा SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter relating to my constituency during the Zero Hour.

My parliamentary constituency is Bardhaman Purba in West Bengal. Farmers in my constituency are facing the problem of paying electricity bills for irrigation through deep tube well. So, I decided to install submersible solar water pumps for the purpose of irrigation. The people of my constituency are solely dependent on agriculture. There is no industry in my area. So, my request to the Government is that submersible solar water pumps are required to be installed in my Parliamentary constituency under *Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana*. I would like to request the concerned Minister to kindly look into this matter and take action at the earliest.

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाय बागान अलीपुरद्वारस क्षेत्र से आया

हूं। वहां करीबन 373 चाय बागान हैं। वहां बहुत सारे चाय बागान क्षेत्र अभी बंद पड़े हुए हैं। वहां कुछ ऐसे गार्डंस हैं, जहां पी.एफ. और ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मजदूर से यहां सांसद बनकर आए हैं, यह बहुत अच्छा है।

श्री जॉन बर्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद चाय बागान का परमानेंट वर्कर हूं। अभी मैं कंपनी क्वार्टर में रहता हूं। अभी मेरे पास एक इंच भी जमीन नहीं है। इस काम में 176 रुपये से हमारा संसार चलता है। 176 रुपये में बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और हम दो, हमारे दो को चलाना बहुत मुश्किल होता है। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं के लिए जमीन का पट्टा मिला है, लेकिन हमारे पास एक इंच जमीन भी नहीं है। इसलिए कम से कम मिनिमम वेज प्लाण्टेशन एक्ट 1948 और 1951 लागू हो। हमें आठ घण्टे काम करने पर जितना मिलना चाहिए, वह हमें नहीं मिल रहा है। यह जो एक्ट बना है, वह केवल खाता-कलम में ही सीमित रह गया है। यह एक्ट इसी सदन से बना है, लेकिन हमारे क्षेत्र में यह अभी तक लागू नहीं है। महोदय, यह लागू होना चाहिए।

श्री लल्लू सिंह (फेजाबाद): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज देश में चीन से संचालित बहुत सारे ब्राउजर अपने देश में चल रहे हैं, जैसे टिकटॉक, हैलो, यू.सी.ब्राउजर आदि। इनका उपयोग देश के नौजवान भारी संख्या में कर रहे हैं। इन ब्राउज़रों के माध्यम से साम्प्रदायिकता, जातिवादिता और अश्लीलता का प्रचार हो रहा है, जिसके कारण समाज में गलत संदेश जा रहा है और इस देश के नौजवानों की दिशा गड़बड़ा रही है। यह भी संभावना है कि इन ब्राउज़रों से अन्य देशों के लोगों ने समझौता कर रखा हो, जो हमारे देश के डाटा को लेकर उसका दुरुपयोग कर रहे हों, और हमारे साइबर सेल को भी नुकसान पहुंचा रहे हों। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए और भारतीय स्टार्ट अप के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए तािक हम अपना ऐप बनाकर दुनिया भर में भारत की गरिमा और महिमा को बढ़ा सकें। धन्यवाद। श्री सोयम बापू राव (आदिलाबाद): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना राज्य में कुछ जातियों लम्बाड़ा, येरूकला और यानािद को अनुसूचित जनजाितयों में सिम्मिलत करते हुए संविधान के

18-07-2019

अनुच्छेद-342 में विनिर्दिष्ट किया गया है। यदि ऐसा है तो ऐसा संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति महोदय ने कब जारी किया है और किन-किन क्षेत्रों हेतु किया गया है?

श्री अक्षयवर लाल (बहराइच): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार। मेरा लोक सभा क्षेत्र बहराइच, उत्तर प्रदेश में है, जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। मेरे क्षेत्र में 50 किलोमीटर लम्बा और 10 किलोमीटर चौड़ा वन क्षेत्र है, जिसको केन्द्र सरकार ने टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बना रखा है। उसमें हजारों हिंसक जानवर हैं, जो जंगल से बाहर निकलकर, नागरिकों के घरों में घुसकर खेत में काम करने वालों को मारते हैं और अपना निवाला बनाते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि तार का बाड़ लगाकर उन हिंसक जानवरों को जंगल के अंदर ही रोका जाए, जिससे वे जंगल से बाहर न जाएं और हमारी जनता के प्राणों की रक्षा हो सके। धन्यवाद।

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे क्षेत्र में एनएचएआई, जो प्रमुख सड़क है, वहां एनएच 2 सिक्स लेन बन रहा है, जिसके कारण घनी आबादी क्षेत्र के आम लोगों को रोड के इस पार से उस पार जाने में काफी परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि वहां पर फुट ओवर ब्रिज या अंडरग्राउण्ड मार्ग बने। इसके साथ-साथ एनएच 33 व एनएच 23 दोनों क्रॉस करते हैं, जिसके कारण एक्सिडेंट की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से घाटी क्षेत्र में काफी दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए, मैं चाहता हूं कि वहां पर एक ट्रामा सेंटर बने। उस रोड को बनाने में, जो अलाइन्मेंट हुआ है और जिस हिसाब से घाटी क्षेत्र में रोड बननी चाहिए, वह नहीं बनी है, इसलिए उसमें फिर से सुधार करना चाहिए।...(व्यवधान) एक एनएच 23 है, जिसमें आधा फोर लेन बना है और आधा टू लेन बना है, उसको पूरा फोर लेन बनाया जाए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 12 नवंबर को हम सबके पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व होता है और उनका 550 साल का प्रकाश पर्व आ रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी तीन बार प्रधान मंत्री साहब से मिल चुके हैं। मैं आपसे भी यह गुजारिश करूंगा कि खास तौर से यह 12 नवंबर का जो दिन गुरु नानक देव जी का आ रहा है, उसको नेशनल टॉलेरेन्स डे, उसको सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। सरकार को उसको सहनशीलता दिवस के नाम पर डिक्लेयर करना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हमारी सरकार और पाकिस्तान की सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने मीटिंग की है, जिसमें पहले यह था कि केवल 500 श्रद्धालु जा सकते थे, लेकिन आज प्रधान मंत्री साहब ने 5,000 श्रद्धालुओं की बात करवाई है। रावी के ऊपर जो बड़ा पुल बनना है, उसकी मांग पिछले हफ्ते मनवाई है।

अध्यक्ष महोदय, पहले खासतौर से एनआरआईज़ को, क्योंकि गुरु नानक देव जी को चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, तो वे हिन्दुस्तान से पाकिस्तान के करतारपुर साहब जा सकेंगे, यह भी भारत सरकार ने पाकिस्तान से मनवाया है।

महोदय, एक आखिरी बात और है। हमारे पंजाब की जो मुख्य मांग है कि हमारे मिनिस्टर्स लगातार उनसे मिल रहे हैं। हमारे सीएम साहब लगातार प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, हमने 2,145 करोड़ रुपयों की डिमांड की है, जिसमें खासतौर से हमने सुल्तानपुर लोधी, जहां पर गुरु नानक देव जी की सिस्टर बेबे नानकी रहती थीं। सुल्तानपुर लोधी हमारा ऐपिसेन्टर है, वहां पर गुरु नानक देव जी का पिंड है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेस स्टडीज, हमने श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मांगा है। बटाला, जहां पर गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी, हमने वहां पर मेडिकल कालेज मांगा है।...(व्यवधान) कन्सट्रक्शन ऑफ श्री गुरु नानक देव मार्ग, वे जहां-जहां देश भर में गए थे, उसको नाम देने की बात की है।...(व्यवधान) 47 गांव और शहर हैं, जहां पर गुरु नानक देव जी गए थे। ये प्रोग्राम लगातार एक साल चलने हैं। हर सरकार ने पैसा दिया है। मेरी एक गुजारिश है कि हम सब गुरु नानक देव जी को मानते हैं। हम उनके लिए नेशनल

टॉरेलेंस डे और हमने जो हजार करोड़ रुपये के ऊपर की डिमांड की है, अगर वह दे देंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे गुजारिश करनी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं। हमारे लिए यह 12 नवंबर का दिन है, वह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं आपसे पंजाब से और पंजाब के लोगों की तरफ से यह गुजारिश करूंगा कि आप एक कमेटी हेड करें और सारे सदन को और आपको हमारी तरफ से निमंत्रण है। एक टीम बना दी जाए, ताकि 12 नवंबर को आपकी अध्यक्षता में सारा सदन वहां पर जा सके, मैं यह जरूर चाहता हूं।

श्री बालक नाथ (अलवर): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अलवर क्षेत्र में श्रम मंत्रालय की ओर से ईएसआईसी हास्पिटल है, जो कि आज से छः वर्ष पूर्व अलवर में बनाया गया था। वह हास्पिटल आज से छः वर्ष पूर्व में पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। हास्पिटल का भवन 500 बेड का है, जिसमें मेडिकल कालेज, फैकल्टी हाउस, सभी तरह की सुविधाएं और सारे इक्विपमेन्ट्स उसमें मौजूद हैं। लेकिन पिछले पांच-छः वर्षों से हास्पिटल और मेडिकल कालेज को नहीं चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि उस हास्पिटल और मेडिकल कालेज को चलाया जाए, ताकि उस क्षेत्र के सभी गरीब लोग वहां पर जा सकें, क्योंकि गरीब लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है।...(व्यवधान) उस हास्पिटल को चलाया जाए, ताकि गरीब लोगों को सुविधाएं और छात्र-छात्राओं को शिक्षा मिल सके। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि श्रम मंत्रालय को जल्दी से जल्दी उसको चलाने का निर्देश दिया जाए।...(व्यवधान)

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश के खरगौन-बड़वानी जनजाति लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस बार के सदन में आधे से ज़्यादा नए लोग आए हैं और आपके प्रयास से सब बोलने में हिम्मत जुटा रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ा आभार आपके प्रति रहेगा। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : उन माननीय सदस्यों से भी आग्रह करें, जो अभी तक 100 लोग नहीं बोले हैं।

18-07-2019

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनजाति कृषकों के प्रति दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वन और जंगलों में रहने वाला जो जनजाति समुदाय है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से वनाधिकार के पट्टे मिले, उनके जीवनार्जन के लिए ये अधिकार पट्टे दिए गए तब से लेकर अभी तक उनका जीवनार्जन चल रहा है परन्तु केन्द्र सरकार की दो योजनाएँ ऐसी हैं, जिसका लाभ जनजाति कृषकों को नहीं मिल पा रहा है। एक प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ वनाधिकार पट्टेधारी जनजाति कृषकों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं फसल बीमा का लाभ भी उसी प्रकार के जनजाति कृषकों को नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि वह सरकार की योजना में जुड़े। धन्यवाद।

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोक सभा में पहली बार बोलने का अवसर दिया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, इनका अनुभव सदन को मिल रहा है। हम सब धन्यवाद देते हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह: बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप पूरा बोलें।

श्री बृजेन्द्र सिंह: मैं पार्टी का, पार्टी के नेतृत्व का, आदरणीय प्रधान मत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हरियाणा के हिसार लोक सभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ। मुझे जनता ने अभूतपूर्व प्यार दिया है, मुझे समर्थन दिया है, उसका मैं आभारी हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 450 गाँव हैं, जिनमें से 100 से अधिक गाँव ऐसे हैं, जहाँ पर पानी की कमी है, चाहे वह पीने के पानी की हो या इरीगेशन की हो, खास तौर से जो टेल पर गाँव पड़ते हैं। इनमें से करीब 29 गाँव ऐसे हैं, जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के तहत कवर हुए हैं। अब आई.डब्ल्यू.एम.पी. राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना

के तहत आ गई है, लेकिन दो विधान सभा के सेगमेंट ऐसे हैं, आदमपुर और नलवा के जहाँ पर करीब 20 गाँव हैं, जो सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। वह अभी भी किसी प्रकार की राष्ट्रीय स्कीम से वंचित है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय जल शक्ति मंत्री को यह अनुरोध करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना में थोड़ा सा संशोधन करके, जो 18-20 गाँव बचे हुए हैं, नलवा और आदमपुर विधान सभा क्षेत्र को यदि उसमें जोड़ लिया जाए तो वहां के लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 15 लोग बचे हैं तो 20 मिनट का समय और दे दें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अभी बोलने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, 20 मिनट का समय और दे दें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : सभा की सहमति के अनुसार 20 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है, अंतिम वक्ता तक।

श्री अनिल फिरोजिया।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद और आभार करूँगा कि देर है पर अंधेर नहीं। काफी इंतजार करने के बाद भी आपने खूब परीक्षा ली और बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय प्रधान मंत्री जी का सबसे बड़ा अभियान नमामि गंगे, मोक्षदायिनी गंगा मैया के लिए है, वैसे ही मेरे क्षेत्र में मोक्ष दायिनी माँ शिप्रा मैया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय जल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ शिप्रा की भी सफाई और उसकी गाद हटाने और उसको पावन बनाने का प्रोजेक्ट हमारे उज्जैन में भी करें।

उज्जैन धार्मिक नगरी है। जैसे गंगा मैया के तट पर कुम्भ का मेला लगता है, वैसे ही हमारे यहाँ शिप्रा मैया के तट पर सिंहस्थ भरता है और वह करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है।

महोदय, आप भी वहाँ पधारे हैं और आपने भी वहाँ स्नान किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री जी से माँ नर्मदा को प्रवाहमान करने एवं उसका सफाई अभियान को चलाने के लिए अनुरोध करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Respected Speaker, Sir, I am very thankful to you on behalf of the people of my *Kshetra* and West Bengal. I would like to speak in Bengali.

*Respected Speaker Sir, I am very thankful to you on behalf of West Bengal and my constituency Bankura. I would like to speak in Bengali. In West Bengal, a serious corruption is going on in the matter of appointment of upper primary teachers through SSC (School Service Commission). The examiners who are deputed are asked to put the marks in pencil and then they are signing with ink pen. They are professors and even few former Vice-Chancellors As a result, the genuinely talented or meritorious students, the poor students are not getting jobs. The influential members of the ruling party are dictating terms and they are appointing teachers as per their whims and fancies. This is a serious and major scam. Therefore CBI investigation into the matter should be conducted immediately. Moreover I demand polygraphic test of the examiners and forensic test of the answer scripts. Only then the truth can be revealed. Thank you sir.

 $[\]ensuremath{^{*}}$ English translation of the speech originally delivered in Bengali.

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं संस्कृत भाषा के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूँ। देव भाषा संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत सरल, वैज्ञानिक एवं सबसे समृद्ध भाषा है। वैज्ञानिकों के अनुसार कम्प्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। स्वर, संगीत आदि का सही उच्चारण संस्कृत में ही संभव है।

प्राचीन काल से भारतवर्ष में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। वेद, पुराण, रामायण, गीता आदि सभी धर्मग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। ईसा से लगभग 5 सौ वर्ष पूर्व महान विद्वान पाणिनि ने पहला व्याकरण ग्रन्थ रुद्राष्टाध्यायी लिखा था, जो संस्कृत में ही था। भारतवर्ष के तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। इनमें दी जाने वाली शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही था। सुदूर ग्रामों तक शिक्षा की अलख जगाने वाले गुरुकुलों में भी शिक्षा संस्कृत में ही दी जाती थी। पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आते थे। दुनिया भर में होने वाले आविष्कार, शोधों एवं चिकित्सा क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी हमारे वेदों में संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है।

मुगल शासक दाराशिकोह संस्कृत में लिखे ग्रंथों में उपलब्ध ज्ञान से प्रभावित होकर हमारे ग्रंथों का अनुवाद अपनी भाषा में करवाकर ले गया। आज अमेरिका, रुस, जापान, जर्मनी आदि विकसित देश हमारे वेद व संस्कृत में लिखी अन्य पुस्तकों पर शोध कर नित नये-नये आविष्कार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रदीप कुमार जी।

श्री मुकेश राजपूत: महोदय, मैं मात्र एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। आज हमारे यहाँ संस्कृत भाषा की स्थिति बहुत खराब है। हमारे संसदीय क्षेत्र में 8 संस्कृत भाषा के विद्यालय थे। हमारे फर्रुखाबाद जनपद का एक भाग कन्नौज जनपद में चला गया है। वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज

था और उस कॉलेज में 14 जनपदों के बच्चे पढ़ते थे। आज वहाँ सभी संस्कृत विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। वे सभी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्रालय से अनुरोध है कि इन सभी विद्यालयों में संस्कृत भाषा का संरक्षण होना चाहिए और संस्कृत भाषा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): महोदय, मैं कैराना लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ। हमारा लोक सभा क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर के रन में पड़ जाता है। हमारा लोक सभा क्षेत्र रेल सुविधाओं से पूर्णतया आच्छादित नहीं है। हमारे यहाँ डबल ट्रैक नहीं है। हमारे यहाँ रेल ट्रैक पर लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चल पाती हैं। हमारे यहाँ के लिए एक ट्रेन जनता एक्सप्रेस चलती है, जिसका नम्बर 14545 और 14546 है।

मैं एलम और ननौता में इस ट्रेन के ठहराव की मांग करता हूं। एलम जनपद शामली में है और ननौता करबा हमारे सहारनपुर में है। दोनों में ही ठहराव का अनुरोध और मांग लम्बे समय से चली आ रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर ठहराव निश्चित रूप से कराने की कृपा करें। इसके साथ-साथ हमारे ननौता रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। प्लेटफॉर्म न बनने की वजह से उस पर जो यात्री चढ़ते-उतरते हैं, उन्हें वहां बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस प्लेटफॉर्म का भी निर्माण ठीक प्रकार से हो, ऐसी मेरी सरकार से मांग है।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता जी।

आपके पैर में चोट है, फिर भी आप यहां बैठे हुए हैं।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने इस लोक सभा के सत्र में नए-नए प्रयोग किए। उसमें एक ऐतिहासिक प्रयोग मैं कह सकता हूं कि आपके माध्यम से हुआ है। लोक सभा टीवी ने लोक सभा एप्प जारी किया है। इसमें लगातार क्रमश: एक-एक घंटे का कार्यक्रम अपलोड हो रहा है। कल और आज मैंने उसे चेक

किया है। आपने बहुत ही एक सुविधाजनक चीज उपलब्ध कराई है। इसलिए आपको और आपके तमाम सहयोगी साथियों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और साथियों से भी अपेक्षा करूंगा कि आपको धन्यवाद और बधाई दें।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा पश्चिम बंगाल में 'कट मनी' का रिवाज देश भर में प्रसिद्ध हुआ है, वैसे ही मध्य प्रदेश में अभी 'झटक मनी' का रिवाज चल रहा है। इस 'झटक मनी' के कारण गरीब कर्मचारियों को बहुत परेशानी महसूस हो रही है और मेरे अपने मन्दसौर जिले में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के बीच में लगातार कार्यरत रहती हैं, ऐसी 3,374 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को, और केन्द्र के अलावा राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया जाता है तो उन्होंने अपने हिस्से का अनुदान काट कर उन्हें दिया है। किराए के भवन, जिनमें आंगनबाड़ियां चलती हैं, उनका लगातार सात-आठ महीने से किराया नहीं मिला है, जिसके कारण उनके मकान मालिक इन आंगनबाड़ियों को खाली करा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि चूंकि यह केन्द्र सरकार की योजना है, इसलिए इसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके उसको प्रभावी भूमिका में लाए।

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विषय को चेंज करना चाहता हूं।

महोदय, छत्तीसगढ़ी भाषा बिल्कुल सहोदर है, सरल है, सहज है, बहुत मधुर है और हिन्दी का ही एक अंग है। इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए निवेदन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया। आज छत्तीसगढ़ की आयु 19 वर्ष हो रही है। सम्माननीय प्रधान मंत्री जी उसे जुबान देंगे।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।

चाहे बैरिस्टर छेदी लाल हों, मिनी माता की धरती हो, पण्डित सुन्दर लाल शर्मा हों, यह सबकी इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ को अपनी जुबान और अपनी भाषा मिले। वहां के 83 प्रतिशत लोग छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। इसलिए इसके बारे में आपसे निवेदन है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, there is a shocking report. Recently it has come out in the newspapers. So, I would like draw, through you, the attention of the Government to this.

The 2009 Global Multidimensional Poverty Index (MPI) from the UN Development Programme and the Oxford Poverty and Human Development Initiative found that 50 per cent of tribals in the country are below poverty line, as are 30 per cent of Dalits and 30 per cent of Muslims. By taking this report into account, I urge upon the Government to launch a dedicated programme with specific fiscal allocations and engagements at societal level to ensure last mile development of Dailts, tribals and Muslims and to ameliorate the situation leading to poor health, poor quality of work and threat of violence forming multidimensional poverty. The Government must launch a special plan in mission mode for achieving this target and for achieving the objective of sustainable development by 2030. A revised SC/ST sub-plan and revised Sachar report implementation be initiated by the Government to reduce multidimensional poverty.

Thank you.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तींड़गढ़): अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे रात 11 बजे के बजाय कल सुबह 11 बजे भी बुलाते, तो मैं सदन में उपस्थित रहता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तींड़गढ़ के प्रतापपुर में ब्रॉडगेज, विद्युतीकरण और दोहरीकरण का काम चल रहा है। अभी वहां नई रेल लाइन सैंक्शन हुई है। चित्तींड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ एक आदिवासी जिला है और यह शेड्यूल-5 में आता

है। मंदसौर से प्रतापगढ़ के लिए पिछले कार्यकाल में हमने नई लाइन का सर्वे सैंक्शन कराया और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा लाइन का भी सर्वें सैंक्शन करवाया।

महोदय, रेलवे के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कई काम हुए हैं। वहां नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, हाइवे और रिंग रोड का भी काम हो गया है, लेकिन अगर वह आदिवासी जिला रेलवे से जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के पर्यटन तथा व्यापार संबंधी कार्य में लोगों को राहत मिलेगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के सांगानेर विधान सभा में मालपुरा के लिए जो रोड जाती है, उसके साथ ही जयपुर-सवाई माधोपुर रेल लाइन जाती है। उस रेल लाइन पर जो सिंगल पुलिया बनी हुई है, वह पुलिया न. 74 है। उस पुलिया पर काफी जाम लगता है और तीन-चार घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। वहां आये दिन एक्सिडेंट्स भी होते रहते हैं। अभी करीब 950 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर-सवाई माधोपुर लाइन को डबलिंग करने का काम सैंक्शन हुआ है। अगर इसी प्रोजेक्ट के तहत उस पुलिया को भी डबल कर दिया जाए, तो जो आए दिन जाम लगता है, वह खत्म होगा, वहां की जनता को काफी सुविधा मिलेगी और आवागमन के लिए एक सुगम रास्ता भी होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरी इन मांगों को पूरा किया जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी बहुत देर से यहां बैठा हूं, लेकिन मैंने यह तय किया था कि माननीय अध्यक्ष जी लास्ट में भी बुलाएंगे, तो मैं बोलूंगा। आपने मुझे बोलने के लिए परिमशन दी है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा-डूंगरपुर (राजस्थान) सिहत देश भर के लाखों लोगों के साथ सांई ग्रुप ऑफ कम्पनी रिजस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई ठगी एवं धोखाधड़ी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सांई ग्रुप ऑफ कम्पनी रिजस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड की 4 कंपनियों द्वारा हजारों बेरोजगार लोगों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें कंपनी में एजेंट बनाया गया। इस कंपनी ने भोली-भाली जनता से छल-कपट किया और उन्हें लुभावने ऑफर देकर अकेले राजस्थान में ही लगभग 300 करोड़ रुपये बेईमानी से जमा करवा लिया। कंपनी ने परिपक्वता की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी पुनर्भुगतान नही किया। यह कंपनी हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद करके चली गई है। इस बैंक में जो पैसा जमा हुआ था, वह सील हो गया है। हमारे क्षेत्र के हजारों निवेशकों सिहत देश भर के लाखों लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई इस बैंक में जमा किया था। उन्होंने मकान बनाने, बच्चों को पढ़ाने तथा शादी करने के लिए पैसा जमा किया था, किंतु इस प्रकरण के पश्चात कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं और कई लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि साई ग्रुप ऑफ कम्पनी रिजस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच करवाकर और इसमें शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर बांसवाड़ा-डूंगरपुर (राजस्थान) सिहत देश भर के हजारों निवेशकों को उनका जमाधन वापस लौटाने की कृपा करें।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आज की एक दुखद घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा के आठ मजदूरों का आज चेन्नई के करुमकलाम स्थान पर सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये सभी मृतक वहां मजदूरी का काम करते थे। अभी जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, ये सभी मजदूर चेन्नई में विद्युतीकरण के कार्य करने वाली एक टॉवर निर्माण एजेंसी में काम करते थे।

जो सूचना मिल रही है, उसके हिसाब से इनको लेकर जाने वाली पिक अप वैन सुबह एक बस से टकरा गई। इसमें 9 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 14 से अधिक घायल हैं। मैं आपके

माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन मृतकों की बॉडी जल्दी से जल्दी लाने की व्यवस्था की जाए और मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये मुआवजा और इंश्योरेंस का पैसा मिले। मेरा यह आपके माध्यम से आग्रह है।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में स्थित किशनगढ़ हवाई अड्डा अक्टूबर, 2017 में चालू हुआ था। अभी दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए 70-80 यात्री भार वाले विमान चल रहे हैं, जो फुल कैपेसिटी से चल रहे हैं। वर्तमान में किशनगढ़ हवाई अड्डे पर सिर्फ दिन में ही हवाई यात्रा का संचालन हो रहा है, जबकि रात्रि संचालन के लिए विभागीय मापदण्ड एवं कार्य पूर्ण हो चुके हैं, केवल डीजीसीए की अनुमति बाकी है। अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी शीघ्र अनुमति दी जाए।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि अभी यहां से हैदराबाद, अहमदाबाद और दिल्ली सेवा चालू है। मेरी मांग है कि यहां से मुंबई और पुणे के लिए भी सेवाएं शुरू हों।

महोदय, मेरा तीसरा निवेदन है कि हवाई पट्टी की 6,500 फीट लम्बाई है, उसे बढ़ाकर 8,500 फीट किया जाए।

महोदय, आपको पता है कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में जगत पिता ब्रह्मा जी का मन्दिर है, ख्वाजा साहब की दरगाह है और किशनगढ़ मार्बल मंडी विश्वविख्यात है। आपका जो आसन है, इसके दोनों तरफ जो मार्बल के पिलर लगे हैं, जो मेरा पैतृक गांव है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बार में एक बात कहें। अगली बार फिर आपको मौका देंगे।

श्री भागीरथ चौधरी: महोदय, मंत्री जी विराजे हुए हैं, आप थोड़ी मेहरबानी करिए। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर रनवे की स्ट्रेंग्थनिंग की जाए, तािक वहां बड़े जहाज आ सकें। हैदराबाद, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए जो उड़ानें चल रही हैं, उनमें फुल यात्री हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी स्ट्रेंग्थनिंग की जाए एवं रनवे की लम्बाई बढ़ाई जाए, तािक बड़े हवाई जहाज वहां उतर सकें।

माननीय अध्यक्ष: श्री रामचरण बोहरा को श्री भागीरथ चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): पाली लोक सभा क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। वहां 96 घंटों के अंतराल में पानी दिया जा रहा है। जवाई बांध में डेड स्टोरेज में चार दिन का पानी रह गया है। वहां के दस ब्लॉक्स डार्क जोन्स में आ गए हैं। वहां अंडरग्राउंड वाटर नहीं है और सरफेस वाटर भी नहीं है। अब ट्रेन से वहां पानी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। मेरा जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन है कि वहां स्पेशल राहत दी जाए।

जवाई पुनर्भरण का जो मामला है, साबरमती बेसिन से बहुत पहले इसकी डीपीआर तैयार होकर आ गई है। इसमें करीब 12 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वह डीपीआर जल शक्ति मंत्रालय के पास है। मेरा निवेदन है कि जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए छ: हजार करोड़ रुपये का राजस्थान सरकार ने अपना प्रपोजल भेज रहा है, उसको सैंक्शन करें, जिससे पाली लोक सभा क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म हो।

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया। 12, 16 और 17 तारीख, तीनों दिनों का जीरो ऑवर समाप्त होने के बाद आपने हमें मौका दिया। मुझे लगता है कि मेरे अलावा सभी सदस्य बोल चुके हैं।

कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत एनएच 28(बी) है। पडरौना से चल कर बिहार जाने वाले मार्ग पर बेतिया है। पडरौना से सालिगपुर तक मार्ग बहुत जर्जर है। एनएस 28(बी) का पुननिर्माण जनहित की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है।

मैं केवल एक मुद्दा और उठाऊंगा । नारायणी नदी के उस पार एक दर्जन गांव हैं । सालिगपुर, महदेवा, मरचहवा, नारायणपुर, सोहगीबरवा जैसे गांवों में बीस हजार की आबादी है । बरसात के दिनों में यहां आवागमन का कोई रास्ता नहीं है । प्रदेश सरकार सालिगपुर से लेकर शिवपुर तक, 22 किलोमीटर सड़क के लिए चालीस करोड़ रुपये देने में थोड़ा अक्षम है । मैं भारत सरकार के माननीय राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उक्त मार्ग बनवा दें ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज 162 माननीय सदस्यों ने जीरो ऑवर में चार घंटे पचास मिनट में अपनी बात रखी, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को, जो अंतिम समय तक रहे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं सरकार की तरफ से माननीय स्पीकर साहब और सभी स्टाफ को धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

22.51 hrs

The Lok Sabha then adjouned till Eleven of the Clock on Friday, July 19, 2019/28 Asadha, 1941 (Saka)